राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] बारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का तृतीय दिवस [संख्या : 3

गुरुवार

20 सितम्बर, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्नकाल है। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप क्या कहना चाह रहे हैं, यह प्रश्नकाल है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपके ध्यान में कुछ लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप जो कुछ कहेंगे, उससे पूर्व मैं सदन को कुछ कहना चाह रही हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां तो, आपका पहले हक है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कल विधान सभा में जो कुछ हुआ, वह बड़ा जिसे कहना चाहिए, पीड़ादायक भी है, शर्मनाक भी है और यह सब करके विधान सभा के 55 साल के इतिहास को हमने सच पूछिये तो कलंकित कर दिया। हमारी विधान सभा बहुत अच्छी थी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने कुछ भी किया होगा आपस में लेकिन इस आसन के प्रति अब तक लोगों ने, बराबर इसकी गरिमा का ध्यान रखा है और आसन की अवहेलना नहीं की है। परन्तु आसन से इस प्रकार की तोड़फोड़, कागज यहां से उठा लेना, मेरी कलम और दवात यहां से गायब है। वह टूटी हुई स्थिति के अन्दर नीचे पड़ी हुई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इस बात का कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। यदि

(श्री अध्यक्ष)

कोई इस तरह की बात भी थी तो मैं चेम्बर में थी। मुझे जाकर प्रतिपक्ष कह सकता था कि इस मामले के अन्दर यह नियमों की अनदेखी हो रही है। हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो मैं उस बात को सुनती। सुन करके मैं उसका कुछ न कुछ उपाय करती। लेकिन इस बात की नौबत आयी कि जिस के अन्दर अध्यक्ष को भी, इस आसन को भी नहीं बख्शा। तो मैं समझती हूं कि यह हम सब लोग कोई बहुत जिसे कहना चाहिए कि शर्म की बात है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। मैं चाहती हूं कि इस बारे में जो कुछ हुआ, मैं आपसे ही, सदन से ही चाहूंगी निर्देशन इस मामले में कि मुझे दिशा-निर्देश दिया जाए कि मुझे इस हालत में क्या करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी घटना हुई है, वह घटना तो क्षमा करने लायक नहीं है। लेकिन मैं सदन से ही चाहूंगी, आपसे ही दिशा-निर्देश चाहती हूं कि आगे भविष्य में ऐसा नहीं हो, उसके लिये क्या किया जाना चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष, पहले आप बतायें कि क्या किया जाना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने और सदन की नेता महोदया ने सारा दोष हमारे ऊपर डाल दिया। जबकि मान्यवर, प्रतिपक्ष ही पहला था जिसने आपके ध्यान में लाया था कि हाउस इन-आर्डर कीजिये। हमें बहुत कुछ कहना है, हाउस डिसआर्डर में हो रहा है। आपने सुना, सुन करके अनसुना कर दिया तो किसके पास जाते। आपने फरमा दिया, मेरे पास वहां आ जाते। यहां आपकी मौजूदगी में हमने कहा था कि हाउस को इनआर्डर कीजिये। बहुत कुछ कहना है। बहुत इम्पोर्टेण्ट बातें हैं। लेकिन आपने अनसुना कर दिया। अब आप फरमा रही हैं कि मेरे पास वहां नहीं आये। तो वहां आते किस मुंह से हम।

श्री अध्यक्ष: आपको दोष... नहीं है, वह चार माननीय सदस्य यहां बोल रहे थे, कर रहे थे, सवाल उनका था। उस समय तो आप चुपचाप बैठे थे। बिलकुल चुपचाप बैठे थे। उसके बाद जो कुछ हुआ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सुचारू रूप से चले इसके लिये आपने कल कुछ निर्देश दिये थे। (व्यवधान) आपने कुछ निर्देश दिये थे, अब वह बात कहां गई।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका यह अर्थ निकलेगा कि कुल मिलाकर के आसन ही जिम्मेदार है इस बात के लिये। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हां, आपने ही किया है। बिलकुल आपने ही किया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, कल की कार्यवाही...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आरोप घृणापूर्ण हैं। यह आसन आदर योग्य है। आसन पर आक्षेप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप हाउस को...उसकी वजह से अराजकता फैल रही है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम सही बात कह रहे हैं आपको।

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य आप नियम नहीं जानते हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हम जो कुछ कह रहे हैं, वह जिम्मेदारी से कह रहे हैं, अगर आसन हमारी बात सुनता है तो अराजकता फैल ही नहीं सकती है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): प्रतिपक्ष के नेता स्वयं हाउस को आर्डर में नहीं आने दे रहे हैं। सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं और हाउस आर्डर करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वे स्वयं इस तरह की अशांति फैला रहे हैं और हाउस आर्डर करने की दुहाई दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष और आप, दोनों यह जानते हैं...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): लोकतंत्र का गला घोटा है, यह कांग्रेस के लिये बहुत शर्मनाक बात है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सत्ता पक्ष से मैंने निवेदन किया था। राजेन्द्रसिंहजी अब खड़े हो रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, माननीय नेता, सदन उस समय मौजूद नहीं थीं। मैंने आपसे निवेदन किया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है, आप अनुमति दें तो। बिना अनुमति के खड़ा नहीं होऊंगा मैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या हर बात पर आप बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने आपसे निवेदन किया था। मुख्य सचेतकजी से निवेदन किया था कि आप आसन को मदद कीजिये, हाउस को इनआर्डर लीजिये। आपके आदमी सबसे ज्यादा कर रहे थे। (व्यवधान) जिन लोगों को आपने आज निकाला है, चार सदस्यों को... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह आरोप गलत हैं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह निराधार आरोप हैं। प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा लगाये गये आरोप निराधार हैं। (व्यवधान) डायस पर जाकर उपाध्यक्षजी पर हमला करना क्या ठीक बात है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, कल की घटना पर हमको बोलने का मौका दिया जाए कि वाकई गलती कहां हुई है। कल की जो घटना हुई है, उसके बारे में हमको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। हमने देखा है कि कहां, किसने कैसे गलती की है। यह तो हम सब देख रहे हैं। (व्यवधान) जो कल घटना हुई थी, किसने कितनी गलती की है, यह सबको मौका मिलना चाहिए बोलने के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जो गलती थी, जो आफेंस था, वह सदन के सामने आता और सदन की अनुमति से आप उनको निकाल सकते थे। कौन रोक रहा था आपको। हम तो बाधा नहीं थे। (व्यवधान) लेकिन मुझे दुःख है, अध्यक्ष महोदय कि सत्तापक्ष ने आपको साथ नहीं दिया। सत्तापक्ष चाहता था कि ऐसा ही हो। अब उसको भी देखिये आगे। (व्यवधान) माननीय नेता, माननीय सदन की नेता... (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा यह माइक बंद रहता है। अध्यक्ष महोदय, हमारा माइक बंद रहा है, अब शुरू हुआ है, ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने कल की घटना पर शोक प्रकट करते हुए कहा है।

श्री अध्यक्ष: यहां पर पढ़ना मना है। केवल बोलने की परम्परा है। (व्यवधान) आप पढ़ नहीं सकते हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष के नेता बिलकुल गलत आरोप लगा रहे हैं सत्तापक्ष के ऊपर। यह खुद बैठे-बैठे देख रहे थे सारा नजारा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप हमारे कोड़े मार रहे हैं, सुनते ही नहीं हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): शर्म आनी चाहिए, इन्होंने उपाध्यक्ष के हाथ से कागज छीने हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं सुनूंगी नहीं। (व्यवधान) यहां बोला जाता है, पढ़ा नहीं जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो, आप सुनो तो सही पांच मिनट, विधान सभा में बुधवार के घटनाक्रम में...

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): चारों विधायक इनके इशारे पर नाटक कर रहे थे। (व्यवधान) इनकी पूरी फौज थी।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, ये इशारा कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप कम से कम, प्रतिपक्ष के नेता महोदय खड़े हैं... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): विधान सभा में बुधवार के घटनाक्रम में विधान सभा की गरिमा तार-तार हुई। प्रतिपक्ष ने आसन पर अटैक किया जो शर्मनाक है। हंगामा करने वाले सदस्य बाहें चढ़ाकर सदन की गरिमा को गिरा रहे थे। भाटी तो आसन के आगे....दे रहे सदस्यों को अलग करने गये थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह किसने लिखकर दे दिया आपको? लिखकर यह किसने लिखकर दिया है।

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय नेता प्रतिपक्ष की हम बहुत इज्जत करते हैं लेकिन जिस तरह की अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी, आप किसी का लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे। आप अपने विवेक से बोलेंगे।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): यह प्रतिपक्ष के नेता तो किसी का लिखा हुआ ही बोल सकते हैं सदन में। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको उपदेश देने की जरुरत नहीं है। (व्यवधान) डाक्टर ओ.पी. महेन्द्राजी, आपको उपदेश देने की जरुरत नहीं है। (व्यवधान)

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी है। अध्यक्षजी ने इस पर व्यवस्था दी है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप लोग नहीं चाहते थे कि हाउस चले।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता तो बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): प्रतिपक्ष के नेता के इशारे पर माननीय उपाध्यक्षजी के ऊपर हमला किया गया है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बहुत लिटिल हार्टेड हैं। (व्यवधान) वह माननीय सदस्य, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल पूरे सदन ने देखा है और अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय किस प्रकार से मुझे आरोपित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल जो सारा कुछ हुआ, सबने अपनी नजरों से देखा है, किसने शुरूआत की और अब इस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह वही हैं जब मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत थे और रातों-रात इनको डिसमिस किया गया था। आदत से लाचार जो लोग होते हैं, वह कोई आओ, कोई फर्क नहीं। भैरोंसिंहजी साहब जब मुख्य मंत्री थे तब रातों-रात इनको डिसमिस किया था। एक आई.ए.एस. अफसर को थप्पड़ मार दिया था। दूसरे को मारने के लिए यह पीछे दौड़े थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बात क्या कह रहे हैं? आप दिशा-निर्देश क्या दे रहे हैं मुझे? क्या दिशा-निर्देश दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): काहे पर डिबेट कर रहे हैं, किस बात पर डिबेट कर रहे हैं? किस बात पर डिबेट कर रहे हैं यह? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बात यह कह रहा हूं कि सदन की नेता ... (व्यवधान) सदन की नेता ने ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक बात कह रहे हैं कि सदन नहीं चले। प्रतिपक्ष की नीयत खराब है। सदन नहीं चलाना चाहते इसलिए बार-बार ऐसा कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सदन की नेता ने इसकी भूरि-भूरि ... (व्यवधान) की है कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुन लीजिए। वह दिशा-निर्देश तो सुन लो। वे जो दिशा-निर्देश दे रहे हैं, पहले सुन लीजिए, फिर आप भी उस पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): नहीं, वे दिशा-निर्देश देने वाले कौन हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, दिशा-निर्देश चेयर से होंगे। इनकी बात को सुनेंगे? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिशा-निर्देश आपके माने जा सकते हैं। इनके दिशा-निर्देश, कौन होते हैं यह देने वाले? इनके दिशा-निर्देश को इनके खुद के आदमी नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष: कल यह बात हुई थी ... (व्यवधान) आप कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिए।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इनके इशारों के ऊपर, प्रतिपक्ष के नेता के इशारे के ऊपर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया, स्थान ग्रहण करें राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार आप भी स्थान ग्रहण करें, प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अगर रामलाल जाट वहां पर नहीं होता, रिछपाल सिंह, एम.एल.ए. वहां पर नहीं होते, रिछपाल सिंहजी को तो आप जानती ही हैं? उन्हीं को पूछ लीजिए। वे किसलिए आये थे? रिछपाल सिंहजी को तो आप जानते हैं। रिछपाल सिंहजी वहां पर खड़े हुए थे। उनको पूछ लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: यह तो सबको जानती हैं, यह तो सबको जानती हैं लेकिन मतलब क्या है इन बातों का?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्यों ने विधान सभा उपाध्यक्ष के हाथ से अगर कागज नहीं छीने होते तो यह परिस्थिति पैदा नहीं होती। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यह हमारे उपाध्यक्षजी के हाथ से, जब आसन के सामने जाकर ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ... (व्यवधान) किसी मंत्री, सत्ता पक्ष के सदस्य ने हाथापाई की हो, ऐसी मेरी जानकारी नहीं है, यह इन्होंने कहा है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): तब जाकर यह उत्तेजना पैदा हुई है ... (व्यवधान) तब जाकर यह हादसा हुआ है। हम कांग्रेस पार्टी से इतनी उम्मीद नहीं रख सकते। कांग्रेस पार्टी देश की स्वतंत्रता, देश की पहली पार्टी है और हम इतने बड़े बुजुर्ग, जो महान हस्तियां बैठे हुए हैं, उनके हाथ से इस तरीके से कार्यवाही हो और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे, यह हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, गरिमा को ठेस किसने पहुंचायी है, यह बताइये। आप गरिमा रखो, गरिमा। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह कागज छीनने का काम करने वाले सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हम कांग्रेस पार्टी से यह उम्मीद नहीं कर सकते, इन लोगों ने ऐसा काम किया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप गरिमा रखो। मैं बोल रहा हूं। आप बीच में खड़े हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूं और आप बीच में खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह कागज फाड़ने वाले, यह सारे

(श्री बंशीलाल खटीक)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आप सफाई किस बात की दे रहे हैं? आप किस बात की सफाई दे रहे हैं? नियम और कानून का पाठ पढ़ाने वाले आप लोग हो, हम आपकी रीति-नीति पर ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अपने आप को वरिष्ठ नेता मानते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने उपाध्यक्ष के हाथ से कागज छीनने का काम किया था।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपके इशारे पर ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह चाहती हैं कि इस सदन में यह नई परम्परा चले? जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, इस तरह यह बोलेंगे, कल को सदन की नेता भी बोलेंगी, जब प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं तो आप ... (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं फिर आप किसलिए खड़े हैं? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): प्रतिपक्ष के नेता हैं, इनको पूछो कि ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आसन मूक बनकर बैठा हुआ है। सदन की परम्पराओं की धज्जियां उड़ रही हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): प्रतिपक्ष के नेता असत्य बयान नहीं करें। प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा कल इस पवित्र सदन में जो करवाया गया ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सदन को ठीक से चलवाइये और अगर ठीक से नहीं चले तो ... (व्यवधान) यह आसन चाहे ... (व्यवधान) सत्ता पक्ष भी चाहे ... (व्यवधान) हमें कोई जरूरत नहीं कि ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): और माननीय उपाध्यक्षजी के ऊपर, प्रतिपक्ष के नेता के इशारों के द्वारा ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप व्यवस्था कीजिए। प्रतिपक्ष के नेता महोदय खड़े हैं और आप अपनी किये जा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष के नेता महोदय चाहते क्या हैं? वापस इसी प्रकार से उत्तेजना फैलाकर जब आसन को आरोपित कर दिया, आसन को आरोपित कर दिया ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): +++ ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, प्रेस स्टेटमैंट में भी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कुछ कहना है तो बाद में कहियेगा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): नहीं, यह आरोपित करते रहे। आसन के ऊपर आरोप लगा दिया। उनको प्रतिपक्ष के नेता को, इस प्रकार का निर्देश इन्होंने दे दिया? जो मर्जी आये जिसको आरोपित कर रहे हैं। झूठे आरोप लगा रहे हैं, बिलकुल झूठे आरोप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनको नियमों की जानकारी नहीं है। वे इस नियम को जानते नहीं हैं कि आसन के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में +++ (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बाद में कहिये। मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री रामनारायण विश्नोई (उपाध्यक्ष): प्रतिपक्ष के नेता, यह तथ्यों के विपरीत बोल रहे हैं। मैं था उस वक्त चेयर पर, भाटी वहां पर कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आये, इनको बचाने के लिए आये थे। यह गलत तथ्य बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बोल लेना आप। आप बैठिये।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जो चाहेंगे वह बोलेंगे? आप इस बात की इजाजत देती हैं? नेता प्रतिपक्ष जो चाहेंगे वह बोलेंगे? जो चाहेंगे अनर्गल आरोप लगाएंगे? नेता प्रतिपक्ष होने का मतलब यह कतई नहीं है कि जो चाहेंगे वह बोलेंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप शोर नहीं मचायें, बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो सदन के बाहर, आपके कथन पर हम कोई बहस नहीं करेंगे, उसको कोई क्रिटीसाइज नहीं करेंगे लेकिन सिर्फ आपके कानों में डालना चाहता हूं। मुझे बहुत दुःख हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, कानों में डालिये आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां। मुझे बहुत दुःख हुआ। शर्मनाक काला दिन, लोकतंत्र के लिए काला दिन, मैंने 55 साल के इतिहास में विधान सभा में ऐसी शर्मनाक घटना नहीं देखी ... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): यह किसलिए अलाऊ किया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आसन के साथ प्रतिपक्ष के सदस्यों का व्यवहार निन्दनीय है। जहां एक प्रश्न पर लाखों रुपया खर्च होता है, पूरा प्रश्नकाल चार विधायकों की हुल्लड़बाजी की भेंट चढ़ गया। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): पढ़ नहीं सकते। पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़ नहीं सकते, ऐसे भाषण नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ... (व्यवधान) प्रतिपक्ष के सदस्यों ने तोड़ दी।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): पढ़ नहीं सकते।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): रेफरेंस दिया जा रहा है। आपके लिखे हुए का रेफरेंस दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: वे दिशा-निर्देश दे रहे हैं। आप सुन तो लीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बैस्ट विधायक हो। आप तो बैस्ट विधायक हैं। जब दूसरा कोई आदमी खड़ा हो तो आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं तो सौभाग्य से प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी पर हूं ... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कल कहां पर गये थे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, प्लीज। मैं आपको कह रही हूं, बैठिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इसी सदन में थे आप, जब सभी माननीय सदस्यों को टोकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। सुनिये तो सही आप इन्हें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप चाहते भी नहीं, नहीं बचा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, मुझे कोट कर रहे हैं। वे मुझे कोट कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, और सुनिये न। मान्यवर, जब आप कुर्सी पर विराज रही थीं, आपको याद दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): यहां पर खुद बैठकर यह तमाशा देख रहे थे। सारे डेस्क पर जाकर इन्होंने ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां-हां। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कल मैंने ही आपको याद दिलाया था कि मान्यवर, हाउस डिस्आर्डर में है, इसको आर्डर में लेने के लिए आप व्यवस्था कीजिए, कार्यवाही कीजिए। मैंने ही कहा था इससे ज्यादा हमारे से आप और क्या चाहती थी? वह डिस्आर्डर कौन फैला रहा था? वे ही चार लोग थे जिनको आपने रात को सस्पैंड किया। यह कार्यवाही आप कल भी कर सकते थे। अब हमें शर्मनाक क्यों? मान्यवर, कभी डिप्टी स्पीकर साहब खड़े हो रहे हैं। +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पर आप कोई ... (व्यवधान) आसन पर नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी नई परम्परा का निर्वहन हो रहा है? (व्यवधान) यह तो आसन को सीधे लांछित कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप आसन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आप आसन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): यह क्या तरीका है? कैसे अलाऊ कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन को सीधे लांछित करने का काम हो रहा है, बड़ी शर्मनाक बात है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ... (व्यवधान) अब बाकी कुछ नहीं बचेगा। आसन के ऊपर आरोप लगा दिये, अध्यक्ष महोदय के ऊपर, डिप्टी स्पीकर के ऊपर, बाकी क्या बच गया?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): +++ और कुछ बोलते हैं, अगर कुछ बोलते हैं, मान्यवर, यहां बोलते हैं तो ... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): यह मर्जी आये उसको ही आरोपित कर रहे हैं। क्या बच गया पीछे? यह कल बैठे थे। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह कल बैठे हुए थे। यह लीडर बने हुए थे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की गरिमा इस तरह से नहीं गिरायी जा सकती। प्रतिपक्ष के नेता ने जिस तरह का आरोप लगाया वह सीधा आसन पर आरोप है। प्रतिपक्ष के नेता की प्रतिपक्ष के सदस्य तो मानते नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): कल तो तमाशा देख रहे थे।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं और यह इस तरह व्यवधान कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। वे जो कुछ बोल रहे हैं, देखिये नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, वे जो कुछ भी बोलें, आप शांतिपूर्वक सुनिये। (व्यवधान) आप शांतिपूर्वक सुनिये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन अध्यक्ष पर आरोप लगाये हैं, डिप्टी स्पीकर जो उनके पास बैठे हैं उन पर आरोप लगाये हैं, यह तो ठीक नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के लिए। यह क्या बात हुई? आपके पास बैठे हैं उन पर आरोप क्यों लगा रहे हो आप? यह बात ठीक नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किसने आरोप लगाये हैं? नहीं-नहीं, आरोप किसने लगाये हैं?

श्री अध्यक्ष: आरोप लगाये हैं आपने। आरोप लगाये आपने आसन पर, आरोप लगाये आपने आसन पर ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपने रामनारायणजी विश्नोई पर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आरोप लगाया कि वहां तो बोलते नहीं हैं और यहां बोल रहे हैं जो कहने की बात होगी उसको कहेंगे नहीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने आरोप लगाये आसन पर। आपने आरोप लगाये मुझ पर। आपने लगाये डिप्टी स्पीकर पर ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह क्या आरोप हुआ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप विराज रही थीं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या आरोप हुआ यह? क्या आरोप हुआ यह? यह कोई आरोप है? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जितने आरोप आप लगाते हो न माननीय मुख्य मंत्रीजी पर उससे तो कम ही है यह। आरोप लगाने की क्या बात है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देंगे तो क्या हम मुख्य मंत्रीजी को बोल लेने देंगे क्या? मुख्य मंत्रीजी बोल लेंगी क्या फिर, यदि नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलेने देंगे तो? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह सबसे बड़ा शपथ का उल्लंघन करने वाला मंत्री है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह कोई तरीका है आपका? कभी यह खड़े हो रहे हैं, कभी वे खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान) उचक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी सुनी जानी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, देवीसिंहजी भाटी साहब और ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर जो आरोप लगाये गये हैं उनको एक्सपंज करवाइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तेजित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ऐसा कोई आरोप नहीं है। वे बोलते नहीं हैं क्या? यह आरोप है क्या? यह आरोप है क्या कि बोलते नहीं है? यह कौनसी टिप्पणी है? क्यों विलोपित करें? इस सदन की पूरी कार्यवाही को ही विलोपित करवा दो। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): वह एक्सपंज करवाइये। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर जो भी इनके विरुद्ध टिप्पणी हुई है वह एक्सपंज करवा दीजिए आप। हम आपसे निवेदन करते हैं कि यह परम्परा के लिए ठीक नहीं है, आगे के लिए रिकार्ड में रह जाएगी वह चीज। वे बोल गये जो बोल गये, मैं यह उनको कहना नहीं चाहता हूं कि क्या बोलें, क्या नहीं बोलें, यह माननीय प्रतिपक्ष के नेता का अधिकार है लेकिन आप यह एक्सपंज करायें, जो टिप्पणी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ की गयी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने नहीं कहा है। जो इन्होंने कहा है वह सुनाया है। मुख्य मंत्री महोदय ने, सदन की नेता ने जो कहा है वह सुनाया है। (व्यवधान) अब आप सुन तो लीजिए। देवीसिंहजी भाटी ने ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आपरेशन कल हो चुका है। जितना मीडिया के सारे लोगों ने, सारा आपरेशन होना था हो चुका, मीडिया के सारे लोगों ने, सारों ने आपरेशन को अपने-अपने हिसाब से लिख दिया। जनता फैसला करेगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपकी फेल्योरनैस को, आपकी कर्तव्यहीनता को देखा। आप पहले प्रस्ताव क्यों नहीं ले आये। आपकी फेल्योरनैस को पूरे पत्रकारों ने देखा। मुख्य सचेतक का कर्तव्य था कि प्रस्ताव लाये और हाउस को आर्डर में लाये। आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: असत्य आरोप हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सब आपकी वजह से हुआ। सब आपकी वजह से हुआ। आप सफाई दे रहे हो यहां पर। कल बैठे थे भीगी-बिल्ली बने हुए, कल क्यों नहीं आप बोले? मुख्य सचेतक का फर्ज पूरा करते और आपने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया। कल मुख्य सचेतक की ड्यूटी बनती थी, यह आज किस हैसियत से बोल रहे हो? अब पहले लीडर ऑफ अपोजीशन की बात होगी पूरी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सारे अखबारों ने लिखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सारे अखबारों में लिखा है कि जिनका संरक्षण, जिस आसन के संरक्षण में आप बोलते हैं, उस आसन का आप यदि

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

संरक्षण नहीं कर सकते, उस आसन पर यदि आक्रमण आप करते हैं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले लीडर आफ अपोजीशन की बात पूरी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले नेता, प्रतिपक्ष की बात सुनी जाएगी। बीच-बीच में ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आक्रमण आप करते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की बात सुनी जाएगी, बीच-बीच में। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमने आसन से दो बार कहा, आप प्रस्ताव लाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप असन्तुष्ट हो सरकार से। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप प्रस्ताव इसलिए नहीं ला रहे हैं कि आप जातिगत रूप से उस बात का श्रेय उनको नहीं देना चाहते। आप राजनीतिक कारणों से, जातिगत कारणों से हो नहीं जाए, इसलिए प्रस्ताव नहीं लाये। माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी यही इरादा था। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य सचेतक महोदय ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको प्रस्ताव लाना चाहिए था। प्रस्ताव तो लाये नहीं, उनको प्रताड़ना इस बात की दी नहीं, आसन ने निकाला नहीं, पार्टी से निकालो नहीं (व्यवधान) सरकार की जिम्मेदारी है (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी की जिम्मेदारी है कि अगर उनको करना था तो निकालने का प्रस्ताव आप लाते। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दो दिन से आप मूक क्यों बने रहे? प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गैर-जिम्मेदाराना काम करके उस बात पर पर्दा नहीं डाल सकते आप। आपके पूरे दल का गैर-जिम्मेदाराना काम था।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप विधान सभा का कोई उपयोग नहीं करना चाहते। (व्यवधान) जन समस्याओं से आपको कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप मौन धारण किए हुए थे। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप प्रस्ताव ले आते। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आरक्षण की आग जो पैदा की है इस सरकार ने, यह उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान धू-धू जल रहा है। जातिगत संघर्ष करा रहे हैं और अपने विधायकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते। आपके मंत्री शपथ लेकर जातिगत भावना भड़काने का काम कर रहे हैं और आप कोई काम नहीं करते और दूसरे पर दबाव डाल रहे हैं। अपनी गलती के लिए इस सरकार को सार्वजनिक रूप से क्षमा-याचना करनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आरक्षण की आग को इस कांग्रेस ने ही जलाया है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या जला उसको तो देखो, आज सार्वजनिक रूप से जाति द्वेष पैदा करने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को क्षमा-याचना करनी चाहिये। राजस्थान को इन्होंने.. (व्यवधान) आज जातिगत जहर घोल दिया। अब इसके बाद चुप होकर बैठे रहो। आपके मंत्री शपथ लेने के बाद जिस प्रकार उल्लंघन कर रहे हैं, आपके पंचायत राज मंत्री जिस प्रकार का यह नाटक कर रहे हैं, उनको आप निकालते, फिर किसकी शपथ ली थी इन्होंने? जातिगत भावना भड़काने के लिए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आपको क्या हो जाता है? (व्यवधान) रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपके नेता खड़े हैं। आप बीच में मत बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, आपको कल की घटना से बहुत दु:ख हुआ, जो स्वाभाविक था। लेकिन हम तो आपके साथ थे। मैं यहीं कहना चाहता हूं कि हम तो आपके साथ थे। सदन की नेता को विश्वास दिला रहा हूं कि आपके साथ थे। सदन में हमने ही सुझाव दिया था, मैंने ही सुझाव दिया था कि कार्यवाही की जानी चाहिये और हाउस इन-आर्डर चलना चाहिये। मेरा क्या यह प्रस्ताव नहीं था? आपने कोई कार्यवाही नहीं की, न सत्ता पक्ष बोला। सदन मौन हो गया। आसन मौन हो गया। जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं मान्यवर.. (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): अब जो बाकी रह गया, बोल दो।

श्री अध्यक्ष: आपने सुझाव दिया और आपके सुझाव के बाद आपकी ही पार्टी ने डिस-आर्डर कर दिया। यही मतलब है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बोली ही नहीं। आपने कोई टिप्पणी ही नहीं की। मेरी बात को आप पी गयीं। कोई टिप्पणी नहीं की। आपको कुछ भी टिप्पणी करनी चाहिये थी। आप मौन हो गयीं तो मैं क्या करता? मेरे ऊपर टूट गये। मैं बैठ गया। प्रतिपक्ष एक बात कहे और आसन उसको नहीं सुने तो क्या उत्साह बढ़ेगा? मैंने कहा मुख्य सचेतक महोदय से, यह कोपभाजन में थे। आप भगवान जाने कैसे बैठ गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब हाउस को ठीक से चलाने का इरादा है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह सरकार से पूछो कि हाउस को चलाने का इरादा है कि नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो कुछ कल हुआ, वह शर्मनाक था कि नहीं? उसने राजस्थान विधान सभा को कलंकित किया कि नहीं, यह तो बोलो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो आपको सहयोग करना चाहते थे। हमने कौनसी बात में आपका असहयोग किया?

श्री कैलाश त्रिवेदी: आप उठाकर देख लें इतिहास, पहली बार सत्ता पक्ष के लोग प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने के लिए डेस्क पर आकर मारपीट कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके नेता खड़े हैं, आप क्यों खड़े हो गये? आप कहां मानते हैं प्रतिपक्ष के नेता को? नेता प्रतिपक्ष को आप भी नहीं मानते हो। और नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं आप पांच-पांच लोग खड़े हो जाते हैं, तब शर्म नहीं आती आपको? आप दूसरों को तो कहते हो, आप खुद तो देखो। अपनी बात तो सोचो।

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मारपीट नहीं की। सदन में हमने कहीं मारपीट नहीं की। प्रतिपक्ष जब आसन पर हमला कर रहा था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो मैं सिर्फ बताने के लिये गया था।

श्री अध्यक्ष: सी.पी. जोशीजी ने लिखकर दिया है क्या? (व्यवधान) यह लिखकर सी.पी. जोशीजी ने दिया है क्या?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सब आया है सब जगह। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने लिखा है पर कल जिस तरह से हुआ, मैं निवेदन करना चाहूंगा पांच बजे तक सदन चलाने की जिम्मेदारी माननीय मुख्य मंत्रीजी की थी और माननीय अध्यक्ष की थी, पांच बजे तक आप दर्शक बनकर बैठे रहे, और हम पर आरोप लगा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है हाउस चलाने की। मैंने लिखकर नहीं दिया। आपको खुद को फैसला करना चाहिये था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके चेम्बर में जो बात हुई थी कि सदन सुचारू रूप से चले। उसके बाद में विस्तृत बात के बाद आपने कहा था आप कुछ आसन से कहेंगे, सदन की नेता कुछ कहेंगे और फिर सदन सुचारू रूप से चलेगा। तर्कों के आधार पर एक-एक चीज का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है पर यह सदन चलाना नहीं चाहते। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप चलाना नहीं चाहते। आप स्वयं आज मुद्दा बनाना चाहते हैं। आप स्वयं इन्टरवीन कर रहे हैं। अब मुख्य मंत्रीजी बैठी हुई हैं और आप इन्टरवीन कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगी ना। कल भी आप बोले, आप ही आप बोल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं है कि विधान सभा चले। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल की घटनाओं के बारे में सारी चर्चा आप से हो चुकी थी, उन सबको यहां पर दोहराने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्था होने के बाद में आपकी सहमति ली थी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय बैठी हैं, फिर यह क्या तरीका है? लीडर बैठे हुए हैं, यह क्या तरीका है? आप इनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप कल के लिए हम पर आरोप लगा रहे हैं,

(डा. सी. पी. जोशी)

आज भी हम पर आरोप लगा रहे हैं। सदन की नेता बैठी हुई हैं, यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके नेता भी खड़े हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बोलने की एक लिमिट होती है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपने इनको परमिशन दी है और मंत्री खड़े हो रहे हैं बीच में, बहुत अफसोस की बात है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्रीजी काम्पीटेंट हैं। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी काम्पीटेंट है, जवाब दे देंगी। She is competent.

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, जब भी प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं (व्यवधान) हमारी बात तो सुनिये आप। आप हमको ही बैठाती हैं। आप इनको किसी को तो रोकती नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके नेता खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इधर से कोई खड़े होते हैं तो आप बिठा देते हैं। या तो इनको भी रोकिये (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): प्रतिपक्ष के नेताजी को भी जो तय हुआ वह सदन में बोलने की जरूरत नहीं है, इस पर विचार हो चुका। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): देखिए, कितना असत्य वाचन लोग करते हैं, कहां से कहां कर देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन को चलाना है कि नहीं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सुनिये-सुनिये, मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगी, क्या तकलीफ है, जवाब दे देंगी। आप बोलने दो न उनको। क्या अजीब हो बिलकुल ही।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हंगामा हमने नहीं, कांग्रेस ने

(श्री रामनारायण चौधरी)

किया था लेकिन जान-बूझकर निलम्बन हमारा किया गया। इस तानाशाही पूर्ण कार्यवाही के दूरगामी परिणाम होंगे, सरकार इसके लिए तैयार रहे। आप हमें कह देते, हम कह रहे हैं इनको तो किया नहीं और मुझे कर दिया। हमने कौनसा हंगामा किया था, हंगामा तो वही कर रहे थे चारों। जो आपके ही मैम्बर हैं।

श्री अध्यक्ष: कल जो बात हुई है उसका... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हंगामा बहुत आगे बढ़ गया था। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप मंच पर बात करने गये, उपाध्यक्ष जी से कागज किसने छीने? उपाध्यक्ष महोदय के आसन से कागज किसने छीने? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ हुआ, वह तो हम सब लोगों ने और आपने देखा और एक बार नहीं, दो-दो बार टी.वी. पर देखा। सब लोगों की मौजूदगी में देखा। जो कुछ भी हुआ, उसको किसी ने अच्छा नहीं कहा, लेकिन उसके बाद अपन ने एक बात यह तय की थी कि हाउस को चलाना है और आपको अपनी तरफ से और हमारी तरफ से सदन की नेता अपनी बात कहकर हाउस को आर्डर में लेंगे । पुरानी बातों को निकालने और उनके बारे में विस्तृत चर्चा करना, क्या हाउस चलाने की मंशा है? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसे आप करेंगे तो फिर हम नेता को नहीं सुनेंगे। यह कोई तरीका नहीं है। यह कैसे बीच में बोल रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता को आपने इजाजत दी है और अब बीच में दूसरे मंत्रियों को बुला रहे हैं, यह बिलकुल ठीक नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं कुछ बात आपके सामने हुई, एक बार नहीं हमने चार-चार बार उसको वापस देखा जो कुछ भी घटनाक्रम हुई, आप स्वयं मौजूद थे, हम सब भी वहां मौजूद थे, मंशा यह बनी थी और अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि जो हुआ वह बहुत बुरा है ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के बाद कोई भी बोल सकता है, बीच में यह व्यवधान ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 50 साल के इस विधान सभा के इतिहास में नहीं हुआ, इसको उन्होंने कह दिया। आप और हम, जो भी इस कृत्य में शामिल थे, सब की उन्होंने निन्दा कर दी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो अनुशासित सदस्य हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने भी देखा और हमने भी देखा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ लेकिन तय हुआ था कि आज यहां आने के बाद हाउस ठीक प्रकार से चले और सदन के, प्रतिपक्ष के नेता अपनी तरफ से खेद प्रकट करेंगे और सदन की नेता भी खेद प्रकट करेंगी और इसको हम मिल कर चलायेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, निरन्तर प्रतिपक्ष के नेता के साथ आप नाइंसाफी करवा रहे हैं, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस इजाजत दी है बोलने की और बीच में गृह मंत्रीजी, कभी माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी बराबर व्यवधान कर रहे हैं, यह तो ठीक नहीं है, यह अनडेमोक्रेटिक है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जब यह बातें हो गयीं तो फिर वापस उन पुरानी बातों को खोद-खोद करके निकालना और मैंने नहीं किया उसने किया, उसने किया, उसने किया, यह सदन चलाने की मंशा नहीं लगती। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपनी बात कह दें उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात की जा सकती है लेकिन बीच में व्यवधान की इजाजत नहीं होनी चाहिए ...(व्यवधान) यह ठीक नहीं है, गृह मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कटारिया साहब, आप तो शर्म करो, आप तो शर्म करो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): हमने जो बात की उस बात के आधार पर अगर हम आगे सदन को आराम से चलाना चाहते हैं तो जो बात तय करके आये हैं उसके आधार पर बात करो न। फिर वापस पुरानी बातों को खोद करके आप हमारी बुराइयां करोगे, हम आपकी बुराइयां करेंगे ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप अपने शब्दों को इनके मुंह में क्यों डालना चाहते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जब हम हाउस चलाना चाहते हैं तो पुरानी बातों को तो, जो कुछ भी आसन ने कह दिया उससे ज्यादा और क्या शर्मनाक हो सकती है हमारे लिए। उसमें भी शरीक हूं, आप सब शरीक हैं। जो कुछ भी हुआ उसको किसी ने अच्छा नहीं कहा लेकिन उसको बार-बार वापस करना कि मैंने नहीं किया उसने किया, उसने नहीं किया, यह सदन चलाने का जो हमारा मानस बना था वो नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आसन से निवेदन करते हैं कि कोई भी मंत्री बीच में व्यवधान नहीं डालें जब प्रतिपक्ष के नेता खड़े हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस सदन की महान परम्पराओं का हनन हो रहा है, इसकी रक्षा करें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सदन चलाने का मानस जो तीन शब्दों में था, जो कुछ भी हुआ वह दुखद घटना थी, उसका हमें दुःख है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो आप बोलते ही जाओगे, आप सुनोगे भी नहीं क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो सदन की यह परम्परा है कि कोई भी व्यवधान नहीं करेगा लेकिन यह जो व्यवधान किया जा रहा है यह उचित नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सदन की नेता उसके बारे में कह देगी, उससे ज्यादा और क्या कहना चाह रहे हो। (व्यवधान) इन्होंने किया, मैंने नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, यह दोषी है यह कह करके तो सदन को सुचारु रूप से नहीं चलाया जा सकता।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बोलते ही जायेंगे क्या, किसी की सुनेंगे नहीं क्या? विराजिये न आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं कि जो तय हुआ है उसी बात पर आओ। (व्यवधान) सदन चले, हम यह चाहते हैं और आपसे प्रार्थना यह करते हैं कि जो बात तय हुई वो ही बात बोल कर इसको समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप विराजिये न तो। हां, आप विराजें, मैं आपकी बात बताता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वो तो भूमिका बता रहे थे अपनी ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सदन चलाना चाहते हैं, चलाइये, हम सहयोग देंगे लेकिन, गृह मंत्रीजी, सदन को ऐसे चलाने से क्या फायदा होगा जो आज ...(व्यवधान) सुनो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई फायदा नहीं, हम सदन चलाना चाहते हैं आप सदन नहीं चलाना चाहते हो?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजेन्द्र सिंहजी, आप सुनते क्यों नहीं हैं, आप उत्तेजना पैदा करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनो आप। (व्यवधान) एक अनुसूचित जाति की महिला है और प्रधान, उसके लज्जा भंग करने के लिए ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या कर रहे हो? यह क्या करने लगे आप?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कहां बात करते-करते अनुसूचित जाति की महिला पर आ गये, क्या बात हुई यह? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो मैं ठीक कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जो तय हुआ था ...(व्यवधान) जो बात तय हुई थी मेरे वैश्म में, चैम्बर में तय हुई थी वह बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): छाजला तो बोले जो बोले चलनी बोल रही है जिसमें हजारों छेद हैं। ...(व्यवधान) यह बोल रहे हैं।

श्री रामलाल (बनेड़ा): मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। गुर्जरों को मार दिया, मीणों को मार दिया ...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, जब यह बोल रहे हैं तब इनके सब खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह बोल रहे हैं कि सदन की कार्यवाही चलायेंगे, क्या फायदा ऐसी कार्यवाही से। सारे राजस्थान के अन्दर त्राहि-त्राहि मची हुई है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ाने के बजाय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने तो खेद प्रकट ही नहीं किया है, आप किस बात पर करेंगी?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): वो ना करें।

श्री अध्यक्ष: आप किस बात का ...(व्यवधान) इन्होंने तो खेद प्रकट किया ही नहीं है।

श्री रामलाल (बनेड़ा): जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं सब खड़े थे और आप व्यवस्था देते ही नहीं हो। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अब आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं। इस मामले को, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): सब कारगुजारियां इनकी हैं। पूरी डेयरी को खा गये राजेन्द्र राठौड़ अकेले ...(व्यवधान) आज किसान धरना दे रहा है, बाहर सारे किसान बैठे हुए हैं और यह इनके कारनामें छुपाना चाहते हैं। सारे कारनामें छुपाने के लिए ...(व्यवधान)...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं तो आपके मंत्री बोल रहे थे। मैं सदन की नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको चुप क्यों नहीं किया? गरिमा दोनों की बराबर है, नियम और परम्पराएं बराबर हैं, जब आप इनको नहीं बोलने देते तो हमें मजबूर होकर के यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हम भी बोलेंगे, बीच में बोलेंगे। हम आपकी गरिमा घटाना नहीं चाहते, हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि आप इन मंत्रियों को रोकें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): कृपया आप बैठ जाएं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, आपके गृह मंत्री बोल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाए और माननीय स्पीकर साहब इस सदन में बैठ करके कुछ कर नहीं रही हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी बात अभी यहां हो रही है, मैं समझती हूं कि इस चीज को समाप्त करते हुए इस बात पर अपन आ जाएं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समाप्त नहीं, साहब, उन्होंने कोई खेद प्रकट नहीं किया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अब उनको न करें, क्योंकि अपने को हाउस चलाना है, इस हाउस में पूरे राजस्थान की जनता की निगाह लगी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हुई है। हम लोग सब वहां से चुन-चुन कर यहां आये हैं, उनका हम से कुछ एक्सपेक्टेशन है और मैं समझती हूं कि अगर वो खेद प्रकट नहीं करना चाहते हैं तो पूरे सदन की नेता होने के नाते मैं सब की ओर से यहां खेद प्रकट करना चाहती हूं क्योंकि जो बात को कल हम ...(व्यवधान) अब आप ...

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आप खेद प्रकट करना चाहती हैं ...(व्यवधान) लेकिन 26 आदमियों को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्या कर रहे हो?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): बैठ जाओ, बैठ जाओ। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका हुआ?

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): राजस्थान सरकार की गोली से मरे 26 आदमी, उनको श्रद्धांजलि नहीं दें ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): यह तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस हाउस को आर्डर में नहीं लाना चाहती। बिलकुल स्पष्ट हो चुका है यह।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आसन को भी खेद करना पड़ता है ...(व्यवधान) राजस्थान सरकार की गोली से 26 आदमियों को ... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): तब तो धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे और आज जो लिख दिया वो पढ़ लिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगता है इनका मानस नहीं है। (व्यवधान) बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हां बोलो।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): उनको आपने सस्पैण्ड करने की तोहमत नहीं करी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): 26 आदमी गोली से मरे, सरकार की गोली से, उनको श्रद्धांजलि देने में क्या तकलीफ हो रही थी और आज सारी अव्यवस्था फैलायी तो आपने फैलायी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): औरों के साथ 26 आदमियों को श्रद्धांजलि भी हो जाती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है, आप आओ न तरीके से आओ, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। (व्यवधान) यहां ताकत से और इससे नहीं होता है, यहां विधान सभा में लड़ने के लिए नहीं भेजा है, तर्कों के आधार पर अपनी बात समझाने के लिए भेजा है। (व्यवधान) यहां लड़ने के लिए, कुश्ती करने के लिए नहीं भेजा है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): सदन सहमत है क्या, आपने कल चार आदमियों को बाहर निकाला ...(व्यवधान) 26 आदमियों को श्रद्धांजलि देने में आपने कोताही बरती।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): ×××

(अध्यक्ष महोदय द्वारा हाथ के इशारे से माननीय गृह मंत्रीजी का अंकित करने को कहा गया)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यहां आप अपनी बात को रखो, हम आपका जवाब देंगे।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हों तो आप हम से सवाल पूछिये, आप जो कुछ पूछेंगे उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। जिस समय पूछोगे, जो बात पूछोगे वो बताने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): केवल लंग पावर के आधार पर, ऐसा है यह काम मैंने बहुत पहले कर लिये, आप सारे इकट्ठे हो जाओ न तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी मैं अकेले ...(व्यवधान) यह समझ लेना आप। (व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): लेकिन यह तरीका नहीं है। अगर सदन को चलाना चाहते हैं तो ढंग से चलाइये बाकी इस तरह से नहीं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी, मैं उसका दोषी हूं तो आप यहां लाइये, यहां लाकर चर्चा कराइये, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं ना नहीं कर रहा हूं।

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): घटना हुई है ...(व्यवधान) मैं तरीके से जवाब दूंगा, अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप दोबारा पूछ लीजिए आप चार बार पूछ लीजिए लेकिन सवाल का जवाब तो सवाल से ही दूंगा। अगर आप कोई मोशन भी यहां नहीं रखो और मर्जी आये जो कुछ यहां बोलो ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक घंटे तक भी खड़े हो जाओ तो मैं नहीं बैठने वाला हूं। (व्यवधान) यह कोई तौर-तरीका नहीं है। समस्या का समाधान चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप दस बार उठ जायेंगे न ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): लेकिन इस तरह से लंग पावर के आधार पर समझाना चाहोगे न, अगर आप अपनी लंग पावर से समझाना चाहोगे मैं कभी नहीं समझूंगा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपसे चाहता हूं अगर सरकार ने कोई गुनाह किया तो प्रस्ताव लाइये, चर्चा करिये, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। (व्यवधान) केवल हल्ला करने से, केवल यह कह देने से हमने पाप कर दिया कि नहीं कर दिया, अपने तर्क से तय करो कि हमने पाप किया कि नहीं किया।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको बताऊंगा, जो सरकार को करना है, जो सरकार का धर्म है वो सरकार ने करने की कोशिश की है उसके बाद भी केवल इसीलिए चिल्लाने की कोशिश करते हैं ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक-एक सब खड़े हो जाना तब भी बंद नहीं हो सकता। मेरे को भगवान ने लंग में पूरी ताकत दी है, ऐसा नहीं है कि उसने कोई कमजोरी ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): केवल आप अपनी बातों से और हल्ले से समझाना चाहते हो, अगर हमने गलती की है तो आप लाओ प्रस्ताव, हमारी गलती को, दस बार हम उसका निराकरण करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि केवल आपके ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने समस्या का समाधान निकालने के लिए रास्ता निकाला था, हमने सोचा जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता। जो घटना घटी वो शर्मनाक थी, आपमें से हम में से हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है, हमने भी तीन साल में पहली बार इस प्रकार का दृश्य देखा। लेकिन कोई बात नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसको बार-बार याद करने से क्या फायदा होगा। समस्या का समाधान करेंगे कहीं न कहीं ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर गलती हो गयी तो उसको सुधारा जाए ...(व्यवधान) मिल बैठ कर के ठीक करेंगे, हाउस को ठीक प्रकार से चलाने के लिए ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वो अपनी तरफ से करेंगे, आप सदन की नेता अपनी तरफ से खेद व्यक्त कर देंगी ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आप, कई बार नाम ले चुकी हूं मैं। जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, एक सैकण्ड, पहले मुझे सुनेंगे आप।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: पहले आसन बोलेगा। पहले आसन कहेगा। सिट डाउन।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह कह रहे हैं नहीं सुनेगा, क्या नहीं सुनेगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें।

मुझे अफसोस है इस बात का कि कल जब बात हुई थी कि व्यवधान को कैसे मिटाया जाय और सदन को आर्डर में किस तरह से लाकर के हम आगे की कार्यवाही शुरु करें। आज पांच बिल हैं और क्वश्चन आवर का पूरा समय केवल बीस मिनट बचे हैं। तय हुआ था कि खेद प्रकट करेंगे, यह घटना क्या शर्मनाक नहीं थी, इसके लिए खेद प्रकट करने में अफसोस है ...(व्यवधान) किस बात का ....

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनके लिए शर्मनाक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: किस बात के लिए जिसे कहना चाहिए संकोच किस बात का ...(व्यवधान) बीच में नहीं, बैठे रहिये आप अपनी जगह पर, आपको यह ज्ञान नहीं है आसन जब बोलता है तो बीच में नहीं बोलते ...(व्यवधान) यह जानकारी नहीं है? मैं निवेदन कर रही थी कि किस तरह से मैं चाहती थी सदन फिर से सुचारू रूप से चल सके। हो जाती हैं घटनाएं, घटनाएं होने के बाद में मान मनौव्वल हो जाती है, तय हो जाता है और तय होने के बाद फिर से ठीक तरीके से सदन चलने लगता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आयी बात, लीडर आफ दी अपोजिशन खड़े हुए तब भी सत्ता पक्ष के लोग उनको बीच में रोकते-टोकते रहे और सदन की नेता तो बहुत कम बोलती हैं और जब उन्होंने इंटरविन करना चाहा, क्षमा मांगनी चाही तो जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य खड़े होकर पता नहीं क्या कहने लग गये उस बात पर ...(व्यवधान) आप नहीं बोलेंगे जब तक आसन अपने पांवों पर है जब तक आपको...

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनको +++

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप बीच में नहीं बोलें प्लीज ...(व्यवधान) तो मैं निवेदन कर रही थी कि आपको यह भी नहीं कि लीडर आफ दी हाउस बोल रही हैं तो ...

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): यह मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं आप सुनो तो सही। शिव गौतम को बुलाना चाहते हैं यहां ....

श्री अध्यक्ष: अब आप काहे को बात को बढ़ा रहे हैं छोड़िये।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, मैं कह रहा हूं इनकी मानसिक जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष: हाउस में कई बार हल्की-फुल्की बातें हो जाती हैं। कह दिया होगा किसी ने कुछ, उसको इतना सीरियस भी नहीं लेना चाहिए आपको। तो, मैं निवेदन कर रही थी कि सदन की नेता जब खड़ी हों, वह तो बहुत कम खड़ी होती हैं और खड़ी होकर जब क्षमा मांग रही थीं, इस हाउस को आर्डर में लाने की बात कर रही थीं उस समय आपका इस तरह खड़े होकर के कुछ कहना बहुत अनुचित था, जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैं चाहती हूं ...(व्यवधान) अब आप बीच में न बोलें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह सदन

(श्री अध्यक्ष)

सर्वोपरि है, सर्वोच्च मंच है लोकतंत्र का राजस्थान का, यहां पर किसी से कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो भी आदमी जब खेद प्रकट करता है तो और बड़ा बनता है और फिर सदन से बड़ा तो है ही कौन, लोकतंत्र में इससे बड़ा कौन है और सहिष्णुता लोकतंत्र की आत्मा है। आप यदि यह कह दें कि जो कुछ हुआ प्रतिपक्ष की ओर से भी यदि भावावेश में या आपको नहीं बोलने देने की वजह से या किसी और कारण से यदि भावावेश में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे उसके लिए खेद है।

लेकिन मैं एक बात और चाहूंगी कि खेद प्रकट करने के साथ ही साथ सदन की नेता और सदन के प्रतिपक्ष के नेता दोनों यह भी कहें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। आसन की बात का जहां तक सवाल है, आसन के पास आना, आसन पर इस तरह आपका कागज फेंकना, कलम दवात तोड़ देना, यह बहुत आपत्तिजनक बात है। इसलिए भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी यह भी आप मुझे विश्वास दिलाएं ...(व्यवधान) अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मान्यवर, मैं कहता हूं इससे बड़ी गिरावट की बात कोई हो नहीं सकती। इस तरह से तो पंचायतों में भी नहीं लड़ते हैं जिस तरह का दृश्य था, पंचायतों की जो छोटी से छोटी इकाइयां हैं वह भी नहीं लड़ती हैं ...(व्यवधान) मैं कहता हूं, इधर से और उधर से दोनों तरफ से शर्मनाक बात है।

श्री अध्यक्ष: हां, दोनों के लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप पुनरावृत्ति किस बात की कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वह जो दृश्य था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने माना है दोनों के लिए शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पाँच करोड़ सत्तर लाख जनता को क्या कहोगे गांवों के अन्दर, आप स्वयं लड़ रहे हो और फिर क्या जवाब दोगे और क्या फैसला करोगे। मैं कहता हूं इस तरह की छोटी बातें वह कर रहे थे इसलिए दोनों तरफ से मैं शर्म की बात कहता हूं, इससे बड़ी गिरावट की बात कोई हो नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष: हां, इसको बनाओ नेता प्रतिपक्ष। यह आदमी ठीक है,

(श्री अध्यक्ष)

नेता प्रतिपक्ष के लायक है यह ...(व्यवधान) बीच में नहीं बोलें, बीच में नहीं बोलें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य को कल की घटना पर दुःख है और जो उन्होंने कहा इसमें किसी को दोराय नहीं हो सकती। आपने अपनी सीट से जो कह दिया वह मान लिया गया लेकिन उनको पूरी घटना की जानकारी नहीं है। मैं सारी घटना देख रहा था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजो, विराजो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज माननीय गृह मंत्रीजी का भाषण सुनकर के सच कहता हूं बड़ा मुझे आश्चर्य लगा। एक मुनी, ऋषि की आत्महत्या पर रोने वाले, आंसू बहाने वाले यह साधु संत और आज क्या बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष: कौन साधु संत आ गया है यहां पर?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप होम मिनिस्टर हो ...(व्यवधान) आप होम मिनिस्टर हैं क्या ...(व्यवधान) बैठो, कोई बात कर रहा हूं तो यह तो मुझे अधिकार है, मेरे को अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: साधु संत कौन आ गया?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप मुझे बता दीजिए कि आप होम मिनिस्टर हैं कि नहीं ...(व्यवधान) आप होम मिनिस्टर हैं क्या बोलो? आप खड़े होकर यह कह दें कि मैं होम मिनिस्टर हूं, बताओ भाषण मार रहे थे। परसों की घटना है। परसों शेरगढ़ की महिला ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें, प्लीज, प्लीज सिट डाउन ...(व्यवधान) बीच में नहीं बोलें आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह अपनी पंचायत समिति के मेले में झंडा फहराने के लिए जा रही थी, कुछ लोग जो सामन्ती ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह किसलिए है सारी बात, यह किस चीज पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष के नेता हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है क्या? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सदन चलाना चाहते हैं, ऐसे होम मिनिस्टर साहब सदन चलाना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या आसन ने अनुमति दी है क्या, यह आपकी अनुमति से बोल रहे हैं क्या? (व्यवधान) किस विषय पर डिबेट हो रही है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सदन से थोड़ी देर बाहर चले जाओ तो अच्छा है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): विपक्ष के नेता महोदय, अब आप +++ गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी होम मिनिस्ट्री में महिलाओं की प्रतिष्ठा लूटी जा रही है और इन्होंने महिलाओं को ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह मनगढंत झूंठी कहानी है बिलकुल झूंठी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह काहे पर बोल रहे हैं, किस बात पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान) किस बात की डिबेट है, कौन से मोशन पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह एकदम सही घटना है। मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया आज तक? मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हो। एक दलित महिला, चुनी हुई प्रधान जिसका अपमान किया गया है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, आपने गांधीजी की तस्वीर लगाई है, इसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पर गांधीजी की आत्मा इस सदन को देखकर अध्यक्ष महोदय, रो रही है।

श्री अध्यक्ष: रो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने टोपी और लगा रखी है अब यह क्या कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): रामप्रतापजी, गांधीजी की आत्मा तो रो रही है लेकिन सत्ता पक्ष तो हंस रहा है। शर्म करो ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे पांच मिनट का समय दे दें तो मैं इस पूरे घटनाक्रम का पोस्टमार्टम करके आपके समक्ष रख दूंगा। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): थोड़ा सा इन्तजार कर लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह हाउस को ऐसे आर्डर में ला रहे हैं, आपका बड़ा लम्बा अनुभव है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज आपके कान में कुछ कहा हुआ है, आप महावीर प्रसाद मुख्य सचेतक नहीं बोल रहे हैं, आज आपके कान में कुछ कहा हुआ है और उससे आप उत्साहित हो रहे हैं लेकिन आप धोखे में हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं किसी के कहने से नहीं बोलता हूं मैं केवल अपनी आत्मा से बोलता हूं और मैं आपका सम्मान करता हूं ...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका हुक्म जनता का थानेदार तक तो नहीं मानता।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और इसलिए मैं कहता हूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय, बहुत लम्बा अनुभव है आपका। इस हाउस को ठीक प्रकार से चलाने में सहयोग करें। सहयोग करें आप और ऐसी छोटी-छोटी बातें आप जैसे बड़े आदमियों को शोभा नहीं देतीं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, बड़ी बात आपके लिए है, हम तो हमारे जैसी बात कहेंगे, हम तो छोटे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह क्वश्चन आवर है, क्वश्चन आवर चलाएं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप यहां खेद व्यक्त कराना चाहती हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस बात पर कोई बहस नहीं हो रही है। गृह मंत्रीजी का हुक्म चलाना हो तो कभी ...(व्यवधान) कल जो बात हुई उसी के बारे में कोई बात कहनी है .....

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप क्यों खड़े हो गये बीच में।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): नेता प्रतिपक्ष को क्या बोलना है यह आपने ही तय किया। उस लाइन पर बोल नहीं रहे, गृह मंत्री हैं कि नहीं यह बता दें तो आपने क्या किया।

श्री अध्यक्ष: तो आपने क्या किया..(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कुछ लाइन पर बोले नहीं..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो आपके खिलाफ हम क्या बोल रहे हैं ? आप गाली क्यों ले रहे हो ..(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप होम मिनिस्टर हैं कि नहीं, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं कि नहीं, कोई मानता है क्या आपको ? आपके भी बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं सारे। सदन को नहीं चलाना हो तो साफ कह दीजिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स मुख्य मंत्रीजी को भी मानते हैं क्या ? आपके सामने की ही बात है। यह नहीं मानते। खुले में रोज अखबारों में छप रहा है। राजस्थान अंधा नहीं है। राजस्थान सब जान रहा है। कौन मंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हम तो सबको ही मानते हैं।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): हरिमोहनजी, आप मानते हो ? मानते हो इनको ? हरिमोहनजी कह दो मानते हो क्या ? इनको आप लोग ही नहीं मानते। आपके लोग ही नहीं मानते। कागज निकाल कर दे दिया ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब क्या रह गया ? आपका प्रश्न ही नहीं है। क्या बाकी रह गया ?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को पूरा सम्मान दिया जा रहा है मगर यह जो विषयान्तर्गत हो रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर बोलना चाहिये उस पर बोल नहीं रहे हैं इसलिए बार-बार बात उठती है। यदि ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब उन्हें समाप्त करने दो ताकि आगे चला जाए। आप समाप्त करो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हम सम्मान करते हैं पूरा इनका।

श्री अध्यक्ष: उनका कुर्ता पकड़ कर कह दो ना।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी कि मैं खेद व्यक्त करने को ही नहीं मानूंगी ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां बिलकुल।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब सत्ता पक्ष कल सारा खेल कर रहा था, यह करेगा तो कौन रोक देगा इसको ? यह मैजोरिटी है और

(श्री रामनारायण चौधरी)

आप भी मैजोरिटी का लिहाज रखेंगी। आसन भी रखेगा और हमारी कोई सुनेगा नहीं। यही तो करवा रहे थे कल। दूसरा कौन था ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या लिखकर दिया आपने। हू रोट इट। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चारों इनकी पार्टी के आदमी थे। लेकिन यहां तो प्रस्ताव लाए नहीं और चुपके से आपके पास जाकर यहां प्रस्ताव पास करवाकर उनको निलम्बित करवा दिया। शर्म करो, साहस करो। शर्म करो, साहस करो। बिना साहस राज नहीं चलता। यहीं खड़े होकर पार्लियामेण्टरी अफेयर मिनिस्टर कहते कि इनको सस्पैंड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। कौन रोकता था आपको? हम विरोध कर रहे थे? आप बोले क्या? चेयरमैन साहब आप बोले क्या? और कल आपके चैम्बर में जाकर आपसे उनको निलम्बित करवा दिया तो हमने तो विरोध नहीं किया। आपके चैम्बर में जाकर यह फार्मूला बन गया ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निलम्बन किसने करवा दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो थे नहीं। प्रतिपक्ष के नेता थे या सदन की नेता थीं ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उनका निलम्बन किया जाए यह मांग आपकी थी। अध्यक्ष जी के वैश्म में आपने भी कहा था कि उनको निलम्बित करो। आपने खुद ने कहा था। आपने खुद ने कहा था कि उन्हें निलम्बित किया जाए। यह अध्यक्ष के वैश्म में कहा था।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो कल भी कह रहा था कि हाउस को आर्डर में लाओ और आपकी जिम्मेदारी थी आप लाते। इनकी जिम्मेदारी थी लेकिन आप उस रोज तो कह रहे थे चढ़ जा बेटा सूली पर। तब तो आपने उनको ऐसे करा दिया। मान्यवर, यह सत्ता पक्ष चाहे वह हो, चाहे वह वाला सत्ता पक्ष हो अगर यह खुद करवायेंगे ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह निर्णय किसने लिया ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कितने पेज पढ़ोगे आप ? कितने पेज पढ़ोगे आप ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, आपकी भावनाओं के अनुरूप जैसा तय हुआ, निर्देशित आपका निर्देशन मानते हुए कल जो

(श्री रामनारायण चौधरी)

घटनाएं घटीं, दोष किसका था, किसका नहीं था, इस विश्लेषण में नहीं पड़ते हुए खेद व्यक्त करता हूं कि आइन्दा इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। ठीक है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन किया था मैंने, टाइम दे रही हैं ?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री हेमाराम चौधरी।

ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत भौतिक-शास्त्र व्याख्याताओं का पदोन्नति प्रकरण

18. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा द्वितीय वेतन शृंखला के किस वर्ष तक के वरिष्ठता क्रमांक के अध्यापकों को भौतिक शास्त्र व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है ?

(2) राज्य में भौतिक शास्त्र व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें से कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान संकाय पुन: खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि अन्य विषयों में योग्य द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों को रिक्त पदों पर पातेय/एडहोक वेतन पर व्याख्याता पद पर लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पदोन्नति न होने तक भौतिक शास्त्र के रिक्त पदों पर एडहोक/पातेय वेतन पर द्वितीय श्रेणी अध्यापकों को व्याख्याता पद पर लगाने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) द्वितीय वेतन शृंखला के सामान्य वर्ग के वर्ष 1992-93 की वरिष्ठता सूची के वरिष्ठता क्रमांक 1035

(श्री वासुदेव देवनानी)

अजा/अजजा वर्ग में वर्ष 1994-95 की वरिष्ठता क्रमांक 2083 तक के तथा महिला वर्ग में वर्ष 1994-95 के वरिष्ठता क्रमांक 747 तक के वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता (भौतिक शास्त्र) के पदों पर पदोन्नतियां दी जा चुकी हैं।

(2) राज्य में व्याख्याता भौतिक शास्त्र के 664 पद स्वीकृत हैं तथा 570 पद भरे हुए हैं व 94 पद रिक्त हैं। जिलेवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(3) जी हां। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ विद्यालयों जिनमें विज्ञान संकाय में छात्र संख्या न्यून होने के कारण विज्ञान संकाय समाप्त किये गये थे।

(4) विद्यालय विकास समिति के स्तर से स्ववित्त पोषित योजना के तहत नवीन संकाय/विषय प्रारम्भ करने का प्रावधान आदेश क्रं: प 4(9) शिक्षा–1/2006 दिनांक 7.6.2006 से किया हुआ है।

(5) जी हां। परन्तु वर्तमान में पातेय वेतन/एडहोक पदोन्नति पर किसी भी विषय के वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता के पद पर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार भौतिक शास्त्र के वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याताओं के पदों पर पदोन्नति रखने का विचार रखती है और रखती है तो कब तक ? पूर्व में इनकी पदोन्नति कब की गयी?

क्या यह सही है कि व्याख्याताओं के पद रिक्त होने से छात्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश नहीं लिया जिसके कारण से छात्रों की संख्या न्यून हुई और छात्रों की संख्या न्यून होने के कारण वह संकाय बंद कर दिये गये ? इसमें छात्रों का क्या दोष है ? वहां पर आपके व्याख्याता नहीं होंगे तो छात्र वहां प्रवेश केवल संख्या पूरी करने के लिए ही लेंगे ? इसमें क्या सरकार सोचती है, सरकार का क्या मानस है, क्या विचार है इसके बारे में स्पष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले में भौतिक शास्त्र के 11 पद के विरुद्ध 6 पद भरे हुए हैं ? वह भी बाड़मेर शहर और बालोतरा शहर में हैं या उसके आस-पास के कोई विद्यालय में है। बाकी

(श्री हेमाराम चौधरी)

दूरस्थ जितने भी विद्यालय हैं उनमें विज्ञान संकाय के भौतिक शास्त्र के क्या किसी भी विषय के व्याख्याताओं के पद भरे हुए नहीं हैं ऐसे में यदि विज्ञान संकाय में विद्यार्थी वहां प्रवेश लेंगे तो उनकी क्या हालत होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह इतने प्रश्न एक साथ भूल जाएंगे। जवाब आने दो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): याद है इनको।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं दे दूंगा। आप बोलो, बोलो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): याद है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इनकी याददाश्त अच्छी है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): क्या सरकार ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने बेटे -बेटियों को ही नहीं भूलते। यह तो बेटे-बेटियों को ही नहीं भूलते। बेटी को पास करा देते हैं। बेटा पैसे...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पैसे का नहीं है। मैं इसका पूरा करा दूंगा ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वास्तविकता है, वास्तविकता है। सदन में पेश करा लो ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसकी कहां रेलेवेंसी है। कहां बीच में खड़े हो गये .. (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है। इनकी पार्टी के विधायक कहते हैं अध्यक्ष कि यह पैसे लेकर ट्रांसफर करते हैं। इनका बेटा पैसा लेता है। इनकी बेटी को इन्होंने पास करा दिया। यह हम नहीं कहते, इनकी पार्टी के सम्माननीय विधायक कहते हैं। आप इनसे वैरीफाई कर लीजिये।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): यह बिलकुल गलत बात कर रहे हैं। गलत बात है ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हम क्या कह रहे हैं? आपके बारे में आपकी पार्टी के विधायक कहते हैं ..(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मेरा उत्तर सुनो .. (व्यवधान) मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ..(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह एक्सपंज करें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाना है तो नियम में आएं ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हम क्या बोल रहे हैं ? इनके विधायक बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा कोई आरोप नहीं है, इनके विधायकों का आरोप है ..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपने जिन्दगी भर ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर इनको आरोपित ही करना है तो 273 का नोटिस दें। नोटिस देकर आएं ना। यह राजस्थान की विधान सभा नियमों से चलती है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कोटा में ..(व्यवधान) दिया था ... (व्यवधान) विधायक ने आपको कहा है ..(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने आपको ठेका नहीं दिया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर इन्हें आरोपित करना है किसी मंत्री को तो नियमों में प्रावधान है। 273 के तहत हमें नोटिस दें, हम जवाब देंगे। यह क्या बात हुई ? कोई भी खड़े होकर कह दे। यह कुछ भी बोल देंगे क्या ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके विधायक कहते हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके बेटे के ऊपर आरोप लगा हो वह संसदीय कार्य मंत्री रह सकता है ? मैं दे रहा हूं नोटिस, काग्निजेंस लीजिये ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप नोटिस दो। नोटिस दो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): स्वीकार करे आसन ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप नोटिस दो ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हिम्मत हो तो नोटिस दो। हिम्मत हो तो नोटिस दो ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या करोगे। कौन मंत्री ईमानदार है ? बता दो एक मंत्री ईमानदार हो तो एक के अलावा ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बात कहनी है तो नियमों में आएं सरकार जवाब देगी। कोई इनको आरोप लगाना है तो नियमों में आओ, प्रकिया में आओ। यह क्या खड़े होकर अनर्गल आरोप लगा दें और चले जाएं। कोई बात करनी है तो नियमों में आएं, प्रकिया में आएं, सरकार जवाब देगी ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपके अलावा ...(व्यवधान) बता दें आप ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट रामनारायणजी। ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं इसका व्यक्तिगत एक्सप्लेनेशन दूंगा नोटिस तो आने दो ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में माननीय मंत्रीजी शिक्षा विभाग से संबंधित बात का जवाब दे रहे थे अकारण उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाना सरासर अनुचित है। मैं समझता हूं यह प्रोसीडिंग में नहीं आना चाहिये। अगर प्रश्नकाल में मंत्रियों पर इस प्रकार के आरोप लगे तो मंत्री का यहां बचाव करना मुश्किल होगा। वह जवाब दे रहे थे, उनको जवाब देने दीजिये इस बात का। यह बिलकुल गलत है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपकी पार्टी के बड़े-बड़े नेता कहते हैं ...(व्यवधान) सारे अधिकार ले ...(व्यवधान) आपकी पार्टी के विधायक कहते हैं ...(व्यवधान) आपसे तो सब कुछ छीन लिया, कुछ रहा ही नहीं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप बहस रख लीजिये। विधान सभा से मत भगिये ..(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): शिक्षा मंत्री आप हैं, आप दो जवाब ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय घनश्यामजी आप तो शिक्षा मंत्री हैं, देवनानीजी का जवाब ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आरोप लगाना गलत है, आप क्यों बोल रहे हैं ...(व्यवधान) एक-एक का जवाब दूंगा, नियमों में आ जाओ, निराधार आरोप लगाकर के सदन की गरिमा को हानि पहुंचा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, सारा माल अजमेर में जमा है, तिवाड़ीजी को ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, यह मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप है, इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाये ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आज राजस्थान का सारा शिक्षा जगत इसको ...(व्यवधान) अटक रहा है, तबादलों में भारी भ्रष्टाचार का खेल हुआ है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): घनश्यामजी तिवाड़ी यह कह दें ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बदले मत ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): रेगिस्तानी इलाकों से बदलियां नहीं होगी और नहीं तो देवनानीजी बतायें कि इन्होंने रेगिस्तानी इलाके से बदलियां क्यों की ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): तबादला उद्योग बन गया है यह मेरा आरोप है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त हुआ ...(व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न तो उचित था लेकिन आपकी ही पार्टी के लोगों ने आपके प्रश्न की गति खराब कर दी और वह जवाब नहीं दे पाये, वरना जवाब आ जाता ...(व्यवधान) क्या बात करते हो बीच में खड़े हो गये, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य बीच में खड़े हो गये ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रीजी का जवाब संतोष जनक नहीं है, मंत्री जवाब दे रहा था और तमाम यहां खड़े हो गये उनका जवाब नहीं दिया जाना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य खड़े होकर के बात ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी गांवों से क्या दुश्मनी है ...(व्यवधान) आपकी गांवों से क्या दुश्मनी है माननीय सदस्य ...(व्यवधान) आपके मंत्रीजी जवाब दे रहे थे ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपका हाउस चलाने का मन ही नहीं है इसलिए व्यवधान कर रहे हैं बार-बार ...(व्यवधान) हाउस चलाने की इच्छा ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान संकाय खोलने के लिए व्याख्याताओं ...(व्यवधान) विद्यार्थी विकास समिति ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त हुआ, कृपया स्थान ग्रहण कर लें ...(व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हुआ, कृपया स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान) कृपया सभी स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यह जनता के साथ भेदभाव बरत रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी ही पार्टी के लोगों ने आपका जवाब नहीं आने दिया ...(व्यवधान) आपकी ही पार्टी के लोगों ने ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह बहुत असंतोषजनक है,

(श्री रामनारायण चौधरी)

सरकार जान-बूझकर के मंत्री जवाब दे रहा था तो यह सब लोग उछल पड़े ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आपको जवाब देना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ...(व्यवधान) गांवों में व्याख्याता नहीं हैं, विज्ञान संकाय बंद हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्रश्न सबके महत्वपूर्ण हैं ...(व्यवधान) आप कहना जब यह विश्वविद्यालय निरसन विधेयक आयेगा उस समय बोलना ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): विद्यालय ही खोलने बंद कर दिये इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप उसमें अनुमति दे देना, मैं उसमें रख दूंगा मेरी बात ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, नियम विरुद्ध इन्होंने ट्रांसफर करके नागौर, बाड़मेर के ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): खराब हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जब मैं कह रही हूं तो आप चाहे जब खड़े हो जाते हैं, आपकी गलत बात है ...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम भी समाप्त करना चाहते हैं। आप कुछ समय दे देंगे बोलने के लिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त हो गया तो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम सरकार का जो यह जवाब है, यह संतोषजनक नहीं है, निराशा जनक है। जो कुछ था वह कोशिश कर रहे थे कि सत्ता पक्ष के मिनिस्टर और तमाम विधायक ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपके लोगों ने गलत आरोप लगाया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनको जवाब नहीं देने दिया। हमें इससे घोर निराशा है और हमें जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं देने दे रहे हो, इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं, वाकआउट करते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: नो कमेंटस, नो कमेंटस ...(व्यवधान) अन रिक्वायर्ड कमेंटस ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मेरे से जवाब दिलाना ...(व्यवधान) मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इन्होंने जो आरोप लगाये हैं ...(व्यवधान) इनको स्पष्टीकरण देने का और अपना वक्तव्य देने का मौका दें, नहीं तो एक्सपंज करायें ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं तो इसको एक्सपंज करायें ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं तो यह आरोप लगाकर के चले जायेंगे ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): या तो इसको एक्सपंज करायें नहीं तो मेरे को उत्तर देना है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह उनका अधिकार है कहिये ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह क्या बात हुई ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): स्पष्टीकरण बाद में, यह एक्सपंज होना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह नोटिस क्या होता है, यहां पर कहकर के चले गये, रिकार्ड पर आ गया वह तो।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): डायरेक्ट लगा ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कहा है तो उनको कह लेने दीजिये, क्या दिक्कत है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज तक की परम्परा रही है कि डायरेक्ट कोई मानहानि परक अगर कोई आरोप लगाता है तो लिखित में नोटिस दिया जाना चाहिए, वह नहीं दिया और यह प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रही तो एक्सप्लेनेशन यह दे देंगे, लेकिन यह भी एक्सप्लेनेशन कब देते जब यह सही विधान से आते। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको एक्सपंज करना चाहिए। यह ठीक नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): केवल एक्सपंज का सवाल नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात कहने दीजिये ...(व्यवधान) आने दीजिये बात, क्या कर रहे हैं, आसन पावों पर है. No, you can't enter. You can sit where you are. आप वहीं बैठिये, जहां खड़े हैं. Please sit down. I say, please sit down. जो जहां है वहीं पर बैठ जाये, कोई नहीं एंटर करेगा अब ...(व्यवधान) मैं निवेदन कर रही थी कि 273 का तो नियम है कि 273 में नोटिस देकर के आप कहें ताकि वह तैयारी कर सकें, लेकिन इस सदन में मैंने देखा है कि बिना 273 के भी कई बार पासिंग रिमार्क किसी मंत्री के बारे में हो जाते हैं और मंत्री को यह अधिकार है कि मंत्री आज चाहे तो आज, कल चाहे तो कल उस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। वह आज चाहें तो आज दे दें, कल चाहें तो कल। जैसी उनकी मर्जी, पासिंग रिमार्क दिया है इन्होंने, दे सकते हैं वह, दीजिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए आगे देखें)

स्पष्टीकरण

श्री वासुदेव देवनानी, राज्य मंत्री, शिक्षा का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं वह निराधार हैं। उसका मैं विस्तृत विवरण भी दे रहा हूं। मेरी पुत्री शुरू से ही मेरिटोरियस रही है, उसने उदयपुर विश्वविद्यालय से बी.एससी. कम्प्युटर साइंस में 75 प्रतिशत से पास किया, जयपुर में आकर के उसने ट्रिपल आई एम में एडमिशन लिया, उसने एम.बी.ए. में फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है उसमें पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में सैकण्ड पोजिशन आयी है। उसके बाद उसके सैकण्ड ईयर में बाकी सारे विषयों में अबव 70 प्रतिशत मार्क्स हैं, एक-दो पेपरों में अपेक्षा से कम आये, उलटे उसके मन को आघात पहुंचा। नियमानुसार उसने रिवैल्युवेशन के लिए एप्लाई किया। उसने 300 रुपये जमा कराये, उसक बाद चूंकि वह नौकरी कर रही थी, किसी को एडमिशन लेना होता है उसमें प्रावधान है सारे विश्वविद्यालयों में, उसको जल्दी पुर्नमूल्यांकन कराने के लिए एप्लीकेशन देने का अधिकार है। उसने एप्लीकेशन दी, उसके 25 दिन बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 58 विद्यार्थियों का एक साथ, अकेली का नहीं, एक साथ उसने रिजल्ट डिक्लियर किया। उसमें वह भी थी। उसमें से अधिकांश छात्राओं के नम्बर बढ़े हैं। केवल उसके अकेली के नहीं बढ़े, केवल 05 एक में नम्बर आये जबकि बाकियों में 70 प्रतिशत से अबव थे। ना तो मैंने किसी से बात की और ना कुछ हुआ। क्या उसका मंत्री की पुत्री होना अपराध है जिसके कारण से सदन में आज इस तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं। वह शुरू से ही मेरिटोरियस रही है और आज भी मेरिटोरियस है। कक्षा एक से लगाकर के एम.बी.ए. तक का रिकार्ड है, केवल इस प्रकार के

(श्री वासुदेव देवनानी)

आरोप लगाकर के चरित्र हनन करना आज की राजनीति का अंग हो गया है उससे बाज आना चाहिए। मैं इन आरोपों को निराधार बताते हुए उनसे माफी मांगने के लिए कहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नो, नो, स्थान ग्रहण कर लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह क्या बात हुई। उनको पूछने का अधिकार है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कतई नहीं, नो, नो ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मंत्री का वक्तव्य आया पिछली बार ...(व्यवधान) पूछने का अधिकार है ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह विषय खतम हो चुका है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मुझे अधिकार है प्रश्न पूछने का।

श्री अध्यक्षः मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की ...(व्यवधान) अंकित मत करना ...(व्यवधान) स्थान ग्रहण करें, मैं कह रही हूं स्थान ग्रहण कर लें। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): दो मिनट, दो मिनट।

श्री अध्यक्षः माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपने उप नेता की पैरवी करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि 273 में ही यह प्रावधान है कि उनको वापिस मौका मिलेगा किसी बात को पूछने का अदरवाइज पासिंग रिमार्क जो उन्होंने किया है उसमें he has no right to respond again.

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी बात सुन तो लें आप।

श्री अध्यक्षः टू आस्क ऐनी ऑर क्वेश्चन।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी बात सुन लें, मैं मदद नहीं करूंगा किसी की भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः फिर किसलिए खड़े हुए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनो तो सही।

श्री अध्यक्षः आसन पावों पर है फिर क्यों खड़े हो गये ...(व्यवधान) आसन पांवों पर है फिर क्यों खड़े हो गये ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, जिस लड़की के साथ पूर्व एग्जामिनर ने जो अन्याय किया है, ज्यादती की है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको क्या हो गया है ...(व्यवधान) आपके नेता खड़े हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और पुर्नमूल्यांकन के अंदर उसका मामला सही हुआ, शिक्षा मंत्रीजी आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? जिन लोगों ने लड़की को नम्बर कम दिये, जान-बूझकर के उसका भविष्य बिगाड़ दिया और पुर्नमूल्यांकन में वह लड़की वापिस उसी श्रेणी में आ गयी। यह तो बड़ा मजाक है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। यह तो बड़ा मजाक है। ऐसे पूर्व एग्जामिनर कौन हैं और उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ...(व्यवधान) क्या कार्यवाही की है और नहीं की है तो अब करने का इरादा है कि नहीं है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका क्या विचार है, माननीय देवनानीजी की लड़की को पहले एक्जामिनर ने पहले फेल किया तो पुनर्मूल्यांकन में उसके अच्छे नम्बर आ गए, अच्छे नम्बर आ गए तो उन पहले वालों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी ने खुद ने यह कहा है कि उनकी पुत्री आउटस्टेंडिंग थी, उनकी पुत्री के मार्क्स रिवेल्यूएशन हुए हैं, अच्छी बात है, पर आप यह मान रहे हैं कि उन सभी बच्चियों के नम्बर बढ़े हैं जिन्होंने रिवेल्यूएशन कराया है, इसका मतलब पहले जो एक्जामिनर था उसने गलत असेसमेंट किया है, जब उसने गलत असेसमेंट किया दो पेपर में आपकी बच्ची के अलावा 18 बच्चियों के अच्छे नम्बर आए, 70 पर्सेण्ट मार्क्स आ गए दो पेपर में, 20 पर्सेण्ट से 70 पर्सेण्ट मार्क्स आए हैं तो पुराने एक्जामिनर के खिलाफ क्या कार्यवाही की, यह तो जानने का अधिकार होना चाहिए, उससे तो अपन नहीं बच सकते। आप उससे नहीं बच सकते हैं। (व्यवधान) ना, ना, अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की जनता को जानने का अधिकार है कि मंत्री महोदय ने अच्छा काम किया तो जिस एक्जामिनर ने गलत एक्जामिन किया उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? यह तो जानने का अधिकार है। आप यह कहकर नहीं बच सकते कि आपके दो पेपर में नम्बर बढ़ गए और बाकी बच्चियों के भी नम्बर बढ गए। मंत्रीजी, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप इस तरह से जनता के बीच में मैसेज दें कि जिस एक्जामिनर ने पहले एसेसमैंट गलत किया है उस अससेमैंट के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है उस पर तो आपको बोलना पड़ेगा, आप यह कहकर थोड़े बच सकते हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या यह आज पहली बार हुआ है, रीअसेसमेंट होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है।

श्री अध्यक्ष: यह आप प्रश्न के रूप में पूछिए, प्रश्न के रूप में या किसी और नियम में आइए और तब पूछिएगा, अभी नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपको अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान) सुनिए मैडम, आई एम सॉरी, 273 में आप बात कोट करते हैं तो 273 में रिप्लाई देंगे। आपने जब उनको रिप्लाई करने का अलाउ किया है तो रिकार्ड में करैक्ट बात आनी चाहिए नहीं तो सही बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। माननीय मंत्री महोदय की बच्ची यदि आउटस्टेंडिंग थी, 20 पर्सेण्ट मार्क्स से 70 पर्सेण्ट मार्क्स कैसे हो गए? यह तो जानने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि यह सूचना प्राप्त करने के लिए नियमों में आइए। प्रश्न पूछिए या फिर दूसरे नियमों में आइए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह आप एक्जामिनर की जांच भी नहीं करवाना चाहती हैं, आप थर्ड एक्जामिनर को वहां भेजिए और पता लगाइए कि वहां हुआ क्या है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री का चार्ज मिला उसके दूसरे दिन ही इन्होंने नम्बर बढ़वा दिए। अगर नम्बर नहीं बढ़ाते तो यह उन पर कार्यवाही करते। यह रिकार्ड में देख लें, इनको शिक्षा मंत्री का चार्ज मिला और उसके बाद उसके नम्बर बढ़ गए, इन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की उसके खिलाफ, इसलिए नहीं की कि इनकी लड़की के नम्बर बढ़ा दिए और उसके साथ दूसरी लड़कियों के नम्बर भी बढ़ा दिए और तर्क देते हैं दूसरों के भी बढ़ा दिए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री पर डाउट नहीं कर रहे हैं पर जनता के सामने तो आए। क्या तकलीफ है? आप अपने आपको ऑनेस्ट कह रहे हैं, आपकी बच्ची आउटस्टेंडिंग है तो डरने की जरूरत क्या है? सही बात तो सामने आनी चाहिए, फिर क्यों दबाना चाहते हैं इस बात को?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मंत्रीजी तो केवल जवाब दे सकते हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) मेरे कनै सक्यूं है चिंता मत करो थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले को मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वाइस चांसलर से बात करके जानकारी प्राप्त की, बिलकुल सामान्य नियमों के अंतर्गत है। केवल एक बात जरा सी है इतनी कि वह कुछ इनको नौकरी का काम था तो जल्दी ही इनकी रिटोटलिंग हो जाए इसका भी प्रार्थना पत्र दिया गया, फीस जमा कराई गई उसके बाद जांच हुई, यह बात भी सही है कि कुछ लड़कियों के कम नम्बर थे और मैंने उसके बारे में पूछा तो वाइस चांसलर ने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, हमारे यहां होती रहती है, मैंने भी पूछा था कि नम्बर कम आए तो आपने क्या कार्यवाही की तो उन्होंने कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत होता रहता है, हमारे यहां पर, हरेक एक्जामिनर का अपना-अपना व्यू होता है फिर भी मैंने वाइस चांसलर को कहा है कि इस सम्बन्ध में जो भी उचित कार्यवाही हो सकती हो वह करें और आइन्दा किसी लड़की या विद्यार्थी को इस प्रकार की तकलीफ न हो इसके दिशा-निर्देश भी हों इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैंने स्वयं ने इस बात को देखा है, इसमें न तो देवनानीजी ने कोई सिफारिश की है ...(व्यवधान) एप्लीकेशन दी है, सही है, हां, फिर मैं कह रहा हूं कि इतना ही नहीं है, यह बहुत स्थानों पर जब एडमिशन लेना होता है और बहुत स्थानों पर जब इन्टरव्यू के लिए जाना होता है तो विश्वविद्यालय में सामान्य प्रक्रिया के तहत इस प्रकार के प्रार्थनापत्र लगते हैं और उनका निर्णय भी होता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप मंत्रीजी का नहीं है और इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है इसलिए मैं समझता हूं कि इस मसले को ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, नहीं, इश्यू यह नहीं है, इश्यू यह नहीं है। रिटोटलिंग एक बात है और रिअसेसमेंट अलग चीज है। आप समझो इस बात को। मंत्रीजी की बच्ची का, मैं नहीं कह रहा हूं आपने प्रोसेस एडमिट की वह भी इश्यू नहीं है, इश्यू यह है कि वह बच्ची आउटस्टेंडिंग थी, दो पेपर में उसके नम्बर कम हैं, दो पेपर में नम्बर रिटोटलिंग के कारण बढ़े हैं या रिअसेसमेंट के कारण बढे हैं? यदि रिअसेसमेंट के कारण बढ़े हैं तो उस एक्जामिनर के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, यह इश्यू है। आप रिटोटलिंग की बात न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह असेसमेंट के कारण इसलिए मैंने कहा कि अगर रिटोटलिंग होता तो मैं वाइस चांसलर साहब को क्यों कहता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि एक्जामिनर के बारे में जांच करो, रिअसेसमेंट हुआ है इसलिए मैंने कहा है कि सब लड़कियों के इतने नम्बर क्यों आए, किस कारण से आए, इसकी जांच करके मुझे बताएं, इसीलिए तो कहा है मैंने।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उस लड़के का एडमिशन फीस वाली सीट पर हुआ, उसका सामान्य सीट पर हुआ तो क्या उसने टैस्ट दिया क्या? ...(व्यवधान) इसके आदेश भी आपने दिया क्या माननीय मंत्रीजी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मेरे देने का मतलब नहीं है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): तो फिर कैसे हुआ, फिर इनके बेटे का कैसे हुआ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अख़बार में खबर आने के बाद...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): राजस्थान के कितने ऐसे लड़के हैं जिनका फीस पर एडमिशन हुआ और बाद में सामान्य पर कर दिया गया, ऐसे कितने लड़के हैं, कितनी अर्जियां आपके पास आई हैं बताइए?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जितने भी प्रार्थना पत्र जल्दी के लिए आते हैं उन सबके हिसाब से विश्वविद्यालय करवाता है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनके लड़के का एडमिशन फीस वाली सीट पर हुआ और बाद में सामान्य पर कैसे कर दिया, चूंकि इनके लड़के का एडमिशन कर लिया गया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहूंगी कि नियम 276 में पर्सनल एक्सप्लेनेशन के बाद किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है इसलिए मेहरबानी करके आप अपने-अपने स्थान पर बैठे रहें और मुझे व्यवस्था देने दें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको किताब दिखाने की जरूरत नहीं थी, आपका हुकुम है वही हमारे लिए शिरोधार्य है लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों में तो ऐसे ही लिखा हुआ है, कि कोई बहस नहीं होगी लेकिन परम्पराएं जो पड़ जाती हैं नियमों से बड़ी होती हैं, परम्परा, ट्रेडिशन है।

श्री अध्यक्ष: मैं गलत परम्परा भी नहीं पड़ने दूंगी, हां।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं 1967 से देखता रहा हूं कि यह परम्परा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आज की सारी बहस में यह अंकित कर दिया जाए, गांधीजी के चित्र के साथ 'हे राम' की बजाय 'हे रामनारायण' लिखवा दें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): स्पष्टीकरण दे सकते हैं लेकिन यह तो माननीय मंत्रीजी पर आरोप हैं इसलिए माननीय मंत्रीजी का मामला है इसलिए यह कैसे दे सकते हैं। 276 में दे नहीं सकते ...(व्यवधान) इन्होंने दे दिया तो भी हमारी बात को भी सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हाउस को चलने दो। क्या है यह बार—बार? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आपकी यह बात कई दिनों के बाद आएगी। ...(व्यवधान) ...व्यवस्था ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): शिक्षा मंत्रीजी काहे को तकलीफ कर रहे हैं, इनके मंत्री जानते हैं, मंत्री काम्पीटेंट हैं जवाब देने के लिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या आप लोगों को यह जानकारी नहीं है कि जब आसन पांवों पर होता है तो बोलते नहीं हैं, जानकारी तो है न, फिर उस जानकारी से अंजान क्यों बनते हैं? (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्रापत हुई है :-

1. श्री मांगीलाल गरासिया एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति कोटड़ा में बंद पड़े स्कूलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के सेतरावा गांव में पंचायत स्तरीय पशु मेला में वहां की प्रधान को ध्वजारोहण से रोकने के सम्बन्ध में।

3. श्री रामलाल जाट एवं 18 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान के सहकारी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की समस्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

...(व्यवधान) बीच में न बोलें। मैं व्यवस्था दे रही हूं, सिट डाउन। ...(व्यवधान) आप व्यवस्था को सुनेंगे पहले। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आजकल आप बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। (व्यवधान) इसलिए मैं चाहूंगी कि आप कृपया व्यवस्था सुन लें, उसके बाद बोलिएगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने मुझे क्वालीफाई किया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन आप सत्ता पक्ष का भी ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष: हां, उनको भी देख रही हूं, उनको नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन आपको है इसलिए मैंने आपका नाम लिया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ठीक है, ठीक है, मान लिया।

श्री अध्यक्ष: 4. श्री भरत सिंह एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से जिला श्रीगंगानगर में उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कुख्यात आपराधिक रिकार्ड वाले लोगों को आर्म्स लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न स्तर पर जांच चल रही है अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। उस समय आप बोलिएगा।

5. श्री जुबेर खान एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगड़ने के सम्बन्ध में।

कल पुलिस विधेयक पर विस्तृत चर्चा हो रही है। चर्चा के समय पर्याप्त अवसर रहेगा, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

6. श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य की ओर से राज्य के सभी शिक्षा निदेशालय व शिक्षा बोर्ड का कार्यालय का मुख्यालय बीकानेर में स्थापित करने के सम्बन्ध में।

आज सदन में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विधेयक पर चर्चा होगी, माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपने विषय पर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह एजुकेशन पर है। You are extending the scope of the Bill.

श्री अध्यक्ष: आप कर सकते हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बिल का संबंध है, इसका कोई संबंध एलिमेंटरी एजुकेशन से नहीं है, उसमें कहां बोलना है?

श्री अध्यक्ष: हर माननीय सदस्य को इतना नहीं होता है ...(व्यवधान) आपको जो बात कहनी थी ...(व्यवधान) आपने कह दी अपनी बात। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): फिर तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूरे एजुकेशन की डिबेट कराइए। फिर पूरी डिबेट कराइए, यह तो मतलब ही नहीं रहा किसी चीज का।

श्री अध्यक्षः 7. श्री खुशवीर सिंह जोजावर एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से खान विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बजरी ठेके के नाम पर ठेकेदारों को मनमर्जी की छूट एवं रायल्टी की दरों में वृद्धि के संबंध में।

8. श्री अर्जुन बामनिया एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से जिला बांसवाड़ा के माध्यमिक विद्यालय घोड़ी तेजपुर में मात्र एक शारीरिक शिक्षक होने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह एवं श्री अर्जुन बामनिया को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से पानी की बढ़ी दरें वापस लेने के संबंध में।
2. श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दीगोद की वर्ष 2001 में स्वीकृत लघु सिंचाई परियोजना का कार्य आरम्भ करने के संबंध में।
3. श्री सी.डी. देवल, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 स्थित गांव झाला की चौकी में नियम विरुद्ध बने चबूतरे को तुरन्त हटवाने के संबंध में।
4. श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से राजगढ़ (चूरू) में मूंग की फसल के बर्बाद होने के संबंध में।
5. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में भू-आबंटन का कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में।
6. श्री केसर देव बाबर, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर की संविदा पर नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष करने के संबंध में।
7. श्री बंशीलाल खटीक, सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम की हिंगोनिया गौशाला में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं के संबंध में।
8. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से पांचना गांव के किसानों को पांचना बांध का पानी लिफ्ट द्वारा उपलब्ध कराने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री भंवरू खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकर के विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में।

10. श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से पंचायत समिति कोटड़ा की पांच पंचायतों को गोगुन्दा में मिलाने के संबंध में।

11. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से जिला बूंदी के ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झोपडियां का नाम राजस्व रिकार्ड में जावरा की झोपडिया रखा जाने के संबंध में।

12. श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित की गई सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री खुशवीर सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने कानून-व्यवस्था वाले मेरे प्रस्ताव पर जो व्यवस्था दी है, मैं तो प्रवर समिति का सदस्य था ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं पुलिस एक्ट पर नहीं बोल पाऊंगा इसलिए मैं वंचित रह जाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आप पुनर्विचार करके मुझे दो मिनट बोलने का मौका दें। राजस्थान की कानून-व्यवस्था जिस प्रकार से निरन्तर गिरती जा रही है, आप घड़साना, रावला ले लीजिए, सोहेला ले लीजिए, पाटली ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, जिस तरह से इस सरकार की पुलिस द्वारा निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप पुलिस विधेयक के वक्त कर सकते हो। आप पुलिस विधेयक के बारे में नहीं कह सकते, बाकी कह सकते हो। पुलिस विधेयक के बारे में नहीं बोलेंगे, बाकी कह सकते हो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री अध्यक्ष: आप प्रवर समिति के सदस्य होने के नाते जो पुलिस विधेयक आएगा उस पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन यह आम बात तो कह सकते हो। आम बात कह देना। श्री खुशवीर सिंह जोजावर। खड़े होइए, बोलिए। (व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था जो दे दी सो दे दी। व्यवस्था दे दी गई है, व्यवस्था पर कोई व्यवस्था नहीं। खुशवीर सिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद):×××

दुग्ध उत्पादकों का प्रदर्शन

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: रामलाल जाट इस दुग्ध सहकारी बोर्ड के सदस्य हैं। राजस्थान डेयरी के सदस्य हैं, वहां पर अपनी बात कहकर वहां उनको चाहिए कि वो अपनी बात कहें।

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री भरत सिंह (दीगोद):×××

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह जोजावर। पहले खुशवीर सिंह जोजावर। पहले खुशवीर सिंहजी बोलेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: आपको किस आधार पर बोलने दूं? आप किस पर बोल रहे हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: क्या दिया हुआ है? मैंने खुशवीर सिंह जोजावर का नाम पुकार लिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: नहीं वो मेम्बर हैं, वो जानते हैं वहीं कीमतें बढ़ती हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: वे आरसीडीएफ के मैम्बर हैं, संचालक मण्डल के मैम्बर हैं, रामलाल जाट।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री अध्यक्ष: इनका क्या ताल्लुक है दूध से?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: आपके घर में 40 होगी, दूध बेचते हो क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: फिर क्यों बोल रहे हो? जब बेचते नहीं हो तो क्यों बोलते हो?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आपके इस पर दस्तखत नहीं हैं, इसलिए प्लीज बैठ जाएं अब आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: नो-नो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: अब आपका नाम ही नहीं है तो आप कैसे बोलने लग जाएंगे बिना नियमों के। बिना नियमों के बोलेंगे आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: क्या अधिकार है आपका? इसमें तो आपका नाम ही नहीं है। क्या अधिकार है आपका? आपको अधिकार कैसे हो गया, बिना नाम के अधिकार कैसे हो गया? क्या बात हुई?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: जो दुग्ध सहकारी समिति का सदस्य है और दूध बेचता है उसे यहां अपनी पैरवी करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: आपने कहा मैं बेचता हूं। आपने खुद ने कहा मैं बेचता हूं। आप क्या बात करते हो?

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: क्या बात करते हो ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह जोजावर, नो नो, गलत बात है। नहीं, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। I will not allow.

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं होगा। आपका अंकित नहीं हो रहा है। श्री खुशवीर सिंह जोजावर। आपको सदन का समय बरबाद करने का अधिकार नहीं है।

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री अध्यक्ष: खुशवीर सिंह जोजावर खड़े हों।

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री अध्यक्ष: आप सदन का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं क्योंकि अंकित तो हो ही नहीं रहा है। श्री अर्जुन बामनिया।

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: आप बिराजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्षः अब मैं यह मानूं कि खुशवीर सिंह जोजावर और अर्जुन बामनिया दोनों नहीं बोलना चाहते ?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, हाउस ऑर्डर में नहीं है, बोलना चाहते हैं। कल भी हमारा स्थगन प्रस्ताव और 295 दोनों ही चले गये, क्यों नहीं बोलना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय ?

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री अध्यक्षः आपको कोई अधिकार नहीं है इस सदन का समय बरबाद करने का क्योंकि मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है, अंकित भी नहीं हो रहा है, आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री अध्यक्षः आप पधारिए, जाइए, वह बुला रहे हैं आपको।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण करें। खुशवीर सिंह जोजावर।

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण करिए, स्थान ग्रहण करिए।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन को सहयोग करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: फरमाइये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। इन डेयरी वालों को माननीय मंत्री महोदय के सामने बुलाकर के बातचीत करवा दीजिये ताकि बहस समाप्त हो जाए और संतोष भी हो जाए।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि यह आसन इस हाउस को नियमों से चलायेगा। ठीक है, वो जाकर के अपनी बात करें लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है और 3-3 माननीय सदस्य खड़े हो जाएं, मैं तो पहली बार ही देख रही हूं यह सब काम, यह नाटक लोगों के। 3-3 खड़े हैं और खड़े होकर के बोल रहे हैं। कोई आप ही ज्यादा किसानों के पक्षधर हैं क्या?

श्री रामलाल (बनेड़ा):×××

श्री अध्यक्ष: हमको दर्द नहीं है किसानों का? हमको दर्द नहीं है क्या या इधर बैठने वालों को दर्द नहीं है क्या? मुझे नहीं है क्या? लेकिन आसन की व्यवस्था के बाद आप इस तरीके से बोलोगे तो नहीं बोलने दूंगी। (व्यवधान) कतई नहीं बोलने दूंगी। इसलिए बहुत गलत बात है। 3-3 माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो रहे हैं, बड़े हिमायती बन रहे हैं जैसे और किसी को किसानों की चिंता ही नहीं है। माननीय मंत्रीजी, आप जाएं, उनके पांच आदमियों को बुलायें, बुलाकर बात करें कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं और फिर जो कुछ सम्भव हो, जितना सम्भव हो वो आप करने की कोशिश करें। आप जाएं और जाकर के उनसे मिलें। इसमें क्या दिक्कत है?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बात खतम हो गई।

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह। हम जब हाउस को आर्डर में लाना चाहते हैं, आज पांच बिल हैं, उन्हें पास भी करना चाहते हैं क्योंकि कल तय हुआ था कि पांचों बिल आज पास होंगे तो फिर यदि इस तरह से करने लग जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? आप मुझे को-आपरेट करें, माननीय सदस्य, आप मुझे सहयोग दें।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य...

श्री अध्यक्षः आप तो मुद्दे की बात पर आओ, भूमिका मत बनाओ। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): ... प्रदेश में दूध के रेट की जो बात कर रहे हैं, ऐसा ज्ञापन मुझे अभी तक नहीं मिला है और न ही हमारे जो 16 संघ बने हुए हैं उनके अध्यक्ष की तरफ से ऐसा कोई सुझाव आया है। फिर भी इनका है, अभी तक आर सी डी एफ के द्वारा जो रेट दी गई है 265 रुपये किलो फैट के हिसाब से दी जा रही है। मैं तो सदन को यह कहना चाहूंगा...

श्री अध्यक्षः 265 रुपये किलो?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): फैट आती है।

श्री अध्यक्षः मैं सब समझती हूं, आप करेक्ट करो अपने आपको।

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): 265 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से दूध रेट तय होती है। इसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक संघ...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप बोल लेने दो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपकी व्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप यहां बहस मत बढ़ाओ, आप उनकी सुन लो। अगर आप अब यहां कुछ कहेंगे तो बहस चल जाएगी उसके ऊपर। फिर बहस खड़ी हो जाएगी।

श्री अध्यक्षः आप उनसे मिल लें, बात खतम। आप उनसे मिल लें और मिलकर के कुछ कर सकते हो तो करो। मिलो, आप उनसे मिलो।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उनके साथ बैठूंगा लेकिन मेरी बात कहने का भी तो मुझे अवसर दो। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप उनको ही समझाना यह बात। आप उनको समझाना यह बात।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): यह क्या बात हुई? आप मेरी बात तो सुनिये माननीय अध्यक्ष महोदय। दूध के भाव तय करने के जो अधिकार दिये हुए हैं वो संघ अपने स्तर पर करता है। उसकी आर्थिक स्थिति, उसके विपणन

(श्री प्रभुलाल सैनी)

का क्षेत्र और इन परिस्थितियों में राजस्थान का प्रत्येक संघ अपने-अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी रेट स्वयं ही करता है, वहां का मैनेजमेंट करता है।

श्री रामलाल (बनेड़ा): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री अध्यक्षः ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत गलत बात है। जब वो यह कह रहे हैं तो आप एक साथ खड़े हो जाते हो। मैं आपसे पूछ रही हूं कि रेट डिफरेंट है या समान है? सारे संघों की रेट एक समान है या अलग-अलग है?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): राजस्थान में प्रत्येक संघ की रेट अलग-अलग है। इसलिए आपने जैसा आदेश दिया है, पांच वहां के कोई प्रतिनिधि आकर के मिल लेंगे, हम लोग बैठकर के उस पर बात करेंगे और जो विधि सम्मत और संघ के हित में होगा, करेंगे।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्षः हो गई बात। श्री खुशवीर सिंह बोलेंगे। अब बात खतम हो गई। वो जाएंगे और आप उनको ले आओ, आप उनको ले आइये।

श्री रामलाल (बनेड़ा): हम बुलवा लेते हैं मंत्रीजी। ठीक है, बुलाता हूं, धन्यवाद आपका।

खान बजरी की रायल्टी की दर अलग-अलग जिलों में अलग-अलग

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर खान विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं कि खान विभाग ने बजरी का हर जिले या हर ब्लाक वाइज ठेका दे रखा है, अच्छी बात है, उस ठेके में से जो ग्राम पंचायतों के तहत क्षेत्र आ रहे हैं वहां तो ग्राम पंचायतों को यह अधिकार होना चाहिए लेकिन खान विभाग ने कुछ अंश देने की बात कही है, ठीक है। लेकिन बजरी के नाम से जो ठेकेदारों ने खान विभाग का ठेका ले रखा है उनके पास न तो किसी प्रकार का नाप-तौल है और न वहां ग्रामीण क्षेत्रों में मशीन लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है उससे 200 से 400 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। सैल्स टैक्स के नाम से अलग से वसूला जा रहा है और रायल्टी के नाम से अलग से वसूली की जा रही है। उनको किसी प्रकार का रवन्ना नहीं दिया जा रहा है और न उनको किसी प्रकार की रसीद दी जाती है। अगर कोई

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

ज्यादा बात भी करता है तो रसीद अगर देते हैं तो वो रसीद मेरे पास सबूत के तौर पर है, उस पर न तो किसी प्रकार से किसी के दस्तखत हैं और न कुछ अंकित किया हुआ है। न रवन्ना है, न टाइम लिखा हुआ है। उसके अन्दर किसी प्रकार का कुछ भी अंकित नहीं किया हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर लूटा जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार संरक्षण दे और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो इस तरह से ठेकेदारों ने लूट मचा रखी है कि जिस तरह से शराब माफिया थे उसी तरह से आजकल यह बजरी माफिया हो गया है और गांवों में जबरदस्त लूट है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही चेजा पत्थर की जो रायल्टी बढ़ाई है, चेजा पत्थर की रायल्टी का भी मैंने इसमें दे रखा है कि पांच जिले राजस्थान में से अलग कर दिये गये हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता कि पांच जिले क्यों अलग किये गये हैं। वहां पर चेजा पत्थर की रायल्टी हाल ही में 100 प्रतिशत बढ़ाई है जबकि पिछले 20 वर्षों में कभी भी 10 प्रतिशत से ज्यादा रॉयल्टी नहीं बढ़ाई गई है। रायल्टी के साथ में सैल्स टैक्स भी दे रहे हैं। चेजा पत्थर में राजस्थान के अन्य जिलों में 25 प्रतिशत रायल्टी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह जो रायल्टी 100 प्रतिशत बढ़ाई गई है उस दर को कम करके अन्य जिलों के समान 25 प्रतिशत की जाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, बात बिल्कुल सही है कि पांच जिलों में तो 16 रुपये रायल्टी है, आप इसका भी जवाब दो। पांच जिलों में तो 100 प्रतिशत रॉयल्टी.....

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): पांच जिलों में 100 प्रतिशत बढ़ाई है। अध्यक्ष महोदय, वो पांच जिले क्यों अलग किये गये हैं यह हमें समझ में नहीं आ रहा है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने बजरी के ऊपर जो रायल्टी वसूल की जा रही है और ठेकेदार की अनियमितता के बारे में जो बात की है, उनके पास अगर कोई खाली रसीद है उसमें कुछ अनियमितता की है, इसकी तो मैं जांच करवा दूंगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आप कहें तो मैं टेबल कर देता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिये हुए हैं कि जिस स्थान पर बजरी उठाई जाती है वहां पर एक प्रकार का बोर्ड लगाया जाए और उस पर रेट लिखी जाए और उसी के आधार पर कार्यवाही की जाए। जहां तक रायल्टी बढ़ाने का प्रश्न है, जिन पांच जिलों की बात कर रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष: पांच जिले हैं सीकर, झुन्झुनूं, चूरू, जयपुर और टोंक।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यहां पर अधिकांश बजरी और चेजा पत्थर हरियाणा और दिल्ली, वहां पर प्रति ट्रक चार हजार, पाँच हजार रुपये वसूल किये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश में 30 रुपये है, हरियाणा में 40 रुपये है, कर्नाटक में भी 30 है इसलिए यह मात्र नॉमिनल बढ़ाई गई है। पश्चिमी राजस्थान और इन क्षेत्रों के अन्दर जहां पर इसकी कोस्ट एक गाड़ी की एक हजार के करीब आती है तो यह जो डिफरेंसेज हैं कि जहां चार हजार रुपये वसूल किये जा रहे हैं, 4 हजार, 5 हजार रुपये में बेची जाती है उसके आधार पर इन पांच जिलों में जो हरियाणा और दिल्ली के आस-पास हैं इसलिए इन जिलों में यह थोड़ा डिफरेंसेज रखा गया है और बाकी अन्य जिलों में 10 रुपये है।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): 100 आप बताइये कि 100 प्रतिशत डिफरेंस हो जाएगा। हरियाणा के अन्दर डीजल चार रुपये प्रति लीटर मिलता है, आपके सैल्स टैक्स में फर्क है।

श्री अध्यक्ष: .... महंगा बिकता है तो रायल्टी भी ज्यादा आयेगी आपको। यह भेदभाव क्यों?

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): आप हरियाणा के सैल्स टैक्स में और हरियाणा में डीजल की कीमतों में फर्क मानते हो या नहीं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप तो दोनों जिलों से परिचित हैं। सीकर, झुंझुनूं की कोई बजरी दिल्ली नहीं जाती है, उसका कंजम्पशन वहीं होता है। वहां के काश्तकार और वहां के नागरिक उसका इस्तेमाल करते हैं। बाहर जाने की गुंजाइश ही नहीं है वहां।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, बाहर जायेंगे तो... नहीं नहीं, बाहर जायेंगे तो रायल्टी उनको ज्यादा मिलेगी, उन्हें क्या दिक्कत है।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): आज सीकर और झुंझुनूं से कोई लेकर जाता है तो...

श्री अध्यक्ष: रायल्टी ज्यादा मिलेगी, इसमें क्या दिक्कत है आपको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह पांच जिलों के साथ जो आपने भेदभाव किया है मंत्री महोदय, यह गलत है, यह अनजस्टिफाइड है।

श्री अध्यक्ष: हां, यह गलत बात है। भेदभाव नहीं चलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इस पर आप पुनर्विचार कीजिये और...

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या किया। इन्होंने समझौता कर लिया और दिल्ली में हमारा पत्ता काटा है, इसलिए यह जो झुंझुनूं, सीकर और चूरू के लोगों के साथ अन्याय किया गया है, मैं इस की भर्त्सना करता हूं कि अगर राजस्थान के साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार किया जाता है तो मंत्रीजी और पूरे सदन के लिए यह बात शर्मनाक है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाह रही हूं कि धौलपुर में जो मध्य प्रदेश से बजरी स्मगल होती है, उसके लिए क्या रोक लगा रहे हैं? धौलपुर में जो मध्य प्रदेश से बजरी स्मगलिंग चलती है, उसके लिए क्या रोक लगा रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि इस तरह का आदेश कर दें।

श्री अध्यक्ष: आप एक बात कीजिये। यहां पर बात भेदभाव की चल रही है। किसी भी प्रांत के अन्दर दो स्टैण्डर्ड नहीं हो सकते हैं। इसलिए बात भेदभाव की चल रही है, यह भेदभाव नहीं रहना चाहिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझनूं के साथ भेदभाव हो, यह अन्याय क्यों? आप कृपा करके....

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): हम अध्यक्ष महोदय के जिले से हैं।

श्री अध्यक्ष: आप नेता प्रतिपक्ष के जिले से भी हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपकी अध्यक्षता में आज तक कभी नहीं हुआ। आप जिस सदन की अध्यक्ष हैं, सदन की नेता आपकी बात नहीं मानती हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदन की नेता आपकी बहुत मानती हैं। वे नेता प्रतिपक्ष की बात को पूरा तवज्जोह देती हैं। आपको इस बारे में पहल करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी बात तो आप भी बहुत मानती हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं के अध्यक्ष, झुंझुनूं के नेता प्रतिपक्ष और खुद ही आप रायल्टी बढ़ा रहे हो। आप कम से कम अपने जिले का तो ध्यान रखो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे प्रति तो आप भी कभी-कभी ध्यान रखा करो।

एक माननीय सदस्य: हमारे पूर्व अध्यक्ष सीकर जिले से हैं, इनका ध्यान रखो आप थोड़ा।

श्री अध्यक्ष: यह आपके साथ में....

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आप तो जो बजरी के ठेकेदारों ने लूट कर रखी है....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, मैं कोटा से आता हूं और टोंक में नेशनल हाइवे के ऊपर जिस प्रकार से ठेकेदार मारपीट करते हैं, हमारी गाड़ियां आधा-आधा घंटा खड़ी रहती हैं, इतनी लूटपाट है। हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप ठेकेदार पर आ गये। हम भेदभाव की बात समाप्त करने की बात कर रहे हैं और ठेकेदार की बात पर आ गये। हम भेदभाव समाप्त करने की बात कर रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कृपा करके, झुंझुनूं के साथ यह सरकार अन्याय कर रही है। महावीरजी, कृपा करके आप लूट करो जो करो पर झुंझुनूं को क्यों लूट रहे हो? यह अन्याय क्यों कर रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप वहां से लुट-पिटकर आ गये। कमाल है, आप कैसे एम.एल.ए. हो? आप एम.एल.ए. होकर पिटकर आ गये। आप ठेकेदारों से पिटकर आ गये, हद हो गई।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, खारची के एम.एल.ए. ने जो बात उठाई है, वह बिलकुल सही है। पश्चिमी राजस्थान में

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

एक ट्रोली में तीन-साढ़े तीन टन से ज्यादा बजरी नहीं आती है और लगभग एक आदमी से छह टन की वसूली की जाती है रायल्टी विभाग के द्वारा, मेरा अनुरोध है कि....

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, रायल्टी से ज्यादा सैल्स टैक्स वसूला जा रहा है। 80 रुपये प्रति ट्रोली रायल्टी और 80 रुपये प्रति ट्रोली सैल्स टैक्स वसूला जा रहा है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): एक ट्रोली है, वह फुट-दो फुट तो खाली रहती है। उसमें चार टन से ज्यादा माल आ नहीं सकता है। उसकी जगह छह टन की वसूली की जाती है। मंत्री महोदय, मेरा अनुरोध है कि किसान जाकर एक बार उस ट्रोली को तौलकर लेकर आता है और उसमें तौल के अनुसार चार टन माल ही आता है परन्तु आपका ठेकेदार उससे कहता है कि प्रत्येक ट्रोली को आप जाकर तौलकर लेकर आओ और छह-छह टन की वसूली उससे की जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान से चार टन की जगह छह टन से पैसा वसूल किया जाता है, इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आप व्यवस्था करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विवेकहीन तरीके से सरकार ने रायल्टी की रेट तय की है। पूरे राजस्थान को जलाया, जगह-जगह बन्द हुए, जगह-जगह पर घटनाक्रम हुए, हर वर्ग में आन्दोलन चला और आन्दोलन चलने के बाद फिर जन अभाव अभियोग समिति में आकर एक दरख्वास्त दो। दरख्वास्त देने के बाद फिर वह जन अभाव अभियोग समिति और यह सरकार के लोग बैठकर उन व्यापारियों से समझौता करें और समझौता करने के बाद फिर उसको कम करें तो आपने क्यों विवेकहीन तरीके से यह रायल्टी बढ़ाई? क्यों इतना अत्याचार किया राजस्थान की जनता के साथ, क्यों आपने आन्दोलन चलाया, क्यों ला एण्ड आर्डर की स्थिति आपने पैदा की और फिर क्यों विवेकहीन तरीके से आपने रेट बढ़ाई और आपने बढ़ाई थी तो आपने क्यों कम की? इसके पीछे राजनैतिक कारण है।

यह इसी प्रकार से वैट टैक्स के अन्दर भी 70 चीजों के अन्दर कमी की है। 70 चीजों में वैट टैक्स में कमी की है। मतलब जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्षजी और संबंधित मंत्रीजी जाकर इस प्रकार से जो सौदेबाजी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

करते हैं, यह राजस्थान की जनता के साथ यह सरकार अन्याय करते हैं और लूट-खसोट करते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया, मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया, इस पर कौनसी डिबेट खुल गई? जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है यानी बिना कोई आधार के आपने कोई आरोप लगाना चालू कर दिया। मतलब अब आपने मौका दे दिया, माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम तो आपकी चौथ वसूली की व्यवस्था बता रहे हैं। आपने 80 चीजों पर वैट में कमी नहीं की क्या? जन अभाव अभियोग के माध्यम से नहीं की है आपने? आपने दरें कम नहीं की क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कहां वैट आ गया? यह वैट कहां आ गया?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने एक मंच बना रखा है। उस मंच के माध्यम से आओ तो दरें कम। सरकार बढ़ाये और फिर दरें कम करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पांच बिल हैं अध्यक्ष महोदय, आज पांच बिल हैं और माननीय सदस्यों को अपनी बात भी कहनी है। आपने दो मिनट की चर्चा की अनुमति दे दी और अभी 25 मिनट से यह मामला चल रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपने ठेका ले लिया क्या संसदीय कार्य मंत्री महोदय? भ्रष्टाचारियों को बचाने का आपने ठेका ले लिया क्या मंत्री महोदय? भ्रष्टाचारियों को बचाने का ठेका ले लिया क्या संसदीय कार्य मंत्रीजी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, ऐसा है कि हम यहां पर जन हित के...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राजेन्द्र सिंह राठौड़ साहब, आपने चूरू जिले को बचा रखा है 10 रुपये टन के ऊपर और हमारे लग रहा है 16 रुपये।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): आपने अपना जिला बचा लिया और सीकर और झुंझुनूं रखवा दिया इसमें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह 16 में है। यह भी 16 में है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हां, इसमें है।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): नहीं, यह नहीं है 16 में। नहीं, चूरू नहीं है 16 में। इन्होंने निकलवा लिया अपना जिला।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चूरू नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। यहां पर हम इसीलिए बैठे हैं। यहां सर्वोच्च मंच पर बैठकर दो तरह की यहां पर रायल्टी की दरें हों, यह बात तो गलत है। रायल्टी की दर एक ही होनी चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह निर्देश दे दिया है, अध्यक्षजी ने जब यह कहा है कि राजस्थान के साथ यह सरकार अलग-अलग जिलों में यह भेदभाव करती है, इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए और दूसरी नहीं हो सकती। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, विधायकों में आर.एस.एस. और नोन-आर.एस.एस. का भेदभाव है। भेदभाव क्यों नहीं होगा, क्यों भेदभाव नहीं होगा? जब सरकार में आर.एस.एस. और नोन- आर.एस.एस. का भेदभाव है तो इसमें भेदभाव क्यों नहीं होगा, आप यह कैसे कह सकते हैं। (व्यवधान) यह खाली मुखौटा है, यह खाली मुखौटा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। इस प्रश्न को यह मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न इतना गम्भीर है, जो बजरी वाला मामला है, उसका जवाब तो आने दीजिये। बीच-बीच में कोई दूसरा विषय लाकर इस प्रश्न की गम्भीरता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रायल्टी रिवाइज मात्र इस सरकार में नहीं हुआ। एक्ट है, प्रावधान है, 1957 एम.एम.डी.आर. एक्ट और उसके बाद में राजस्थान का एम.एम.सी.आर. एक्ट 1986 रूल्स 18-फर्स्ट सी। इसमें हर तीन साल के बाद में रायल्टी रिवाइज का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

भावनाओं की कद्र करता हूं। आपने मेरे से चर्चा भी की है पर जो डिफरेंसेज अलग-अलग जिलों की जो आप बात कर रहे हैं, यह मात्र राजस्थान में नहीं है। अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार से है। परन्तु जिस हिसाब से यह हरियाणा और दिल्ली के पास में जो ये पांच जिले हैं, उन जिलों से चार-पांच हजार रुपये में एक ट्रक जाता है और दूसरे जिलों के अन्दर मात्र 800-1000 रुपये में बिकता है। यह जो डिफरेंसेज है, इसमें आम उपभोक्ता नहीं है। जो वहां पर बेचने वाला व्यक्ति है, उसको फायदा पहुंचता है परन्तु आपकी भावनाओं के आधार पर और जो हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जनता की भावनाओं की बात कही, उस जनता की भावना के आधार पर उनकी जो बात है, रायल्टी राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाई है तो जनता और अलग-अलग एसोसिएशन के द्वारा चाहे मार्बल एसोसिएशन हो, चाहे बजरी ठेकेदार हो और चाहे आर.सी.सी. के ठेकेदार हों, राजस्थान के तमाम ठेकेदार और उन एसोसिएशन के व्यक्तियों को यहां पर बैठाकर उनकी बात सुनी गई और एक एक संगठन से बात हुई। करीबन 2000 व्यक्तियों से, एक-एक इंडिविजुअल के साथ चर्चा की और चर्चा करने के बाद में राज्य सरकार ने निर्णय करके, उसको संशोधन करने का निर्णय किया। किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात.....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको चर्चा करनी थी तो आप चर्चा पहले करके रायल्टी का फैसला करते। आप पहले रायल्टी बढ़ाते हो और उस पर फिर चर्चा करते हो, इस बात पर एतराज है। आप चर्चा करते सभी संगठनों से। सभी संगठनों से चर्चा करते और चर्चा करने के बाद में रायल्टी का निर्णय करते।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आप मेरी बात सुनिये पहले। यह आपने जो भ्रष्टाचार की बात कही है, यह कांग्रेस की परिपाटी है। यह राजस्थान के पवित्र सदन में हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, ये जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर रायल्टी रिवाइज के मामले में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात है, मैं आपको बताता हूं, मैं मंत्रिमण्डल तो क्या, विधायकी तो क्या, राजनीति से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं नहीं तो आप देकर बता दो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बात कही है। मैंने मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आरोप लगाना बहुत ईजी है, उस आरोप को साबित करना बहुत मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहता हूं आपके सामने, एक कमेटी नियुक्त करें और इसमें किसी प्रकार की अगर कोई भ्रष्टाचार की बात है तो मैं बलि चढ़ने के लिए तैयार हूं, नहीं तो आप इस्तीफा दे दो। (व्यवधान) इस पवित्र सदन में इस प्रकार आरोप और प्रत्यारोप लगाने से आपका नाम नहीं हो जाता। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: माननीय मंत्री महोदय, आपके ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे: आपका नाम नहीं बढ़ जाता, आप तथ्यात्मक बात पेश करें।

श्री हरिमोहन शर्मा: एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे: रायल्टी आपकी सरकार ने नहीं बढ़ाई?

श्री हरिमोहन शर्मा: आप बैठो दो मिनट।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे: तीनों साल में रिवाइज होती रही। हमारी सरकार रायल्टी बढ़ाती है तो आप इस तरह से आरोप लगाते हैं...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप दो मिनट बैठो। आप बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: मंत्री महोदय, आपके ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। हम तो यह चाहते हैं ठेकेदार बजरी के नाम से जो लूट रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने की बात कहें लेकिन आपके ऊपर कोई आरोप नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा: मैंने मंत्रीजी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। मैंने यह कहा है कि वेट के अंदर भी अस्सी चीजों पर यहां...

श्री अध्यक्ष: वेट कहां से आया..

श्री हरिमोहन शर्मा: अस्सी चीजों का यहां, मुझे बोलने दें साहब फिर। अस्सी चीजों पर वेट का टैक्स जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्षजी के साथ राज्य मंत्रीजी जगह-जगह जाकर विधान सभा में घोषणा करने के बाद पास करवाने के बाद व्यापारियों से मिलने के बाद कम करवाया है।

श्री अध्यक्षः वेट कहां से आ गया।

श्री हरिमोहन शर्माः और उसी प्रकार रायल्टी जो आपने अविवेकपूर्ण तरीके से, बिना संगठनों से बात किये हुए, बिना और लोगों से बात किये हुए, जिस प्रकार अविवेकपूर्ण तरीके से आपकी सरकार और आपने जो निर्णय लिया और इस सड़क पर आम आदमियों को आंदोलन करने के लिए आपने प्रेरित किया और जगह-जगह पर सड़कों पर जाम लगाया, आपको अगर यही काम करना था और आपको उनसे बात करके ही करना था तो गेट आउट करने के बजाय आप उनसे पहले ही बात कर लेते। वह राम-राम साहब कर रहे थे और आप उनको गेट आउट कर रहे थे। अच्छा होता, विवेकपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप इन संगठनों से चर्चा करके फैसला करते तो राजस्थान की जनता....

श्री अध्यक्षः अब आप बैठें।

श्री हरिमोहन शर्माः और कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़ती।

श्री टीकम चन्द कान्तः अब क्या कर रहे हैं...

श्री खुशवीर सिंह जोजावरः आप पर कोई आरोप लगाया ही नहीं।

श्री टीकम चन्द कान्तः संगठनों से बात करके ही कर बढ़ाया है क्या...

श्री लक्ष्मीनारायण दवेः टीकमजी, और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए यह पांच जिलों के अंदर जो रेट है इसमें संशोधन करने का आपको आश्वासन देता हूं। पर एक समान नहीं होगी और एक समान मात्र इस सरकार में नहीं, पहले की सरकार में भी अलग-अलग होती रही है, अन्य प्रदेशों में भी होती है परन्तु जो जस्टिफाइड होगा उसको हम देखेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री अर्जुन बामनिया।

श्री मांगीलाल गरासियाः दो मिनट। बामनिया साहब, दो मिनट।

श्री अध्यक्षः केवल अर्जुन बामनिया को।

श्री मांगीलाल गरासियाः नहीं-नहीं, दो मिनट में अपनी बात को विराम दे रहा हूं।

श्री अध्यक्षः नो-नो, अर्जुन बामनिया।

श्री मांगीलाल गरासियाः मेरा अनुरोध यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इतनी चर्चा चला दी और आपको केवल मुझे दो...

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): खड़ा हूं मैडम।

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है अर्जुन बामनिया।

श्री मांगीलाल गरासिया: दो मिनट देने का अनुरोध कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोई दो मिनट नहीं। नहीं, बैठिये, बैठिये। चलिये। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया: बामनियाजी, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: बैठ जाओ चुपचाप। बैठो, आप बोलिये।

श्री मांगीलाल गरासिया: मेरा स्थगन प्रस्ताव चल रहा है, बिराजो दो मिनट। दो मिनट में अपनी बात को विराम देना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट: पूरे उदयपुर जिले की सबसे पिछड़ी हुई कोटड़ा तहसील है और दो मिनट का आपको मौका देना चाहिए, हमारा करबद्ध निवेदन है। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया: माननीय बामनियाजी, दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष: अर्जुन बामनिया।

श्री मांगीलाल गरासिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दो मिनट में, मैं दो मिनट में बात...

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं सिर्फ अर्जुन बामनिया को सुनूंगी। नो-नो। अंकित नहीं हो।

श्री मांगीलाल गरासिया: ×××

श्री अध्यक्ष: आप समय को बरबाद कर रहे हैं। सदन का समय बरबाद नहीं होने दूंगी।

श्री मांगीलाल गरासिया: ×××

श्री अध्यक्ष: नो-नो। मैंने कहा है कोई अंकित नहीं हो। आप अंकित नहीं करें।

श्री मांगीलाल गरासिया:×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे कह रही हूं कि आप स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करिये। आपको स्थान ग्रहण करने को कह रही हूं, नहीं मानते हैं उसका क्या होता है, आपको पता है? अर्जुन बामनिया।

श्री मांगीलाल गरासिया:××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं। यह क्या तरीका है। यह क्या तरीका है।

श्री मांगीलाल गरासिया:×××

श्री अध्यक्ष: आप बोलना शुरू करो।

श्री मांगीलाल गरासिया:×××

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, प्लीज।

श्री रघुवीर सिंह मीणा:×××

श्री अध्यक्ष: बिराजो अब आप। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा :×××

श्री मांगीलाल गरासिया:×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर:×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं करें।

श्री मांगीलाल गरासिया:×××

श्री सी.डी. देवल:××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित हो ही नहीं रहा है। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया:××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अर्जुन बामनिया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी:×××

श्री अध्यक्ष: है ही नहीं इसमें।

डा. सी.पी. जोशी:××× (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल:×××

श्री मांगीलाल गरासिया:×××

डा. सी.पी. जोशी: ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कहीं नहीं है, आज के स्थगन प्रस्ताव में नहीं है।

श्री भंवरू खान:×××

डा. सी.पी. जोशी:××× (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): अब तो बोलने दो।

श्री अशोक बैरवा:×××

श्री श्रवण कुमार:×××

श्री मांगीलाल गरासिया:××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके पीछे वह खड़े हैं, मैंने नाम पुकार लिया आपका। खड़े हो गये। आप बोलने दीजिये उनको। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार:×××

श्री मांगीलाल गरासिया:×××

श्री सी.डी. देवल:×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी:×××

श्री श्रवण कुमार:×××

श्री अध्यक्ष: चिल्लाने दें इनको, अंकित तो हो नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी:××× (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा:×××

श्री अध्यक्ष: आप किस उसमें खड़े हुए हैं, आपका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है, कोई बात नहीं है, यों ही खड़े हो जाते हैं, यों ही खड़े हो गये, क्या बात हुई यह, क्या मतलब हुआ।

श्री रामनारायण मीणा:××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब आपका कोई स्थगन ही नहीं है, आप खड़े हो गये, वहां स्कूल में टीचर नहीं है, यह कोई बात हुई।

श्री रामनारायण मीणा :×××

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी बात शिक्षा सम्बन्धी है। मैं आपके माध्यम से....

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री अध्यक्ष: हां, तो दे देंगे, इनका भी साथ ही दे देंगे। उनको बोल लेने दो पहले।

दानपुर विधान सभा क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर स्कूल में अध्यापकों की कमी

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि दो-दो शिक्षा मंत्री हैं, मेरी बात की पुष्टि माननीय तिवाड़ी साहब करेंगे या दूसरे करेंगे, सबसे पहले प्रश्न मेरा है।

श्री अध्यक्ष: कोई करेंगे, आपको क्या मतलब है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं ही कर दूंगा।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, दानपुर विधान सभा क्षेत्र में घोड़ी तेजपुर स्कूल में पिछले कांग्रेस शासन में चार अध्यापक थे। चार अध्यापकों में से दो साल पहले दो अध्यापक हटाये, पिछले साल दो अध्यापक हटाये और पांच सौ छात्रों पर मात्र एक शारीरिक शिक्षक है। यही नहीं..(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अभी फिलहाल में जो अध्यापकों के स्थानांतरण हुए हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, इसमें +++ एकल विद्यालय भी बंद किये गये हैं और उदाहरण चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपलखूंट के दानपुर विधान सभा क्षेत्र की अठारह पंचायतों में कई स्कूलें उदाहरण के तौर पर मैं बताने को तैयार हूं। यही नहीं...

श्री सी.डी. देवल: अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार की बात तो सुननी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : आप माननीय, देवल साहब, बैठें। माननीय देवलजी। माननीय

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पवित्र सदन में कहते हुए शर्म आ रही है कि +++ उसका स्थानान्तरण अन्य जगह किया और उसके बावजूद उसका वास्तविक जहां स्थान मांगा था वहां पर वापस स्थानान्तरण करने के लिए यही नहीं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी आधार के कोई बात कह देना इस सदन के अंदर यह आदत बनती जा रही है, यह आदत बनती जा रही है ...(व्यवधान) क्या सबूत है इनके पास? किस आधार पर कह रहे हैं यह ...(व्यवधान) नाम बताओ उसका, आप नाम बताओ उस अध्यापक का ...(व्यवधान) उस अध्यापक का ...(व्यवधान)।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर शोरगुल करना)

श्री उपाध्यक्ष: आसन पैरों पर है आप स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हम आपकी बात मान लेंगे कि आपकी बैठक हुई थी, एमएलएज की उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे या नहीं लगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे-कैसे आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप शपथपूर्वक कह दीजिए खड़े होकर के मैं सदन से यह बात कहता हूं ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमण्डल से हटाया जाए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप इनका एक्सप्लेनेशन लीजिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने के लिए कोई प्रमाण चाहिए या तो प्रमाण प्रस्तुत करें या अपनी बात वापिस लें। विधान सभा में इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना इस पवित्र सदन से इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करना यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आरोप कहां लगाया है ...(व्यवधान)

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी सदन में ज्यादा बोलता नहीं हूं लेकिन मेरा इनसे निवेदन है माननीय सदस्य से कि आपके राज में जिला परिषद में जितने पैसे लिए थे आज तक वापस इन लोगों ने नहीं लौटाये और वो मास्टर आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः पैसे आपने नहीं लिए, आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है मैं बोलूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप क्या कहोगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बीच में नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एक मिडिल स्कूल में एक अध्यापक है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात सुनी जाएगी, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): वहां के प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण हुआ इसके बाद दलाल आकर बोलता है तीस हजार रुपए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको चेलेंज देता हूं कि एक भी ...(व्यवधान) नाम बता दें ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर शोरगुल करना)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए यह फालतू की बात अंकित नहीं होगी ...(व्यवधान) माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना):×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इनको चुनौती है कि एक भी रुपया यदि मेरे द्वारा या मेरे स्टाफ के द्वारा लिया गया है तो इनको चुनौती देता हूं खुलेआम चुनौती देता हूं लाइए ...(व्यवधान) प्रमाण दीजिए ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सरकार को बदनाम करने के लिए बिना तथ्यों के आधार पर अनर्गल आरोप लगाये जा रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है आपके पास, बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगाये जा रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, ऐसे ही सरकार को बदनाम किया जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह एक भी आरोप सिद्ध कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, एक भी आरोप सिद्ध कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप लोग राजनीति छोड़ देना ...(व्यवधान) या मैं राजनीति छोड़ दूंगा आइए सामने चुनौती है मेरी खुलेआम ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति का इससे पवित्र उदाहरण कोई नहीं बन सकता, मंत्रीजी ने कहा है कि कोई भी आरोप सिद्ध कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा इससे ...(व्यवधान) सदन में नहीं बन सकता।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं एक शिक्षक हूं, ईमानदार हूं, कोई आरोप सिद्ध कर दे राजनीति छोड़ दूंगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ...(व्यवधान) अपनी गिरहबान में देखो, शिक्षक होने के नाते सेवा करने राजनीति में आया हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री श्रवणकुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: वह चुप हो गये हैं आप बैठिये।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपकी बात सुनी जाएगी, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी, पहले मेरी बात सुनिये। (व्यवधान) मैं दे रहा हूं परमिशन, माननीय सदस्य सदन के नियमों का आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि जो भी आप इस तरह के एलीगेशन, रिश्वत ले ली, तीस हजार रुपए ले लिए, आपको पहले नोटिस दिया जाना चाहिए यह ...(व्यवधान)....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर शोरगुल करना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस को चलाना नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य इस तरह से सब के ऊपर एलीगेशन लगा रहे हैं यह अच्छा नहीं है, हर किसी के ऊपर यह कहना अच्छा नहीं है, यह चलती बात ...(व्यवधान) बिना किसी सबूत के नहीं कह सकते आप ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मैंने पहले ही कह दिया है, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य यह अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे और सदन के सभी माननीय सदस्यों से विनम्र प्रार्थना है क्योंकि इस सदन में उठी हुई यह बात जन-जन तक जाएगी और मैं आपसे कोई इसमें यह नहीं चाहता हूं कि आप सच्ची बात नहीं कहें, आप जरूर कहें अगर कहीं भी किसी ने पैसे का लेनदेन किया तो उसको निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन केवल बात को बात के आधार पर मत छोड़िये। मेरी प्रार्थना है कि ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्षः आप सुनिये। आप सुनिये तो। बात तो कहने दीजिये। आप सुनना नहीं चाहते।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर विषय है...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्षः बीच में बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई आपकी बात को ना नहीं कर रहा हूं और न मैं आपकी बात को काट रहा हूं और न मैं उसके लिए कोई अपनी तरफ से ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्षः यह तरीका नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी माननीय सदस्य का ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, बीच में नहीं। आप बीच में इस तरह से, ...(व्यवधान) अलाउड नहीं है। आप सुनिये बात।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसी की भावना को कोई चोट नहीं पहुंचा रहा हूं न मेरी ऐसी कोई भावना है। यह निश्चित रूप से हो सकता है कि अध्यापकों की संख्या कम होगी, ट्रांसफर होने से यह भी सम्भव है कि वहां कम लोग रह गये हों इसको मैं नकार नहीं रहा हूं लेकिन यह पैसा देकर के ट्रांसफर किये हैं यह बहुत गम्भीर आरोप है। मैं तो आपसे यह चाहता हूं कि आप आसन से ही व्यवस्था करें और इस बात की जांच करायें अगर इसमें जो भी दोषी पाया जाए ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि कोई भी दोषी हो उसको बचाने की कोशिश मत करो। माननीय सदस्य, शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में अगर इस प्रकार की कोई भी अनियमितता हुई है तो प्रमाण के साथ आप इस बात को सिद्ध करें और निश्चित रूप से उस दोषी को दंड मिलना चाहिए, इस सदन में भी उसको उपस्थित करके देना चाहिए। अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी किसी ने भी चाहे हम में से, चाहे और किसी ने भी चाहे वो अधिकारियों में से हो चाहे किसी में भी हो अगर पैसा लेकर के ट्रांसफर किया तो निश्चित रूप से जांच होकर के और यहां आना चाहिए कि दोषी कौन है और वो दोषी कौन है यह स्पष्ट होना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) यह मैं नहीं मान सकता । केवल यह आरोप लगा देना किसी के ऊपर यह लांछन लगा देना तीस हजार रुपये, आप या तो इसको इसमें से हटवायें या आप सदन की एक कमेटी बनाकर के जांच कराइये और जो दोषी हो उसको यहां सदन में सज़ा दें लेकिन यह नहीं हो सकता कि मन चाहे आरोप लगाकर के चले जाएं । मैं चाहूंगा या तो आप इस तीस हजार रुपये का हटवायें या सदन की कमेटी बनाकर इस सच्चाई को सामने लायें कि कौन है वो दोषी जिसने यह बात की है। ये चाहे जैसे आरोप नहीं लगा सकते हो ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) आप चाहे जिस पर लांछन लगा दो यह नहीं लगा सकते। ये लांछन नहीं लगा सकते। या तो जांच कमेटी बैठाइये या यहां से हटाइये इसको। या तो हटवाइये या जांच करवायें दोनों में से एक बात करायें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप कृपा करके हम पर मेहरबानी करें। शिक्षा के क्षेत्र में आरोप लगा है । आप या तो जांच करवाकर दोषी का पता लगायें या इसको एक्सपंज करायें। या तो जांच कमेटी बैठाकर जांच करायें या एक्सपंज करो दोनों में से एक बात करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक्सपंज कराइये इसको। कार्यवाही से निकालो। तथ्यहीन आरोपों को कार्यवाही से निकालिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कार्यवाही से निकालो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो आरोप लगाये हैं उनको कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था दीजिये उपाध्यक्ष महोदय। कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) या तो जांच बैठा दीजिये कोई चिंता की बात नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि अध्यापक कम होंगे ...(व्यवधान) यह समझ में आता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्षः आप स्थान ग्रहण कीजिये। चार पाँच आदमी खड़े हो जाएं यह कोई मतलब नहीं है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्षः चार पांच आदमी खड़े हो गये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्षः अगर आपको इस तरह से हाउस नहीं चलने देना है और वातावरण को गंदा करना है तो बात अलग है । वन बाई वन। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: यह फालतू की बात है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने जो कुछ कहा है हम उनके विचारों को सम्मान करते हैं। गृह मंत्रीजी ने जो जांच समिति बनाने का प्रस्ताव किया है, हम आपसे आग्रह करते हैं कि शिक्षा विभाग में तबादलों में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आप समिति गठित कर दीजिये । हम उसकी जांच के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं उसकी जांच के लिए । हम साबित करेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है हम साबित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बनाइये कमेटी।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात आ गयी। हां आ गयी बात। मंत्रीजी। (व्यवधान) आप सुनिये पहले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप बैठिये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य रूप से माननीय सदस्य ने बांसवाड़ा जिले में स्कूल में अध्यापकों की कमी के मामले का स्थगन प्रस्ताव दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसको स्वीकार किया दो मिनट बोलने का समय दिया। ज्यों ही उन्होंने समय दिया मैंने सारी रिपोर्ट मंगा ली। इसके बाद कोटड़ा में अध्यापकों की कमी का सवाल आया । मूल बात इस पर डिपेंड थी। पहले मैं उन तथ्यों को आपको बताता हूं। बासंवाड़ा जिले में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 56 ब्वॉज के 12 गर्ल्स के कुल 68, राजकीय माध्यमिक विद्यालय 77 व 7 गर्ल्स के हैं कुल 84 हैं। जो पद खाली हैं और जो स्वीकृत हैं पहले मैं सारे जिले का और फिर आपकी स्कूल का बता देता हूं। प्रधानाचार्य के 68 पद स्वीकृत हैं 2 पद रिक्त हैं। प्रधानाध्यापकों के 64 पद स्वीकृत हैं, 4 रिक्त हैं। व्याख्याताओं के 467 पद रिक्त हैं, 159 के पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के 931 हैं उनमें 103 रिक्त हैं। अध्यापक थर्ड ग्रेड के 431 हैं 73 रिक्त हैं। राजस्थान

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

शारीरिक शिक्षक का कोई पद रिक्त नहीं है। शारीरिक शिक्षक सैकिंड ग्रेड के 4 रिक्त है 48 में से और शारीरिक शिक्षा थर्ड ग्रेड स्वतंत्र के 2 पद रिक्त हैं। ये कुल रिक्त पदों की स्थिति है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं आपको इंटरवीन करूंगा कि आपने जो पद बताये 164 ये वो स्थान हैं जिनमें तीन-तीन, चार-चार साल से रिक्त हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं उस पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वो अलग बात है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): जो फीगर आप दे रहे हैं उस फीगर से स्थिति नहीं बनेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं सब्जैक्ट पर आ रहा हूं।

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सब्जैक्ट के टीचर जो लंबे समय से स्कूलों में खाली पड़े हैं वो प्रोब्लम क्रियेट कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आ रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बाकी हिन्दी का टीचर मिल जाएगा, समाज शास्त्र का मिल जाएगा लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है वो 164 कौन से हैं वो बताइये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): चार साल पहले की क्या स्थिति थी ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं चार साल की छोड़िये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): तभी आप सत्ता में आये बाकी थोड़े आते आप।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): पांच सालों में सत्यानाश करके छोड़ा है पाँच सालों में एक अध्यापक को नियुक्ति नहीं दी। शर्म आनी चाहिए, वकालत कर रहे हो आप। शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया फिर आप बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए +++ ...(व्यवधान)

डॉ. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) खड़े होकर बातें कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): चार साल तक, पूरे पांच साल आपकी सरकार ने एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): चार साल पहले जो स्थिति थी उसके लिये भी मैं ही जिम्मेदार हूं और आठ साल पहले जो थी उसके लिये भी मैं ही जिम्मेदार हूं और आज जो है उसके लिये भी मैं ही जिम्मेदार हूं और उसको ठीक करने का मैं प्रयत्न भी कर रहा हूं और मैं आपके सामने वह आंकडे भी रख रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप समय देंगे तो मैं पूरी व्यवस्था पर भी स्टेटमेंट देने के लिये तैयार हूं कि राजस्थान में कुल क्या स्थिति है । इसलिए इसको एक बार सुन लें यह राजनीति का मामला भी नहीं है । एक सामान्य गरीब व्यक्ति का बच्चा जब स्कूल में पढने के लिये जाता है और वहां अध्यापक नहीं हो तो उसको जो तकलीफ होती है उस तकलीफ का मामला है । मैं इसको समझ रहा हूं और उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं ।

यह जो आपने अभी स्कूल बताई तेजपुर छोटी बांसवाडा की घोडी उसमें कुल 7 पद हैं । उसमें से अभी जैसा आपने बताया यह बात सही थी कि पिछले कुछ दिनों में उसमें सिर्फ एक पद था लेकिन अब जो स्थिति वहां पर है, वहां वर्तमान में विद्यालय में कुल 7 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 3 अध्यापक द्वितीय श्रेणी की वहां पर व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): 25 तारीख को कलक्टर साहब ने शिक्षा के लिये व्यवस्था के तौर पर 3 अध्यापक घोडी तेजपुर में 2 अध्यापक मिडिल स्कूल से हटाकर खैरावलीपाडा में दिये थे पर अभी तक उन अध्यापकों ने ज्वाइन ही नहीं किया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सही है । अभी श्रीमती ममता गुप्ता, मनोज कश्यप, राजीव त्रिवेदी इनको लगा दिया गया है और आज आदेश कर दिये गये हैं वह ज्वाइन करेंगे । (व्यवधान) आज ही किया है मैं मान रहा हूं । मैंने स्वीकार कर लिया ना । जो यथार्थ है उसको स्वीकार कर रहा हूं ना । (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आपने यह बात कही थी कि जहां भी खाली पद होंगे पहली प्राथमिकता वहां रखेंगे । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): दूदू में खाली है ।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): कौनसा आपने स्थानान्तरण किया जहां खाली थे वहां और खाली कर दिये और जहां पर पहले से अध्यापक थे वहां पर और भर दिये । मतलब शिक्षा विभाग का भट्ठा नहीं बैठ गया क्या ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उस पर भी आ रहा हूं, आने तो दो उस पर । आप प्रश्न पूछ लेना ।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सरकारी स्कूलों का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट क्या है इस साल का? मेहरबानी करके यह बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इस साल का रिजल्ट क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप प्रश्न पूछ लेना मैं आ रहा हूं उस पर ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ... इनके हाथ में कुछ था ही नहीं इन्होंने कुछ किया ही नहीं इनको जबरदस्ती क्यों कह रहे हो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अब आप सुन लो बाद में पूछ लेना मेरी बात तो पूरी कर लेने दो ।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): आपने जो नियुक्ति दी है ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): पूछ लेना मैं मना कब कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पहले इनको सुन लीजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसी प्रकार कोटडा की आपने स्थिति बताई वहां भी अध्यापकों की कमी है । यहीं नहीं है राजस्थान में एलीमेंट्री एजुकेशन में 55 हजार अध्यापकों की कमी है । मैं स्वीकार कर रहा हूं, 55 हजार में से 33 हजार का सलेक्शन आरपीएससी के माध्यम से कर लिया है । 10 हजार .. (व्यवधान) लैट मी कम्प्लीट ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भारत सरकार से एक लाख एलीमेंट्री एजुकेशन का पैसा आपके पास आ चुका है यह भी बता दीजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बता रहा हूं ।

डा.सी.पी.जोशी (नाथद्वारा): नहीं, यह जो ताली बजा रहे हैं, वाह वाही लूट रहे हैं एक लाख टीचर का पैसा भारत सरकार से आ चुका है । 50 हजार की भर्ती की 50 हजार क्यों काट लिया । (व्यवधान) आप भाषण देने खडे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): (व्यवधान) मात्र 33 हजार अध्यापकों की भर्ती करके इतिश्री कर दी है । उन पैसों का ब्याज राज्य सरकार ले रही है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): राजस्थान की शिक्षा की स्थिति है कम से कम बोलने तो दो ।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनो ।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा के तहत जो बजट केन्द्र सरकार ने दिया है उन पैसों का ब्याज राज्य सरकार ले रही है । अभी तक अध्यापकों की भर्ती पूरी नहीं हुई है । मात्र 33 हजार अध्यापकों की भर्ती हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: पूरी विस्तार से आपको स्थिति बताई जा रही है आप सुनिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं धन्यवाद दे रहा हूं आप सुन तो लो । 33 हजार अध्यापकों के सलेक्शन हो चुके है, 18 हजार बीएड का, 9800 एसटीसी का और 3300 विधवा परित्यक्ततओं के नियुक्ति पत्र भी जारी हो गये । बीएड की काउंसलिंग करने का काम चालू हो गया और आरपीएससी से भी हमको मिल गया और 27 हजार की फिर भी कमी है वह विद्यार्थी मित्र लगा कर पूरी की जायेगी और उसमें यह शर्त भी हटा दी कि ट्रेंड अनट्रेंड इसके अलावा जो भी प्राप्त हो उसको लगा दिया जाये । इस महीने के अंत तक पूरे 57 हजार में से 33 हजार ट्रेंड टीचर और बाकी विद्यार्थी मित्र लगाकर एलीमेंट्री में अध्यापकों की कमी को पूरा कर दिया जायेगा । (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं आप सुनो । भारत सरकार ने अभी एक विज्ञापन जारी किया उसमें मेरी फोटो नहीं थी इसका मुझे दुःख हुआ लेकिन उसमें माननीय प्रधान मंत्रीजी की और हमारे माननीय अर्जुन सिंहजी की फोटो थी । उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान के सभी राज्यों का विवरण दिया सर्व शिक्षा अभियान में और उसमें । मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान को सबसे बड़ा हिस्सा मिला । मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है । दूसरा यह भी मिला कि राजस्थान ने उसका 99 प्रतिशत उपयोग किया । उन्होंने हमको धन्यवाद दिया । दूसरा तीन कामों में राजस्थान फर्स्ट रहा अध्यापकों की नियुक्ति में, स्कूल खोलने में और सैनेट्री और शौचालय के लिये । भारत सरकार का हमको निरन्तर इसमें सहयोग मिला, मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है और मैंने उनको धन्यवाद का पत्र भी लिखा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपका स्टेटमेंट गलत है । मार्च, 2007

(श्री संयम लोढ़ा)

तक एक लाख 5 हजार शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान में दिये हैं इस साल का अलग है । और दूसरे स्टेट के कम्पेरिजन में राजस्थान बहुत पीछे है । आपका स्टेटमेंट फाल्स है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): गलत नहीं है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपका स्टेटमेंट फाल्स है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं उसकी प्रति सदन के पटल पर रख रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक लाख पांच हजार शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान में 31 मार्च तक भर्ती करने थे, आपका स्टेटमेंट फाल्स है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं सदन के पटल पर कापी रख रहा हूं पाँच चीजों में राजस्थान पहले नंबर पर आया है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने राजस्थान को फिसड्डी बनाया है, पीछे धकेला है । आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है । छत्तीसगढ़ आपसे आगे है, उत्तर प्रदेश आपसे आगे है, मध्य प्रदेश आपसे आगे है । (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय घनश्याम तिवाड़ीजी आप नया इंडिया टु डे पढ़ लेना राजस्थान का एलीमैंट्री एजुकेशन में रैंक 17 हो गया है, 2003 से पीछे हो गया है लेटेस्ट इंडिया टु डे पढ़ लेना । उत्तर प्रदेश ज्यादा आगे बढ़ा है राजस्थान पीछे हुआ है । आप सदन को वह बात बतायें कि एलीमेंट्री एजुकेशन में राजस्थान 207 में एक पायदान पीछे आया है । यह रिकार्ड है लेटेस्ट इंडिया टु डे का ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार का विज्ञापन प्रधान मंत्री और माननीय अर्जुन सिंहजी की फोटों के साथ मैं सदन के पटल पर रखूंगा जो इस बात को क्लियर कर देगा कि राजस्थान को पांच चीजों में भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ बताया है । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बात बताइए 31 मार्च, 07 तक आपको एक लाख पाँच हजार शिक्षक भर्ती करने थे कि नहीं और आपने कितने भर्ती किये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बता रहा हूं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने दूसरी एक्टिविटी में कोई प्राप्त किया उसका क्या मतलब हुआ । राजस्थान के बेरोजगारों के साथ इस सरकार ने धोखा किया है, धोखा किया है आपने ।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): सबसे बड़ा धोखा तो आपने किया है चार साल पहले । आपने जनता के साथ किया क्या वह दिखता नहीं है क्या । आपने शिक्षा में एक अध्यापक भी दिया क्या । सोनिया को राज़ी करने के लिये राजीव गांधी पाठशालाएं, शिक्षा का सत्यानाश कर के छोड़ा आपने । एक अध्यापक को नियुक्ति दी क्या ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): राजस्थान में जितने सरकारी स्कूल खोले उनमें प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खोले गये उनमें हमको जितने पाद भारत सरकार ने स्वीकृत किये वह 33 हजार की भर्ती के बाद जितने पद स्वीकृत हुए हैं वह सारे पद भर लिये गये हैं एक भी पद की कमी नहीं है यह मैं सदन के पटल पर खड़े होकर कह रहा हूं ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने कितने स्वीकृत किये, राजस्थान सरकार ने!

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सैकंडरी एजुकेशन में हमें 15 हजार अध्यापकों की कमी है और 15 हजार के लिये हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग को जो अभ्यर्थना भेजी है उसमें पिछले दिनों में 1700 से अधिक व्याख्याताओं का चयन हुआ और चयन होने के बाद लास्ट में अभी जो आप सब्जेक्ट टीचर की कह रहे थे केवल व्याख्याताओं को 9 जिलों में नियुक्ति के मैंने आदेश दिये बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर, सिरोही में और उनकी नियुक्ति हो गई । फिर भी अभी 15 हजार टीचर की कमी है । उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार हमने कोशिश करके सारे डीईओ के पद भर दिये, सारे प्रधानाचार्य के पद भर दिये, सारे प्रधानाध्यापकों के पद भरे और अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 16 हजार व्याख्याताओं और सीनियर टीचर को और सैकिण्ड ग्रेड के स्थान पर विद्यार्थी मित्र लगाने की स्वीकृति हमने जारी कर दी है । 9 हजार उसमें से लग गये और इस महीने के अंत तक 15 हजार पद भर दिये जायेंगे । इसके लिये मैंने जिला कलक्टरों को अधिकृत किया है जिसके आधार पर यह लगेंगे कि जहां भी यह कमी हो उसको पूरा करो ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं साढ़े 12 हजार पद जो इस बार हमको सैकंडरी के लिये स्वीकृत हुए हैं उन पदों की भी भर्ती की अभ्यर्थना हम वहां भेज रहे हैं और तब तक मार्च तक विद्यार्थी मित्र रहेंगे ।

मुझे दुःख है कि राजस्थान के 1200 से ज्यादा विद्यालयों में इस बार अध्यापकों की कमी के कारण से सांकेतिक रूप से स्कूल भी बंद रही, हड़ताल भी रही और सारों को शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत दुरस्त कर लिया गया है। आज जो एकल अध्यापकों की स्कूल थी, राजस्थान में ऐसी सौ से ऊपर स्कूल हैं जहां पर आज भी समस्या है, उसका हम समाधान कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बड़ी बात आज उठी है वह भी मैं आपको बता देता हूं। स्थानान्तरण के बारे में, सैकण्डरी एजुकेशन में 8800 स्थानान्तरण हुए हैं। 8800 स्थानान्तरण में 4000 प्रमोशन पर प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के प्रमोशन पर हुए हैं और केवल 651 लोगों के स्थानान्तरण के लिए टीएडीए दिया गया है। एलीमैंट्री एजुकेशन में जो स्थानान्तरण हुए हैं उनमें यह शर्त लगी हुई है एक एकल टीचर है तो खाली नहीं होंगे, आठ प्रतिबंध जिले हैं तो स्थानान्तरण नहीं माने जाएंगे।

बहुत माननीय सदस्यों की मांग थी कि विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला और विकलांग जिनको उनका खुद का जिला नहीं मिला है उनका जिला मिल जाए। हमने भारत सरकार को लिखा कि हम एसएसए के अन्तर्गत जो स्वीकृत पद हैं उन पदों का आपस में समायोजन करना चाहते हैं, हमको स्वीकृति मिली है। माननीय मंत्रीजी इसका काम, कार्यवाही देख रहे हैं लेकिन बात मैं आपको आग्रह कर रहा हूं बहुत हाथ जोड़कर, राजनीति में आप भी है, राजनीति में हम भी है, हो सकता है कि कोई किसी काम के लिए हो लेकिन हम कोई मिशन के लिए हैं, सैद्धांतिक मतभेद आपसे हमारा है और आपका भी हमारे से हैं, रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन अगर आप एक अध्यापक के, स्थानान्तरण व पैसे की बात करते हैं (व्यवधान) सुन लें, आप यहां करें, लांछित नहीं करें। यहां करने से लांछित, आप बताइये, मैं शिक्षा मंत्री हूं एलीमेंट्री का काम उनके पास है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक भी शिकायत अगर सही मिली, मुझे जो कुछ करना है, मैंने बहुत कुछ लोगों को,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कार्यवाही भी की है, दो डीओज को सस्पेंड भी किया है और उनके सारे स्थानान्तरण निरस्त भी किये हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने जिनके खिलाफ एसीडी के मुकदमें हैं उनको, सिरोही में तीन जनों को बहाल किया है। (व्यवधान) किस मुंह से बात कर रहे हैं। प्रोढ़ शिक्षा अधिकारी (व्यवधान) एसीडी का मुकदमा दर्ज है उनको बहाल किया है आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सारी शिक्षा के बारे में, सारी स्थिति मैंने आपके सामने रख दी। सैकण्डरी और प्राइमरी सभी में एक तारीख तक (व्यवधान) कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा । पढ़ाई ठीक चलेगी। जो भी आरोप होगा उसकी जांच की जाएगी और मैं धन्यवाद दूंगा देवनानीजी को भी (व्यवधान) कि उन्होंने बहुत सावधानी से स्थानान्तरण करके सारा काम किया, बहुत-बहुत धन्यवाद चर्चा समाप्त ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय घनश्याम तिवाड़ीजी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिश्वत खाई है (व्यवधान) लोगों का पैसा लिया है, उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करना चाहेंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नोन प्लान के कितने पद खाली हुए है? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लोगों से रिश्वत ली है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नोन प्लान के कितने पद खाली है ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने.... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप यह बताइये कि नोन प्लान के.... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नेताओं ने लोगों से, भारी भ्रष्टाचार में पैसे लिये अध्यापकों को....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, नोन प्लान के फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड ग्रेड के कितने पद खाली हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपने प्लान के पद तो बता दिये, यह बताइये कि नोन प्लान के कितने पद खाली हैं फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड ग्रेड के।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको कह दिया (व्यवधान) इस पर आगे चर्चा नहीं होगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय मंत्रीजी, नोन प्लान के कितने पद खाली हैं वह बताइये आप, नोन प्लान में फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड ग्रेड के कितने पद खाली हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, शिक्षा मंत्रीजी का जवाब आ चुका है और अब कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूरी स्कूल खाली पड़ी हुई है और बीकानेर कलेक्ट्रेट.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया की नहीं....(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अभी सी प्लान के खाली पड़े हुए है, मंत्रीजी बताइये, यह तो अलग है। तीस हजार पद नोन प्लान के, एलीमेंट्री एजुकेशन के पन्द्रह हजार, पन्द्रह हजार पड़े हुए हैं आपके सैकण्डरी एजुकेशन के तीस हजार नोन प्लान के खाली पड़े हुए हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप भाषण दे रहे हैं आपने एक अप्रैल, 2005 से शिक्षकों को...(व्यवधान) भारत सरकार पूरा पैसा दे रही है और एलीमेंट्री शिक्षा में 2005 में...(व्यवधान) सभी पद खाली हैं नोन प्लान के।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): स्कूलें खाली पड़ी हैं (व्यवधान) 1264 एक्सेस बैठे हैं उसके बावजूद भी गांव में एक भी टीचर नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) पहले बात सुनिये।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): गांव की पूरी स्कूल खाली पड़ी है। (व्यवधान) एक्सेस बैठे हैं क्या मंत्रीजी उनको गांव में लगाने की इच्छा रखते हैं, रखते हैं तो बताइये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार वाली कमेटी तो बनावे। भ्रष्टाचार की जांच की कमेटी बनवा दोगे..(व्यवधान) जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं राजस्थान में उसकी कमेटी तो बनवाओ। सभी डिपार्टमेंट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य..

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): गृह मंत्रीजी, कहो ना जिस एमएलए ने गड़बड़ की, मंत्री ने गड़बड़ की...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे गांव की स्कूल खाली पड़ी है और गांव में स्कूलों के ताले लगे हुए हैं (व्यवधान) स्कूलों में धरना दे रहे हैं..

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवनानीजी ने कहा....

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): स्कूल में धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक टीचर नहीं लगाए, पूरे गांव की स्कूलें खाली पड़ी हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तथ्य लाइये। वह तथ्य लाइये जिनकी जांच करवानी है, वह तथ्य तो बताइये। (व्यवधान) वह तथ्य तो लाइये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हम तो दावे के साथ कहते हैं (व्यवधान) अगर कोई एमएलए भ्रष्टाचार में लिप्त मिले, कोई मंत्री मिले उनका इस्तीफा स्वयं लें (व्यवधान) मैं दावा करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान) पूरा जवाब आ चुका है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: पूरा जवाब आ गया।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: क्या पूछना चाहते हो, आपको दो मिनिट का समय दिया तब दस मिनिट का, आपने आधा घंटा लगा दिया।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा आप कहिये।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने कहा कि तीन अध्यापक आये इस स्कूल के लिए बोला था, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वह अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर आये हैं या उन्होंने स्थाई आदेश इस स्कूल के लिए किये, अभी भी प्रतिनियुक्ति पर हैं और बैन खुलते ही वापस उनका हो जाएगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां घोडी तेजपुर और मेरे खेडाबरलीपाला की सैकण्डरी स्कूल में अध्यापक नहीं आये तो मैं मार्च में विधान सभा में आदिवासी होने के नाते, आदिवासियों के साथ में राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है, मैं अर्द्धनग्न अवस्था में यहां सदन में आऊंगा। यह हमारे साथ में खिलवाड़ कर रही हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी मुझे बताइये कि प्रतिनियुक्ति पर किये या कैसे किये।

श्री उपाध्यक्ष: आपको बताने की...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मुझे बताइये।

श्री उपाध्यक्ष: बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा मूल अधिकार शिक्षा का है और उसमें भी सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, हम कैसे बर्दाश्त करें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): चार अध्यापकों में से ...(व्यवधान) पिछले चार अध्यापक थे वहां से तीन हटा लिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): आज एक भी अध्यापक नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसी महीने में आपके हो जाएंगे। आपको कपड़े पहने देखकर ही डर लगता है, आप नग्न हो जाएंगे तो ज्यादा डर लगेगा, डराओ मत, आप तो बैठ जाओ, बिराजिए। (व्यवधान) कर दूंगा, बैठ जाइये। कर देंगे, बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): मेरा तात्पर्य है गांधीजी की वेशभूषा में आऊंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

कोई अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): ×××

प्रकिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख, डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती। श्रीडूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है। प्रक्रिया के नियम 295, मैंने डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती का नाम पुकार लिया है।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया आपको कर देंगे। डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती।

अजमेर के जलदाय उपभोक्ताओं पर थोपे गये दोषपूर्ण डिजिटल मीटर

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख बाबत निवेदन है कि राजस्थान की जनता पर सरकार एक के बाद एक जुल्म ढाती जा रही है। पहले तो वादा खिलाफी कर हाउस टैक्स के स्थान पर नगरीय विकास कर लगाया और अब पानी पर सरचार्ज बढ़ाकर तो नमक टैक्स की याद ताजा कर दी। पानी पर बढ़े दामों की दोहरी मार जनता को झेलनी पड़ेगी और परिणाम स्वरूप जनता के पास सिवा पेट काटने के कोई चारा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस जजिया कर को वापस लें और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार की बदनियती इससे साफ झलकती है कि जो डिजिटल मीटर पानी की रीडिंग के लिये उपभोक्ता पर थोपे जा रहे हैं वो तो सरासर धोखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मीटर मैं सदन को दिखाना चाहता हूं कि फूंक से चल रहे मीटर की रीडिंग क्या होगी और सरकार जनता की जेब कहां तक काटेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पानी सप्लाई चालू होने से पहले 10-15 मिनट तक केवल हवा ही आती है पानी बाद में आता है। 15 मिनट की हवा और मीटर की गति उपभोक्ता की कमर तोड़ने को पर्याप्त है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पानी की बढ़ी दरें वापस ले और डिजिटल मीटर थोपने की कार्यवाही को रोकने के आदेश दे क्योंकि चीफ इंजीनियर के स्पष्ट आदेश हैं सख्ती से मीटर बदलने के। उपाध्यक्ष महोदय, हमने अजमेर में जो प्रदर्शन किये थे।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में कमेण्ट्री नहीं, बीच में कामेण्ट्री नहीं, आप पूरा पढ़ दीजिये, कामेण्ट्री नहीं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): कामेण्ट्री नहीं है, जनता दु:ख पा रही है। माननीय मंत्री महोदय, जनता की जेब कटती है तो पता पड़ता है। किसान को दूध के भाव बढ़ाने के लिये तो धरना देना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष: यह बात इसमें लिखी हुई नहीं है, माननीय सदस्य। आप लिखा हुआ पढ़ें, जुबानी नहीं, पूरा पढ़िये आप।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): यह देखिये, यह मीटर इसको पूरा चला कर देख लीजिये। यह फूंक से चलता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं कहना चाहते हैं? श्री भरतसिंह, श्री भरतसिंह। इसमें जो लिखा हुआ है, वह पढ़िये आप।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाह रहा हूं कि पानी की सप्लाई अजमेर में 3 से 5 दिन में होती है और सरकार सिर्फ हवा से मीटर चलाकर पैसे वसूलना चाहती है। ...

श्री उपाध्यक्ष: यह लिखा हुआ नहीं है, यह अंकित नहीं होगा। श्री भरतसिंह।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं यह मीटर टेबल करता हूं, इसकी आप जांच करायें।

(माननीय सदस्य डा. श्रीगोपाल बाहेती द्वारा पानी का एक मीटर टेबल किया गया)

श्री उपाध्यक्ष: श्री भरतसिंह।

प्रदेश में सतही जल का पूर्ण उपयोग करने हेतु लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य आरम्भ करने के संबंध में

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान देश के सर्वाधिक शुष्क प्रदेशों में से एक है। प्रदेश में सतही जल की कुल उपलब्धता 33.94 बिलियन क्यूबिक मीटर है। यह देश में उपलब्ध कुल सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। प्रदेश में सतही जल मुख्य रूप से दक्षिण व दक्षिण पूर्व के जिलों में ही सीमित है। कोटा जिला भी इसी भू-भाग में आता है। विडम्बना यह है कि आजादी के छह दशक बाद भी हम प्रदेश में उपलब्ध कुल सतही जल 33.94 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी में से मात्र 16.05 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का ही उपयोग कर सके हैं। आधे से अधिक वर्षा जल आज भी राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में से व्यर्थ बहकर जा रहा है। देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रदेश में उपलब्ध सतही जल का उपयोग मात्र 16.05 बिलियन क्यूबिक मीटर है जो कि अन्तरराज्यीय संसाधनों से प्रदेश को प्राप्त 17.89 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी से भी कम है। यह भी विचारणीय है कि हम प्रदेश के बाहर रावी व व्यास नदी के 0.60 एमएएफ पानी की मांग पंजाब से करते हैं, वहीं प्रदेश में उपलब्ध सतही जल के उपयोग के प्रति उदासीन बने हुए हैं। दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। सतही जल का उपयोग नहीं करके इस सम्भाग की जनता को भू-जल दोहन करने पर बाध्य कर रहे हैं।

(श्री भरत सिंह)

कोटा जिले की दीगोद विधान सभा में गत साढ़े तीन सालों में सांगोद तहसील की प्रमुख नदियों कालीसिंध व परवन पर जिला परिषद कोटा में लगातार मांग करने के बाद भी जल संसाधन विभाग ने एक भी नवीन एनीकट का निर्माण नहीं करवाया है। वर्ष 2001 में स्वीकृत लघु सिंचाई परियोजना दांता, आंवा, किशोरपुरा एवं लाडपुरा का कार्य आज तक आरम्भ नहीं किया गया है। सरकार जल चेतना अभियान चलाने का गुणगान तो करती है मगर जल संरक्षण के कार्य स्वीकृत नहीं करके भू-जल दोहन को बढ़ावा दे रही है। सरकार को चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर एनीकटों व लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य तत्काल आरम्भ करवाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री सी.डी. देवल।

झाला की चौकी (राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 14) पर सड़क के मध्य चबूतरे का निर्माण

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 14 पर गांव झाला की चौकी आया हुआ है। इस झाला की चौकी से कलालिया के लिये एक डामर की सड़क बनी हुई है। जहां मगरा क्षेत्र के लोगों के लिए एक मात्र आवागमन का साधन है। राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 14 से कलालिया जाने वाली इस सड़क के बीच में कुछ लोगों ने एक चबूतरे का निर्माण करवा दिया है। यह चबूतरा लगभग 6 फीट ऊंचा है और तीन फीट चौड़ा है और इससे आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। जब ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया तो पूर्व सरपंच ने बर न्यायालय में स्थगन आदेश के लिए प्रार्थना-पत्र दिया, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई भी चबूतरा या मूर्ति की स्थापना बिना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अनुमति के कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है और यदि राज्य सरकार की कोई सड़क है तो भी उस पर राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। लेकिन झाला की चौकी में सड़क के बीच बनाये गये इस चबूतरे के निर्माण की किसी भी स्तर से कहीं से भी कोई अनुमति नहीं ली गई है। सारे नियम कानून ताक में रख दिये गये हैं। इस मामले को माननीय मुख्य मंत्रीजी और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी के भी ध्यान में लाया गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस नियम विरुद्ध बने चबूतरे को बनने देने के लिये जो

(श्री सी.डी. देवल)

अधिकारी दोषी हैं तथा इस चबूतरे को न हटाने के लिये जो अधिकारी दोषी हैं, उनके विरुद्ध भी आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये इस चबूतरे को तुरन्त हटवाया जाये तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने भी इसको देखा है और अगर आप यह नहीं करेंगे, घोषणा नहीं करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): तो मुझे विवश होकर के वेल के अन्दर भूख-हड़ताल पर बैठना पड़ेगा जिसके लिये मैं जा रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, आने दें, आने दें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): या तो मंत्रीजी इसकी घोषणा करें और नहीं तो मुझे विवश होकर यहां भूख-हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप यह बतायें कि आखिर मुख्य मंत्रीजी सुनती नहीं, मंत्रीजी सुनते नहीं हैं। मंत्रीजी खुद देखकर आये हैं। फिर भी नियम-कायदों के विपरीत काम हो रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो सिवाय यहां पर आमरण अनशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है इसलिए मैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह अगर चबूतरा अवैधानिक मानती है सरकार, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यहां पर विराजे हुए हैं, हंसने से काम नहीं चलेगा। सही मानते हो तो कह दो नहीं हटेगा, गलत मानते हैं तो आप कहो कि हम हटाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आएगा इस पर।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप बोलते क्यों नहीं इस पर ?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कुछ तो कहिये मंत्रीजी, जवाब आएगा जब आएगा, अभी कुछ तो कहिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उस चबूतरे पर आपकी मूर्ति लगाएंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कुछ तो बोलिये न आप। आप बोलना क्यों नहीं चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि नेशनल हाइवे पर, स्टेट हाइवे

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पर, आम रोड पर अगर कोई अपने मन से अतिक्रमण करेगा और सार्वजनिक निर्माण मंत्री चुप-चाप बैठा रहेगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जवाब दें कि अगर यह अवैधानिक है। आप कह दें अवैधानिक नहीं है, अवैधानिक नहीं है तो बात खतम और आप अवैधानिक मानते हो तो हटा दीजिए। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हटा दीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): विभाग अवैधानिक मानता है तो उस अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है, आपको बोलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): या आप कह दें कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क के बीच में नहीं है। आप यह भी कह दें इस सदन में तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आ जाएगा इस पर।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर इस सदन के अलावा और कहां जाएं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बोलो न।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय मंत्रीजी, कुछ तो कहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा है, वे उठ रहे थे, बोल रहे थे। माइक दबा दिया और अगर राजनीतिक दबाव से इस पर वक्तव्य देने के लिए अगर उनको बाध्य किया जाए ... (व्यवधान) नहीं तो आप बोलिये न। आपने माइक तैयार कर लिया, आप खड़े हो रहे थे। अब आप चुप-चाप क्यों बैठ रहे हो? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): या तो आप कह दीजिए कि ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसका मतलब यह है कि यह सारे नेशनल हाईवे पर उस स्थान पर जो अतिक्रमण है उसको करवाने में आपकी शह है। आपको जवाब देना चाहिए। गलत है, सही है तो ... (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): इस हाइवे पर कोई ... (व्यवधान)

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

माननीय एम.एल.ए. साहब, यह 295 का जवाब नहीं दिया जाता। पढ़ा हुआ माना जाता है। पहले बोलते नहीं है। आप सबकी सुनिये तो सही, 295 में कभी किसी मंत्री ने जवाब दिया है क्या? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम उनकी माइक का बटन दबाने नहीं गये, मैडम। उनकी माइक का बटन दबाने के लिए हम नहीं गये हैं वहां पर। उन्होंने खुद ने दबाया है बोलने के लिए। अब भी लाइट जल रही है, देख लो आप। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): वह तो दब गया होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग में झाला की चौकी के पास जिस अवैध निर्माण की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं वह बिलकुल साइड में बना हुआ है और कुछ लोगों का वहां आस्था का केन्द्र है। वहां पर यह रावत समाज के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का, यह आदमी है। पहले वहां पर बड़ी दुर्घटनाएं हुआ करती थीं। गांव में किंवदंतियां चलती हैं कई बार, फिर भी यातायात की दृष्टि से अगर कोई बाधक होगा तो दिखवा कर उसको और मेरे अधिकारियों को भेजकर उसको किस तरह आपकी भावना के अनुसार, अगर वह यातायात में बाधक है तो निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): धन्यवाद।

मूंग की फसल नष्ट होने व विभाग द्वारा समय पर बीज उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मूंग की फसल नष्ट होने व विभाग द्वारा समय पर बीज उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, राजगढ़ (चूरू) में मूंग की फसल बिलकुल बरबाद हो चुकी है। मूंग के सारे पत्ते पीले हो गये हैं। जिनके कारण मूंग की फली नहीं लगी, जिसमें कोई रोग लगा है। जिसके कारण फली नहीं आयी। काश्तकार ने उच्च किस्म का बीज खरीद कर बोया लेकिन उत्पादन नहीं हो सका। जिसके कारण काश्तकार को काफी नुकसान उठाना पडा है। कृषि विभाग द्वारा मूंग की फसल

(श्री नन्दलाल पूनिया)

के उपचार हेतु कोई दवा आदि का प्रबन्ध नहीं किया गया। पता नहीं कृषि विभाग का कार्य क्या है? न तो समय पर कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराता है, न ही समय पर उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। विभाग द्वारा बहुत कम मात्रा में बीज का प्रबन्ध किया जाता है वह भी काश्तकार के बिजाई करने के बाद उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा समय पर एवं मांग के अनुसार बीज उपलब्ध न कराये जाने पर काश्तकारों को मजबूरन बाजार से बीज की दुकानों से बीज खरीदना पड़ता है। जो उन्नत किस्म का न होकर घटिया किस्म का होता है, जो उगता ही नहीं है। यदि उग जाता है तो फली नहीं आती। जिसके कारण काश्तकार ठगा जाता है। विभाग द्वारा बीज की दुकानों पर उन्नत किस्म का बीज है या घटिया बीज है, कभी भी निरीक्षण नहीं किया जाता। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि समय पर काश्तकार को उन्नत किस्म का बीज मिले इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं फसल को रोग लग जाए तो कीटनाशक दवाएं समय पर उपलब्ध करायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): बीज वाला यह गम्भीर मुद्दा है। यह गम्भीर मसला है। मंत्रीजी विराजमान हैं, कुछ तो जवाब दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पता करके जवाब देंगे।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): अभी मूंग की फसल बहुत अधिक मात्रा में है। बहुत अधिक मात्रा में मूंग बोया जाता है और पूरा का पूरा नकली बीज मिला है अबकी। यह एक नहीं पूरे राजस्थान की समस्या है, किसानों के लिए। यह नकली बीज बंद करने में माननीय मंत्रीजी अपने विभाग को सक्रिय करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह मालूम करके देंगे।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): और लोगों को अच्छा बीज दिलायें तो लोगों का भला होगा। काश्तकार लुट गया है अबकी बार।

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्षजी के क्षेत्र में भी है यह तो। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): मेरे क्षेत्र में भी मूंग नकली बिक रहा

(श्री नन्दलाल पूनिया)

है। काफी मात्रा में मूंग बोया लोगों ने लेकिन वह बीज नकली है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्षजी के यहां भी हुआ है यह तो।

श्री उपाध्यक्ष: पता करेंगे। वे देंगे जवाब। देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरे जिले के मंत्री हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): नहीं-नहीं, मैं राजनीतिक दृष्टि से कोई बात नहीं कह रहा हूं। जो सच्चाई है वह बात कह रहा हूं। माननीय सदस्य जो मुद्दा सदन के सामने लाये हैं वह गम्भीर मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप सिफारिश करेंगे तो वे नहीं मानेंगे, आप तो चुप-चाप बैठे रहो।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): मेरी सिफारिश सब मानते हैं। वह अभी कह देंगे। मंत्रीजी अभी कह देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आन्तरिक चीज हम जानते हैं। सार्वजनिक भी है यह बात। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह तो वास्तविक स्थिति बता रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): मंत्रीजी कह दें अगर मेरी सिफारिश नहीं मानें तो ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सब जानते हैं, मंत्रीजी जानते हैं। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बतायें कि वह जो नकली बीज बेचा है उनके खिलाफ कुछ करेंगे या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: पता करके बताएंगे।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अगली बार फिर यह बात दोहरायी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: पता कर लेंगे।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय मंत्रीजी, कितने ऐसे नकली बीजधारकों को आपने पकड़वाया है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कई जगह हुआ है, पता करके करेंगे। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): एक को भी नहीं पकड़ा है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): साहब, पूरे राजस्थान में करोड़ों रुपये का लोगों ने जो बीज खरीदा है, बाजरे का नकली मिला है, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जांच करवा लेंगे यह। ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ग्वार का बीज नकली मिला है, मूंग का, मोठ का, बताइये आप, इतना बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: वह जांच कराएंगे, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान में नकली बीज है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): मंत्रीजी बोल ही नहीं रहे हैं। इतने विद्वान मंत्री हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान में नकली बीज है ही नहीं, बोलें क्या? (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): बाजरे का बीज तो अपन तैयार कर ही नहीं रहे हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): राजस्थान के कृषि मंत्री किसानों के हितैषी हैं इसलिए मैंने बात कही है। मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की। जो किसान की पीड़ा है वह व्यक्त की है।

एक माननीय सदस्य: यह तो किसान ही हैं खुद भी। (व्यवधान)

हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के किसानों को कृषि भूमि आबंटन करने के संबंध में

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत काफी भूमि सिवायचक पड़ी हुई है। अभी-अभी राज्य सरकार ने क्रमांक प.19(73) उप/2005, दिनांक 6.1.2007 के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित सिंचित से असिंचित में घोषित सिवायचक कृषि भूमि जो लगभग चालीस हजार बीघा के आसपास है और जिस पर किसानों का कब्जा है उन्हें लगातार भूमि से बेदखल किया जा रहा है तथा सजाएं भुगत रहे हैं। इस प्रकार की लगभग चालीस हजार बीघा भूमि है। इसी प्रकार से लगभग आठ-नौ हजार बीघा कृषि भूमि

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जिन पर किसानों का कब्जा है और वर्षो से खेती करते चले आ रहे हैं लेकिन उनकी किस्म खाल, दरड़ा, बरड़ा, पठार आदि दर्ज होने से आबंटित नहीं हो सकती थी। इस भूमि का किस्म परिवर्तन करने का अधिकार भी आबंटन समिति को आदेश क्रमांक प.6(44)राज-6/01/9 जयपुर, दिनांक 7.4.2007 से प्राप्त हो चुका है लेकिन लगातार प्रयासों के बावजूद भी भू-आबंटन का कार्यक्रम हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। इस कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसी प्रकार इस क्षेत्र के जो लीज हाल्डर किसान थे उनको भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं और उनसे सिंचित क्षेत्र की वर्तमान दर वसूल करने का निर्णय कर रखा है जो अनुचित है। मनमाने ढंग से अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों की कृषि भूमि का समर्पण करवाया जा रहा है और अनुचित तरीके से समर्पण स्वीकार किये जा रहे हैं। इस विधान सभा क्षेत्र के किसानों से धारा 91-भू- राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करते समय अवैधानिक रूप से फसल कटने के बाद फसल की कीमत आंककर अवैधानिक रूप से किसानों से राशि वसूल की जा रही है। जो भूमि कमांड घोषित होने से पूर्व आबंटित कर दी गयी थी और अब कमांड क्षेत्र घोषित में आने के कारण उनसे भी अवैधानिक पैसा वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। वर्षो पूर्व सिंचित क्षेत्र के पटवारियों के पद समाप्त करने के बाद राजस्व की वसूली नहीं होने के कारण अब उनसे अवैधानिक रूप से ब्याज मांगा जा रहा है। विभागीय स्तर पर सैकड़ों नामांकन की पत्रावलियां पड़ी हुई हैं जिनका निस्तारण नहीं हो रहा है। किसानों के पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्रों पर तत्काल कार्यवाही नहीं होती है जिसके कारण विवादों में बढ़ोतरी हुई है। राजस्व विभाग के नक्शे अनेक गांवों के फट चुके हैं उनके स्थान पर नये नक्शे सर्किल मे उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं। ग्राम दबलाना में भूमि का पुन: सेटलमैंट करवाया जाना आवश्यक है क्योंकि वहां पर पूर्व में किया गया सेटलमैंट वास्तविकता से परे है।

इस प्रकार किसानों को हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन देने के पश्चात् भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और किसान इस कारण से आन्दोलन करने को बाध्य है।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से किसानों की इन समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रभावी निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसरदेव बाबर।

सूचना

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की शिक्षिकाओं का आमरण अनशन

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, पांइट आफ इन्फोर्मेशन। अजमेर में तीन दिन से अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की 51 महिला शिक्षिकाएं आमरण अनशन पर हैं और सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे वार्ता करने नहीं गया। न उनके एड की बात, न उनकी तनख्वाह की बात और बड़े शर्म की बात है कि 51 महिला शिक्षिकाएं आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं अजमेर में कलेक्ट्रेट के बाहर। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि अपने प्रतिनिधि को भेजकर उनसे वार्ता करें और आप देखिये, आज के अख़बार में शिक्षिकाओं की तबीयत बिगड़ने की खबर आई है। इससे वहां पूरा माहौल अस्त-व्यस्त हो गया और स्थिति खराब हो गई। तेज गर्मी का मौसम है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को आप निर्देश दें कि सरकार अपना प्रतिनिधि वहां भेजे, उनसे वार्ता करे और उनके अनुदान को चालू करवाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्रीजी से मिलकर समय दिला दें, बात करेंगे। मंत्रीजी से मिलकर बात कर लें। श्री केसरदेव बाबर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

आयुर्वेद नर्स-कम्पाउण्डर के पदों पर संविदा के आधार पर की जा रही नियुक्तियों के संबंध में

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिये धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयुर्वेद नर्स-कम्पाउण्डर के पदों पर संविदा के आधार पर की जा रही नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष करने हेतु राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डरों

(श्री केसरदेव बाबर)

के पदों पर संविदा पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टरों/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इन पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 15.9.2007 को विज्ञप्ति जारी की गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित की गई है।

अभी हाल ही में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में नर्स व कम्पाउण्डरों की जो भर्ती की जा रही है उसमें अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों, आरएएस व अन्य भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। चूंकि आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डरों की भी काफी वर्षों से भर्ती नहीं की गई है इसलिए इन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं देकर इनके साथ भेदभाव बरता गया है। गत कई वर्षों से भर्ती नहीं होने से अनेक बेरोजगार अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं। यदि उन्हें भर्ती का अवसर नहीं मिला तो यह उनके साथ अन्याय होगा। दिनांक 15.09.2007 को ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयुर्वेद/होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सकों को भी संविदा के आधार पर नियुक्ति देने की विज्ञप्ति निकाली गई है जिसमें भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद नर्स-कम्पाउण्डरों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष कर बेरोजगारों को राहत पहुंचायें।

श्री रामनारायण मीणा : (व्यवधान).. उसकी घोषणा हुई कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में अब दूसरा मुद्दा नहीं।

श्री रामनारायण मीणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा आम मसला है। सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खतम हो। राजस्व मंत्रीजी चाह रहे हैं नाम की घोषणा हुई कि नहीं हुई। भ्रष्टाचार के मामले में कमेटी का गठन हुआ कि नहीं। संस्कारित लोगों, अपने आपको पाप में मत डुबाओ।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (संकेत से मना किया)

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री जीवाराम चौधरी:×××

श्री रामनारायण मीणा:×××

श्री जीवाराम चौधरी:×××

श्री रामनारायण चौधरी: ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं, कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री कालूलाल गुर्जर: ×××

श्री जीवाराम चौधरी: ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़: ×××

श्री रामनारायण चौधरी: ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री कालूलाल गुर्जर: ×××

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री कालूलाल गुर्जर: ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीलाल खटीक।

जयपुर नगर निगम की हिंगोनिया स्थित गौशाला में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं के संबंध में

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष प्रस्ताव के जरिये मैं नगर निगम, जयपुर की हिंगोनिया स्थित गौशाला में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं में सुधार के लिए निम्नांकित सुझाव देते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन करता हूं:-

1. हिंगोनिया गौशाला में व्याप्त अनियमितताओं व अव्यवस्थाओं से प्रतिदिन 20 से 120 गौवंश दम तोड़ देता है। अधिकांश गौवंश के शव रात्रि में ही उठाये जाते हैं ताकि दिन में ज्यादा मृतक नजर ना आयें। इस संबंध में ठेकेदार द्वारा मृत गौवंश की संख्या की पुष्टि क्यों नहीं की जाती, ये पुष्टि होनी चाहिये।

(श्री बंशीलाल खटीक)

2. सफाई के वक्त बाहर निकालने से सभी श्रेणी के गौवंश मिल जाते हैं तथा कई गायें जंगल में भूखी-प्यासी भटकती रहती हैं तथा भूखी-प्यासी बेबस गौवंश जंगल के खड्ढों में गिर जाती हैं और वहां जिन्दा ही जंगली कुत्तों का शिकार बन जाती हैं। गौवंश को हांककर वापिस गौशाला में लाने हेतु मजदूरों को पाबन्द किया जाये।

3. गौशाला में 45 हजार गायें रहती हैं, लेकिन भूसे की खरीद 7000 गायों के लिए की जाती रही है। प्रत्येक गाय को 5 किलो चारा दिया जाना बताया जाता है जबकि एक गाय 2 किलो भूसा भी नहीं खा पाती, क्योंकि चारे की खेलियां सिर्फ एक बार, वह भी आधी भरी जाती हैं। उनमें भी नीचे पिछले दिनों के डंठल भरे रहते हैं सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से चारे की खेलियों की सफाई कराई जाये और खेलियों में प्रतिदिनि चारा भरा जाये, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

4. गौशाला में पानी की खेलियां भी काई और कीड़ों से भरी रहती हैं। मौसम की मार से सिर छुपाने के लिए जगह तक नहीं है। सफाई के लिये 2 ट्रैक्टर और 25 मजदूर गौशाला में लगे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जगह-जगह कीचड़, गोबर और गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। फर्श पर सफाई दोनों समय नहीं होने से गायें फिसल कर गौवंश पानी की नालियों में गिरकर घंटों फंसी रहती हैं। अगर इन्हें निकाल भी लिया जाता है तो पैर उतर जाने से गायें चल नहीं पातीं। नालों के खुले मुंह से कुत्ते बाड़ों में घुस आते हैं और नालियों में गिरी जिन्दा गायों को मारकर खा जाते हैं। पानी के नालों के मुंह पर बड़ी जालियां लगवायें ताकि नालों से कुत्ते गौशाला में प्रवेश नहीं कर सकें।

5. चिकित्सक गौशाला में घायल व बीमार गौवंश की चिकित्सा परिचर्या नहीं करते हैं जिसके कारण घायल-बीमार भूखे-प्यासे गौवंश नुचते-कुचलते मौत के इन्तजार में दिन पूरे करते हैं। घायल व बीमार गौवंश की चिकित्सा नियमित कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, ताकि अकाल गौवंश मृत्यु का ग्रास न बने।

6. गौशाला में 2 जे.सी.बी. तथा 2 डम्पर स्थायी रूप से गौशाला में उपलब्ध कराये जायें ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम सेवाएं

(श्री बंशीलाल खटीक)

गौशाला में उपलब्ध हो सकें। बाड़ों में बार-बार मिट्टी डलवाते रहें ताकि बरसात में भयानक कीचड़ एवं पानी का जमाव ना हो तथा संक्रमण जनित रोगों से गौवंश सुरक्षित रहे।

7. गौशाला परिसर में क्लोज सर्किट कैमरा लगवाये जायें तथा 24 घण्टे बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जावे ताकि गौशाला में व्याप्त अकर्मण्य चिकित्सकों व मजदूरों की जबरदस्त लापरवाही व अनुशासनहीनता पर अंकुश लग सके।

8. गौशाला परिसर में रोगी पशु कक्ष की टूटी हुई जालियां एवं दरवाजों को शीघ्रातिशीघ्र ठीक करवाया जाये तथा जालियों की जगह सरिये लगवाये जायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री महोदय से गौवंश की रक्षा के लिये उपरोक्त सुधार शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने हेतु निवेदन करता हूं ताकि निरीह मूक गौवंश प्राणियों की रक्षा हो सके तथा उनको असहनीय पीड़ा से निजात मिल सके। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर।

करौली जिले के पांचना बांध से किसानों को लिफ्ट द्वारा पानी उपलब्ध कराने के संबंध में

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुवा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि करौली जिले के पांचना बांध के पानी से आसपास के दर्जनों गांव के किसानों ने कृषि की सिंचाई के लिये लिफ्ट योजना से पानी उपलब्ध कराने के लिए 2005 में किसानों ने आन्दोलन किया था तथा पानी नहीं खोलने की जिद पर अड़े रहे। मैं इस आन्दोलन को खतम कराने के लिए मौके पर गया और माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार बांध के आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को कृषि की सिंचाई के उपयोग हेतु पानी लिफ्ट द्वारा उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिये जाने पर आन्दोलन समाप्त कर दिया गया लेकिन आज तक इन्हें लिफ्ट द्वारा पानी उपलब्ध कराने की कोई कार्यवाही नहीं होने के

(श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर)

कारण इनके द्वारा वर्ष 2006 में भी आन्दोलन किया है तथा पानी नहीं खोलने दिया जिससे दूरदराज के किसानों को भारी नुकसान उठाना पडा जबकि इसकी तकनीकी जांच कर ली गयी है जिसमें लिफ्ट द्वारा पानी पहुंचाने के लिए उपयुक्त बताया है। उक्त बांध करौली जिले में निर्मित है जबकि पानी सवाईमाधोपुर के किसानों का दिया जा रहा है। इससे दोनों जिले के किसानों में पानी नहीं मिलने के कारण संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि पांचना गांव के आसपास के दर्जनों किसानों की जमीन बांध में गयी है इसलिए इनका बांध के पानी पर हक वाजिब है। अत: इन किसानों को लिफ्ट द्वारा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री भंवरू खान।

हरसावाबड़ा एवं ढांढण (फतेहपुर) के रा.उ.मा. विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में

श्री भंवरू खान (फतेहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में पूरी तहसील में एक विद्यालय रामगढ़ को छोड़ कर बाकी में विज्ञान संकाय नहीं है। बाकी पूरे ग्रामीण क्षेत्र एवं शहर में भी कोई विज्ञान संकाय नहीं है। मैं चाहूंगा कि फतेहपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसावाबड़ा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढण में विज्ञान संकाय खोली जाए, दोनों स्कूलों में विज्ञान संकाय खोली जाए। दोनों स्कूलों में विज्ञान संकाय के लैब एवं रूप एवं अन्य सामग्री भी मौजूद है। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढण में पिछले पांच वर्षों से विज्ञान संकाय विद्यालय विकास समिति द्वारा संचालित है जहां 50 छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें 20 लड़कियां एवं 30 छात्र हैं।

(श्री भंवरू खान)

गत सरकार द्वारा राजस्थान में दो विज्ञान संकाय स्वीकृत की थी। उसमें यह शर्त रखी गयी थी कि तीन वर्ष तक विज्ञान संकाय विद्यालय अपने खर्चे पर चलायेगी। आज पांच वर्ष से चल रहा है। मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इन दोनों विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मांगी लाल गरासिया। (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण मीणा।

बूंदी जिले के ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झोपड़ियां (ग्राम पंचायत खटकड़) का नाम राजस्व रिकार्ड में 'जावरा की झोपड़ियां' रखा जाने बाबत

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले के ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झोपड़ियां (ग्राम पंचायत खटकड़) का नाम राजस्व रिकार्ड में 'जावरा की झोपड़ियां' रखा जाने बाबत प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसील एवं जिला बूंदी के ग्राम हरिपुरा उर्फ जावरा की झोपड़ियां (ग्राम पंचायत खटखड़) का नाम प्रशासनिक सुविधा, जनहित एवं विकास कार्यों की दृष्टि से मात्र 'जावरा की झोपड़ियां' ही रखा जाना उचित है। इस ग्राम के नाम के साथ हरिपुरा जुड़े रहने से कई बार बूंदी तहसील के ही एक अन्य ग्राम हरिपुरा का आभास होने से कई बार प्रशासनिक दृष्टि से असुविधा होती है तथा जन-समस्या निराकरण एवं विकास कार्यों में अनावश्यक विलम्ब होता है। अत: उक्त ग्राम का नाम राजस्व रिकार्ड में केवल 'जावरा की झोपड़ियां' किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज की शुद्धि की जाने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रामचन्द्र जारोड़ा। (अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

रामसेतु पर चर्चा

श्री प्रभुलाल वर्मा।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राम सेतु पर चर्चा करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में वही विषय आना चाहिए जो राजस्थान से सम्बन्धित हो अन्यथा ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आप बैठिये। इनको किसने अलाऊ किया? आप तय करोगे क्या यह, यह अध्यक्षजी की व्यवस्था है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह आप तय करोगे क्या?

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): यह अध्यक्षजी ने निर्णय किया है कि मैं किस पर बोलना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राम सेतु का जहां तक सवाल है तो राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। (व्यवधान) इस पर चर्चा किसी भी समय कभी भी हो सकती है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): इसमें पूरी दुनिया आती है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह सेतु समुन्द्रम घोषित किया है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): भगवान राम, ईश्वर सत्य है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आप यह कहते हो राम पैदा नहीं हुए, आप यह कहते हो कि सीता का अपहरण नहीं हुआ ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपसे ज्यादा धार्मिक हूं, आपने ही तो बनायी थी ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। आपको सदन में खड़े हो करके माफी मांगनी चाहिए।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिए, मुझे बड़ी मुश्किल से समय मिला है।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): शर्म आनी चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपने घोषणा की, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो सदन में खड़े हो करके माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान) इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है शपथ पत्र के साथ हलफनामा दिया है और उसके बाद जब जनता ने विरोध किया और इनको वो शपथ पत्र वापस लेना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मनाक और लज्जाजनक बात नहीं हो सकती आप लोगों के लिए। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों, आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गयी, ऐसा हमें लगता है। (व्यवधान) मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों, आपकी बुद्धि को लानत है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): और यह महात्मा गांधीजी भी कह रहे हैं, 'हे राम', आपको तो माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान) माननीय मन मोहन सिंहजी जो प्रधानमंत्री हैं उनको माफी मांगनी चाहिए, माननीय सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। यह पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह ऐसा मुद्दा है जो हिन्दुस्तान के तत्कालीन प्रधनमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने योजना बनायी ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप बड़े अधार्मिक लोग हो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको राम सेतु से क्या लेना देना, आप राम सेतु को जानते नहीं, आप राम को जानते नहीं। केन्द्र सरकार ने एफेडेविट दिया है कि राम पैदा ही नहीं हुए, सीता का हरण ही नहीं हुआ। (व्यवधान) आपको जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): +++ हो, आपको क्या पता कि श्री राम सेतु की क्या महिमा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): किसने किया उस योजना को? अटल बिहारी वाजपेयी थे ...(व्यवधान) वोट लेने वालों ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): इस देश पर बहुत आक्रमण हुए हैं। (व्यवधान) बड़ा आक्रमण इस कांग्रेस ने किया है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): केन्द्रीय सरकार ने राम सेतु की योजना बनायी थी और राजस्थान का उससे क्या लेना देना है? राजस्थान से सम्बन्धित विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): देश पर बहुत आक्रमण हुए हैं, मुगलों ने, अंग्रेजों ने किये ...(व्यवधान)... लेकिन जितना बड़ा आक्रमण इस कांग्रेस पार्टी ने किया है...(व्यवधान) बहुत बड़ा आक्रमण किया है। (व्यवधान) +++ ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने खुद राम सेतु योजना बनायी ...(व्यवधान) वो 750 किलोमीटर की उससे दूरी कम होगी, आप खुद इन योजनाओं को बनाने वाले हैं। (व्यवधान) यह राजस्थान से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपको जानकारी नहीं है पूरी। ...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राम सेतु की योजना एन.डी.ए. सरकार ने बनायी थी और आप लोग केवल मात्र चुनावी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह आस्था का विषय है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): राम सेतु के बारे में जो कहा है ...(व्यवधान) शपथ पत्र दिया है वह इस देश में एक और बहुत बड़ा आक्रमण है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): राम सेतु के खिलाफ हैं क्या? आप तो ब्राह्मण हैं, आप भी राम सेतु को नहीं जानते और आप इसके खिलाफ हो? आप तो ब्राह्मण हो, आप तो पंडित हो, सारा ज्ञान रहता है ...(व्यवधान) आप भी राम का विरोध कर रहे हैं, राम सेतु का विरोध कर रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है राम सेतु बना या नहीं? आपकी पार्टी ने तो एफेडेविट दिया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): छोड़ो आप कि हमारे को क्या करना है, क्या नहीं करना है लेकिन आपकी पार्टी जब राम सेतु योजना बनायी ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने तो यह दिया कि राम पैदा ही नहीं हुए ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कल्ला साहब, रामायण का पाठ क्यों करते हो?

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान) आप तो पंडित हो, ब्राह्मण हो, आपको तो मालूम है कि राम सेतु है कि नहीं है ...(व्यवधान) रामजी पैदा हुए कि नहीं हुए, आप उसका ही विरोध कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यह क्या जानें कि राम सेतु की क्या महिमा है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वोट मांगने वाले ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: चाटुकार हो, चाटुकार ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): राम के वंशज हो ...(व्यवधान) यह बताओ आप +++ ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ...(व्यवधान) साबित कर दिया है इस मंत्री ने, शर्म आनी चाहिए इस आदमी को ...(व्यवधान) आप कालूलालजी इस्तीफा लो इनसे ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री ने परसों साबित कर दिया ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): कांग्रेस राम विहीन कब हो गयी? कांग्रेस का राम कब निकल गया? कांग्रेस का राम निकल गया क्या? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): देश के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ ...(व्यवधान) बाबर ने किया, अकबर ने किया, ...(व्यवधान) अंग्रेजों ने किया लेकिन इतना बड़ा आक्रमण नहीं किया जितना कांग्रेस ने इस समय इस देश के ऊपर आक्रमण किया है। यह बहुत बड़ी आक्रमणकारी पार्टी है। इसने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने के लिए जो असफल कोशिश की है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह भारत सरकार का मसला है ...(व्यवधान) पार्लियामैंट में उठाइये । इस सदन के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम के ऊपर कलंक लगाने वालों, प्रश्न चिन्ह लगाने वालों ...(व्यवधान) आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी कि राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): राम सेतु को नहीं तोड़ पायेंगे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलें।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली):×××

श्री उपाध्यक्ष: छोड़ो आप।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली):×××

श्री उपाध्यक्ष: यह तो हमारी राशि मिलती है आपस में।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार):×××

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं उनको अपने विचार रखने दीजिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: यह क्या तरीका है?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):×××

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार):×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा):×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रभुलालजी बोलिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार):×××

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफोर्मेशन। आई एम ऑन ए पाइंट आफ इनफोर्मेशन।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफोर्मेशन ..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो रहा है .. (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। कहने दीजिये उनको ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस रामसेतु की बात कर रहा हूं ..(व्यवधान)

सूचना

प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पाइंट आफ इनफोर्मेशन लाया हूं। राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव को लेकर हजारों की संख्या में ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, आप इसके बाद कह देना ..(व्यवधान) इसमें ऐसा कौनसा ..(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): छात्र यहां प्रदर्शन करने आ रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। अनेकों छात्र घायल हो गये और यहां सदन बैठा है, जहां हजारों छात्र बाहर पुलिस की लाठियों से पिट रहे हों। आज यह चिन्ता का विषय है। इस सरकार ने छात्रसंघों के संवैधानिक चुनाव के ऊपर रोक लगा दी। उसका आन्दोलन करने का अधिकार है छात्रों को। उनको भी अधिकार है कि जिस तरह से यहां विधायक चुनकर आते हैं वह भी छात्र संघ के पदाधिकारी चुनकर अपने छात्र संघ के कार्यालयों में जाएं। इस सरकार की बदलती नीति ने, प्रशासन ने, पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बरसायी हैं। लोग जख्मी हुए पड़े हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि गृह मंत्री यहां आकर वक्तव्य दें जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज यहां विधान सभा के बाहर हुआ है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हो गयी इनफोर्मेशन आपकी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात ..(व्यवधान) पहले एक बात कहूंगा ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले शिक्षा मंत्रीजी, मेरे को सुन लीजिये। मैं एक मिनट में कह दूंगा ..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने पहले फ्लोर लिया है। फिर आप बोल देना। पहले मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने छात्र संघों के चुनाव पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने छात्र संघों और उनके चुनाव पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद में छात्र संघ सर्वोच्च न्यायालय में गये। सर्वोच्च न्यायालय ने लिंगदोह जो पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी। उस कमेटी की सिफारिशें चली गयीं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है। हमको कुछ डाइरेक्शन भेजे थे। उन डाइरेक्शंस के आधार पर हम चुनाव कराना चाहते थे, छात्र संघों ने विरोध किया तो हमने उसको रोक दिया। उसके बाद में सारे छात्र संघ राजस्थान उच्च न्यायालय में गये और कल राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. ने यह निरस्त कर दिया कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आता तब तक छात्र संघों के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चुनाव नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिल्ली छात्र संघ के चुनाव के बाद यह आब्जर्वेशन दिये हैं कि सारे देश भर के छात्र संघों से चुनाव कैसे हों, इस पर हम निर्णय करेंगे इसलिये यह विषय तो अलग है। उनको मांग करने का अधिकार है इस पर मैं नहीं जाता। मैं किसी भी बात पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह कहना नितान्त गलत है कि राजस्थान सरकार ने, शिक्षा विभाग ने या राजस्थान विश्वविद्यालय, किसी ने भी छात्र संघ के चुनाव पर प्रतिबंध लगाया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक उस सम्बन्ध में हम नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लाठीचार्ज की बात है। लाठीचार्ज जो किया गया है..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने इनफोर्मेशन दे दी, उसका उन्होंने जवाब दे दिया है ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बिराजें आप ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसी के बारे में है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां। लाठीचार्ज के बारे में एक शब्द नहीं कहा। 50 लोग घायल हुए ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तो लाठीचार्ज का हो गया ना ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 50 विद्यार्थी घायल हो गये। वह आज भी सड़क पर अनशन किये हुए बैठे हैं ..(व्यवधान) इसके बारे में सदन को आप जानकारी दें कि क्यों लाठीचार्ज किया गया। इसकी न्यायिक जांच की जाए और इसके बारे में आप वक्तव्य दें। अब तक जो भी निर्देश कोर्ट में आपको दिये हैं क्या उसके अनुसार आप चुनाव करायेंगे। जब से आपकी सरकार आयी है ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह इनफार्मेशन बंद करिये आप ..(व्यवधान) अपनी कमेटी ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने कालेजों, विश्वविद्यालयों में प्रजातन्त्र का गला घोट दिया है। एक भी चुनाव नहीं कराये हैं आपने, इसलिए मैं मांग करता हूं कि एन.एस.यू.आई. जो मांग कर रही है छात्र संघों के चुनाव

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

की उसकी तत्काल आप घोषणा करें और राजस्थान में सब जगह चुनाव कराएं। जिनको चोटें आयी हैं उसकी न्यायिक जांच कराएं और उनको उचित मुआवजा दें।

श्री उपाध्यक्ष: हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि सरकार ने आने के बाद में पहली साल और दूसरी साल दोनों बार सब छात्र संघों के चुनाव कराये। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के आधार पर जब यहां पर सड़क रोकी गयी, कुछ लड़कियों की और इनकी स्कूटियां उलटी गयीं, उसका सुओमोटो प्रसंज्ञान राजस्थान उच्च न्यायालय ने लिया और उसके आधार पर फैसला किया। उस फैसले की छात्र संघ जिसमें विद्यार्थी परिषद् भी थी, जिसमें एन.एस.यू.आई. भी थी वह सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के जाने के बाद में, एन.एस.यू.आई. के जाने के बाद में लिंगदोह की अध्यक्षता में कमेटी बनायी और लिंगदोह की कमेटी ने उनको सिफारिश की। इस सिफारिश में उन्होंने कहा कि केवल जो मैरिटोरियस लड़के हैं उनके आधार पर छात्र संघों के चुनाच कराये जाएं अगर कराना हो तो। जब यह बात आयी तो मैंने एन.एस.यू.आई. से भी, विद्यार्थी परिषद् से भी, एस.एफ.आई. से भी, सबसे पूछा। उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं कराये जाएं हम तो डाइरेक्ट चुनाव चाहते हैं। डाइरेक्ट चुनाव के लिए एन.एस.यू.आई., एस.एफ.आई. यह कल गये थे राजस्थान हाई कोर्ट में और राजस्थान हाई कोर्ट की डी.बी. ने उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा उसके बाद में चुनाव होंगे। इसलिये आज मैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, लिंगदोह जी के खिलाफ यहां पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। यदि आप चाहते हो तो एन.एस.यू.आई. को एग्री कर लें जो जिस प्रकार यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसके हिसाब से हम चुनाव कराने के लिये तैयार हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एन.एस.यू.आई. अगर सहमत नहीं होगी तो कोई काम नहीं करेंगे क्या ? माननीय शिक्षा मंत्रीजी, अगर एन.एस.यू.आई. किसी बात पर सहमत नहीं होगी तो एज ए शिक्षा मंत्री कोई काम ही नहीं करेंगे क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): करेंगे ना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो आप कराइये ना चुनाव।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप सहमत हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब इस पर कोई इतनी डिटेल में चर्चा थोड़ी है ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लिंगदोह कमेटी की ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं तो जो डाइरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिये हैं उसके अनुसार आप चुनाव की घोषणा करें ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कल्ला साहब के पाइंट आफ इनफोर्मेशन का मंत्रीजी ने जवाब दे दिया उसके बाद अब क्या है ..(व्यवधान) इसमें क्या आपत्ति है .. (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मैं शीघ्र ही सभी छात्र संघों के एन.एस.यू.आई., विद्यार्थी परिषद्, एस.एफ.आई. और भी जो छात्र संगठन हैं उनकी एक सप्ताह में मीटिंग बुला लूंगा। सर्वोच्च न्यायालय के मापदंड उनको दिखा दूंगा। उसके आधार पर वह चुनाव कराने के लिए तैयार हैं तो सरकार तैयार है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जरा इन चारों संगठनों की बता दें कितनी संख्या में सदस्यता है और राजस्थान में छात्रों की संख्या कितनी है ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जुबेर खानजी, आ गयी बात इसमें .. (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बताऊं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो आम छात्र संगठन चुनाव चाहते हैं, आपको कराने चाहिये। कोई पार्टिसिपेट करे या नहीं करे आपको इससे क्या लेना ? जो लिंगदोह कमेटी ने कहा है उसी आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव हुए हैं आप भी कराइये। जिसको पार्टिसिपेट करना होगा वह करेगा। जिसको नहीं करना है, नहीं करेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): चलिये अब आपकी बात मान लेते हैं। इन संगठनों से आपको बात करने में आपत्ति है तो मैं नहीं करूंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो आप यह मत कहिये हम तो चीख रहे

(श्री जुबेर खान)

हैं, हमारी तो एक बात नहीं मान रहे हैं और एन.एस.यू.आई. की वजह से आप चुनाव नहीं कराएं यह गलत है ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 50 विद्यार्थी घायल हुए हैं क्या आप उनकी जुडिशियल इंक्वायरी करायेंगे ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लाठीचार्ज क्यों किया गया .. (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जुबेर खान साहब और बी. डी. कल्ला साहब को एन.एस.यू.आई. से मेरे बात करने पर आपत्ति है तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप घुमाइये मत। आप लाठीचार्ज की जांच कराइये और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए हैं उसी आधार पर यहां चुनाव कराइये। आप चुनाव का बहाना क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बहाना आप चुनाव में कर रहे हैं ..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपत्ति है। एक तरफ तो बात करने के लिए मर रहे हैं। पुलिस उनको मार रही है। पुलिस उनसे मारपीट कर रही है। इस पर आपत्ति है। पुलिस ने लाठियां बरसायी हैं। आपको हमदर्दी है तो इसकी तो जांच करा दीजिये लाठीचार्ज की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उसकी तो जांच अभी प्राप्त कर लूंगा कि आपने किस प्रकार भड़काया है। वह जांच मैं कर लूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी अगर ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई नहीं भड़काया है, आपकी पुलिस ने लाठी चार्ज किया है उसकी न्यायिक जांच करायी जाये ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कल्ला साहब, सारा आ गया है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वैसे के वैसे चुनाव करायें आप यहां पर ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं कल्ला साहब की हर बात को स्वीकार करता हूं और कल्ला साहब ने भी थोड़े दिनों पहले मांग की थी कि बी.एड. और बी.एस.टी.सी. में जो मान्यताएं मिल रही हैं उसकी सी.बी.आई

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जांच होनी चाहिए और मैंने इनकी बात को स्वीकार करके अर्जुन सिंहजी को पत्र लिख दिया कि राज्य सरकार की बिना एन.ओ.सी. के आप यह जो बी.एड. और बी.एस.टी.सी. दे रहे हैं, इनकी बी.डी. कल्ला साहब ने जांच की मांग की है। मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्रदेश में एक ऐसा नेता है जो अर्जुन सिंहजी के खिलाफ भी सी.बी.आई जांच की मांग करता है। कटिंग साथ भेज दी है और आपकी बात स्वीकार की है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी शिक्षा विभाग की मांग की है। आप उसको टालो मत। मैंने तो शिक्षा विभाग ने जो एन.ओ.सी. दी है उसकी जांच की मांग की है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके परिवार के जो सदस्य हैं एबीवीपी वाले, वह आंदोलन करें उनकी बात नहीं मानो, भारतीय मजदूर संघ की बात नहीं मानो, यह राज किसका कर रहे हैं आप। आप किस पार्टी के हो, आरएसएस के हो कि वसुंधराजी के साथ हो। आप पहले जवाब दें कि आप वसुंधरा जी के साथ हैं या आरएसएस के साथ हो। आरएसएस परिवार के आदमी मांग कर रहे हैं, एबीवीपी वाले मांग कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उनकी भी मान लेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप भारतीय मजदूर संघ जो आंदोलन लेकर के आ रहा है उसकी मांग नहीं मान रहे हो। आप परिवार के सदस्यों की बात मान रहे हो कि वसुंधराजी की बात मान रहे हो। आपको खुद को ही मालूम नहीं है कि वसुंधराजी के साथ हैं कि परिवार के साथ हैं। फिर आप यह बात क्यों कह रहे हैं, आप कल्ला साहब की बात कहकर के अपनी उस बात को मत छिपायें कि परिवार के प्रतिनिधि होने के बाद भी सरकार में दुर्दशा है। यह मुख्यमंत्री परिवार के आदमियों को नहीं मान रही है। उनके संगठन को नहीं मान रही है। उसके मंत्री को नहीं मान रही है। उसके पर कतरकर सड़क पर फेंक दिया है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह कोलिएशन गवर्नमेंट है ...(व्यवधान) वसुंधराजी की और आरएसएस की कोलिएशन गवर्नमेंट है ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): आप आरएसएस को गाली देते थे ...(व्यवधान) आज आरएसएस की चिंता हो रही है सब लोगों को ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट ... (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): यह बात अलग है कि आरएसएस को आप लोग याद रखते हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार के बेचने के बाट दूसरे और खरीदने के बाट दूसरे क्यों हैं। अगर एन.एस.यू.आई. के लड़के रास्ते जाम करते हैं, अगर गुर्जर आरक्षण वाले रास्ता जाम करते हैं तो आप गोली चलाते हो, लाठी चलाते हो और राम सेतु के लिए विधायक जाम करते हैं, ट्रेफिक जाम करते हैं तो पुलिस उसमें सहयोग देती है। इसकी निन्दा की जानी चाहिए। यह अलग-अलग नीतियां क्यों हैं? आपकी नीति एक होनी चाहिए थी। जिस दिन आप जाम कर रहे थे, आपने पूरे राजस्थान को दो-तीन घंटे जाम कर दिया। एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लाखों-करोड़ों लोगों को परेशानी हुई और आज एन.एस.यू.आई. के ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो ...(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बिराजें ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें, मंत्रीजी बिराजें ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर):×××

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: नगर से आने वाले माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) नगर से आने वाले माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिए।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: नगर से आने वाले माननीय सदस्य आप बैठिए।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राम सेतु की बात कहना चाहता हूं जिस पर भगवान श्रीराम ने आज से 17 लाख 50 हजार वर्ष पहले सेतु बनाया था। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: नो कमेंट्स।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): आज आम चर्चा है कि भारत सरकार इसको तोड़ने की साजिश रच रही है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो उनको पर्ची पर बोलने दीजिए।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): यहां तक कह दिया गया है कि न तो राम पैदा हुए, न सेतु बना।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

रामसेतु पर चर्चा

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा):...(व्यवधान) उसी राम सेतु को आघात पहुंचाने के लिए यहां के लोग बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग हिन्दुस्तान में रहने लायक नहीं है, इनको देश निकाला दे देना चाहिए। मैं इस मौके पर आपको बताना चाहूंगा कि राम सेतु आज नहीं बना, 48 किलोमीटर लम्बा और 3 किलोमीटर चौड़ा समुद्र में स्थित है। इस पर 3 फीट से लेकर 30 फीट तक पानी अभी भी मौजूद है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको कोई बात कहनी हो तो बाद में कह दीजिए।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): राम सेतु को तोड़ने के लिए जो साजिश रची गई है उसके पीछे एक कारण छिपा हुआ है। अमेरिका यह चाहता है कि वहां जो थोरियम का भण्डार है उसको हम किसी भी तरह से नष्ट कर दें लेकिन हम इसको कभी भी नष्ट नहीं होने देंगे। वहां के समुद्र पर 3 लाख 60 हजार फीट में थोरियम के विशाल भण्डार हैं और यह भण्डार इतना है कि हम हर तरह से आत्मनिर्भर हैं। जब इस भण्डार को ईंधन के रूप में काम लिया जाएगा तब हम अपनी परमाणु ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सकेंगे।

(समय: 15.07 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): पर अमेरिका नहीं चाहता कि हम परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर रहें इसलिए केन्द्र सरकार से साजिश रची जा रही है कि इस राम सेतु को तोड़ा जाए। जब राम सेतु टूट जाएगा तो थोरियम भण्डार बहकर समुद्र के नीचे चला जाएगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अध्यक्ष: सदन का दुरुपयोग तो यहां हो रहा है, हर विधायक कर रहा है, मोस्ट आफ द विधायक कर रहे हैं सदन का दुरुपयोग।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): अमेरिका चाहता है कि अगर राम सेतु टूट जाए तो यहां जो थोरियम का भण्डार भरा हुआ है...

श्री अध्यक्ष: नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय सदस्य को अपनी बात कह लेने दीजिए, बाद में आप भी कह लीजिएगा। दो मिनट में कह लेने दीजिए, दो मिनट में आप बोल दीजिए जो आपको बोलना है, आप भी बोल दीजिएगा क्या दिक्कत है?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री अध्यक्ष: चलो कोई बात नहीं। (व्यवधान) हां, हां बोलना आप भी, बोलना, कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: हां बोलिए। इनका व्यवस्था का प्रश्न है। क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि आपने जो व्यवस्था दे रखी है उस व्यवस्था के अंतर्गत माननीय सदस्य ने 10 बजे से पहले अपनी पर्ची डाली, उसके बाद लाटरी में इनका नाम आया। अब आपने व्यवस्था यह दे दी, इनको बोलने की अनुमति दे दी। उसके बाद पर्ची पर कोई विषय आता है उस पर कभी वाद-विवाद आगे चलता ही नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनकी स्वयं की पर्ची निकली है। जिन माननीय सदस्य की पर्ची निकली है उनका अधिकार है कि वो अपनी बात कहें। पर्ची पर पहले कभी वाद-विवाद नहीं हुआ, हमारी परम्पराओं में यह नहीं रहा नियमों में भी नहीं है पर्ची के ऊपर कोई बात हो उस पर वाद-विवाद हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क):×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें। एक बार स्थान ग्रहण कर लें। आन ए पाइंट आफ आर्डर जो कुछ सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने कहा है कि परम्परा तो नहीं है, लेकिन राम तो घट-घट के

(श्री अध्यक्ष)

वासी हैं और वे भी कहना चाहते हैं तो कह लेने दो, वे भी बोल लेंगे, आपको क्या तकलीफ है वे भी कहना चाहते हैं, क्योंकि इनके यहां कुछ ऐसे भी हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं जिनकी आस्था ही नहीं है राम में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नई परम्परा डाल रहे हो अध्यक्ष महोदय, वैसे राम वास्तव में घट-घट के वासी हैं बोले तो बोले पर नई परम्परा होगी। (व्यवधान) लेकिन आज पांच बिल हैं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री अध्यक्ष: आपके नेता की तो राम में आस्था ही नहीं है वे तो बोलेंगे नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अध्यक्ष: आप क्या बोलेंगे? ..(व्यवधान) कृपया शांत रहे। अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व):×××

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी):×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज):×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: मैं जिसका नाम पुकारूं उसी का अंकित करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 2005 को शिलान्यास किसने किया था, जरा इसकी जानकारी ले लेना। मनमोहन सिंहजी ने किया था 2005 को।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री कालीचरण सर्राफ)

हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने आडवाणीजी और अटलजी का नाम लेकर यह कहा है कि एनडीए सरकार के समय यह योजना बनी ..(व्यवधान) अब आप बैठ तो जाओ, सुन लो पहले।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 1999 में जार्ज फर्नांडिस ने जिस योजना की घोषणा की थी वो किसी घनुषकोटि के निकट ..(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ..(व्यवधान) आप बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): जार्ज फर्नांडिस ने 1999 में जिस योजना की शुरूआत की थी उसमें रामसेतु टूटने की कोई बात नहीं थी। यह तो बाद में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहजी ने जो योजना लागू की है उसमें रामसेतु को तोड़े जाने की बात है ..(व्यवधान) आपको पता नहीं है, आप सदन को भ्रमित कर रहे हैं, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, पता नहीं है आपको।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):×××

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो हवाला दिया है व मैं यह बताना चाहता हूं 1999 में जिस परियोजना की घोषणा की गई थी ..(व्यवधान) बैठ जाइए, जरा सुन लीजिए, कान में रूई निकालकर सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): बैठो आप, पता तो है नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): बैठिए श्रीमान।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आप बिलकुल भ्रमित कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपके स्प्रिंग लगी हुई है क्या ? आप बैठते क्यों नहीं हो ? ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि एन.डी.ए. सरकार ने 1999 में इस परियोजना की शुरूआत हुई। उस योजना में धनुषकोटि से कोदण्ड राम मंदिर से शुरू होने वाली थी और उसमें रामसेतु ....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): बैठो, बैठो।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): उस परियोजना में जो श्रीराम सेतु है उसको कहीं पर भी कोई खतरा नहीं था, कोई टूटने का सवाल नहीं था, यह 2005 में हमारे +++ प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह, इन्होंने इस योजना का शिलान्यास किया है उसमें राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): यह बात कहना चाहता हूं मैं आपको।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): +++ मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपके तो विपक्षी दल के नेता रामनारायणजी चौधरी ने यह कहा है कि मेरी मर्यादा पुरूषोत्तम राम में

(श्री कालीचरण सर्राफ)

कोई आस्था नहीं है, मेरी तो आस्था केवल विदेशी महिला सोनिया गांधी में है। यह आपके विपक्षी दल के नेता ने कहा है। सीकर में एक पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में कहा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): सुप्रीम कोर्ट में असत्य हलफनामा प्रस्तुत किया आपकी मनमोहन सरकार ने। (व्यवधान) उसको आपको वापस लेना पड़ा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): एक ईमानदार प्रधानमंत्री की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में असत्य हलफनामा दिया। (व्यवधान) और बाद में नाक रगड़नी पड़ी। (व्यवधान) आप बातें करते हैं ईमानदारी की? (व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री अध्यक्ष: आप लोग जब तक शांति से मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप सुनिए तो सही।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया सब स्थान ग्रहण करें। आप पहले स्थान ग्रहण करें। कहिए आपको, जो कुछ कहना है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मैंने कहा है कि आपने जिस प्रधानमंत्री को ईमानदार कहा है उनकी सरकार ने असत्य हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है ...(व्यवधान) जिसको आपको वापस लेना पड़ा। ...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री अध्यक्षः आर्डर, आर्डर।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अध्यक्षः कृपया स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। देखिए, अंकित नहीं हो रहा था।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री अध्यक्षः रामसमंद से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री अध्यक्षः राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री भवानी जोशी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर):×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा):×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर):×××

श्री अध्यक्ष: आप भी एक बार स्थान ग्रहण कर लें तो ठीक रहेगा। मैं समझती हूं कि रामसेतु पर काफी चर्चा हो गई है इधर से भी और उधर से भी। (व्यवधान) आगे बढ़ने की बात नहीं है लेकिन सवाल यह है कि इस बीच दोनों ही तरफ से कई असंसदीय शब्दों का प्रयोग जो नहीं किया जाना चाहिए था वह किया गया है। मैं उस समय भी खड़ी हुई थी यही कहने के लिए कि आप थोड़ी मर्यादापूर्ण तरीके से संसदीय भाषा में बात करें, अपनी बात कहें तो अच्छा होगा। लेकिन दोनों ही तरफ से इतनी तेज आवाज में बोल रहे थे कि मैं तो इतनी तेज आवाज में बोल नहीं सकती। जो ताकत आपके फेफड़ों में है उतनी मेरे में तो है नहीं। होना यह चाहिए कि आसन पांवों पर हो तो आपको बैठ जाना चाहिए लेकिन मेरी हालत यह हो गई कि आप जब खड़े होते हो तो आसन बैठ जाता है। क्या करें, आसन की लाचारी है, मजबूरी है। लेकिन यह बात सही है कि रोज की कार्यवाही मेरे पास आती है, दो शब्द मुझे भी अच्छे नहीं लगे। विदेशी महिला भी मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि शादी होने के बाद कोई भी महिला कहीं की भी हो, विदेशी नहीं कहला सकती, शादी की है उन्होंने। यही कहना चाहिए था। दूसरा, निकम्मा कहा। निकम्मा ही कहा न? सारी, चाटुकार कहा। यह भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान) ठीक है, हो गई बात। अब आप

(श्री अध्यक्ष)

क्या कहना चाहते हो? (व्यवधान) आसन पावों पर। इस बात को आप जान लीजिये कि यह मैं देख रही हूं कि कौन माननीय विधायक आसन का कहना नहीं मान रहा है। मैं उनको अब समय नहीं दिया करूंगी। एक दिन का ही समय है लेकिन मैं फ्यूचर के लिए भी ध्यान रखूंगी क्योंकि कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो बिलकुल अनुशासन में रहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं और वो नहीं कह पाते। हैं ऐसे भी कुछ लोग, हैं तो बहुत कम पर 5-10 लोग हैं ऐसे। आप लोग हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आसन जब पांवों पर हो तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। जो लोग इसकी अवहेलना करते हैं, मैं देख रही हूं और देखकर के इसी तरह से निपटूंगी उनसे। अब निपटूंगी किसी तरह से क्योंकि आज भी मुझे लोग-बाग़ कह रहे थे कि आपकी सदाशयता का लोग अनुचित फायदा उठाकर के इस सदन की कार्यवाही में बाधा डालते रहते हैं, बात भी बिलकुल सही है। अब तक 3.35 हो गये हैं और अब आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं कि आगे कुछ करें। शोर-शराबे में ही सदन डूब रहा है इसलिए अब मैं चाहूंगी कि रामसेतु की चर्चा बंद कीजिये, आपको जो कहना था आपने कह दिया, इधर इनको जो फरमाना था वो इन्होंने फरमा दिया इसलिए इसको तो आप बंद कीजिये। अब धर्मेन्द्र कुमार मोची। (व्यवधान) नहीं बोल पाये? (व्यवधान) आप कोई बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ×××

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

रावतसर में बादल फटने से हुई अतिवृष्टि से हुआ नुकसान

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): दिनांक 12.9.2007 को रावतसर में बादल फटने से हुई अतिवृष्टि के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि दोपहर एक बजकर के 20 मिनट से शाम 6 बजे तक बादल इतना भयंकर

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

फटा कि रावतसर में 160-170 एम.एम. तक बरसात हुई और तीन जान की तबाही हुई। तीन लोगों की मृत्यु हुई उसमें मृतक परिवारों को माननीय मुख्य मंत्रीजी, राज्य सरकार द्वारा एक-एक लाख रुपये की सहायता दी गई और जिला कलक्टर महोदय द्वारा एक घंटे में ही पूरा जिला प्रशासन रावतसर में स्थापित करके राहत पहुंचाने की व्यवस्था की गई।

वर्ष 1991-92 और 2001-02 में भी वहां अतिवृष्टि हुई थी और तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत इसी रावतसर में हेलीकाप्टर लेकर के गये थे और मात्र फिरकर के, लोगों से मिलकर के वापस आ गये। एक महीने से 45 दिन तक रावतसर में पानी पड़ता रहा, हर प्रकार की बीमारियां फैलीं और रावतसर के लोग सड़ते रहे पर किसी प्रकार की हमें राहत नहीं मिली। 2001 की बात है, अतिवृष्टि हुई थी, अशोकजी गहलोत हेलीकाप्टर से स्पेशल गये थे और पांच पैसे की राहत नहीं दी थी। रावतसर की जनता सड़ती रही और सेम से ग्रस्त हो गई पर किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। इस आपदा की घड़ी में माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने माननीय राठौड़ साहब, माननीय थानवी साहब, माननीय मैथ्यू साहब और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय को हैलीकाप्टर से रावतसर भेजा और रावतसर की जनता की सुध ली। वहां उन्होंने देखा कि रावतसर की जनता 10 फीट के पानी में खड़ी है तो हाथों हाथ हर प्रकार की सहायता करके माननीय राठौड़ साहब ने, आपदा सचिव और सिंचाई सचिव ने 10 करोड़ रुपये का एक पैकेज दिया। जिसके कारण रावतसर का पानी निकला और आज मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि रावतसर में एक बूंद पानी नहीं है। तीन दिन के अन्दर रावतसर का पानी प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से निकाल दिया गया है। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि रावतसर में एक सेंद नाला है, उसका रख-रखाव इतने दिन काश्तकार करते थे। उसका रख-रखाव यह सरकार अपने हाथ में ले ले और उसका दुरूस्तीकरण सही ढंग से कर दे तो यह भविष्य में इस आपदा से बच सकते हैं और इसका जो खर्चा है, वह सरकार वहन करे तो सेंद नाले की सिल्ट निकाले तो इससे भविष्य में काश्तकारों को लाभ मिल सकता है।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

कि अतिवृष्टि में बाजार में भी पानी खड़ा रहा था, तीन जान का नुकसान हुआ है और इस अतिवृष्टि में मकानों और इनकी सर्वे तो हो रही है परन्तु उनकी मुआवजे की राशि सही ढंग से जल्दी वितरित करवाई जाये और दुकानों में जो पानी भरा था, छोटे दुकानदारों का नुकसान हुआ था, उनकी भरपाई के लिए उनको नोर्म्स में लिया जाये और उनको सहायता दिलाई जाये।

इसके साथ-साथ फसलों को भी नुकसान हुआ है। फसलों के अन्दर मात्र लघु कृषक के तहत चार बीघा का ही मुआवजा निर्धारित किया गया है जबकि काश्तकारों को खूब नुकसान हुआ है तो इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर इसमें 10-12 या 15 बीघा तक ली जाये ताकि प्रत्येक काश्तकार को इसमें सहायता मिल सके।

इसके साथ-साथ सरकारी भवनों को, सड़कों को और नगरपालिका क्षेत्र में काफी दुकानदारों को सामग्री का नुकसान हुआ है। इनको राहत दी जाये और ऐसी आपदा के अन्दर राज्य सरकार द्वारा जो सहायता दी गई है, उसके लिए हम रावतसर की जनता आभारी हैं।

इसके साथ-साथ हमारे वहां मेगा हाइवे का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां उस ठेकेदार ने जो जी.आर. अग्रवाल कम्पनी के नाम से है, उस घड़ी के अन्दर उस व्यक्ति ने हमारी इतनी मदद की कि उसने सारे संसाधन, जो मशीनें वगैरह थीं, हर प्रकार से हमारी सहायता की और इसके साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं ने हमारा पूरा सहयोग किया है। ऐसी संस्थाओं का मान-सम्मान किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने इस आपदा के लिए मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। श्री संयम लोढ़ा।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि आपदा का जिस तरह से प्रबन्धन किया गया, हमारी संवेदनशीलता के साथ में सरकार ने वहां पर काम कराया है।

श्री अध्यक्ष: वह तो मान रहे हैं। वह तो मान लिया उन्होंने। मान लिया उन्होंने।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं निवेदन करना

(डा. दिगम्बर सिंह)

चाहता हूं, जो माननीय सदस्य ने बात कही, इसके अलावा जिन माननीय सदस्यों ने जिनकी समस्या थी, जिनके बारे में आपने कहा, वहां पर अतिवृष्टि में स्कूल, सिंचाई विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग और जलदाय विभाग की सम्पतियों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए 115 लाख रुपये राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दिये हैं। मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं। इसके अलावा भी शहरों के अन्दर जो क्षति हुई है, उसके लिए भी दो करोड़ रुपये की डिमांड वहां से आई है, उसमें भी सरकार निश्चित रूप से इसकी भी अभी स्वीकृति जारी कर देगी, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा, चलिये। श्री संयम लोढ़ा। आप बैठिये, बैठिये। तो दे दिया ना। सवा तीन करोड़ रुपये दे दिये ना।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): ... नहीं नहीं, इसमें मात्र चार बीघा जमीन ही ली गई है, जबकि जमीनों के अन्दर खूब खराबा हुआ है। उसमें चार बीघा ही लिया क्या? नहीं, इसमें चार बीघा ही है क्या?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): इसमें केन्द्र सरकार के जो नोर्म्स हैं सी.आर.एफ. के, उसके अनुसार दे दिया है। आप तो मस्त रहो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बाड़मेर में जो नुकसान हुआ है, निहाल कर दिया उसमें। निहाल कर दिया बाड़मेर में भारत सरकार ने, आपको भी पता है, हमको भी पता है। काहे को भारत सरकार का नाम ले रहे हो।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): वह पैसा ट्रांसफर करती है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): अध्यक्ष महोदय, दुकानों को जो नुकसान हुआ है, इस नोर्म्स में उसके अन्दर भी कुछ किया जाये थोड़ा।

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में नहीं बोलेंगे।

अदालत से दोषसिद्ध व दण्डित मंत्री

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय के अंतरतल से आभारी हूं कि आपने मेरे और प्रतिपक्ष के 17 माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर पुनर्विचार की हमारी प्रार्थना पर उदार दिल से हमें पर्ची के माध्यम से अपनी बात कहने का मौका दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप अपने विषय पर आओ, नहीं, विषय पर आओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसके साथ समय की सीमा भी आपने तय की है। समय सीमा आपने तय की है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बैठ जाऊं आपकी आज्ञा नहीं हो तो। आपकी इजाजत हो तो बैठ जाऊं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिए कोई बहुत स्वर्णिम अवसर नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे राजस्थान के इस प्रजातंत्र के 60 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में राजस्थान सरकार के एक ऐसे मंत्री के बारे में बोलना पड़ रहा है जिसको एक अदालत ने दोषसिद्ध करार दिया है और छह महीने का कारावास और नकद जुर्माने से दण्डित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत उचित होता जब....

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला विचाराधीन है अदालत में। यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री अध्यक्षः बीच में नहीं बोलेंगे आप। बैठें, बैठें। उसका जवाब सरकार देगी। यह जवाब सरकार देगी...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह न्यायालय के अन्दर विचाराधीन है। यहां पर इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, यहां बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन सुनें आप इस पवित्र सदन में, यह मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री अध्यक्षः ... या मंत्री खुद देंगे। आप स्थान ग्रहण करें। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण कर लें। मैं आपसे कह रही हूं कि स्थान ग्रहण कीजिये। यह सरकार जवाब देगी या मंत्री खुद देंगे। आप स्थान ग्रहण करें। इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं हुआ करें। आप बैठिये। बैठ जाइये। बार-बार खड़े नहीं हों।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा होता, चूंकि हमारे इस प्रस्ताव का ताल्लुक और प्रतिपक्ष आपकी आज्ञा से जिस मुद्दे को सदन में उठा रहा है, उसका ताल्लुक सीधे तौर से राज्य सरकार की मुख्य मंत्री से है। बहुत उचित होता कि राजस्थान की मुख्य मंत्री इस सदन में

(श्री संयम लोढ़ा)

आकर बैठतीं और हमारी भावनाओं और हमारे विचारों को सुनतीं और राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से, सर्वोच्च सदन के बीच में अपना स्पष्टीकरण देतीं और आपकी मदद करतीं लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी सरकार के एक मंत्री के ऊपर इस तरह के फैसले के बाद और इस तरह के गम्भीर आरोप के बाद और प्रतिपक्ष के नोटिस के बाद भी उन्होंने यह उचित नहीं समझा। मान्यवर, आपका बहुत लम्बा संसदीय अनुभव है और मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, अनेकानेक बार इस सदन में इस तरह के तो नहीं पर इससे जुड़े हुए मंत्रिमण्डल के दूसरे सदस्यों के यहां पर मामले आये हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस गौरवशाली सदन की इस तरह से उपेक्षा सदन के नेता ने कभी की हो इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बार यह प्रार्थना करना चाहता हूं। किसी को मंत्री रखना या नहीं रखना, यह मुख्य मंत्री का विशेषाधिकार है इसलिए बहुत उचित होगा कि आप सरकार को इस बात का निर्देश प्रदान करें कि वह मुख्य मंत्रीजी को सदन में उपस्थित होने के लिए कहें जिससे आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता के बीच में इस सरकार का संदेश जा सके कि यह सरकार किस तरीके से चलना चाहती है, किस तरह से चलाना चाहती है, क्या अदालती व्यवस्था का सम्मान करना चाहती है, क्या नैतिक मानदण्ड रखना चाहती है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं कि मेरे बोलने के ठीक पहले उन्होंने एक ऐसे महान, हमारे पूजनीय, हमारे आदर्श व्यक्ति का जिक्र किया भगवान श्रीराम का। मान्यवर, जिन्होंने अपने शासन के माध्यम से पिछले लाखों-लाखों सालों तक एक ऐसा आदर्श आज तक प्रस्तुत किया हुआ है कि उन्हें मर्यादा पुरूषोत्तम कहा जाता है और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हीं की मर्यादा से, जिसका आप एक घंटे से जिक्र कर रहे थे, आप सीखने की कोशिश करेंगे, हमको भी सिखाने की कोशिश करेंगे, राजस्थान की जनता को सिखाने की कोशिश करेंगे और एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेंगे कि आप उनके बताये हुए सिद्धान्तों और उनके आदर्शों और उनकी शिक्षा पर चलकर एक ऐसा उदाहरण समाज में स्थापित रखना चाहते हैं, ऐसी परम्परा को जारी रखना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 7 जनवरी, 2003 को एक श्रमिक भगवान राम की पत्थर उठाते समय, दो पत्थरों के बीच में दबने से मृत्यु हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है माननीय अध्यक्ष

(श्री संयम लोढ़ा)

महोदय, कि दुर्घटना होने के 24 घंटे बाद तक भी इसकी सूचना नहीं दी गई और जब यह विभाग के लोगों ने इसका निरीक्षण किया तो कोई वहां प्रबन्धन की व्यवस्था नहीं थी। कोई फोरमैन नहीं था, कोई मैट नहीं था, कोई सुपरवाइजर नहीं था। किसी तरह का कंट्रोल नहीं था, किसी तरह का डाइरेक्शन नहीं था। इन सबके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, खान विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर ने खान के मालिक, जो हमारी सरकार में मंत्री हैं उनको खान अधिनियम की धारा 69, 73, 70(1), 72 (सी)(1) और 66 के तहत... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मुख्य सचेतक महोदय, थोड़ा कंट्रोल करें आप उन्हें। थोड़ा कंट्रोल करिये राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य को।

श्री संयम लोढ़ाः उनको उन धाराओं का दोषी पाया, उनके उल्लंघन का दोषी पाया और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उसके बाद भी उस अधिकारी ने इनको पन्द्रह दिन का नोटिस दिया जवाब देने के लिए और यह कितने लापरवाह हैं, कितने अगम्भीर हैं, इन्होंने इस नोटिस का भी जवाब देना उचित नहीं समझा। लगातार इतने सालों की सुनवाई के बाद अभी 11.09.2007 को, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इनको दोषसिद्ध करार दिया और माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 66 खान अधिनियम के तहत पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया और अदम अदायगी अर्थदण्ड एक दिन का साधारण कारावास भुगताने का आदेश दिया। धारा 70(1) के अन्तर्गत पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड एक दिन का साधारण कारावास से दण्डित किया। धारा 69 के तहत दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड चार दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया। धारा 72(सी)(1)(ए) के तहत छह माह के साधारण कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अदम अदायगी अर्थदण्ड चार दिन के साधारण कारावास को पृथक से भुगताने का आदेश दिया। धारा 73 के तहत पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड एक दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया और यह आदेश दिया कि यह सारी सजाएं एक साथ चलेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इन मंत्री महोदय का यह पहला अपराध नहीं है। इससे पहले भी, माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2003 के अंदर अपनी नाबालिग लड़की के नाम से खान का इन्होंने नाम का हस्तांतरण करवाया और यह गलत एफेडेविट दिया कि यह उनकी लड़की अठारह साल की है। आप आज्ञा देंगे तो उस लड़की का यह जो बर्थ सर्टिफिकेट है जिसके मुताबिक वह उस समय नाबालिग थी, उनकी पासपोर्ट की कापी है और एक्सटर्नल अफेयर्स का जो इन्क्वायरी स्टेटस है उसकी कापी मैं आपकी आज्ञा होगी तो टेबल कर दूंगा। इससे पहले भी इन्होंने एक अपराध किया हुआ है, तब भी मैंने 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था लेकिन वह सदन में लाया नहीं जा सका और उसकी चर्चा नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पार्लियामेंट में भी शिबू सोरेन का केस आया और तब विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पार्लियामेंट में कहा, क्या कहा उसके कुछ अंश मैं आपके सामने आपकी आज्ञा से कोट करना चाहता हूं। "Sir, I have seen the Indian Parliament from 1970 as a Member. I have seen even the earlier years as a journalist. I can say that what happened yesterday is unprecedented in the history of Indian Parliament. If you don't realise it, you are doing great harm to the political system. Yet we seem to think that it is ordinary and there is nothing extraordinary. You should feel more ashamed than myself." यह शिबू सोरेन के कन्वीक्शन पर लालकृष्ण आडवाणी ने पार्लियामेंट में कहा है और इसके आगे माननीय अध्यक्ष महोदय, आडवाणी साहब फरमाते हैं- "It is now more than two and a half years that this Government has been in Office. I remember that when Dr. Manmohan Singh formed his Council of Ministers and announced the names, at that time itself an important issue raised by the Opposition referred to the credentials of those ministers. For the first time it is remarked like this. Till now we have heard of criminalization of politics but now we have seen criminalization of the Council of Ministers of the Government. The reply at that time used to be that it is the prerogative of the Prime Minister to select his team; he has exercised his prerogative to select his team. Now here is this person convicted! In the eyes of political analysts, the UPA government has brought disgrace upon itself. Sir, my point is that the Prime Minister owes an apology to the nation and explanation to the Parliament. Therefore, the Prime Minister must come here and explain as to what are the facts of this case. Did he exercise his prerogative, what has happened exactly, and unless the Parliament is reassured on this, he will not be doing justice to the whole matter." माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय के पार्लियामेंट में दिये गये इस कथन के बाद में क्या राजस्थान की मुख्य मंत्री को इस सदन में नहीं आना चाहिए, क्या राज्य की मुख्य मंत्री को आकर के इस सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करनी

(श्री संयम लोढ़ा)

चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे राजस्थान में अनेकानेक एग्जाम्प्ल्स हैं। हमारे यशस्वी नेता शिवचरणजी माथुर साहब यहां विराजमान हैं, 1967 के अन्दर खाली एक जमीन घोटाले का आपके ऊपर आरोप लगा था और मामला उठा था। अध्यक्ष महोदय, आपकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी में भी है, आपने अपने पद से इस्तीफा दिया था और रामकिशोर व्यास, दामोदर व्यास और भटनागर, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उन तीन लोगों की कमेटी बनी थी, इनके मामले की जांच हुई थी और एक महीने के बाद जब इन्हें निर्दोष करार दिया उस कमेटी ने, तब आपने वापिस शपथ ली थी। यह उच्च आदर्श राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में स्थापित किये हुए हैं। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब राजा मानसिंह का कांड हुआ था, तब भी नैतिक आधार पर जिम्मेदारी लेकर के शिवचरण माथुर साहब ने इस्तीफा दिया था। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1986 के अन्दर यशस्वी नेता रामसिंहजी विश्नोई की बेटी के बाल विवाह का मामला आया था और तब भी प्रतिपक्ष की ओर से पुष्पा जैन ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 86 के बाद में बीच का जो गेप आया था, उस दौरान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान करते हुए राजनीति और सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शों को स्थापित रखने की भावना को लेकर के, माननीय अध्यक्ष महोदय, रामसिंहजी विश्नोई ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, एक एस.पी. थे रोहिताश्व कुमार, अपने सबोर्डिनेट की बीबी से उन्होंने छेड़छाड़ कर ली थी, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया गया था, गवर्नमेंट ने उसको सस्पैण्ड कर दिया था, सिर्फ इस आधार पर कि उसने छेड़छाड़ की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री का काम है कानून को लागू करने का। आप और हम सब गांवों में जाते हैं, लोग अपने ढंग से हमारा इस्तकबाल करते हैं, बहुत से लोग भावातिरेक में, भावावेश में पैर भी छूते हैं। क्यों छूते हैं? उनको मालूम है कि यह कानून को लागू कराने वाली शख्सियत है। कानून के माध्यम से हमको लाभान्वित करने वाली शख्सियत है। हमारे खिलाफ किसी तरह का अन्याय होगा तो कानून के माध्यम से यह इंसाफ दिलाने वाले लोग हैं। हमने अपने कर्मचारियों के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है, मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। 31.12.96 का कार्मिक विभाग का यह आदेश मैं उसके कुछ अंश पढ़

(श्री संयम लोढ़ा)

कर सुनाना चाहता हूं। सुनिये, सरकारी कर्मचारी के बारे में क्या व्यवस्था है, मंत्री की छोड़िए। कर्मचारी के बारे में क्या व्यवस्था है- ज्यों ही किसी सरकारी कर्मचारी को...

श्री अध्यक्ष: मंत्री को इक्वेट क्यों कर रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा: अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही किसी सरकारी कर्मचारी को किसी अपराध कारित का सिद्धदोष ठहराया जाय, उसे उन मामलों में जिनमें लोक सेवा में उसका रहना प्रथम दृष्टया अवांछनीय हो, निलम्बित कर दिया जाना चाहिए, यदि उसे पहले निलम्बित न कर दिया गया हो। यदि पहले सस्पैण्ड नहीं किया हो और वह दोषसिद्ध हो जाय तो उसको सस्पैण्ड कर दिया जाय और वापस उसको बहाल के बारे में क्या लिखा है, वह भी सुन लीजिये। यदि दोषसिद्धि के विरूद्ध कोई, यह कहेंगे कि हम अपील में गये, हमने स्टे ले लिया है, आप दोषमुक्त नहीं हुए हैं, अभी भी आप दोषसिद्ध हैं, जब तक अगली अदालत आपको दोषमुक्त नहीं कर देती है आप दोषसिद्ध हैं। एक कर्मचारी के लिए सरकार ने क्या प्रावधान, आपकी बीजेपी की सरकार ने, भैरोंसिंहजी की सरकार ने 1996 में अपील के सम्बन्ध में क्या प्रावधान किए हुए हैं। यदि दोषसिद्धि के विरूद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण मान लिया जाता है और सरकारी कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उसके सभी दोषसिद्धि पर आधारित पदच्युति, सेवा से हटाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश अपास्त किये जाने होंगे। अपीलीय न्यायालय के निर्णय की प्रति तुरंत प्राप्त की जानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो विधि विभाग से भी मदद, मतलब दोषमुक्त होने पर। जब तक वह दोषमुक्त नहीं हो, बहाल नहीं किया जा सकता। आप चाहें तो मैं इसको भी टेबल करने को तैयार हूं। इसके अलावा यह 10.08.2001 का कार्मिक विभाग का एक आदेश और है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भी 10.08.2001 में भी बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी तरह के महिला से संबंधी या दूसरे गम्भीर अपराध में सिर्फ चालान कर दिया जाए तो भी उसको सस्पेण्ड किया जाए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की इस विधान सभा ने अनेकानेक ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जब हमारे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आगे बढ़कर के इस बात का प्रस्ताव किया है कि जब तक हमारा व्यक्ति दोषमुक्त होकर नहीं आयेगा तब तक वह पद पर नहीं रहेगा। इसके अलावा भी हमारे

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रजातांत्रिक इतिहास में कई उदाहरण मौजूद हैं उमा भारतीजी के साथ क्या हुआ था? सिर्फ इनको वारण्ट से तलब किया गया था, सज़ा भी नहीं हुई थी, उनके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर उन्होंने त्यागपत्र दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं, हवाला में आडवाणीजी का नाम आया था, कोई भी अगर एग्जाम्पल है तो वह एग्जाम्पल चाहे किसी भी दल का हो वह कोट किया जा सकता है, हवाला में आडवाणीजी का न केवल नाम आया था...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अर्जुनसिंह ने भी दिया था मार्बल के मामले में मुख्यमंत्री पद से मध्यप्रदेश में, उसने मार्बल पर महल बनाया था उस पर कुछ कोर्ट ने कहा था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसी तरीके से हवाला में आडवाणीजी का नाम आया था उस वक्त उन्होंने पद छोड़ा, उसके बाद बंगारू लक्ष्मण का तहलका में नाम आया था अपने पद से इस्तीफा दिया। मैं यह नहीं कहता, हम कोई मंत्रीजी को फांसी नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन सार्वजनिक जीवन में होने के नाते हमारी भी मर्यादाएं हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें जनता के बीच में यह संदेश देना चाहिए कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और हमें एक ऐसे शासन व्यवस्था और ऐसे उदाहरण रखने चाहिए जिसके माध्यम से सारे लोगों में संदेश जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान की मुख्यमंत्री से यह प्रार्थना करना चाहता हूं चूंकि मंत्रीजी ने इस्तीफा नहीं दिया है हालांकि उनका विशेषाधिकार है लेकिन जब तक वह दोषमुक्त नहीं होते, एक दोषसिद्ध व्यक्ति को मंत्री बनाए रखना किसी भी रूप में उचित नहीं है। जब सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों तक के लिए हमने यह व्यवस्था कर रखी है कि अगर वह दोषसिद्ध होंगे तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा, उन सबके बावजूद एक ऐसे मंत्री को बनाए रखना घोर और न केवल अम्य अपराध है, महापाप है और अगर यह दो घंटे तक आज भगवान राम का नाम लेकर आप जो करते रहे राजस्थान की जनता आपको देख रही थी अगर उन्हीं मर्यादा पुरूषोत्तम से आपने कोई आदर्श उदाहरण देने का आपने प्रस्तुत किया तो यह.....

श्री अध्यक्ष: समाप्त हो गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सारी आपकी नौटंकी समझ में आ जाएगी,

(श्री संयम लोढ़ा)

यह सार उनको महसूस हो जाएगा यह नौटंकी आप वोटों के लिए करते हो, लोगों को भ्रमित करने के लिए करते हो। मैं राजस्थान के विधि मंत्रीजी से भी कहना चाहता हूं कि जो यहां से उठकर चले गये लेकिन आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वह अपनी अंतरात्मा पर जिस आरएसएस के अंदर जाकर के वह ध्वज प्रणाम करते हैं उस ध्वज की सौगंध खाकर यह बोल देवे कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अगर वह कह देंगे सौगंध खाकर के मंत्री पद पर रहना चाहिए मैं बैठ जाऊंगा, हम मांग नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: इनकी आत्मा को मत जगाओ, जगाना है तो गृह मंत्रीजी की जगाओ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं तो इनकी मरी हुई आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप बिराजें कह दिया, आपने काफी कह दिया सफिशिएंट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यह तय नहीं कर सकते कि मंत्री कोई रहे या नहीं रहे, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं अपनी बात तो कह सकता हूं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और मुख्यमंत्री इस पर फैसला कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था, हम आपके आभारी हैं, आपकी कृपा के, आपके उदार दिल के, आपके आभारी हैं कि आपने हमें यह विषय उठाने का वापिस अवसर दिया लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुद्दे का जवाब सिर्फ राजस्थान की मुख्यमंत्री दे सकती है और मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन की गरिमा के अनुरूप आप सरकार को निर्देश प्रदान करें। राजस्थान की मुख्यमंत्री पिछले 7-8-10 दिन से एक दागी मंत्री को उन्होंने मंत्रिमण्डल में बिठा रखा है उसके लिए राजस्थान की जनता से क्षमायाचना करें और इस मंत्री को बर्खास्त करने की घोषणा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक ऐसे प्रकरण की चर्चा हुई है और अध्यक्ष महोदय आपने भी बड़े उदार मन से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, राजेन्द्रजी अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हो?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी परमिशन से माफी चाहता हूं उन तथ्यों पर नहीं जाना चाहता पर आप कॉमनवेल्थ के एग्जीक्यूटिव की मेम्बर हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कुछ आदर्श प्रस्तुत किये, वहां पर क्वेश्चन कैरी के नाम पर एम.पीज. को बाहर निकाला गया है, कोई एम.पी. दूसरी महिला को लेकर चला गया तो उस पर कार्यवाही की है, इन तथ्यों पर चर्चा नहीं की जाए, आप मुख्य मंत्रीजी से बात कर लें जब ठीक रहे उसका जवाब दे, हम इसमें कोई इश्यू नहीं बनाना चाहते हैं। यह तथ्य है जिन तथ्यों के आधार पर इस राजस्थान की असेम्बलि को भी भविष्य के संबंध में कुछ निर्णय करने चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि we don't want to argue it. There is no question of any argument, there is no question of any debate. The judgment of court is already there. Mr. Rathore is our good friend. He is our colleague. We don't want to make an issue of this but simultaneously we want that this House जिसकी परम्परा की कल आपने बात की, 50 साल में इसकी परम्परा भंग हुई है, उस 50 साल की परम्परायें आगे 50 साल तक बनी रहे इसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके इन तथ्यों के ऊपर मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करें और मुख्य मंत्री और आप बैठकर के जो निर्णय करेंगे उस निर्णय को हम स्वीकार करेंगे लेकिन एक मंत्री से जवाब दिलाकर इसकी गरिमा को आप कम करने का काम नहीं करें यह मैं आपसे सानुरोध प्रार्थना करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री कौन रहे कौन नहीं रहे ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): This is not the prerogative of the minister. अध्यक्ष महोदय, I am sorry. अध्यक्ष महोदय यह तो ...(व्यवधान) जिस गरिमा की बात कर रहे हैं, आज हम चाहते हैं इश्यू नहीं बने, हम गरिमा की बात कर रहे हैं...

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): थोड़ी भी नैतिकता शेष बची है तो देवें इस्तीफा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं अपनी बात आपकी अनुमति से इस सदन में रखना चाहता अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके इसको पोलिटीकल नहीं बनाये, हमारा कल भी इश्यू यही था, आज भी इश्यू यही है।

श्री अध्यक्ष: आप सुन लीजिए, आप संतुष्ट नहीं हो तो मुख्य मंत्रीजी आ जाएंगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हैड तो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर ने इनको ओथोराइज किया है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आथराइज किया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ऑथराइज किया है मुझे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): You have no right to be authorized. सुनिये मेरी बात को पहले ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं कलेक्टिव रेस्पोंसबिलिटी के नाम पर सामुहिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जो आरोप इन्होंने लगाये हैं उनका जवाब देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यदि मुख्य मंत्री ने आथराइज किया है तो सूचना आपको मिलनी चाहिए, इस सूचना से हमें कोई संबंध नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने आपको सूचना दी है कि मेरे बिहाव पर राठौड़ साहब बोलेंगे, यह बताये आप, परम्परा यही है कि यदि मंत्री कोई सूचना देता है तो यह चैयर को सूचना करनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा है हाउस की यदि दूसरा मंत्री देगा जवाब तो पहले चेयर को इन्फोर्म करेगा, आज हमें जवाब दीजिए क्या मुख्य मंत्रीजी ने आपको यह कहा है कि मेरे बिहाव पर राठौड़ साहब जवाब देंगे, यहां सीनियर मिनिस्टर कटारिया

(डा. सी. पी. जोशी)

साहब बैठे हुए हैं, सीनियर मिनिस्टर घनश्यामजी तिवाड़ी बैठे हुए हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को यह अधिकार मुख्य मंत्री ने दिये हैं, आपको यदि चेयर ने कम्युनिकेट किया है तो प्लीज सदन को कन्वे करिए, मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि मेरे सारे पावर जो हैं वह नियत राजेन्द्र राठौड़ में है हाउस में वह यूज करेगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं है बाकी इस इश्यू पर माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं सबमिशन करना चाहता हूं otherwise we will have a political issue. That we don't want. हमने कल भी वैरी स्प्रिट में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप आज गलत परम्परा डाल रहे हैं, आपका एक सदस्य कल निलंबित हो गया उस पर आपका दिल नहीं टूट रहा है, आज आपका सदन से एक्सप्लेन कर दिया उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप ऐसी परम्पराओं को बनाकर इस राजस्थान की परम्पराओं को गलत मत करिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिबेट का इश्यु नहीं है, आप त्यागपत्र लें, नहीं लें यह आपके ऊपर है लेकिन मर्यादा पुरूषोत्तम की बात करने के समय चार घंटे खराब कर दिये हमने इस इश्यू के संबंध में यदि मुख्यमंत्री सदन में भाषण नहीं दें और राठौड़ साहब भाषण दें तो हम बिलकुल नहीं सुनेंगे, फिर आप हमको मत कहिए की सदन की जो गरिमा है उस गरिमा को बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उस गरिमा को बनाने की जिम्मेदारी चेयर की भी है और सत्तापक्ष की भी है, उस गरिमा को बनाकर आप आदर्श प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष: अब आप मुझे सुनेंगे मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति, अब आप क्या चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में यह बात हुई थी कि मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब नहीं देकर और इसका जवाब देंगे राजेन्द्रजी राठौड़, यह बात मेरे सामने हुई थी, मुख्य मंत्री भी मौजूद थीं उन्होंने कहा कि यह बोलेंगे फिर यदि आवश्यकता हुई तो मैं बोलूंगी वरना यह बोलेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आवश्यकता हो तो बोले, यह आर्ग्यूमेंट में ही नहीं है हाउस के अंदर...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैडम, जो खुद प्रभावित मंत्री है वह जवाब वहीं देगा खुद...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह क्या कहेंगे?

श्री अध्यक्ष: वह चाहे तो वह भी बोल दे. He has a right to say anything. उनको तो अधिकार है ही यदि वह बोलना चाहते हैं तो पहले उनकी पहल है, बोलना चाहते हो तो बोलें, नहीं बोलना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उन्हीं के राज में है, आपसे पहले वह देंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राठौड़ साहब बोले इनको अधिकार है पर हाउस में मुख्यमंत्री आनी चाहिए, बिना मुख्य मंत्री के आये हुए हाउस में डिस्कसन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: बुला लीजिए मुख्य मंत्रीजी को।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अधिकार है, यह गलत परम्पराएं नहीं डालें, मैं घनश्यामजी तिवाड़ी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कटारिया जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप इन परम्पराओं का निर्वहन करें, आप निर्वहन करके मुख्यमंत्री को हाउस में लायें, आप रिजाइन कर दीजिए, मंत्री रहे हैं जनता फैसला करेगी लेकिन हाउस के अंदर मुख्य मंत्री नहीं आये इस इश्यु पर चर्चा राठौड़ साहब करेंगे इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था आपको देखना है ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि सदन की व्यवस्था आपकी है न कि प्रतिपक्ष की है, सारे आपको आदेश दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना था यह तो व्यवस्था विधान सभा की है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, यह व्यवस्था आपकी है अध्यक्ष महोदय, आप इसको संभालें। आदेश दे रहे हैं आपको।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, फिर हमारा प्रोटेस्ट इसी पर होगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वो भी कहेंगे अगर मेरे कहने से एतराज है ...

श्री अध्यक्षः कह रहे हैं, मंत्रीजी को कहने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर मेरे कहने से एतराज है तो मंत्रीजी कह देंगे।

श्री अध्यक्षः नहीं, मेरे को कोई एतराज नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने मुझे अनुमति दी है अध्यक्ष महोदय, वरना बिना आपकी अनुमति के मेरे जैसा अदना व्यक्ति खड़ा हो अध्यक्ष महोदय, कभी आपके मन में यह बात आ सकती है। अनुशासन में बंधा हुआ ... माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल से राजस्थान में लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्थाओं की जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं उसको हम नहीं होने देंगे। मुख्य मंत्रीजी हाउस में आयें, फिर मुख्य मंत्रीजी के सामने चर्चा हो इसके बिना यह हाउस नहीं चलेगा। फिर सानुरोध प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप जैसा इतना सीनियर पार्लियामेंटेरियन, आप कामनवेल्थ है, उसकी हैं आप इस तरह परम्परा बनाकर इस इश्यु को डायलूट करने का काम नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुख्य मंत्रीजी अपने चैंम्बर में हैं सारी स्थिति को देख रही हैं वो आ जाएंगी जरूरत पड़ने पर।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर इश्यु है इस इश्यु पर आने वाले वर्षों में ...

श्री अध्यक्षः आपकी बात सुनकर ...

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं धरने पर बैठूंगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, आप परम्पराओं का निर्वहन करते हैं कल भी आपने हम पर आरोप लगाया । हम धरना लगायेंगे अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः मुख्य मंत्रीजी हैं आपकी बात सुनकर आ जाएंगी वो यहां पर।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मुख्य मंत्रीजी नहीं आएंगी तब तक हाउस नहीं चलेगा हम वहां धरना लगायेंगे । मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं आपसे। आप भले ही कल मुख्य मंत्रीजी से जवाब दिलवा दें लेकिन बिना मुख्य मंत्रीजी के हाउस में चर्चा नहीं होगी ।

श्री अध्यक्षः मुख्य मंत्रीजी अपने चैम्बर में है आपकी बात सुन रही हैं वो आ जाएंगी यहां पर।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं नहीं कह रहा हूं कि आज जरूरी है, मुख्यमंत्री को काम हो सकता है, हाउस में आज नहीं आये यह भी इश्यु नहीं है लेकिन हाउस में मुख्य मंत्रीजी की प्रजेंस में डिस्कसन होगा। कल कर दें, कोई तकलीफ नहीं है लेकिन आप मुख्य मंत्रीजी की एब्सेंस में इस इश्यु को डायल्यूट करने का काम करें अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन को माननीय सदस्य एक तरह से निर्देशित कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): निर्देशित करते तो कल भी हम आपके साथ पार्टी नहीं बनते। कल भी आपके साथ हाउस चलाने में पार्टी नहीं बनते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सर्व अधिकार संपन्न आसन को ...

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कल भी आप दिन भर पांच बजे तक हाउस को चलाने की स्थिति में नहीं थे आपके सदस्य कह रहे थे और आप हाउस को नहीं चला पाये थे। तब भी हम साथ थे नहीं तो कोपरेट नहीं करते आपको।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी आ रही हैं। आप सुन लीजिये आ रही हैं मुख्य मंत्रीजी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं-नहीं, अध्यक्ष महोदय, please don't establish wrong practice. आप दूसरा विषय ले लीजिये और शुरू कर दीजिये आते ही। आप जब मुख्य मंत्रीजी आयें तब शुरू कर दीजिये मना थोड़े कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आ रही हैं वो।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप नया इश्यु ले लीजिये मुख्य मंत्रीजी आयें तब चर्चा कर लीजिये क्या तकलीफ है? कोई आज अभी फैसला थोड़े करना है लेकिन सदन का जनता में यह मैसेज जाना चाहिए, इतना बड़े इश्यु में हाउस में मुख्यमंत्री नहीं हों, इस तरह आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तरफ तो आप परम्पराओं की बात कर रहे हैं पचास सालों में यह हो गया, यह बातें हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस इश्यु पर मुख्य मंत्रीजी हाउस में बैठी नहीं रहे ये तो ठीक नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे ...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ये खान मंत्री जी के खुद के नाम है।

श्री राठौड़ राजेन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी भी आ गयी हैं अब तो मुझे बोलने दें आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य बिजनेस, माइनिंग, किसी भी प्रकार का व्यवसाय ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दी है आपने।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): किसी भी प्रकार का व्यवसाय जिसमें माइनिंग भी एक व्यवसाय है वो नहीं कर सकता। उसको त्यागपत्र देना पड़ा था पहले भी व्यवसाय करने के लिए। बिजनेस मंत्री नहीं कर सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मैम्बर बिजनेस नहीं कर सकता। अपने नाम से नहीं कर सकता, किसी के नाम से भी नहीं कर सकता। वो मंत्री रह सकता है जब तक मंत्री है वो खेती कर सकता है।

श्री अध्यक्ष: पहले इनका जवाब देवें आप, फिर करना बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से अभी एक विषय सदन में उठाया और अध्यक्ष महोदय, यह आपकी उदारमना है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में यह स्पष्ट उल्लेख होते हुए भी मैं नियम 37 के 7 को कोट करना चाहूंगा उसमें किसी ऐसे विषय पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो भारत के किसी भी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णय के अन्तर्गत हो परन्तु फिर भी अध्यक्ष महोदय, चूंकि कल इस प्रकरण को लेकर उत्तेजना थी आपने कृपापूर्वक अनुमति दी। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकरण को अभी अपनी लच्छेदार भाषा में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया अगर देखा जाए तो इसका कोई ओर छोर कहीं नहीं है। परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम राजनीति में काम करने वाले लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में कई बार एक दूसरे का ऐसा चीर हरण करते हैं अध्यक्ष महोदय, कि आम आवाम तक जो बातें जाती हैं उसमें राजनीतिज्ञों के बारे में आम व्यक्ति की धारणा बदलने लगती है। अभी इन्होंने बड़े जोर-शोर से इस बात को कहा कि हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। निश्चित तौर पर न्यायपालिका हमारे अभिन्न अंगों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में से है लोकतंत्र का एक मजबूत स्तम्भ है परन्तु मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान की लोकशाही में एक बार राजशाही के बादल आये थे। इलाहाबाद हाइकोर्ट का वो फैसला जिस फैसले से उद्वेलित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे राष्ट्र को 18 महीने तक के लिए आपातकाल के काले बादल के अन्दर समेटने का काम किया था जिसको आज भी आपातकाल के भुक्तभोगी बैठे हैं घनश्यामजी तिवाड़ी जिस तरह का अमानवीय आचरण इनके साथ हुआ वो आज भी लोग याद करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा रहता इससे पहले यह खुद देख लेते कि आज केन्द्र सरकार में एक दो नहीं अध्यक्ष महोदय, चार-चार ऐसे मंत्री हैं जिन पर संगीन आरोप लगे हैं निचली अदालतों ने कई तरह के अभिनिर्णित किये हैं परन्तु वो मंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे मामले को चंद शब्दों में पूरा करना चाहूंगा। यह सही है कि 11.9.07 को माइन्स एक्ट, 1952 की धारा 69, 73, 71, 72 और 66 के अन्तर्गत 6 महीने की सज़ा और दो हजार का जुर्माना माननीय मंत्रीजी को हुआ था और यह भी सही है कि माइंस एक्ट की जिन धाराओं के बारे में इन पर आरोप लगे वो सारी धारा अध्यक्ष महोदय, सुपरवाइजरी नेग्लीजेंसी की हैं एक तरह से विकारियस लायबिलिटी है। करे कोई भरे कोई इस सिद्धांत के आधार पर ये सारी बातें आयी हैं। अध्यक्ष महोदय, खनन उद्योग राजस्थान का प्रमुख उद्योग है और राजस्थान के अन्दर इस उद्योग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम चौबीस हजार माइंस हैं जिनमें बीस लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं पन्द्रह सौ मेजर माइंस हैं और चौबीस हजार माइनर माइंस हैं और एक लाख साठ हजार हैक्टेयर के अन्दर यह सारा काम है । अब इनमें इतनी बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं तो दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए पर यह पहला उदाहरण है राजस्थान के इतिहास में कि माइंस एक्ट में जुर्माना तो होना था पर सज़ा हुई । वो सज़ा क्यों हुई मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता पर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दुर्घटना हुई 7 जनवरी, 2003 को उस समय कांग्रेस का शासन था । निश्चित तौर पर आपने सही कहा मार्बल के ब्लॉक में दबकर भगवान लाल नाम के एक मजदूर की मृत्यु हुई। इंसपेक्टर ऑफ माइंस और उप निदेशक खान सुरक्षा ने 10.1.03 को खान का मुआयना किया और जिस वक्त खान का मुआयना किया और जिस वक्त दुर्घटना हुई उस समय खान के मालिक सुरेन्द्रसिंहजी नहीं थे। रमनलाल शर्मा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के नाम से लीज थी जो रिकार्ड पर है और बाइस दिन बाद 29.1.03 को इनके नाम खान ट्रांसफर हुई और अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 2.7.03 यानी 6 महीने बाद इनके खिलाफ एक इस्तगासा अदालत में पेश किया गया, रिकार्ड में यह भी मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, जो जांचकर्ता ने इंसपेक्शन किया था माइंस इंस्पेक्टर उसने अपने बयानों में कहा कि मैं जब दुर्घटना के बाद जांच करने गया तो लीज होल्डर रमनलाल था सुरेन्द्र सिंह नहीं। उसके बाद भी अध्यक्ष महोदय, कोई भी परिस्थिति रही होगी 11.9.07 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुनायी और उसी दिन जब इन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो उन्होंने सज़ा को स्थगित किया और एक महीने का अपील का टाइम दिया और उसके बाद यह मामला गया सत्र न्यायाधीश के पास जिला सत्र न्यायाधीश राजसमंद के पास 14.9.07 को और 14.9.07 को इस पूरे मामले को सुनकर उन्होंने जो दोष सिद्ध किया था जो सज़ा दी थी उसको स्थगित किया, अपील को मंजूर किया और अब उसकी विधिवत सुनवाई हो रही है और अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी सुरेन्द्र सिंहजी इसमें कोई एक्ट नहीं है।

आज अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, हम जानते हैं बड़ी-बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों के सौ-सौ, दो-दो सौ ट्रक चलते हैं, कंपनी का मालिक है, ट्रक कश्मीर से कन्याकुमारी कहां-कहां जाते हैं कई तरह की दुर्घटनाएं भी होती हैं। अब उन दुर्घटनाओं के मामले भी बनते हैं पर हर मामले को लेकर हम यह कहने लग जाएं उसमें निश्चित तौर पर मालिक का भी दायित्व होता है उस पर भी मामला बनता है पर इस तरह के मामले को लेकर के हम बात उछालने लगें और अध्यक्ष महोदय, एक जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 में डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र है उसमें कुछ क्राइम का जिक्र है कि इस इस तरह के नैतिकता से जुड़े हुए क्राइम हों, इस तरह के क्राइम हों उसके अन्दर कोई दोष सिद्ध होता है तो वो मोरल टर्पिट्यूड का मामला हो तो उसके अन्दर वो अयोग्य करार दिया जा सकता है, इस तरह के मामलों में नहीं। अब केन्द्र के अन्दर लालूप्रसादजी यादव केन्द्रीय रेल मंत्रीजी विराजे रहे, प्रेमचंदजी गुप्ता भारी उद्योग मंत्री विराजे रहे !

तस्लीमुद्दीनजी जल संसाधन मंत्रीजी विराज रहे हैं उनकी तो कोई बात नहीं और यहां पर यह बात कहना कि उमा भारतीजी ने इस्तीफा दिया, निश्चित तौर पर उमा भारतीजी ने इस्तीफा दिया । उमा भारतीजी का मामला

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

था वह बिलकुल अलग था । उसमें जब उन्होंने 15 अगस्त, 1994 को ध्वजा रोहण करके भाषण दिया तब आपस में पुलिस मुठभेड़ में चार लोगों की मृत्यु हुई थी । वह मामला ही दूसरा था । शिबु सोरेन के मामले में जों यह बात कह रहे हैं शिबु सोरेन को निचली अदालत ने सज़ा दी उसके बाद वह अपील में गये । जब तक वह अपील में गये तब तक मंत्री बने रहे और उसके बाद जब हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला किया और हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब उनके वारंट निकले तब वह मंत्री की कुर्सी से नीचे आये । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की आदत से हमें बाज आना चाहिये । हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं छींटाकशी के इस दौर में कहीं न कहीं किसी पर भी कीचड उछले उस कीचड का कुछ अंश अपने पर भी रहता है और इसी कारण राजनीतिज्ञ के बारे में लोगों की जो धारणा है वह धीरे-धीरे बदलती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कहो तो मैं माइन्स एक्ट के वह सारे सैक्शन पढ़ कर सुना दूं जिनका जिक्र सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने किया । एक सैक्शन ऐसा नहीं हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से माननीय मंत्री महोदय का कहीं इन्वालवमैंट हो और चूंकि आज सारे मामले में सैशन कोर्ट ने इनकी सज़ा को स्थगित कर दिया है इसलिए सजायाफ्ता की श्रेणी में यह नहीं आते हैं इसलिए इनका कोई दोष नहीं है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकरण को यहीं समाप्त किया जाये । अभी इन्होंने माननीय मंत्री महोदय की पुत्री के बारे में एक मामला उठाया । अध्यक्ष महोदय, आप कहो तो मैं वह निर्णय जिस निर्णय के अनुसार इनकी सज़ा को स्थगित किया है वह निर्णय आप कहो तो टेबल करने को तैयार हूं । इनकी नाबालिग पुत्री का मामला था । नाबालिग पुत्री को खान के आबंटन का मामला था । कह दिया कि खान आबंटित हो गई । अध्यक्ष महोदय, खान आबंटित नहीं होती है यह रीसेल का मामला था । 31.1.03 को इनकी पुत्री के नाम इन्होंने एक खान खरीदी उसकी रजिस्ट्री हुई थी । अब प्रतिपक्ष के नेता तो कहते हैं कि अपने को कोई काम ही नहीं करना चाहिये । आज इस सदन में जो भी लोग बैठे हैं हम लोगों का किसी न किसी व्यवसाय के साथ हमारा संबंध है । किसी का खेती के साथ संबंध है, किसी का किसी व्यापार के साथ संबंध है । हां उस व्यापार से संबंधित किसी मामले में हम सदन में पैरवी नहीं कर सकते यह तो आपके न्याय और प्रक्रिया कहती है परन्तु आपने तो कह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिया कि यह खान चला रहे हैं इसलिए इनको मंत्री रहने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इन सारी चीजों को अगर देखें और मैं चाहूंगा कि यह बात यहां और आगे बढे मंत्रीजी अपना स्पष्टीकरण दे। आप में से कोई दो माननीय सदस्य आकर चाहे मुख्य मंत्रीजी से बात कर लें सारा रिकार्ड मुख्य मंत्रीजी भी लेकर आये हैं । इस तरह की बात को लेकर हम बिना कारण सदन का समय जाया करें कोई मतलब की बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इसलिए इनकी पुत्री का मामला और इनकी सज़ा के मामले को मैंने बिलकुल साफ करके आपके सामने रखा है और मैं चाहूंगा सदन इस तरह के मामले में ज्यादा न जाकर आगे का बिजनेस लिया जाये ।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सदन में बात उठाई है उसके बारे में थोड़ा मेरी तरफ से स्पष्टीकरण करना चाहूंगा । पिछले कुछ दिनों से विभिन्न समाचार पत्रों में और टीवी चैनल पर समाचार प्रकाशित हो रहा था और इस बात को लेकर प्रतिपक्ष के बी.डी. कल्ला साहब एवं कांग्रेस के काफी प्रतिनिधियों ने गवर्नर साहब के पास एक ज्ञापन भी दिया था कि वसुन्धराजी की सरकार में एक सजायाफ्ता मंत्री अपने पद पर बना हुआ है उसको इस्तीफा दे देना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे उस बारे में थोडा निवेदन करना चाहूंगा और इस पवित्र सदन को भी मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि यह सही है कि 11.9.07 को सिविल न्यायाधीश राजसमंद ने मुझे माइन्स एक्ट में 6 माह की सज़ा और दो हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी । अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उस दिन पेशी पर मौजूद था । 4.12 बजे मुझे न्यायालय में न्यायाधीश महोदय द्वारा सज़ा सुनाई गई थी और उसके 15 मिनट बाद ही न्यायाधीश महोदय ने मेरी एक माह तक सज़ा स्थगित करते हुए एक महीने का मुझे अपील का समय दिया था । इससे यह साबित होता है कि यह कहां दिख रहा है कि मैं सजायाफ्ता मंत्री रहा । मैंने एक दिन भी कोई सज़ा नहीं भुगती है । इसलिए माननीय सदस्य जिस लहजे से यह आवाज उठा रहे हैं कि एक सजायाफ्ता मंत्री इस सरकार में मंत्री बन कर घूम रहा है । मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कोई सजायाफ्ता मंत्री नहीं हूं । यह मामला अभी जिला सत्र न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए मैं न्याय प्रक्रिया के बारे में यहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूंगा । मेरा पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका के प्रति कि

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

मैंने अपील की है न्यायपालिका द्वारा मुझे इसमें जरूर न्याय मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय, 7.1.03 को यह दुर्घटना जो बताई गई है मैं स्पष्ट करना चाहूंगा उस समय न मैं विधायक था और न मैं सरकार में मंत्री था । 7 जनवरी को यह दुर्घटना हुई । 10 जनवरी, 2003 को माइन्स इंस्पेक्टर माइन्स पर आये । उन्होंने माइन्स का निरीक्षण किया । उन्होंने निरीक्षण में मजदूरों से बात की, बयान लिये । वहां जितने भी मजदूर थे, जितने भी स्टाफ के लोग थे सबने कहा कि यह माइन्स रमनलाल शर्मा की है । यही नहीं उस माइन्स इंस्पेक्टर ने कोर्ट में अपने बयान में यह कहा कि हां मैं माइन्स पर गया था लीज रमनलाल शर्मा की थी । 22 दिन बाद यह लीज मेरे नाम पर ट्रांसफर हुई है । अध्यक्ष महोदय, लीज ट्रांसफर होने के बाद 6 माह तक मेरे को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था, रजिस्टर्ड ए डी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी । यह भी माइन्स इंस्पेक्टर ने कोर्ट में अपने बयान में स्वीकार किया है कि हां मैंने कोई पोस्टल एडी से सूचना नहीं दी थी । मुझे आश्चर्य हुआ कि 6 महीने बाद जुलाई, 2003 में ज्युडिशियल सर्किल आमेठ होते हुए माइन्स सैक्रेटरी पर न मालूम क्या दवाब था आनन फानन में राजसमंद के कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ एक इस्तगासा दायर करा दिया । मैं यह भी स्वीकार करता हूं जिस दिन इस्तगासा दायर किया था उस दिन यह लीज मेरे नाम थी । लेकिन यह 2 जुलाई को इस्तगासा किया था, 6 माह बाद। मुझे यह कहते हुए भी गर्व है कि संसदीय परम्परा में मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जो हमेशा व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सोच के साथ चलती है । यहां मैं थोडा यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि 6 महीने बाद जब कोर्ट से मुझे नोटिस मिला तब मेरी जानकारी में यह बात आई कि मेरे खिलाफ कोर्ट में कोई इस्तगासा दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं 1993 इस सदन का सदस्य हूं । प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अभी फरमाया था कि मंत्री होते हुए व्यापार नहीं करना चाहिये । मैं आपको यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं इस खनन कार्य से पिछले 25 वर्षों से जुडा हुआ हूं । मेरे परिवार का यह पुश्तैनी धंधा है। मेरी खुद की खातेदारी जमीन में यह मार्बल निकला और उस खातेदारी जमीन में मैं यह खनन कार्य कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 27 अप्रैल, 2003 को मेरे विधान सभा क्षेत्र से तेजस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में एक परिवर्तन यात्रा निकली थी । वह परिवर्तन का आगाज जो चारभुजा से हुआ उसके बाद जो

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

वर्तमान में सरकार थी शायद उन्होंने कोई सोची समझी रणनीति के तहत यह विचार किया कि सुरेन्द्र सिंह राठौड के खिलाफ कोई काम किया जाये और उसके बाद यह जुलाई में इस्तागासा पेश हुआ । मैं इसको राजनीतिक रूप में भी नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मुझे दोषी ठहराया गया है माइन्स एक्ट में मैं इसको दुर्भाग्य समझूं या सौभाग्य समझूं पहली बार माइन्स एक्ट में इस राजस्थान में एक खनन पट्टाधारी के नाम पर मुझे सज़ा सुनाई गई छह माह की। दो दिन से जिस तरह से सदन में अवरोध आ रहा है, जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है राजस्थान के सारे खनन पट्टाधारी चिंतित है। यह खनन कार्य होता है, लाखों मजदूर उस पर काम करते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं, आपस में मिल बैठकर उस समस्या का समाधान भी किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जिस परिवार का सदस्य गया है, मुझे भी दु:ख है..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कोर्ट ने आपको मालिक माना...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप मेरी बात सुनें फिर जो भी फरमाना चाहो। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): इनके नाम से था ही नहीं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह का वातावरण खनन व्यवसाय पर हुआ है सारे खनन पट्टेधारी.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात सुनें उनकी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सीधा कह दीजिए कोर्ट ने मेरे को मालिक नहीं माना और मेरी सज़ा रद्द हुई है। आपने जो अपील की है सैशन कोर्ट में..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): आप बिराजिए। मैं व्यक्तिगत मिलकर आपको सारी बात बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपने बहुत अच्छी..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर आपका नम्बर नहीं आयेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसके बारे में कैसे कह सकते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कह रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं मैं सदन में सबसे कम बोलता हूं..

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अदालत ने जो जजमेंट दिया है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): और कभी भी प्रतिपक्ष के नेता यदि खड़े हुए होंगे, इनका बहुत सम्मान करता हूं...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो सुनो...

श्री अध्यक्ष: यह आपको राय दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): अध्यक्ष महोदय, निवेदन कीजिए बिराजे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह विधान सभा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): आपको और कोई गलतफहमी होगी तो मैं स्वयं आपके मकान पर आकर सारा एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जजमेंट का ओपरेटिव आपको नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): मैं आपको वरिष्ठ नेता मानता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके जजमेंट का ओपरेटिव...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): आप बिराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कोर्ट ने आपको मालिक माना कि नहीं माना । वह पढ़ दीजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): वह तो मैं कोर्ट में लड़ता रहूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अदालत ने आपके इस आरग्यूमेंट को नहीं माना। अदालत ने आपको ही मालिक माना। (व्यवधान) जब तक अदालत इस फैसले को नहीं बदलेगी...

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जब तक आपका यह आरग्यूमेंट बेकार है। अदालत ने आपको मालिक माना है (व्यवधान) मालिक मानकर फैसला किया है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अध्यक्षजी ने इनको मौका दिया है, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी आरोप लगाया कि नाबालिग लड़की के नाम पर खान का आबंटन हो गया। मैंने आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष बी.डी. कल्ला साहब का कई बार टीवी पर स्टेटमेंट सुना है कि इस मंत्री ने नाबालिग बेटी के नाम पर खान आबंटन करा ली, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरी बेटी के नाम पर कोई खान का आबंटन नहीं हुआ है। खान ट्रान्सफर हुई थी उस समय भी सरकार आपकी ही थी। यदि विभाग ने कोई गलती की हो तो सरकार इसकी जांच करवा रही है और यदि विभाग में यह आयेगा कि नाबालिग के नाम पर आबंटन (व्यवधान) सरकार उस ट्रान्सफर को रद्द कर दे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बाप के नाम पर आये, बेटी के नाम पर आये (व्यवधान) आपको सज़ा किस बात की हुई है?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): आप बिराजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मामला बहुत गम्भीर है, वह अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं पहले उनको देने दें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण और देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय पहले कन्ट्रोल रखे, बाद में पूछ लेना आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह सदन न्यायालय में परिवर्तन हो चुका है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं एक स्पष्टीकरण और देकर। मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार और मेरे गांव में खनन कार्य होता है। गांव के सभी समाज के

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

लोग खनन कार्य से जुड़े हुए हैं। मैं आपके सामने सदन में आज यह घोषणा कर रहा हूं, आप अध्यक्ष महोदय इसकी जांच करवा लें, मेरे परिवार और मेरे पास जितनी खदाने हैं मेरे बाप दादा के पुरखों की जमीन के अंदर खनन कार्य कर रहा हूं। मैंने बीस साल के अंदर किसी भी सरकार की भूमि के अंदर कोई खान का आबंटन नहीं करवाया है। यदि सरकार की भूमि में मेरे पास खान हो तो आप निरस्त करने का आदेश दें। मुख्य मंत्रीजी, इसकी आप जांच करवाइये, मेरे परिवार में जितनी खदाने हैं, खातेदारी लैंड के अंदर खान अलाट करवा कर खनन कार्य कर रहा हूं। यदि प्रतिपक्ष के नेता खेती कर सकते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी खेती करता हूं लेकिन व्यवसाय राजनीति नहीं है। मैं राजनीति को अलग रखकर, व्यवसाय अलग करके मेरे परिवार का पालन पोषण करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आज के दिन सिरोही से आने वाले सदस्य का बहुत-बहुत आभारी हूं। मेरे मन में बहुत दिनों से यह पीड़ा थी कि इस सदन के माननीय सदस्यों को आज से दो वर्षों से अखबारों में इस तरह से जो आ रहे थे क्यूं नहीं मैं स्पष्ट कर दूं। इसके लिए सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को भी धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने यह बात उठाकर सारे सदन को यह जानकारी दे दी ।

सदन के माननीय सदस्यों से और भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निजी आचरण में, मेरे ऊपर वैसे कभी आरोप नहीं लगे, मुझे बलात्कार में सज़ा नहीं हुई, मुझे मर्डर कैस में सज़ा नहीं हुई। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनता देख रही है, जनता तो देख रही है, समय आ गया अगले वर्ष का और आप तो अपने वहां की पार्टी को बचाने की चिंता करो। इस तरह से केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। मैं आपका एक बार पुन: धन्यवाद करते हुए आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, मुझे सुनने का मौका दिया, अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह प्रश्नकाल नहीं है, पर्ची पर बात थी। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी कहेगी, बोलिए साहब।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): यह सारी चर्चाओं से...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें सिर्फ अपनी एक बात रखना चाहूंगी आप एक मिनिट दें। जो अभी माननीय सदस्य ने अपनी बात बताई,इनका कैस डिसाइड हुआ था 11 तारीख को जब हम लोगों को खबर हुई तो तुरंत ही अटार्नी जनरल साहब के पास हम लोगों ने इसका एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया था और मैं यहां एक मिनिट आपका लेकर पढ़ना चाहूंगी उन्होंने जो अपना ओपीनियन दिया था, उन्होंने कहा था कि"As far as the membership of the Legislative Assembly is concerned by the instant conviction, the position of Shri Surendra Singh Rathore is not at all affected." और उन्होंने यह भी कहा "Since the matter is a technical matter and does not have any .... it is not part of moral turpitude, the Chief Minister doesn't have to take the decision of dismissing the minister." परन्तु उसके बावजूद भी मैं यह कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य ने तुरंत मेरे को चिट्ठी लिखकर पूरे केस के बारे में अवगत कराते हुए अपना रेजिग्नेशन मेरे पास भेजा था यह कहते हुए भेजा कि अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि मैं गिल्टी हूं तो यह मेरा रेजिक्नेशन रखा है आप इसको एक्सेप्ट कर लें। मैंने यह समझा कि केस आता है हम लोग गांव में जाते हैं, हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं, कई केस हमारे सामने आते हैं परन्तु उन केसेज को मेरिट के ऊपर देखकर फिर हमें सज़ा देनी पड़ती है। बस क्योंकि अख़बार में आ गया और लोगों ने इसके बारे में बात कर दी, इसका मतलब यह नहीं कि वह गिल्टी है। इसलिए एक दफा ए जी की ओपीनियन लेकर और उसको एग्जामिन करने के बाद मैंने उनको यह कहा कि यह आपका रेजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूं क्योंकि I am fully satisfied कि आप उसमें इन्वाल्व नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के कहने के बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं Let us start a fresh chapter. आप एक इथिक्स कमेटी बना दीजिए भविष्य के लिए। यह इश्यु भविष्य में नहीं आने चाहिए। कम से कम इथिक्स कमेटी बना दें जिसमें कोई भी सरकार आये उस सरकार में क्या चीज होनी चाहिए, इस अपोरच्युनिटी का हमें फायदा उठाना चाहिए। यह मेरा आपसे सबमिशन है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बातें मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सारी बात क्लियर हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब काहे का। पर्ची पर मामला है अध्यक्ष महोदय, अब किस चीज का...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह जो वातावरण बना रहे हैं (व्यवधान) जैसे कोई अदालत ने गुनाह कर दिया हो। यह फैसला पढ़िये आप। सफेद असत्य बोला है इन्होंने सदन के अंदर, सफेद असत्य। मैं प्रसंज्ञान सुनाता हूं आपको ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह डिबेट का सवाल ही नहीं है, पर्ची का...(व्यवधान) कल आपके चैम्बर में तय हुआ था कि यह मामला तीस मिनिट में समाप्त होगा, उनतालीस मिनिट हो गए। आगे का बिजनिस भी लेना है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गलत शपथ पत्र देकर नाबालिग बेटी को बालिग बताकर रजिस्ट्री करवाना अपराध नहीं तो क्या है। अगर आम आदमी करता तो आप दंड देते उनको, बात कर रहे हो आप (व्यवधान) यह देखिये।

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): चर्चा हो चुकी है क्रास एग्जामिनेशन किस बात का हो रहा है (व्यवधान) सारी हो गई क्या जानना चाहते हो आप?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य को पांच मिनिट बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्षः क्या, काहे पर अधिकार है, बोल लिये ना क्या अधिकार है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह अधिकार का उपयोग कर चुके हैं पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलने का अधिकार आपको नियमों में है, नियमों से सारे बंधे हुए हैं।

श्री अध्यक्षः पर्ची पर मामला रखा गया। उन्होंने जवाब दे दिया। अब और क्या चाहते हैं आप?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय जब तक अपना बिजनस पूर्ण न हो जाए, तब तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। इस सम्बन्ध में चर्चा समाप्त। और अब विनियोग संख्या-3 विधेयक के लिये पारण करने का। पहले अधिसूचनाएं।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां): अध्यक्ष महोदय, मेरी भी पर्ची थी आज।

श्री अध्यक्ष: आपकी पर्ची कल। श्री रामनारायण डूडी।

राजस्व विभाग

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित 20 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(श्री रामनारायण डूडी)

1- अधिसूचना संख्या एफ.2(4)राज-6/04पार्ट/11 दिनांक 1.3.07 जिसके द्वारा ग्रामदानी ग्राम अनादरा के खसरा नं. 2491, 2494/2 रकबा 85, 19, 239=11 बीघा किस्म गोचर में से क्रमश: 5=00 व 20=00 बीघा कुल 25 बीघा भूमि पर से ग्राम सभा अनादरा का अधिकार समाप्त किया गया है ।

2- अधिसूचना संख्या एफ.2(4)राज-6/92/पार्ट/14 दिनांक 2.4.07 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन) हेतु भूमि का संपरिवर्तन नियम, 2007 विरचित किये गये हैं ।

3- अधिसूचना संख्या एफ.5(1)राज-6/2001/15 दिनांक 12.4.07 जिसके द्वारा फ्रेगमेंट की अवधि दिनांक 31.3.08 तक बढ़ाई गई है ।

4- अधिसूचना संख्या एफ.14(1)राज-6/5/16 दिनांक 18.4.07 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि का आबंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत राज्य सरकार को आबंटन की शक्तियां जिला कलक्टर्स को दिनांक 31.3.08 तक प्रदान की गई है।

5- अधिसूचना संख्या एफ.2(14)राज-6/06/18 दिनांक 27.4.07 जिसके द्वारा ग्रामदानी ग्राम सभा कूच्यावास में श्री करण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय हेतु ट्यूबवैल हेतु चरागाह भूमि पर ग्रामदान ग्राम सभा का अधिकार समाप्त किया गया है ।

6- अधिसूचना संख्या एफ.9(1)राज-6/2007/21 दिनांक 7.5.07 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (जैव ईंधन रोपण एवं जैव ईंधन आधारित औद्योगिक एवं प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु बंजर भूमि का आबंटन) नियम, 2007 विरचित किये गये हैं ।

7- अधिसूचना संख्या एफ.9(1)राज-6/2007/पार्ट-20 दिनांक 7.5.07 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (जैव ईंधन रोपण एवं जैव ईंधन आधारित औद्योगिक एवं प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु बंजर भूमि का आबंटन) नियम, 2007 के अन्तर्गत सीलिंग सीमा में छूट प्रदान की गई हैं।

(श्री रामनारायण डूडी)

8- अधिसूचना संख्या एफ.14(1)राज-6/2005/पार्ट/22 दिनांक 15.5.07 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि का आबंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत एस.टी./एस.सी. बेरोजगार युवकों को कियोस्क, स्कूल, महाविद्यालय, वैटेनरी हास्पिटल खोलने हेतु भूमि का मुफ्त आबंटन किया गया है ।

9- अधिसूचना संख्या एफ.14(1)राज-6/2005/23 दिनांक 15.5.07 जिसके द्वारा विभागीय आदेश संख्या एफ.5(109)रेव/बी/60 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किया गया है ।

10- अधिसूचना संख्या एफ.4(1)राज-6/2006/31 दिनांक 15.6.07 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ।

11- अधिसूचना संख्या एफ.6(2)राज-6/2001/32 दिनांक 18.6.07 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (अलाटमेन्ट ऑफ लैण्ड फॉर सैटिंग आफ पावर प्लान्ट बेस्ड आन रिन्युवल एनजी सोर्सेज) नियम, 2007 विरचित किये गये हैं ।

12- अधिसूचना संख्या एफ.9(15)राज-6/2005-पार्ट/33 दिनांक 21.6.07 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किये गये हैं ।

13- अधिसूचना संख्या एफ.15(5)राज-6/94/34 दिनांक 20.7.07 जिसके द्वारा अजमेर जिले की तहसील पीसांगन में राजस्थान पासबुक (कृषि जोत) संशोधन अधिनियम, 1994 अधि. संख्या 17 वर्ष 1994 को लागू किया गया हैं।

14- अधिसूचना संख्या एफ.6(40)राज-6/01/36 दिनांक 24.7.07 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र भूमि आबंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों को लवण क्षेत्र घोषित किया गया है।

15- अधिसूचना संख्या एफ.2(6)राज-6/06/38 दिनांक 2.6.07 जिसके द्वारा राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971 के नियम 12 में चुनाव प्रक्रिया के संबंध में संशोधन किया गया है।

(श्री रामनारायण डूडी)

16- अधिसूचना संख्या एफ.2(9)राज-6/06/40 दिनांक 8.8.07 जिसके द्वारा ग्रामदानी गांव बहराई तहसील शाहबाद जिला बारां की कार्यपालिका समिति को विघटित किया गया है ।

17- अधिसूचना संख्या एफ.10(2)राज-6/2000/41 दिनांक 13.8.07 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

18- अधिसूचना संख्या एफ.9(15)राज-6/2005-पार्ट/44 दिनांक 6.9.07 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है।

19- अधिसूचना संख्या एफ.2(21)राज-6/07/45 दिनांक 7.9.07 जिसके द्वारा ग्रामदानी गांव कबीर बस्ती तहसील जैसलमेर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कबीर बस्ती के लिये भूमि आबंटन हेतु गैर-मुमकिन भूमि पर ग्रामदानी ग्रामसभा के अधिकार समाप्त किये गये हैं ।

20- अधिसूचना संख्या एफ.9(15)राज-6/05-पार्ट/46 दिनांक 11.9.07 जिसके द्वारा महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज के विस्थापितों को भूमि आबंटन हेतु अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन (अपील) बीकानेर को अधिकृत किया गया हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या एफ.8(50)पीडब्लूडी/2001/पार्ट-1 दिनांक 2.4.07 जिसके द्वारा यानों हेतु फीस की दर निर्धारित की गई है तथा अधिसूचना में उल्लेखित कतिपय वाहनों को फीस के उद्ग्रहण में छूट प्रदान की गई है ।

2- अधिसूचना संख्या एफ.8(50)पीडब्लूडी/2001/पार्ट-1/435 दिनांक 2.4.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.8(50) पीडब्लूडी/2001/ पार्ट-1 दिनांक 2.4.2007 में संशोधन किया गया हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री यूनूस खान।

परिवहन विभाग

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या एफ.6(96)परि/कर/मु.उर्स/97/पार्ट-2 दिनांक 23.6.07 जिसके द्वारा अन्य राज्य से अजमेर शहर को आने-जाने वाली समस्त यात्री वाहनो के लिये 5000/- रुपये से अधिक करों का परिहार किया गया है ।

2- अधिसूचना संख्या एफ.6(96)परि/कर/मु./1/2002 दिनांक 1.8.07 जिसके द्वारा श्रीहरि सत्संग समिति के वाहन संख्या डब्लूबी-19-ए-6122 (भार वाहन) को देय कर के भुगतान से मुक्त किया गया है ।

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र मीणा।

आबकारी विभाग

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या एफ.4(1)वित/आब/2007 दिनांक 1.4.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(62)वित्त/आब/1996 दिनांक 31.3.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया हैं ।

2- अधिसूचना संख्या एफ.4(1)वित/आब/2007 दिनांक 1.4.07 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार लाइसेन्स) नियम, 1973 में संशोधन किया गया हैं।

3- अधिसूचना संख्या एफ11(32)वित/आब/2005 दिनांक 10.7.07 जिसके द्वारा कतिपय क्षेत्रों में आबकारी अधिकारियों को जिला मुख्यालयों पर अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

4- अधिसूचना संख्या एफ4(31)वित/आब/2005 दिनांक 13.8.07 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किये गयें हैं।

5- अधिसूचना संख्या एफ4(31)वित/आब/2005 दिनांक 13.8.07 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 की धारा 69-बी के अन्तर्गत

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

परमिट फीस के भुगतान में अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों व कालावधि के लिये देशी शराब के निर्माताओं को छूट दी गई है ।

6- अधिसूचना संख्या एफ4(27)वित्त/आब/2005 दिनांक 10.9.07 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(62)वित्त/आब/1996 दिनांक 31.3.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया हैं।

7- अधिसूचना संख्या एफ4(27)वित्त/आब/2005 दिनांक 10.9.07 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किये गये हैं।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति, 2007-08 (क्र. सं. 195 से 222)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर सी.पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति, 2007-08 के निम्नांकित 28 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. जनलेखा समिति वर्ष 2002-03 के 170वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 195वां प्रतिवेदन ।
2. जनलेखा समिति वर्ष 2004-05 के 87वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 196वां प्रतिवेदन ।
3. जनलेखा समिति वर्ष 2005-06 के 134वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 197वां प्रतिवेदन ।
4. जनलेखा समिति वर्ष 2005-06 के 135वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 198वां प्रतिवेदन ।
5. जनलेखा समिति वर्ष 2006-07 के 148वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 199वां प्रतिवेदन ।

(डा. सी. पी. जोशी)

6. जनलेखा समिति वर्ष 2005-06 के 115वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 200वां प्रतिवेदन ।

7. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 का पैरा संख्या : 3.3 से संबंधित मामलों पर समिति का 201वां प्रतिवेदन ।

8. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2002-03 अनुच्छेद संख्या : 3.5 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग से संबधित मामलों पर समिति का 202वां प्रतिवेदन ।

9. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-01 के पैरा संख्या : 3.9 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 203वां प्रतिवेदन ।

10. जनलेखा समिति वर्ष 2006-07 के 144वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 204वां प्रतिवेदन ।

11. जनलेखा समिति वर्ष 2006-07 के 183वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 205वां प्रतिवेदन ।

12. जनलेखा समिति वर्ष 2005-06 के 105वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 206वां प्रतिवेदन ।

13. जनलेखा समिति वर्ष 2002-03 के 143वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 207वां प्रतिवेदन ।

14. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित अंकेक्षण वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद संख्या : 4.2.7 कृषि, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, उच्च शिक्षा, वित्त, चिकित्सा, समाज कल्याण एवं उर्जा विभाग का अनुच्छेद संख्या 4.4.3 तथा ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा, वित्त, उद्योग एवं जल

(डा. सी. पी. जोशी)

संसाधन विभाग का अनुच्छेद संख्या 4.4.5 से संबंधित मामलों पर समिति का 208वां प्रतिवेदन ।

15. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-01 के पैरा संख्या 4.3 वन विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 209वां प्रतिवेदन ।

16. जनलेखा समिति वर्ष 2002-03 के 141वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 210वां प्रतिवेदन ।

17. जनलेखा समिति वर्ष 2006-07 के 164वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 211वां प्रतिवेदन ।

18. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सहायता विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-01 का पैरा संख्या: 3.2 एवं वर्ष 2003-04 का पैरा संख्या : 4.4.1 से संबंधित मामलों पर समिति का 212वां प्रतिवेदन ।

19. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन(सिविल) में समाविष्ट सहायता विभाग से संबधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 का अनुच्छेद संख्या : 4.1.5 से संबंधित मामलों पर समिति का 213वां प्रतिवेदन ।

20. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 का अनुच्छेद संख्या : 3.5 तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2004-05 का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का अनुच्छेद संख्या : 4.4.2 से संबंधित मामलों पर समिति का 214वां प्रतिवेदन ।

21. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2001-02 का पैरा संख्या : 6.2 ग्रामीण विकास विभाग एवं वर्ष 2002-03 का पैरा संख्या : 4.2.2 पंचायतीराज विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 215वां प्रतिवेदन ।

22. वर्ष 2003-04 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के

(डा. सी. पी. जोशी)

प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 216वां प्रतिवेदन ।

23. जनलेखा समिति वर्ष 2001-02 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 117, 118 एवं 119वें तथा 2002-03 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 184 एवं 185 प्रतिवेदनों में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 217वां प्रतिवेदन ।

24. जनलेखा समिति वर्ष 2001-02 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 126, 127 एवं 128वें तथा 2002-03(ग्यारहवीं विधान सभा) के 146 एवं 147वें प्रतिवेदनों में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 218वां प्रतिवेदन ।

25. जनलेखा समिति वर्ष 2003-04 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 218वें तथा 2004-05 (बारहवीं विधान सभा) के 90वें प्रतिवेदनों में समाविष्ट क्रमशः वन तथा भू-राजस्व विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2007-08 का 219वां प्रतिवेदन।

26. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद संख्या : 4.2.1, 4.2.2 एवं 4.2.3 सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 220वां प्रतिवेदन।

27. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-01 का पैरा संख्या : 5.2 वर्ष 2001-02 का पैरा संख्या : 4.9, 4.11 एवं 4.12 जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 221वां प्रतिवेदन ।

28. वर्ष 2002-03 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 222वां प्रतिवेदन ।

राजकीय उपक्रम समिति, 2007-08 (क्र.सं. 68 से 76)

श्री अध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2007-08 समिति के निम्नांकित 9 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1993-94 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2007-08 का 68वां प्रतिवेदन।

2- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99(वाणिज्यिक) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2007-08 का 69वां प्रतिवेदन ।

3- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन) वर्ष 2003 04 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2007-2008 का 70वां प्रतिवेदन ।

4- राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-04 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2007-08 का 71वां प्रतिवेदन ।

5- राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-04 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2007-2008 का 72वां प्रतिवेदन ।

6- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (राजकीय उपक्रम समिति, 2005-2006 के 39वें प्रतिवेदन (सी.ए.जी. के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 (वाणिज्यिक) व निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर आधारित) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक) राजकीय उपक्रम समिति 2007-2008 का 73वां प्रतिवेदन।

7- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2006-2007 के 43वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक) राजकीय उपक्रम समिति 2007-2008 का 74वां प्रतिवेदन ।

8- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित बारहवीं राजस्थान विधान सभा के 46वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक) राजकीय उपक्रम समिति 2007-2008 का 75वां प्रतिवेदन ।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

9- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2005-2006 के 41वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक) राजकीय उपक्रम समिति 2007-2008 का 76वां प्रतिवेदन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उप-स्थापन करता हूं :-

टहलेकश्वर बांध निर्माण की स्वीकृति बाबत

I जहाजपुर तहसील के टीटोडा जागीर गांव, जिला भीलवाड़ा के पास टहलेश्वर बांध के निर्माण की स्वीकृति बाबत ; एवं

जहाजपुर पण्डेर शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा वाटर सप्लाई योजना की स्वीकृति बाबत

II जहाजपुर पण्डेर शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा वाटर सप्लाई योजना की स्वीकृति बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र मीणा, विनियोग विधेयक (संख्या-3) विधेयक, 2007 को पारित करने के लिये प्रस्ताव कीजिये। (व्यवधान) मिस्टर प्रतापसिंह, यहां से हटिये, वे बोल रहे हैं।

विधायी कार्य : विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मुखबन्द में है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007

श्री अध्यक्ष: राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007, श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: डा. एन.एस. गुर्जर। आप क्या जनमत जानने की बात करेंगे?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): बोलूंगा, साहब। वापस तो ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: फिर 5 बिल तो कैसे पास करेंगे अपन?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): ठीक है, वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढा, एबसेंट। डा. बी.डी. कल्ला, एब्सेंट। श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री उत्तर दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई बोले नहीं तो उत्तर की जरुरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यही कह दें कि उत्तर की आवश्यकता नहीं, कोई बोले नहीं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री अध्यक्ष: खण्डश: विचार। खण्ड दो एवं तीन, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड दो एवं तीन स्वीकृत किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड-दो व तीन स्वीकार किये गये।

खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-एक, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी, अब पारित करने का प्रस्ताव कीजिये।

विधेयक का पारण

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना आवश्यक है। इस सदन ने एक सलेक्ट कमेटी बनाई। सलैक्ट कमेटी में यह डिस्कशन हुआ, छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आप बना रहे हैं उसमें हर यूनिवर्सिटी के लिये आपको अलग-अलग एक्ट लाना है। उसके बाद भी, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो राजस्थान असेम्बली ने बिल पास किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक-डाउन किया है। यह इस बात का द्योतक है, मैं माननीय मंत्रीजी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री भी हैं, विधि मंत्री भी हैं इसलिये ज्यादा उत्तरदायित्व हमारा बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ स्टेट की एक यूनिवर्सिटी के फैसले के बाद हम दूसरा बिल बनायें और उस बिल को सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक-डाउन कर दे। इसका मतलब हमारी एक्सरसाइज में कहीं न कहीं कमी रही थी। इसलिये अब आपको इस बिल को विदड्रा करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। I don't want to comment over this that it's a reflection on the government but I will certainly say that it is a reflection on the bureaucracy of the State. How indifferent they are about the judgment of the Supreme Court!

(डा. सी. पी. जोशी)

(समय: 16.14 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

यदि हम इन चीजों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं रहेगा। मैं आगे यह कहना चाहता हूं, मंत्रीजी क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप लायेंगे। लोगों ने इनवेस्टमेंट कर दिया, जमीन ले ली, बिल्डिंग बना दी तो यह तो फोरगोन कन्क्लूजन है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी आयेंगी। परन्तु प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा खतरा जो सामने है, उसके बारे में हम चिन्ता नहीं कर रहे हैं। वह करने की आवश्यकता है। यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम उन फैकल्टी में लायें, जिन फैकल्टी में स्टेट एक्सपंडीचर नहीं बियर कर सकती है तब तो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कोई उपयोग समाज के लिये होगा और यदि हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी आर्ट, साइंस और कामर्स की एस्टिब्लिशड स्टेट की जो यूनिवर्सिटी हैं उसकी बराबरी करने के लिये हम यूनिवर्सिटी ला रहे हैं तो स्टेट का बहुत बड़ा एक्सचेकर का पैसा वेस्ट हो जाएगा। और यह जो यूनिवर्सिटी आलरेडी बनी हुई हैं वह कोलेप्स हो जाएंगी। इसलिये मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, I don't want to go in detail about this because हमने कल ही फैसला किया है कि हम जल्दी ही करेंगे। परन्तु मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन में आपसे यह निश्चित कराना चाहता हूं कि यह सरकार जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल लायेगी तो इसमें एक राइडर डालेगी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम उन सब्जेक्ट्स में अलाऊ करेंगे जिसमें आने वाले समय में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। अब बायोकेमेस्ट्री का हो गया। अब दूसरी नई विधा शुरू हो गई है। नया एक बहुत बड़ा एवेन्युज खुल गया है एण्टरटेनमैंट का। बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का खुल गया है। बहुत बड़ी नई विधा टैक्नालाजी, अब सेटेलाइट टैक्नालाजी आ गई है। नई जो अभी यू.एस.ए. के साथ इण्डिया का कोलोब्रेशन होगा तो न्यूक्लियर टैक्नालाजी के अन्दर बहुत बड़ा स्कोप है। क्या राजस्थान सरकार न्यूक्लियर टैक्नालाजी को आगे बढ़ाने के लिये, स्पेस टैक्नालाजी को आगे बढ़ाने के लिये या बायो-टैक्नालाजी को आगे बढ़ाने के लिये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल बनाने में प्रोविजन करना चाहते हैं मैं समझता हूं कि यह हमारा कंसेप्ट नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि please for God's sake, आने वाले वर्षों में आप जिस one more feather in your cap जिसमें आप बार-बार कहते हैं कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया।

(डा. सी. पी. जोशी)

हालांकि इण्डिया टूडे का लेटेस्ट सर्वे उल्टा बता रहा है कि राजस्थान एक पायदान पीछे आया है। See the latest figures कि राजस्थान के हर वाक आफ लाइफ में, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, जो भी यार्ड-स्टिक है, जिस इण्डिया टूडे के अन्दर जाकर हम पूरे स्टेट्स को कम्पेयर करते हैं उसमें राजस्थान का अचीवमेंट नेगेटिव हुआ है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके एफर्ट्स को भी एफीशिएट करता हूं। I don't wish to deny them but simultaneously फ्यूचर में किस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी बने यदि हमने यह कंसेप्ट लागू नहीं किया, माननीय सभापति महोदय, तो हम आने वाले समय में स्टेट के बहुत बड़े पैसे को वेस्ट कर देंगे और प्राइवेट यूनिवर्सिटी उस पर थ्राइव करेगी और वह जो यूनिवर्सिटी हमने एस्टेब्लिश की है, वह कोलेप्स हो जाएगी। यह स्थितियां इसलिए बनीं, माननीय सभापति महोदय, आप याद करिये आज प्राइवेट कालेज थ्राइव कर रहे हैं, they are earning a lot but जितने गवर्नमेंट कालेज हैं वह कोलेप्स कर रहे हैं। You start with schools. स्कूल्स को आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट की जितनी स्कूलें हैं इन टाउन्स में वह सारी स्कूल कोलेप्स हो गयी हैं और प्राइवेट स्कूल वहां पर थ्राइव कर रही हैं। आने वाले समय में राजस्थान में भी यह स्थिति बनेगी कि यहां आज की राजस्थान की आपकी यूनिवर्सिटी है, उदयपुर की यूनिवर्सिटी है, कोटा की आपने यूनिवर्सिटी बनायी है, अजमेर की यूनिवर्सिटी बनायी है यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिंघानिया की बल्लभनगर में खुल रही है, यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी जयपुर के अन्दर खुल रही है। यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके जो जयपुर में तीन-चार आपके जो प्रपोजल्स हैं वह यूनिवर्सिटी यहां पर आ गयी और वह एम.ए., एम.एससी., और एम.कॉम. की डिग्री भी इम्पार्ट करने के लिए कोई कोशिश करेगी तो आप तो रिक्रूटमैंट कर नहीं सकते। जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, आज हायर एजुकेशन फैकल्टी रिक्रूटमैंट सबसे बड़ी प्राब्लम है हिन्दुस्तान में, राजस्थान में ही नहीं, थ्रू आउट इंडिया प्राब्लम है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा रिसर्च सफर कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रोफेसर की पोस्ट्स खाली हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो हमारी सबसे बड़ी प्रिमियम यूनिवर्सिटी थी, आज वहां पर 600 से ज्यादा टेम्प्रेरी लेक्चरार काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल से टीचिंग करवा रहे हैं लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बनाने के संबंध में यह जो सीन बन रहा है, उसके बारे में हमने कभी चर्चा की या नहीं की।

(डा. सी. पी. जोशी)

इसलिए मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि यह एक मौका मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बिल, जिस बिल पर सलैक्ट कमेटी ने पूरी ताकत, विज्डम लगाकर किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक-डाउन कर दिया। उसके बाद भविष्य में हम जो बिल बनाना चाहते हैं, मेहरबानी करके माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसमें जो नया बिल लेकर आयें उसमें मान्यवर, यह करीब-करीब सब चीजें ध्यान में रखें जिससे प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस के लिए बने। प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टिब्लिश यूनिवर्सिटी से कम्पेयर करने के लिए नहीं बने तब तो यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाने का परपज सर्व होगा अन्यथा माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा खतरा यह है कि आज टेक्नोलाजी के जितने भी आपने कालेज खोले हैं, वे हेव्ज के लिए है, हेव्ज-नोट के लिए बाहर हो गये हैं। यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिक्रूटमैंट करेगी, ल्यूक्रेटिव सैलेरी इनको देगी। फीस ज्यादा बढ़ जाएगी तो गरीब आदमी तो उसमें जा ही नहीं सकेगा। जब गरीब आदमी जा ही नहीं सकेगा तो हम एक इस तरह की स्थिति बना देंगे कि private universities are meant for 'haves' and government universities are meant for 'have-nots'. यह जो एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाएगा, उससे फाल आउट की हम कल्पना नहीं कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी सामाजिक विषमता खड़ी कर देगा।

इसलिए मैं अब ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता पर मैं निश्चित तौर पर माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि इस आपर्च्यूनिटी का हम मौका लेकर हम भविष्य में एक अच्छी यूनिवर्सिटी की कल्पना करके बनाएंगे तो निश्चित तौर पर यह सदन आपके प्रति आभारी रहेगा और यदि इसके पीछे हमारे मन में कल्पना 19वीं सदी की हो, हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की, हिस्टोरिकल लिगेसी की हो, उसके आधार पर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो मेहरबानी करके मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नहीं बनायें और जितनी यूनिवर्सिटी आपकी बनी हुई हैं उनको ही एनरिच करें। उनकी फैकल्टी के लिए पैसा दें। उनके डवलपमैंट के लिए पैसा दें। उनके रिसर्च के लिए पैसा दें तो आपकी जितनी यूनिवर्सिटी बनी है, आज कोटा में क्या स्थिति बनी हैं, 25 लाख, 50 लाख में हमने यूनिवर्सिटी खोल दी।

(डा. सी. पी. जोशी)

अजमेर में यूनिवर्सिटी 50 लाख में हमने खोल दी। आज जितनी नई यूनिविर्सिटी खोली हैं, they are catering only to the establishment cost of the Vice-Chancellor's Office, they are not catering to anything else. इससे बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि कोटा में दो यूनिवर्सिटी हैं। अजमेर में यूनिवर्सिटी है। उदयपुर में यूनिवर्सिटी है लेकिन सारी यूनिवर्सिटी में हम रिसर्च के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। लेबोरेटरी के लिए हम पैसा नहीं दे रहे हैं। फैकल्टी रिक्रूटमैंट के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं और उसके बाद हम यह नई यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो निश्चित तौर पर यह जो यूनिवर्सिटी सरकार ने बनायी है, आलरेडी एस्टेब्लिश है वह कोलेप्स हो जाएगी। मैं आपसे आशा करता हूं भविष्य में अच्छी यूनिवर्सिटी बनें, आपके एक और फेदर कैप में लगे, आपकी वाहवाही और बढ़े और आपकी वाहवाही में और कोई नुकसान हो, मुझे मालूम नहीं है कि हो कि नहीं हो लेकिन निश्चित तौर पर आपसे यह आशा करते हैं कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम करें जिससे सदन इस बात के लिए आश्वस्त हो सके, इसका लाभ उठाकर हमने एक अच्छा एक्ट बनाया है। धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, एक साथ ही दे देना न जवाब आप। एक-एक का जवाब थोड़े ही देंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): निरसन है। निरसन है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं तो दो-तीन मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति: ऐसा है आपको बोलने के लिए किसी ने रोका नहीं है। सी.पी. साहब ने सारी बात बता दी हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे यहां पर उठाये, यह सही है कि जब राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाने के लिए विधेयक आया था तो उसके लिए एक सलेक्ट कमेटी बनी थी। मैं भी उस सलेक्ट कमेटी में था और सब की मंशा यह थी कि हम एक ऐसा विधेयक तैयार करें ताकि राजस्थान भी तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, केरल और कर्नाटक की तरह वहां के जो विश्वविद्यालय हैं, आई.टी. में वहां की जो प्रोग्रेस है, वहां के कितने बच्चे आते हैं उसके मुकाबले में राजस्थान कहां खड़ा है? राजस्थान भी उस स्थिति में आये इस

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मंशा के साथ सलेक्ट कमेटी ने एक अच्छा विधेयक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल बनाया था और मुझे जहां तक जानकारी है राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसको एप्रीसिएट भी किया था। शिक्षा मंत्रीजी, जब आप अपना उत्तर देंगे तब इस बात को कहेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको एप्रीसिएट किया था कि राजस्थान ने एक अच्छी पहल की है। हमने मणिपुर यूनिवर्सिटी को भी देखा था। छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स थे उनका भी अध्ययन किया था और कोशिश की थी कि इन सारी कमियों को दूर करके इस तरीके का बिल लाये। आखिर में मैं यह चाहता हूं कि आप माननीय शिक्षा मंत्रीजी, सदन को इस बात से अवगत करायें कि जब अच्छा विधेयक बना और हाई कोर्ट ने एप्रीसिएट किया, उसके बाद उसमें ऐसी क्या कमी रह गयी कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्टे करने का काम किया है। जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह सही है कि अब हममें कौनसी कमियां हैं उनको दूर करके और किस तरीके से हम भविष्य के बारे में सोचें कि भविष्य में भी राजस्थान के छात्र क्यों नहीं दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, जहां के छात्रों की बनिस्बत यहां के भी छात्र आगे बढ़ें और आई.टी. क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में अच्छी यूनिवर्सिटी प्राइवेट सैक्टर के अन्दर राजस्थान में आये और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर डवलप हो और यहां का भी शैक्षणिक तौर पर विकास हो तो हाई कोर्ट ने तो क्यों एप्रीसिएट किया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे किया है? इस पर आप विस्तृत रूप से इस सदन को जानकारी देंगे। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः माननीय श्री बी.डी. कल्ला।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैं भी कहना चाहता हूं। एक सैकण्ड ही कहना चाहता हूं। मैंने पहले हाथ खड़ा किया हुआ है। जब स्पीकर साहब बैठी हुई थीं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप इनके बाद बोल लेना। कल्ला साहब का नाम पुकार लिया।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): आप तो वैसे ही प्रोफेसर हो और आप तो धुरंधर हो ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे बाद बोल लेना। मेरे को पुकार लिया इन्होंने।

श्री सभापतिः माननीय चपलोत साहब, मैंने नाम पुकार लिया। आप इनके बाद बोल लेना। दो मिनट में क्या फर्क पड़ता है? (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): एक सैकण्ड। मैं यह निवेदन करना चाहता था, एक मिनट कल्ला साहब, आप बाद में कह देना। मैं तो सी.पी. साहब की बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बाद में बोल लेना। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप व्यवस्था जानते हैं, आप स्वयं अध्यक्ष रहे हुए हैं। मैंने इनका नाम पुकार लिया है।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। मैं कोई, इसमें जिद की बात नहीं है।

श्री सभापति: आप दो मिनट विराजिये। दो मिनट विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): यह आधा घंटा तक बोलेंगे और मैं एक मिनट में ही कहना चाहता हूं इसलिए दिक्कत हो रही है। यह विद्वान हैं।

श्री सभापति: दो मिनट।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, इसके संबंध में मैंने प्रस्ताव दिया है, उसके संबंध में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): पारित की स्टेज है। (व्यवधान)

श्री सभापति: पारित की स्टेज चल रही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चलो कोई बात नहीं। मेरे को उस समय आपने मौका नहीं दिया। चलो, मैं अपनी बातें ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मौका दिया तो आप नहीं थे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मौका दिया था। यह हर क्षण बदलते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मुझे विधायी-शाखा ने इसी काम के लिए बुलाया हुआ था ... (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य का जिन्होंने जनमत का प्रस्ताव दिया था, उनका नाम पुकारा गया था। आप यहां पर थे नहीं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चलो कोई बात नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं विधायी-शाखा में इसी काम के लिए गया हुआ था। पुलिस विधेयक के बारे में जो अमेंडमैंट्स दिये हुए थे उनको ठीक करने के लिए गया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां तो कल बोल देना उस पर ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज का हाल राजस्थान में क्या है? आज राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को न तो गवर्नमैंट ग्रांट दे रही है, न वहां पर कोई पिछले दिनों में जो भर्ती होनी चाहिए वह भर्ती नहीं हुई प्रोफेसरों के पद खाली, रीडर के पद खाली, लेक्चरर्स के पद खाली, यह स्थिति कमोवेश सारी यूनिवर्सिटीज में है। जोधपुर यूनिवर्सिटी की यही हालत है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की, कोटा और बीकानेर में विश्वविद्यालय बना दिये। वहां यूनिवर्सिटी विदाउट फैकल्टी है। कोई फैकल्टी मैम्बर नहीं है। केवल एग्जामिनिंग बोडी के अलावा उस यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं हो रहा है। जब विश्वविद्यालय बनाये गये थे तो ऐसा विचार रखा गया था कालूलाल श्रीमालीजी की समिति बनी थी, जो केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रहे थे, उन्होंने यह सुझाव दिया था कि सम्भागीय स्तर पर यूनिवर्सिटीज बनायी जाएं। उन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हम अपने-अपने डिवीजन के जो-जो कालेजेज हैं, उनका एफीलिएशन करके उसका डवलपमैंट करें। वहां रिसर्च करें और वहां पर हायर एजुकेशन का डवलपमैंट करें लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इन यूनिवर्सिटीज के न तो अभी तक कोई भवनों का अता-पता है, न वहां फैकल्टी का अता-पता है। केवल मात्र परीक्षा के अलावा उन यूनिवर्सिटीज ने कोई काम नहीं किया है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बनाने जा रहे हैं, बनाएंगे, इसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी के संबंध में बिल लाएंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों तो आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के संबंध में यह, अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य माहिर आजाद साहब ठीक कह रहे थे कि आपने सलेक्ट कमेटी के माध्यम से बिल बनाया। वह क्यों निरस्त हुआ? क्यों वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह निर्देश दिये कि इसके बारे में आप कार्यवाही करें। इन सब बातों का खुलासा आपको देना चाहिए और इसके साथ-साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अब इसके बाद आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक जाल सा बिछाने जा रहे हैं। उसके संबंध में जब तक यू.जी.सी. के नोर्म्स

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

फुलफील नहीं हो, पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं हो, पर्याप्त मात्रा में फैकल्टी मैम्बर नहीं हो, पर्याप्त मात्रा में उनके आर्थिक संसाधन नहीं हो तो यह मशरूम ग्रोथ राजस्थान को ले डूबेगी और राजस्थान का हायर एजूकेशन का स्टेण्डर्ड कमजोर कर देगी। हमारी यूनिवर्सिटी में कितनी रिसर्च हो रही हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में क्या एकेडमिक एक्सीलेंस आया है, उनके बारे में हम जब तक सभापति महोदय, ध्यान नहीं देंगे तब तक यूनिवर्सिटी, का एक तरीके से कहने को इतनी यूनिवर्सिटी आपने प्राइवेट सैक्टर में बना दी या बना देंगे, उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, उनके डवलपमैंट के बारे में आपने क्या प्लान बनाया है? हमारे यहां अब तक एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके लिये आपने क्या प्रयत्न किये? राजस्थान में एरिड जोन है, बाढ़ में तो पानी है, पहाड़ी एरियों में पूरे देश में जगह-जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं, लेकिन हमारे यहां 12 जिले ऐसे हैं जो एरिड और सेमी एरिड जोन में आते हैं। उसके लिए आपने कभी प्रयत्न नहीं किये। आज भारत सरकार सेंट्रल सैक्टर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने के लिये तैयार हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस संबंध में कोई प्रयत्न नहीं किये। मैं चाहता हूं राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनें और यहां पर अधिक से अधिक फण्ड भारत सरकार का आये ताकि यहां पर हायर एजूकेशन के क्षेत्र में हम डवलपमैंट कर सकें।

इसके अलावा जब यहां पर जीरो आवर चला था तो मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था आप एजूकेशन से संबंधित मुद्दों को उस समय उठा लें। यह व्यवस्था दी गई है, इसलिए मुझे उनको उठाना पड़ेगा। आपके सामने मैं यह बातें ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान में देशी रियासतों का एकीकरण हुआ, उस समय बीकानेर में, अजमेर में, उदयपुर में अलग-अलग विभाग खोले। माइन्स का डायरेक्ट्रेट उदयपुर में खोला, आर.पी.एस.सी., रेवेन्यु बोर्ड और आयुर्वेद का डायरेक्ट्रेट अजमेर में बना, बीकानेर में शिक्षा से संबंधित सारे मुख्यालय वहां रखे गये। डायरेक्ट्रेट कालेज एजूकेशन, डायरेक्ट्रेट प्राइमरी एण्ड सैकण्डरी एजूकेशन, डायरेक्ट्रेट टैक्नीकल एजूकेशन, यह सारे डिपार्टमेंट वहां पर रखे गये। लेकिन सभापति महोदय, जब-जब बीजेपी की सरकार राजस्थान में आती है, बीकानेर के साथ सौतेला एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

किया जाता है। पहले आपकी सरकार आई तो एलीमेंट्री एजूकेशन का डायरेक्ट्रेट आपने वहां से हटा दिया। उसके बाद हमने राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय से बातचीत करके और उस डायरेक्ट्रेट को वापस बीकानेर में रखवाने के आदेश करवाये। अभी हाल ही में आपने समान शिक्षा का काम, पुस्तकालय का काम यहां पर भाषा विभाग को दे दिया और अब आपने देखा होगा कि सन् 2000 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री, चन्दनमलजी बैद साहब ने पैरा 122 में यह घोषणा की थी कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय बीकानेर रखा जायेगा और उसके लिये उन्होंने प्रावधान भी कर दिया था 50 लाख रुपये का। आपने अभी हाल ही में एक आदेश जारी कर समान शिक्षा और समान परीक्षा के आधार पर इस काम को चार जिलों के, इसका कार्यक्रम सफल होने पर पूरा कार्यक्रम आपने पाठ्य पुस्तक मण्डल को देने की बात कही है। पाठ्य पुस्तक मण्डल का काम केवल मात्र किताबें प्रकाशित करने का है, प्रकाशन करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। अब परीक्षा का उनको दे देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान और बीकानेर के हितों के साथ कुठाराघात होगा। आपको प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का गठन बीकानेर में करना चाहिये। इसके लिये जमीन भी वहां पर आइडेंटिफाई की हुई है और उसके लिये प्राथमिक शिक्षा बोर्ड जब बन जायेगा तो निश्चित रूप से जो देशी रियासतों के एकीकरण के वक्त में बीकानेर की जनता के साथ वादा किया था, उसको हम फुलफील कर सकेंगे। नहीं तो यह बीकानेर के साथ जैसा सौतेला व्यवहार आप करते आये हैं, वह करेंगे तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

शिक्षा निदेशालय से आपने ग्रांट इन एड का काम छीन लिया। इसी प्रकार से डाइट बीकानेर में जो एस.टी.सी. के लड़कों की काउंसलिंग होती थी, वह अब डाइट गोनेर को दे दी। इस प्रकार से अनेक काम आपने बीकानेर के प्राइमरी और सैकण्डरी एजूकेशन निदेशालय से धीरे-धीरे छीन लिये। सभापति महोदय, पिछले लगभग 12 महीने से अधिक समय से वहां पर दोनों आयुक्तों का काम एक ही आयुक्त देख रहे हैं। एलीमेंट्री एजूकेशन का डायरेक्टर देख रहा है, सैकण्डरी एजूकेशन की वहां पर डायरेक्टर की पोस्ट भरी हुई नहीं है। एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट खाली है और अनेक पद रिक्त हैं, उनको आप कब तक भरेंगे? ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे शिक्षा निदेशालय का काम

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

छीनकर राज्य सरकार यहां जयपुर में लाना चाहती है। मैं समझता हूं यह चीज उचित नहीं है।

इसको आपको ठीक करना चाहिये। इसके अलावा आज ग्रांट इन एड में स्थिति यह है कि राज्य सरकार जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जो ग्रांट इन एड से संबंधित संस्थाएं हैं, उनकी ग्रांट इन एड धीरे-धीरे कम करती जा रही हैं। जिसके कारण इन संस्थाओं को 90 प्रतिशत एड मिलती थी, उनको 80 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 60 प्रतिशत एड मिल रही है। इसके बारे में आपको विचार करना चाहिये। जब भी आपकी सरकार रही है या हमारी सरकार रही हम लोगों ने 50 से 60 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90-90 प्रतिशत ग्रांट इन एड बढ़ाई है। लेकिन आपके आने के बाद ग्रांट इन एड को कम किया गया है उससे प्राइवेट संस्थाओं के ताले लगने वाले हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर आने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सभी ग्रांट इन एड से संबंधित संस्थाओं की एड में एक प्रतिशत की भी कमी नहीं करनी चाहिये या फिर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके सरकार को अपने अधीन लेना चाहिये ताकि उनको ट्रेजरी से पेमेन्ट मिले, पूरा पैसा मिले और प्राइवेट संस्थाओं में लगभग एक लाख आदमी काम कर रहे हैं, उन एक लाख आदमियों के परिवार को प्रोटक्शन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और पुनः शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं इस बिल को वापस लेने के लिये, प्राइवेट संस्थाएं यू.जी.सी. के नोर्म्स के अनुसार नहीं बनीं तो हम इसका विरोध करेंगे।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): सभापति महोदय, जैसा कि सी.पी. साहब ने कहा, हम सब लोग सलेक्ट कमेटी में थे। हमने पूरी तैयारी से, कई मीटिंग करके यह कानून बनाया। अभी तक मैं समझ नहीं पाया, सी.पी. साहब शायद गायब हो गये, माहिर साहब भी थे उसमें और पता नहीं वह कैसे स्टेण्ड डाउन हुआ। यह इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने पहले ही कहा था अलग-अलग यूनिवर्सिटी के लिये अलग-अलग जाना पड़ेगा। क्या कमी रह गयी उसमें, उसकी वजह से हमको वापस सोचना चाहिये और नये सब्जैक्ट के बारे में आप नई यूनिवर्सिटी खोलेंगे जिन्होंने पहले से इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिये हैं उनको आप यूनिवर्सिटी की मान्यता देंगे नया कानून लाकर और उसमें जो

(श्री शांतिलाल चपलोत)

फैक्ल्टी है, वह अब व्यावहारिक फैकल्टी हो। केवल आट्‌र्स या कामर्स के सब्जैक्ट पढ़ाने से देश का या प्रान्त का हित होने वाला नहीं है। इसलिए आई.टी. के क्षेत्र में हो, आर्किटेक्चर के बारे में हो और किसी डिजाइनिंग के बारे में, फैशन डिजाइनिंग के बारे में हो, बायो टैक्नोलॉजी के बारे में हो, कैमिकल इंजीनियरिंग की क्लासे हों, कैमिकल इंजीनियरिंग के लिये मैं नहीं समझता कि राजस्थान में कोई सुविधा है। सारे लोग बम्बई, पूना जाते हैं। इस प्रकार की स्टेण्डर्ड की इंस्टीट्‌यूशंस हम बनाने की चेष्टा करेंगे तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा होगा। आज की तारीख में हमारे यहां स्टाफ की कमी है। यूनिवर्सिटी आपने काफी खोली हैं पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उदयपुर विश्वविद्यालय में आज की तारीख में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। यही नहीं हो क्लेरिकल स्टाफ है, वह भी कम है। प्रोफेसर की सीटें कम, जितनी सीटें हमारी होनी चाहिये, वह सीटें भी भरी नहीं जा रही हैं। फाइनेन्स की दिक्कत आती है।

मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार की कोई हर्डल आगे नहीं आये, इसके लिये आप प्रबन्ध करें। मैं जिस ला कालेज में पढ़ा हूं, वह कालेज राजस्थान का ओल्डस्ट ला कालेज है। आज उसमें कोई भी स्थाई डीन नहीं है, लॉ का डीन नहीं है। अभी बार कौंसिल आफ इण्डिया के लोग आये और बड़ी लताड़ पिलाकर गये । मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो डीन बना रखे हैं हमने, वह कॉमर्स के हैं। वह कॉमर्स फैकल्टी वाले लॉ के डीन का क्या काम कर सकेंगे?

एक भी स्थायी प्रोफेसर नहीं है जो कालेज हिन्दुस्तान में माना हुआ था उसकी आज इस प्रकार की दुर्दशा हो गयी है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब बातों का पूरा जायजा लेकर के, किस प्रकार से ठीक प्रकार से यूनिवर्सिटीज रन कर सकें और किसी प्रकार के इकानामिकल, फाइनेंशल बर्डन उन पर नहीं रहे, किसी प्रकार से हर्डल्स नहीं आये, इसके लिए भी मैं समझता हूं कि आप कोशिश करेंगे। अभी जो हमारी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के बारे में ग्राण्ट और स्टाफ की पूरी व्यवस्था करें। मैंने आपसे भी कई बार बात की है, मैंने आपके हायर एजुकेशन सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, फाइनेन्स से भी बात की है पर फाइनेन्स वाले छोटी-छोटी बातों में इन को अटका देते हैं जिससे यूनिवर्सिटी का स्ट्रैक्चर बिगड़ जायेगा, उसकी शैल सूरत बिगड़ जायेगी।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

आप छोटे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बढिया से बढिया बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं पर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी की बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं। ऐसी की ऐसी हालत आज कालेजेज की होती जायेगी यदि हमने फाइनेन्स के बारे में या उसके फाइनेन्शल इम्प्लिकेशंस या फाइनेन्स का इंतजाम नहीं किया।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें पुख्ता इंतजाम करें, आप देखने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कभी-कभी तो झेल लो हम को भी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने जब सदन में यह बिल पेश किया था तब उस चर्चा के दौरान ही मैंने इनको आगाह किया था कि आप यह जिस तरह का बिल लेकर आये हैं यह आपका कारवां मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, यह कोर्ट में फिर अटकेगा और, सभापति महोदय, वो ही स्थिति बनी, हाई कोर्ट में आपका बिल चैलेंज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और बाद में जब आपने वापस लेने का वहां पर निवेदन किया तब पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स में कहा है निरसन विधेयक के कि –"Since certain sponsoring bodies had invested large amount of resources in pursuance of the Rajasthan Private Universities Act, 2005 and therefore, these proposals were required to be placed before this House as early as possible." सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए जो क्लेरिफिकेशन दिया है, मुझे सरकार की एक बार फिर ऐसी तैयारी लगती है कि वो फिर उस क्लेरिफिकेशन को और उनके आब्जर्वेशन को दरकिनार करके राजस्थान में उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, जस्टिस एन.एन. माथुर और गोपाल कृष्ण व्यास की बैंच ने अपने फैसले के बिंदु 50 में बहुत क्लीयर, साफ क्लेरिफाई किया है:- "The State authorities involved in processing the applications to establish universities under the Rajasthan Act of 2005 should proceed cautiously keeping in mind that permission is granted only in rare and exceptional

(श्री संयम लोढ़ा)

cases and not in a routine manner. The Act will be utilised only to introduce modular and modernised courses as per the need, equipped with modern teaching and examination system and not for conventional universities. The parties interested in establishing self-financing institutions on conventional lines should only be allowed to grow as college. The notification establishing a university, including a complaint of not proceeding as per the phased programme, shall be subject to judicial review by this court under ..(under) .. Article 226 of the Constitution of India as per the established parameters in the event of challenge. We also make it clear that in the event the impugned Act is misused and proceeds the Chhattisgarh way, the challenge to the impugned Act will be available only on the said ground in accordance with law."

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप यह नये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रास्ता एक्ट के माध्यम से क्लीयर करना चाहते हैं तो यह जो बिल पहले लाये हैं, जिसको आप निरस्त कर रहे हैं इसके माध्यम से जितनी कार्यवाही हुई है वो सब निरस्त है। यह सुनने में आ रहा है कि आप कम्प्लाइंस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जब कोई रूल नहीं बने, जब कोई सब रूल नहीं बने, जब कोई प्रपोजल्स नहीं माने गये तो किस आधार पर यह व्यवस्था आप करने जा रहे हैं? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार को इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपरेंट बनाना चाहिए लेकिन आप का इरादा ऐसा लगता नहीं है क्योंकि आपने पहले ही इसके आब्जैक्ट में कह दिया है कि लोगों ने इन्वेस्ट करके दिया है इस पुराने एक्ट की कम्प्लाइंस के अन्दर, इसका मतलब आपका माइण्ड मेकअप है कि जिस कानून को निरस्त कर रहे हैं राजस्थान विधान सभा के माध्यम से, उसके माध्यम से जो प्रस्ताव मूव हुए हैं आप उन्हीं को आगे कोशिश करना चाहते हैं। यह आपका साफ इरादा दिख रहा है इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यह जो आपने कई लैटर ऑफ इन्टैण्ट और कई जारी किये हैं इस निरसन विधेयक की कम्प्लाइंस में आपने जिन संस्थाओं को भूमि आबंटन किया है ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, नहीं, हमने नहीं किया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने नहीं किया, जे.डी.ए. ने किया है। सुनिये आप मेरी बात। उपायुक्त ...(व्यवधान) सुनिये बात, सुनिये पहले मेरी बात सुनिये। मंत्रीजी, बात सुनिये आप, आप जवाब दे देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, सुनो तो सही, हम जमीन से जुड़े हुए ही नहीं हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं पर यह सरकार तो जमीन पर ही चल रही है। वो भी सुन लो आप। केशव विद्यापीठ को जामडोली में व सुमेल में विश्वविद्यालय हेतु भूमि आबंटित किये जाने बाबत, यह जे.डी.ए. ने 2005 में अलॉटमैंट किया। उपायुक्त, जोन 10 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। संस्था केशव विद्यापीठ जामडोली को केशव विद्यापीठ विश्वविद्यालय हेतु ग्राम जामडोली के खसरा नम्बर 132/1 मी. रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा एवं ग्राम सुमेल के खसरा नम्बर 201/1 रकबा 152 बीघा 11 बिस्वा, इस प्रकार से कुल 172 बीघा 9 बिस्वा भूमि आरक्षित किये जाने का निर्णय किया गया। आबंटन से पूर्व निम्न बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जायेगी। चूंकि यह क्षेत्र इकॉलाजिकल जोन में स्थित है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका 4694/2003 में ...

श्री सभापति: आ गयी बात।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आ गयी बात, कैसे आ गयी?

श्री सभापति: जो आपको कहना था वो कह दिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, जब तक बात पूरी नहीं कहूंगा बैठूंगा नहीं, सुनिये आप मेरी।

श्री सभापति: ऐसा है आप आसन को बाउंड नहीं कर सकते।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सुनिये आप। यह जनता की जमीन है किसी के घर की नहीं है। नहीं, मंत्रीजी, जिस एक्ट की कम्प्लाइंस में आपने जमीन अलॉट की है वो जमीन निरस्त करें आप। जब एक्ट निरस्त हो रहा है तो जमीन निरस्त करो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं की, भाई, एक्ट ही नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इन्होंने कह दिया एक बार मैं जमीन से जुड़ा हुआ नहीं हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, वो ही तो मैं कह रहा हूं। वो ही मैं कह रहा हूं बात, जब एक्ट ही नहीं रहा तो यह जमीन कैसे रह सकती है उनकी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इस विधेयक का ना तो जमीन से सम्बन्ध है ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, आप बात सुनिये, लाइटली मत लीजिए, सभापति महोदय, करोड़ों रुपये की जमीन का मामला है यह। यह क्षेत्र इकॉलाजिकल जोन में स्थित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इस विधेयक का ना तो जमीन से सम्बन्ध है ना जमीन के आबंटन से सम्बन्ध है, ना हमारे विभाग का है, किसी का लेना-देना नहीं है, इस पर चर्चा किस बात की है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मान्यवर, यह बिल, राजस्थान सरकार निरसन विधेयक लेकर के आयी है और यह जमीन भी राजस्थान सरकार ने अलॉट की है विश्वविद्यालय के नाम पर की है, प्राइवेट इंस्टीट्युशन को की है, आप कैसे इस तरह से बच के जा सकते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इससे इस विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सम्बन्ध पूरा है, सम्बन्ध पूरा है इससे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ना इस विभाग से सम्बन्ध है ना इस विधेयक से सम्बन्ध है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): निश्चित रूप से सम्बन्ध है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, बिलकुल नहीं है, इसकी चर्चा नहीं हो सकती।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कैसे नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बिलकुल नहीं है इस पर, यह जयपुर विकास प्राधिकरण ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पर लैण्ड अलॉटमैंट हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नोट एट ऑल, नौ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस बिल की, जिस बिल को आप निरस्त करने के लिए लेकर आये हैं उसकी कम्प्लाइंस में हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं है, बिलकुल नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उसकी कम्प्लाइंस में हुआ है। कैसे हो सकती है लैण्ड अलॉट?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, यह जयपुर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित मामला है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए की है न, चाहे जे.डी.ए. ने ही अलॉट की हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या बात कर रहे हैं आप?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तो जमीन का क्या करेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उससे क्या मतलब है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, आपने नहीं की, जे.डी.ए. ने की है न?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, नहीं इस बिल से मतलब ही नहीं है उसका।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कैसे नहीं है? आपने यह कहा है कि जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है हम उनके लिए बिल लाने वाले हैं। आपने यह कहा है इसके अन्दर इसलिए सम्बन्ध है इसका। कैसे नहीं है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिलकुल सम्बन्ध है।

श्री सभापतिः अब आप कनक्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं समाप्त कर रहा हूं पर, सभापति महोदय, आप मेरी पूरी बात सुनिये। ऐसे जमीन हजम करने नहीं देंगे इनको।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सदस्य, घनश्यामजी यह कह रहे हैं कि जमीन से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। नहीं है न?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जुड़ा हुआ ही नहीं हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो, माननीय सभापति महोदय, सुनिये आप मेरी बात, क्या है सुनिये आप ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो पहले वाले को वापस ले रहे हैं, नया पेश करें तब रखना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): तब करना यह बातें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज क्यों गला फाड़ रहे हो इसके लिए?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप विराजिये नेता महोदय। आपके नोटिस में नहीं है कोई बात तो आप विराजिये।

श्री सभापति: आप नेता की बात नहीं मानते हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके नोटिस में नहीं है तो आप विराजिये, लैट मी स्पीक ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अपने नेता की मान लो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सुनिये मेरी बात माननीय सभापति महोदय, यह जे डी ए की कंडीशन है। संस्था को राज्य सरकार से विश्वविद्यालय हेतु एन ओ सी प्राप्त करनी होगी। अब बताइये आप। इस एक्ट के आने के बाद यह लैण्ड अलॉटमैंट हुआ, यह कंडीशन लगी। इनके द्वारा एन ओ सी दी गयी, वह एक्ट निरस्त हो गया तो जमीन निरस्त क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी जमीन निरस्त?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उस एक्ट के अन्तर्गत भी जमीन नहीं थी, ऐसे ही बोले जा रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बोलूं कैसे नहीं, इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, ...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आप लाइटली मत लो, जमीन तो निरस्त होगी जब एक्ट ही आपका निरस्त हो गया ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उस एक्ट के अन्तर्गत कोई यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं, उस एक्ट में कोई सिफारिश ही नहीं, उस एक्ट ने कोई काम ही नहीं किया। बिना मतलब की बात है, कोई भी लिखकर दे क्या बात हुई, यह क्या बात हुई?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फिर आपने जमीन कैसे अलॉट कर दी, फिर आपकी सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन कैसे अलॉट कर दी ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिस एक्ट के तहत आपने यह यूनिवर्सिटी बनाई उसको जमीन अलॉट हुई तो निरस्त होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी के नाम से न तो अलॉट हुई है, आर एस एस की संस्था को हुई है, सैकड़ों बीघा हुई है, करोड़ों रुपये की जमीन हुई है।

श्री सभापति: आप बोली में थोड़ी मधुरता रखो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप ऐसे कैसे बोल रहे हो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने पूरी विधान सभा का ठेका ले रखा है क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने ले रखा है क्या? आप ऐसे कैसे बोलते हो कि होगी, होगी। आप अपने नेता की भी इज्जत नहीं करते हो। अपने विपक्ष के नेता को भी धमका देते हो, ऐसे हमको धमकाने की कोशिश मत करो आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बोलते हो जब हम खड़े होते हैं क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके नेता को ही आप धमकाते हैं ऐसे संस्कार हैं आपके। आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बोलते हो जब मैं खड़ा होता हूं क्या?

श्री सभापतिः अब आप विराजें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप ऐसे कैसे बोलते हो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज तक कभी आप बोले, मैं खड़ा हुआ हूं क्या।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह पूछ रहा हूं इस एक्ट में हुई क्या, इस एक्ट का उपयोग हुआ क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं यह महिमा शिक्षा समिति द्वारा निजी विश्वविद्यालय हेतु भूमि आबंटन करने के बाबत। उपरोक्त जेन टेन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। संस्था महिमा शिक्षा समिति द्वारा निजी विश्वविद्यालय हेतु भूमि आबंटन की मांग किये जाने से पूर्व एल पी सी की बैठक ग्राम गोबिन्दपुरा, रोपाडा की 37 बीघा 4 बिस्वा भूमि को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था परन्तु अब पूर्व में आरक्षित भूमि को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर ग्राम भवाई गढ़ का बंधा के खसरा नम्बर 145, 146, 147, 155, 156, 165 फलां-फलां में 18 रकबा 13.29 हैक्टेयर भूमि आबंटन का फैसला किया।

इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ... (व्यवधान) आगे और सुन लें आप। इतना ही नहीं ऐसे व्यक्ति को जो एमिटी विश्वविद्यालय को भी आपने एन ओ सी किया है और इंटरपोल का रेड अलर्ट है इसके खिलाफ, अशोक चौहान के खिलाफ में। यह पार्लियामैंट के अन्दर जो

(श्री संयम लोढ़ा)

आर के आनंद, मैम्बर आफ पार्लियामैंट के सवाल के जवाब में गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने कहा है कि इसके खिलाफ इंटरपोल का रेड अलर्ट है और ऐसे लोगों को आप राजस्थान के अन्दर निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, यह सरकार प्रमोट कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि अगर सरकार किसी भी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जो भी नये प्रपोजल्स लाना चाहती है, राजस्थान विधान सभा की एक प्रवर समिति बननी चाहिए और उस प्रवर समिति के माध्यम से ही राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना का फैसला होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: अब आप एक मिनट में बात कह दें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, अभी विधान सभा में एक बात आयी थी कि शिक्षा बोर्ड को बीकानेर ले जाया जा रहा है। मेरा ऐसा विरोध है कि अजमेर को शिक्षा बोर्ड मिला राव कमेटी के तहत जब अजमेर का मर्जन हुआ राजस्थान में। यदि शिक्षा बोर्ड आप बीकानेर ले जाते हो तो राव कमेटी के फैसले को बदलकर के अजमेर को फिर आप दुबारा सी स्टेट बनाइये। अदरवाइज जो शिक्षा बोर्ड है, जो आर पी एस सी है, जो रेवेन्यू बोर्ड है उस पर अजमेर का अधिकार है उससे छेड़खानी नहीं की जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय अनिता भदेल, एक मिनट में अपनी बात कह दें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पर डिस्कस हो रहा है और विभाग से संबंधित मैटर है लेकिन मुझे दो मिनट में अपनी बात कहनी है। हमारे अजमेर में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के जो अध्यापक हैं उनका अनुदान फ्रीज हुआ है और उसके विषय में यह कहना है कि जितने भी शिक्षक हैं, 18 तारीख से जिस दिन से सदन आहूत हुआ है वह आमरण अनशन पर बैठे हैं। अध्यापिकाएं बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गई हैं। तो मेरा सदन से, आपसे आग्रह है कि कुछ न कुछ आश्वासन मंत्री महोदय या वित्त मंत्री महोदय मीणाजी हैं वह अगर देंगे तो ।

श्री सभापति: मंत्रीजी से मिल लेना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): नहीं, मैंने एक बात कही है फिर भी चूंकि फाइनैंस से संबंधित मैटर है और शिक्षा विभाग से संबंधित मैटर है, इक्यावन महिलाएं आमरण अनशन पर बैठी हैं तो प्लीज कृपा करके कुछ न कुछ उनको आश्वासन मिल जाय।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सीरियस है और अब तक आपका कोई प्रतिनिधि बात करने नहीं गया उनसे, कलक्टर अजमेर को कहो कि उनसे बात करे, उनकी बात सुनें। दस महिलाएं सीरियस हैं और 51 महिलाएं बैठी हैं भूख हड़ताल पर शिक्षिकाएं अनुदानित शिक्षण संस्थान की। मेहरबानी करके ध्यान दीजिए उस पर। इसको इतना लाइटली मत लीजिए आप। कल ना कोई कैजुअल्टी हो गयी तो फिर सदन और आप जिम्मेदार होंगे इस बात के लिए।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सभी सदस्यों को धन्यवाद दूंगा। बहुत ही विद्वतापूर्ण बात कही है क्योंकि दो तो हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं और शिक्षाविद भी हैं दोनों कल्लाजी और जोशीजी भी, माहिर आजाद साहब भी और हमारे शांतिलाल चपलोत साहब चले गये, वह भी हमारे इसके मैम्बर थे। स्थिति यह नहीं है कि कोई हमारा एक्ट स्ट्रक डाउन हुआ है, स्थिति यह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का बिल जब हम यहां पर लेकर आए थे तो मैंने स्वयं चलाकर यह कहा था कि इसको सदन में पारित नहीं करेंगे। पहले इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करेंगे फिर इसकी सारी बात देखकर इसको लायेंगे और छत्तीसगढ़ वाले मामले में यशपाल सिंह वर्सेज छत्तीसगढ़ जो अजीत जोगीजी ने बनाया था उस समय उसमें तीन बात मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कही थी।

उन्होंने एक तो यह कहा था कि कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूट कोई है वह विश्वविद्यालय चलानी चाहिए। दूसरा उन्होंने यह कहा था कि यह यू जी सी के जो मानदण्ड हैं और यू जी सी की जो रिकमण्डेशंस हैं वह होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने यह कहा था कि यू जी सी द्वारा अधिकृत कोर्सेज को ही वह अपने यहां कोर्स के रूप में लेकर चलाएं। यह तीन मानदण्ड चूंकि छत्तीसगढ़ वाले बिल में नहीं थे इसलिए वह बिल स्ट्रिक्ट डाउन हुआ और उसके बाद में उसी के आधार पर हमने यहां बिल पेश किया। वह बिल प्रवर समिति में गया और सर्व सम्मति से प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में आयी और सदन में हमने उस बिल में इन तीनों चारों बातों का ध्यान रखा।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उदाहरण के लिए हमने पहले यह कहा कि जो भी एप्लीकेशंस आएंगीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी उसके लिए पहले चार कुलपतियों की और यू जी सी का एक व्यक्ति उसमें साथ होगा। वह रिकमण्ड करेगा कि यह संस्थान शिक्षा से संबंधित है और यह विश्वविद्यालय चलाने के लायक है कि नहीं है। दूसरा उसमें हमने प्रावधान किया था कि वह दो करोड़ रुपये सरकार के पास जमा करायेंगे फण्ड के रूप में। तीसरा हमने किया कि तीस एकड़ जमीन उसके पास होनी चाहिए और उसके पास इतने स्क्वायर गज का बना हुआ मकान होना चाहिए, इतनी उसकी लाइब्रेरी होनी चाहिए, ऐसी उसकी फैकल्टी होनी चाहिए। यह सारा काम जो एस्टेब्लिश करेगा और फिर वह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर है कि नहीं है तब हम उसको लैटर आफ इंडैंट जारी करेंगे। उसको एन ओ सी नहीं देंगे, लैटर आफ इंडैण्ट जारी करेंगे और लैटर आफ इंडैण्ट जारी कने के बाद कहेंगे कि यह काम आप पूरा करो। वह काम पूरा करेगा फिर एक कमेटी जाएगी और वह कमेटी यह रिपोर्ट करेगी कि यह उन्होंने काम कर दिया। उसके बाद में बाई नोटिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार गवर्नमैंट को नहीं है और राज्य सरकार ने इसको स्वीकार किया। मैं तो आज यहां भी स्वीकार करता हूं कि विश्वविद्यालय बनाने का काम केवल विधान सभा का है। विधान सभा देखेगी उसको कि यह विश्वविद्यालय बनने लायक है कि नहीं है।

इसलिए हमने तय किया था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल में भी हम नोटिफिकेशन द्वारा यूनिवर्सिटी क्रियेट नहीं करेंगे लेकिन विधान सभा में उसको लायेंगे प्रपोजल्स को। वह एक मॉडल बिल था और इस बिल को उसके बाद में चैलेंज किया गया राजस्थान उच्च न्यायालय में। राजस्थान उच्च न्यायालय की डी बी ने उसको अप होल्ड किया। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बढ़िया प्रपोजल्स हैं और छत्तीसगढ़ के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी उन सब का इसमें निराकरण कर दिया गया है और उन्होंने यह भी कहा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता है । वह सारे विषय पर मैं नहीं जाना चाहता लेकिन उस विषय को अप होल्ड किया। इसके बाद में उस जजमैंट को एस एल पी के द्वारा कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा स्टे उनको प्राप्त हो गया। उसके बाद में हमने सोली सोराबजी और दो तीन बड़े वकीलों को करके जल्दी हियरिंग की लगातार एप्लीकेशन लगाते रहे। चार पांच बार हमने एप्लीकेशन लगाई। लेकिन हमारे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एप्लीकेशन लगाने पर भी, अरली हियरिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला नहीं आ सकता। इस बीच में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो यहां पर आने वाली थी वह विश्वविद्यालय उड़ीसा में चला गया। जो पांच हजार करोड़ का इनवेस्टमेंट का हमारा प्रपोजल लेकर आए थे वेदांत विश्वविद्यालय वाले, वह पांच हजार करोड़ का वहां चला गया। उन्होंने वहां पर उनको पन्द्रह हजार बीघा जमीन आबंटित की समुद्र के किनारे, वह वहां पर चली गयी। इस प्रकार कई अन्य विश्वविद्यालय भी चले गये तो फिर हमने सोचा कि जो पहले हमारे से भूल हुई यह दक्षिण के राज्यों से सारे टैक्निकल इंस्टीट्यूशंस हमारे से 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, सारे कालेज वहां चले गये और इसके कारण से राज्य को बहुत नुकसान हुआ। हमारे सभी लड़के बाहर पढ़कर आते थे तो कहीं यूनिवर्सिटीज के मामले में हम नहीं पिछड़ जाएं, फिर दूसरा किसी अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक अपना एफेडेविट पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी मान्यता यह है कि विश्वविद्यालय का सेपरेट एक्ट आना चाहिये। अपने राजस्थान की सुनवाई का तो मामला ही नहीं आया इसमें। जारी किया तो हमने देखा कि पहले तो सुनवाई करायेंगे फिर फैंसला होगा, फिर ग्रांट कमीशन की यह मान्यता है इसलिये हमने तय किया कि हम यह बिल को वापस ले लेते हैं और एक-एक यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आयेंगे ताकि वह हमारी विधान सभा के अन्दर आयेगा और उसको सारे माननीय सदस्य देखेंगे, देखने के बाद उसकी कमियों पर चर्चा होगी, उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा होगी और इन चर्चाओं के आधार पर हम उसको बना सकेंगे इसलिये यह निरसन का विधेयक हम लेकर आये हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जहां तक जो 25 कहा गया कि आप उन यूनिवर्सिटीज को लाने वाले हो, यहां हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने किसी भी विश्वविद्यालय के लिए किसी भी जमीन के लिए कोई हमने न तो अभिशंसा की है, न हमने कहा है। हमने तो हमारे एक्ट में लिखा है हमारे पास जो तीस एकड़ जमीन लेकर आयेगा और जो दो करोड़ रुपये जमा करायेगा, जो इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा उसको विश्वविद्यालय के बारे में हम एक्ट विधान सभा में लेकर आयेंगे और उसको इस निरसन के बाद में भी गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी बनाने का अधिकार नहीं है। विधान सभा में बिल लेकर आए इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का अलग-अलग सदन में आयेगा और उसके आधार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर सदन में चर्चा होगी। सदन चाहे तो उसको प्रवर समिति में भेजे, सदन चाहे तो उसको पास करे क्योंकि यह लेजिसलेशन का अधिकार है और उसका सम्मान करते हुए हमने इस पर यह निर्णय किया है।

दूसरी जो बात कही गयी कि एक यह आर्डिनेंस भी जारी किया, इसलिये किया कि हमारे पास जो 25 इंस्टीट्यूशंस ने यह किया था कि हम विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं उन पर हमने जो कमेटीज की रिपोर्ट बनायी। 17 के बारे में कहा कि इनको लैटर आफ इनडैंट जारी कर सकते हैं, 17 को हमने लैटर आफ इनडैंट जारी किया। उसमें फिर जो तीन आदमियों की कमेटी बनायी उसने अभी तक केवल चार को ही यह मंजूरी दी है कि इन्होंने अपना काम पूरा किया है, यह विश्वविद्यालय बनाने लायक हैं तो माननीय सभापति महोदय, 25 में हम 4 पर आए हैं तो मशरूम की तरह ग्रोथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और मशरूम की तरह ग्रोथ होने का प्रश्न भी नहीं है।

जो एक बहुत महत्वपूर्ण मसला यहां पर डिस्कस भी किया गया है मैं भी उस बात से बहुत चिंतित हूं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं आज हमारे सरकारी स्कूलों की भी यह स्थिति है हम इसके यथार्थ को स्वीकार करें कि नहीं करें। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर सरकारी स्कूलों में भी छात्रों की संख्या में कमी आ रही है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह केवल बी.जे.पी. की सरकार में हो रहा है या राजस्थान में हो रहा है, यह नहीं है। हिन्दुस्तान भर में अभी शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें सब लोगों ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है और जो पढ़ने वाले आते हैं वह कौन आते हैं ? अधिकांशत: या तो जो गरीब आदमी है शिड्यूल कास्ट से संबंधित हैं, शिड्यूल ट्राइब हैं, माइनोरिटीज के लोग हैं, सवर्ण वर्गों के जो गरीब लोग हैं या ओ.बी.सी. के जो गरीब लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते हैं वह सरकारी स्कूलों में आते हैं। अब यह आम तौर पर शहरों की स्थिति बनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो लड़कियां हमारे स्कूलों में ज्यादा हैं। आज अगर एवरेज लगायेंगे सरकारी स्कूलों का तो लड़कों के बजाय लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूलों में ज्यादा है। इसका कारण क्या है ? मां-बाप कोई लड़कियों को पढ़ाने में ज्यादा रुचि वाले हो गये ऐसा कारण नहीं है क्योंकि भेद करते हैं अभी सामाजिक रूप से। पैसा देकर बच्चे को दूसरी जगह भेज देंगे और फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूल में लड़की को भेजेंगे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिये सरकारी तंत्र के स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी मजबूत होना निहायत जरूरी है आम आदमी की पढ़ाई को ठीक करने के लिये। इस बात को हम सिद्धान्ततः भी स्वीकार करते हैं और व्यवहार में इसको लागू करने की कोशिश भी करते हैं।

दो मुद्दे अभी उठाये गये थे। एक तो यह उठाया गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय समेत सभी विश्वविद्यालयों में स्टाफ की कमी है। स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यथार्थ को सदन में कहना भी चाहिये। कालेज एजुकेशन में हमारे यहां 1200 वेकेंसीज हैं उसमें से 900 भरने के लिये हमने स्वीकृति कर दी, 497 का सलेक्शन आर.पी.एस.सी. ने कर लिया उनकी नियुक्ति का काम चालू है। 400 का इतने का वह चालू कर रहे हैं और मैं समझता हूं इसके बाद में कालेज एजुकेशन में हमारी रिक्तियों की संख्या पूरी हो जायेगी। यह जो हमारे विश्वविद्यालय थे इसमें पिछले 10 वर्ष से, 15 वर्ष से, 20 वर्ष से अभी सी.पी. जोशी साहब ने कहा कि सब मैम्बर रहे हैं, मुझे पता है सारी स्थिति का। आप लोगों की यह टेम्प्रेरी टीचर्स की समस्या थी। हमने जो अभी किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमने 45 प्रोफेसर, 75 रीडर और 237 लैक्चरर्स को नयी भर्ती करने की छूट दी है जिसमें बैकलॉग पूरा करने के लिये कहा है। सारा बैकलॉग पूरा करने के लिये उनको हमने कह दिया। इसी प्रकार एम.एल.एस. यूनिवर्सिटी, उदयपुर है इसमें 6 प्रोफेसर, 9 रीडर और 23 लैक्चरर्स की हमने छूट दे दी। भर्ती हो गयी है। करीब-करीब काम कम्पलीट हो गया है। जे.एल.एन. यूनिवर्सिटी, जोधपुर में 13 प्रोफेसर, 24 रीडर और 41 लैक्चरर्स। एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, अजमेर में 2 प्रोफेसर, 3 रीडर और 2 लैक्चरर। वी.एम. ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा में 2, 2, 2 हैं। इसी प्रकार बीकानेर, यूनिवर्सिटी को 10 प्रोफेसर, 25 रीडर और 27 लैक्चरर्स की परमीशन दे दी है कल्ला साहब। एम.पी.एल.ए.टी. यूनिवर्सिटी, उदयपुर को 4 प्रोफेसर, 8 रीडर और 28 लैक्चरर्स की अनुमति दी है। कुल मिलाकर 82 प्रोफेसर, 146 रीडर और 360 लैक्चरर्स की नयी भर्ती करने की हमने उनको परमीशन दे दी है और एक प्रकार से इससे 75 परसेण्ट जो वेकेंसीज है यूनिवर्सिटीज की वह फुलफिल हो जायेंगी। अगले बजट में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे कि पूरी हो जाए। इस प्रकार करने से सारे कालेज एजुकेशन में डिग्री कालेज और पोस्ट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ग्रेजुएट गवर्नमैंट कालेजेज और विश्वविद्यालयों में जो फैकल्टी की कमी थी उसको पूरा करने में हम सफल होंगे। यह बहुत बड़ा काम है।

इससे बड़ी एक और चिन्ता की बात है। वह चिन्ता की बात यह है कि जिस समय गवर्नमैंट बनी थी उस समय 1,28,000 लोग कालेज एजुकेशन में थे। राजस्थान में आज कालेज एजुकेशन की संख्या बढ़कर 4,00,000 से ऊपर हो गयी है। चार लाख स्टूडेंटस राजस्थान में आज कालेज एजुकेशन में है। अब इस प्रकार इन विद्यार्थियों को आज पी.जी. के लिये चाहे विश्वविद्यालय मिले तो वह की वह स्थिति जो राजस्थान की पहले थी, न हो जाए इसलिये प्राइवेट सैक्टर को इसमें आना जरूरी है। अब मैं एक उदाहरण देकर कहना चाहता हूं। यह मामला हमने वहां भी उठाया था तो उस समय अर्जुन सिंहजी ने भी कहा। कमेटी बनी। पहले बैंगलोर में हुआ, फिर यहां हुआ तो सारी जो रिपोर्ट है हिन्दुस्तान की उसमें हायर एजुकेशन के 85 परसेण्ट इंस्टीट्यूशंस आज प्राइवेट सैक्टर में है, 85 परसेण्ट और सिर्फ 15 परसेण्ट सरकार के पास हैं इसलिये इस सैक्टर में जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आयेगा राजस्थान बहुत तेजी से हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पायेगा। यह समय की आवश्यकता है। उस आवश्यकता के अन्तर्गत लोग आएं लेकिन यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी वही आयेगी जिस यूनिवर्सिटी से राजस्थान के बच्चे का भाग्य चमकेगा। अब किसको रैड कार्नर नोटिस है, किसको नहीं है यह तो गृह विभाग और उनका देखने का मामला है, मैं किसी भी प्रकार से ऐसे किसी आदमी की संदिग्ध गतिविधि हो वह राजस्थान में चालू करे उसके पक्ष में मैं नहीं हूं। अगर मेरे सामने कोई बात आयी तो मैं जरूर ध्यान रखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा का जो स्तर है और उच्च शिक्षा की जो स्थिति है वह भी बड़ी विचित्र है। राजस्थान हिन्दुस्तान और दुनिया भर में उच्च शिक्षा में बहुत पीछे है। जहां 40 परसेण्ट उच्च शिक्षा की स्थिति है वहां 8 परसेण्ट हिन्दुस्तान की स्थिति है और अब सर्व शिक्षा अभियान ज्यों-ज्यों सफल हो रहा है उसके बाद में उसकी स्थिति बढ़ेगी। पहले प्राइमरी तक, एलीमेंटरी तक सर्व शिक्षा अभियान था अब भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि बारहवीं तक, दसवीं तक सर्व शिक्षा अभियान हो और जब सर्व शिक्षा अभियान पूरा सफल होगा तो उसके बाद में आज जो 8 परसेण्ट का एवरेज था राजस्थान 11 परसेण्ट, सारे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हिन्दुस्तान में 63,000 पर एक कालेज है, राजस्थान में 53,000 पर एक कालेज है।

इसलिए कॉलेज एजुकेशन में राजस्थान आज हिन्दुस्तान में एक नम्बर की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं यह विश्वविद्यालय जो नये बनेंगे तो नये विश्वविद्यालयों में नये लोग आयेंगे और नये लोग आने के बाद में राजस्थान की स्थिति ठीक होगी और विश्वविद्यालयों में निवेश आयेगा। सरकार कोई जमीन नहीं देख रही है, सरकार कोई पैसा भी उनको नहीं दे रही है। वह आयेंगे और आयेंगे तो वह कंपीटिशन में आयेंगे। वह आर्टस और कामर्स के कॉलेज खोलने के लिए नहीं आयेंगे। कॉलेज खोलने के लिए आयेंगे तो विद्यार्थी उन्हें पैसा देकर के पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। वह आयेंगे तो ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट लेकर आयेंगे। आज दुनिया कहां जा रही है। जिन सब्जैक्ट में जाने से उनका इंस्टीट्यूट चले, ऐसे सब्जैक्ट लेकर आयेंगे, इसलिए यह समय की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और राजस्थान उच्च शिक्षा में और आगे बढ़े, तकनीकी शिक्षा में जैसे हम पिछड़ गये थे, वैसे पिछड़े नहीं, उसके लिए और दूसरी बात जो सबसे बड़ी जरूरत है, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक प्रश्न यहां पर उठाया था कि टीचर्स की कमी है, सब फील्ड में टीचर्स की कमी है। आज सुबह शिक्षा का मामला उठा। मैंने उस मामले में ज्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमारे चाहने के बावजूद वैकेंसी निकलने के बाद भी साइंस, मैथ्स और अंग्रेजी के टीचर्स उपलब्ध नहीं हैं। हमारे यह कहने के बावजूद भी कि आप बिना नौकरी लगे हुए आदमियों को इतने रुपये महीने में विद्यार्थी मित्र में लगा दो, वह उपलब्ध नहीं हैं। हमारे यह कहने के बावजूद की जो रिटायर्ड लोग साइंस के टीचर्स हैं उन्हें लगा लो, वह लगने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वह जो घर पर क्लासें चलाते हैं साइंस की, उन्हें इतनी इनकम होती है कि वह हमारे स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज वहां भी टीचर्स की कमी है।

सभापति महोदय, अभी एआईसीटी की मीटिंग भारत सरकार ने बुलायी थी। उसमें एक फैसला किया कि इंजीनियरिंग के जो टीचर्स हैं उनके रिटायरमेंट की आज आयु 65 वर्ष है इसको बढ़ाकर के 71 वर्ष कर दी जाये। मैंने पूछा क्यों तो उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग के टीचर्स मिल ही नहीं रहे हैं क्योंकि जो टीचर्स हैं ज्यों ही कोई लड़का एम.टेक. करता है उसको 25 लाख,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

40 लाख, 50 लाख का पैकेज मल्टीनेशनल कंपनियों का मिलता है और वह चला जाता है, पढ़ाने के लिए उनकी जरूरत है। इसलिए जब तक यह सैक्टर आयेगा नहीं, इसमें लोग नहीं आयेंगे, अभी तो हमको बी.एड. पढ़ाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। बी.एड. कॉलेज राजस्थान में जितने हो गये हैं उनमें एम.एड. पास किये हुए लड़के पढ़ाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए टीचर्स की हर जगह कमी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में बी.एड. के 50 हजार स्टूडेंट हैं और जब यह कहा गया कि 4 लाख लोग शिक्षा विभाग में काम करते हैं, एवरेज 10 प्रतिशत रिटायर हो रहे हैं, तीस हजार वैकेंसी हर साल शिक्षा विभाग में क्रिएट होती ही होती हैं और उनको भरने के लिए पूरा एक साल का समय लगता है। अगर रेगुलर भी कोई भर्ती करते रहें तो 30-40 हजार की वैकेंसी रहेगी और जहां एक लाख स्कूल हैं और वहां एक हजार स्कूलों में टीचर्स की कमी हो सकती है। हम विद्यार्थी मित्र योजना में भरना चाहते हैं, वहां टीचर्स की कमी रहेगी, लगातार रहेगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो बीकानेर का मामला उठाया, बीकानेर का स्टेटस कम करने का सरकार का विचार नहीं है, किसी प्रकार भी नहीं है, ना अजमेर का और ना बीकानेर का, जो आपकी स्थिति है वह यथावत बनी रहेगी। बीकानेर की बात है तो हमारा भी थोड़ा-बहुत योगदान है और आपका है तो हमारा भी है। आप और हम अलग-अलग हैं क्या कल्लाजी।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): बीकानेर के हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप केवल बीकानेर के थोड़े ही हो कल्लाजी, आप सारे राजस्थान के आईसीसी के अध्यक्ष हो। इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग अध्यक्ष रहे हैं। उन बड़े-बड़े लोगों की शृंखला में आप बैठे हो तो आप केवल बीकानेर क्यों आप राजस्थान के लिए कहें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अंतर तो है आपमें और इनमें, आप वर्तमान हो और यह भावी हैं।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप भूत हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): भूत हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजें, माननीय सदस्य, आप बिराजें ...(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): सी.पी. जोशीजी नहीं हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रखा था, उसका आपने उत्तर नहीं दिया इसलिए अपेक्षा के साथ मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जी, कौनसा ?

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): आपने कहा है कि एक योजना के आधार पर आपने कुछ यूनिवर्सिटीज के लैटर इश्यु किये, 25 को उसमें आइडेंटिफाई किया और उसके बाद एक कमेटी आपने बनायी, उस कमेटी ने चार की सिफारिश आपसे की। लेकिन जो वह कह रहे थे वह उद्देश्य दूसरा था, यह ठीक बात है कि आज जनरल एजुकेशन के कॉलेजों की मांग नहीं है और मैं समझता हूं कि जितना आप उस पर खर्च करेंगे वह काउंटर प्रोडेक्टिव होगा। आज के समय में यूनिवर्सिटीज एंड प्रोडक्ट प्रोडयूस करती हैं। आज की यूनिवर्सिटीज से निकलने वाला विद्यार्थी समाज में जाता है और उसमें समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार यदि यूनिवर्सिटीज एंड प्रोडक्ट बनायें तो उसका राजस्थान को लाभ मिलने वाला है और चार यूनिवर्सिटीज आपने आइडेंटिफाई की हैं, कमेटी ने जो बतायी हैं वह उस आवश्यकता की पूर्ति करती हैं या नहीं करती हैं या आने वाले समय में जो आप जिस उद्देश्य से लाये हैं, इसमें कोई बात नहीं है, यह तो पास होना ही चाहिए क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के लिए आप बिल लायेंगे, उस समय हम उस पर विचार करेंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तरह से राजस्थान को वरदान में मिला है कि हमने बहुत बड़े कॉलेज नहीं खोले। आज हमारे पास मौका है कि हम समाज की जो आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप शिक्षा देने वाली यूनिवर्सिटीज को ज्यादा प्रोत्साहन दें। यह बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है। दूसरी बात, हालांकि इस बिल से उसका संबंध नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि राजस्थान कालेज एजुकेशन में नम्बर एक है, हकीकत यह है कि यहां पर जो गवर्नमेंट के कालेजेज हैं उससे तिगुने कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सब जगह ही हैं।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्सिलैंस के लिए जो ग्रांट देती है, उसमें उन्होंने एक शर्त रखी हुई है कि जब तक गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देगी किसी कालेज को, प्राइवेट कालेज को ग्रांट नहीं मिलेगी। आप ग्रांट देते नहीं हैं, आप किसी को ग्रांट इंट्रोडयुस पर लाते नहीं हैं

(श्री शिवचरण माथुर)

और प्राइवेट कालेजेज में जो अच्छे प्राइवेट कालेजेज काम करने वाले हैं उनको यूजीसी केवल इसलिए नहीं देती हैं कि आप उनको ग्रांट नहीं देते हैं। हालांकि इस बिल से इसका संबंध नहीं है लेकिन चूंकि आज मुझे अवसर मिला है आपके सामने रखने का, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दें तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय माथुर साहब ने जो दोनों बात बतायी हैं वह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बात हैं और इसलिए हमने देखा है कि जो वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी है, प्रोजेक्ट रिपोर्टस में अधिकांश जो नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वह इस प्रकार के सब्जैक्ट लेकर के आ रही हैं जिनकी हमारी आवश्यकता है भारत में और भारत के बाहर भी और इसीलिए यह लोग आ भी रहे हैं, यह केवल साइंस और डिग्री कालेज चलाने के लिए आ भी नहीं रहे हैं। इसमें सबमें टैक्निकल सब्जैक्ट आ रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार इसमें ध्यान रखेगी और इसीलिए तो 25 से घटकर के यह 4 तक आये हैं। नहीं तो 25 ही हो जाते।

दूसरी बात जो आपने कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अनुदान नहीं देते हैं या हम पूरी फैकल्टी क्रिएट नहीं करते हैं। इसमें दो कारण हैं उनको अनुदान आयोग से नहीं मिलने का, एक तो यह है कि सरकार कुछ नहीं देती है और दूसरा यह है कि हमारी विभिन्न यूनिवर्सिटीज में हमारी फैकल्टी पूरी नहीं होती है। इस कारण से नहीं मिलता है तो फैकल्टी पूरी करने का काम हमने कर लिया। शिक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन में मैंने यह प्रश्न उठाया था कि हिन्दुस्तान में हायर एजुकेशन में और कालेज एजुकेशन में 85 प्रतिशत प्राइवेट सैक्टर में हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनको पैसा नहीं देगी तो कैसे होगा तो थोराट साहब जो चेयरमैन हैं वह हमारे निमंत्रण पर यहां आये और दो दिन बातचीत करने के बाद में भारत सरकार ने भी यह तय किया और उन्होंने भी यह तय किया कि हम इस शर्त को हटा देंगे और भिन्न-भिन्न प्रकार की जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में अगर प्राइवेट कालेज होते हैं तो राजस्थान भर के सभी प्राइवेट कालेज के प्रिंसिपलों का सम्मलेन बुलाया था और उसमें थोराट साहब को भी बुलाया था और इस प्रकार हम चाहते हैं कि प्राइवेट कालेजेज का डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से हो जाये और इसके लिए हमने दो संस्थाएं एक तो नेक्स से उन सबका एक्रिडेशन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करने का तय किया और दूसरा हार्ट नाम की एक हायर एजुकेशन की ट्रेनिंग इंस्ट्रीटयुशंस और उनकी गुणवत्ता और वरीयता मापने का केन्द्र राजस्थान सरकार ने कायम किया जो हायर एजुकेशन के बारे में काम करेगी। इन सिफारिशों के आधार पर और पूर्व छात्रों का सम्मेलन करने के बाद में यह तीनों शर्त पूरी करेंगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनको भी पैसा देगी। यह दोनों बात का ध्यान रखेगी। मैं इसी आशा के साथ में यह जो निरसन का विधेयक है कि इसको पारित किया जाये और राजस्थान उच्च शिक्षा में अग्रणी राज्य बने। इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इसलिए इस बिल को आप पारित करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब क्या रह गया।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सभापति महोदय, आपने राजस्थान में आरपीएसी के तहत जिन अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का प्रयास किया है, उसके लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

लेकिन सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा कि बी ए में जो छात्र 45 प्रतिशत अंक लेकर आता है और उसके बाद में पी टी ई टी में सम्मिलित करने का आपने प्रावधान कर रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने यह तय किया है या राज्य सरकार ने यह तय किया है कि 45 प्रतिशत वाला ही पी टी ई टी में सम्मिलित हो सकता है। मैं चाहूंगा कि हमारे पूरे ट्राइबल सब प्लान एरिया में जब पी टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तभी बी एड कर पाते हैं, आर पी एस सी का टैस्ट देते हैं तभी अध्यापक बन पाते हैं तो कम से कम 45 प्रतिशत अंक वाला ही पी टी ई टी में सम्मिलित क्यों? मैं यह चाहूंगा कि कम से कम उस क्षेत्र के लिए जो ट्राइबल सब प्लान एरिया में है, उदयपुर सम्भाग में, पासिंग मार्क्स के आधार पर कम से कम पी टी ई टी में सम्मिलित होने के लिए तो उसको कुछ रियायतें दें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): घनश्यामजी, मैं इनकी बात को सप्लीमेंट करता हूं, ट्राइबल इलाके में एजूकेशन का कंसेप्ट धीरे-धीरे आता है। आपको वहां एम ए लड़के फस्ट क्लास मिलेंगे, बी ए मिलेंगे सैकण्ड क्लास,

(डा. सी.पी. जोशी)

बट हायर सैकण्डरी थर्ड क्लास मिलेंगे, बिकॉज उस बच्चे में धीरे-धीरे वह अवेकनिंग आती है। तो जैसा सरकार ने 45 प्रतिशत रिजर्वेशन किया है टी एस पी एरिया में तो बैटर यह है कि जैसा अभी जीतमलजी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ट्राइबल इलाके में ग्रेजुएट के जो पासिंग मार्क्स है उसको एलिजिबल करेंगे तो लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा 45 प्रतिशत के होने से। उस पासिंग मार्क्स और 45 प्रतिशत के बीच उस ट्राइबल के बच्चे के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, इसके गैप वाला लड़का नहीं निकल पा रहा है इसलिए आपसे निवेदन है कि आप स्पेशल कंडीशन करके यह जरूर व्यवस्था करें और आप चाहें तो इसका सर्वे भी करवा लें कि एम ए लोग कितने फस्ट क्लास हैं और बी ए कितने थर्ड क्लास हैं। वह न तो लैक्चरर बन पा रहे हैं और न वह स्कूलों में टीचर के लिए पी टी ई टी कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर सरकार को ध्यान देकर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): देखिए, जहां तक, एक मिनट हेमारामजी, यह जो दोनों बातें हैं, मैं इनसे सहमत हूं, मुझे इन पर कोई आपत्ति नहीं है और मुझे जानकारी भी नहीं है इस समय कि इनके 45 प्रतिशत वाला एम डी एस यूनिवर्सिटी ने तय किया है या राज्य सरकार ने तय किया है या एन सी ई टी ने तय किया है, या राज्य सरकार ने तय किया है, मुझे जानकारी नहीं है। (व्यवधान) यूनिवर्सिटी ने तय किया है तो यूनिवर्सिटी ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) कौंसिल की परमिशन लेनी पड़ेगी, वह रिलेक्सेशन दे रहे हैं हम, दूसरा है, क्वालीफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड करती है यूनिवर्सिटी तो वी हैव आस्कड द यूनिवर्सिटी कि वह भी रिलेक्सेशन हम करें। दैन गवर्नमेंट कर सकती है तो यह जो मोडेलिटी है उसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसमें हम बिलकुल करेंगे। पहले एन सी ई टी से परमीशन लेंगे, परमीशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी को लिखेंगे और अगली साल से निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि इनका पर्सेण्ट जनरल से कम हो 45 के बजाय 40 और उसके बीच में हो, यह हम करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सभापति महोदय, सुबह अध्यक्ष

(श्री हेमाराम चौधरी)

महोदय ने व्यवस्था दी थी, मेरा पहला ही प्रश्न था शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं के रिक्त पदों का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): क्वेश्चन ऑवर तो खतम हो गया।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी थी कि मैं इस बिल पर बहस के दौरान आप अपनी बात कह देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह बिल तो यूनिवर्सिटी का है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप भले ही अध्यक्षजी से मालूम कर लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, हां, ठीक है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पिछले काफी समय से ग्रामीण क्षेत्रों में आप जो उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत कर रहे हैं उनमें विज्ञान संकाय नहीं खोल रहे हैं। पहले से जहां विज्ञान संकाय था उनको आपने बंद कर दिया, उसका कारण माननीय मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न के जवाब में कारण बताया छात्रों की न्यून संख्या। आपने वहां व्याख्याता पोस्ट किए ही नहीं, केवल संकाय खोला और वहां व्याख्याता ही नहीं है। फिजिक्स का नहीं है, केमेस्ट्री का नहीं है, बायलॉजी का नहीं है, मेथेमेटिक्स का नहीं है, जब ये सब वहां पर नहीं है तो फिर कैसे वहां विज्ञान संकाय चलेगा, बंद ही होगा। आपने बंद कर दिए। अब आपने कहा कि स्व वित्त पोषित योजना में विद्यालय विकास समिति पैसा जमा कराए तो आप चला सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ आप क्या करना चाहते हैं? आप उनको विज्ञान विषय की शिक्षा देना नहीं चाहते, आप उनको इंजिनियर, डाक्टर नहीं बनाना चाहते हैं, आप अगर उनको इंजिनियर और डाक्टर बनाना चाहते हैं तो जितने भी स्कूल क्रमोन्नत कर रहे हैं उनमें विज्ञान विषय खोलिए। आपने जो पहले बंद किए उनको दुबारा खोलिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में आज एक में भी विज्ञान विषय नहीं है, आज हमारे छात्रों को दूसरी जगहों पर या बाड़मेर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आप इस तरह से यह भेदभाव हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ अगर महसूस करते हैं तो आप इस पर कुछ कार्यवाही कीजिए, अगर आप महसूस नहीं करते हैं तो क्या आप यह सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे मेडिकल साइड में, इंजीनियरिंग साइड में नहीं जाए तो अच्छा रहे ताकि आप शहरी लोगों के बच्चे ही उनमें

(श्री हेमाराम चौधरी)

जाए और आज जिस तरह से साइन्स और टैक्नॉलोजी की शिक्षा में जो चल रहा है, उससे उनको वंचित रखकर आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं, मैं इतना ही जवाब चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं माननीय सदस्य श्री हेमारामजी को बताना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल सही है, श्रीमानजी, पहले तो आप यह क्लीयर कर लें कि यह जो 16 स्कूल बंद हुए हैं वह मैंने नहीं किए हैं। इन 16 में छात्र संख्या न्यून होने के कारण जो बंद हुए हैं, 16 या 20, मुझे उनकी संख्या पूरी ध्यान में नहीं है। (व्यवधान) सारे राजस्थान का बता रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): नहीं, नहीं, बाड़मेर जिले के गुढ़ामालानी, सिणधरी, बायतू में हुए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप सुन लें, ज्यादा संख्या होगी पर यह हुए हैं 1994 से लेकर 1998 के बीच, 1998 के बाद नहीं हुए हैं नम्बर एक। दूसरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) यह वाद विवाद का विषय नहीं है, मूल विषय यह है कि जितने भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें अब अनिवार्य रूप से साइन्स सब्जैक्ट होना चाहिए, वह चाहे शहरी क्षेत्र के हैं या ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इसलिए इस बार सरकार ने चार सौ स्कूलों में साइन्स फैकल्टी खोलना तय किया है, चार सौ तो वह खोलेंगे, बाकी स्व वित्त पोषित में खोलेंगे।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): आप स्टेजेज में क्यों कर रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): स्टेजेज में इसलिए कर रहे हैं कि जितना पैसा मुझे मिल रहा है उतना ही मैं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): हमने किया, उस समय ग्यारहवीं क्लास तक पी यू सी चलती थी और सारे देश में टेन प्लस टू हो गया था, हमारे बच्चों को बड़ा नुकसान हो रहा था, हमने पैसों का नहीं देखा, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, 772 स्कूलों को एक साल में गवर्नमेंट ने टेन प्लस टू स्कूल किया था। आप स्टेजेज में जो कर रहे हैं इससे एक वर्ग को फायदा दे रहे हैं और दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप हिम्मत कीजिए, आप शिक्षा में जो ह्यूमन रिसोर्सेज डवलप कर रहे हैं, उस पर जोर दीजिए हम सब आपका समर्थन करेंगे, एक साथ लागू कीजिए उसको।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आपने जो बंद किए हैं वह तो आप वापस चालू कर देंगे और जो नए स्कूल खोले हैं उनमें विज्ञान संकाय खोल देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): पदों का आपका सुझाव हमने स्वीकार कर लिया है। अभी हमने हैड मास्टर्स का और उनका प्रमोशन कर दिया। अब चूंकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को इतना समय नहीं मिला है, इस कारण उतना वेतन मिलते हुए भी उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है इसलिए हमने भौतिक शास्त्र वालों का भी और अन्य सब्जैक्ट्स वाले हैं उनका भी पातेय वेतन पर प्रमोशन करके उन सारी चीजों को भरने का प्रयत्न करेंगे।

सभापति महोदय, अब इसको पारित किया जाए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): नहीं, नहीं, आपने विज्ञान संकाय प्रस्तावित किया है स्कूलों में।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): सभापति महोदय, मेरे भी दो पॉइण्ट हैं, मैं दो सुझाव देना चाहता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान प्राइवेट विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2007

श्रीमती ऊषा पूनिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान संस्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान संस्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: डाक्टर एन एस गुर्जर। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नाथूसिंहजी, आपके तो प्रभारी मंत्रीजी करीब बैठे हुए हैं, कान में ही कह दो, क्यों सदन का ज्यादा टाइम खराब करते हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, नहीं, अब आप लोग चाहते हैं तो मैं नहीं बोलता हूं। मंत्रीजी रिप्लाई दे देंगे। मेरा वह जनमत जानने का प्रस्ताव विथड्रा करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान) आपस में बातें नहीं करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह सरकार राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक लेकर आई है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस जमाने में भी ये कानून लाये गये होंगे, सबसे बड़ा मकसद यह रहा होगा कि देश की चीज देश में ही रहे इसलिए इनको इन कानूनों के तहत संरक्षण दिया गया है और इनका मूल स्वरूप बदलने नहीं पाये। अब राजस्थान की सरकार इन सबको लेकर एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही है और उसके कदम बहुत तेजी से निजी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। सेक्शन 4(के) में जो अमेण्डमेंट लेकर आये हैं ''अपने समाधान के कारण अभिलिखित'' यह इन्होंने हटा दिया है। आप किसी को भी मोन्युमेंट डिक्लियर करेंगे तो आपको कारण बताने की जरूरत नहीं है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार आम जनता को ये कारण क्यों नहीं बताना चाहती। मुझे पूरी आशंका है ..(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इसमें पढ़ें पूरी बात। उसमें यह है कि संतोषप्रद कारण। इसके कारण गवर्नमेंट कई जगह केस हार गई, मुकदमेबाजी बढ़ गई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बैठिए, आपने अवसर का सदुपयोग नहीं किया, आप ज्ञान मत दो, आप बैठिए। मुझे मालूम है, सीकर का मालूम है, जयपुर का मालूम है, मुझे बोलने तो दीजिए।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, नहीं, इसमें गवर्नमेंट इसलिए लेकर आई है ..(व्यवधान) आप गलत क्यों परिभाषित कर रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उदयपुर के जग निवास का, सीकर के फतेहपुर का मुझे मालूम है, मुझे जानकारी है। आप जितना महान ज्ञानी तो मैं नहीं हूं, पर मैं भी आपके मार्गदर्शन में कुछ सीखने की चेष्टा कर रहा हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इसमें साफ है पढ़ लें इसे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप जितना महान ज्ञानी मैं नहीं हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान ..(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप महान विज्ञानी हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इसका कारण यह है कि सरकार उदयपुर के जग निवास और सीकर के फतेहपुर के मुकदमे कोर्ट में हार गई और इसलिए इन्होंने इसको हटाने का फैसला किया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जनता को यह कारण जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। अगर यह प्रावधान नहीं रहेगा तो कोई भी प्राइवेट प्रोपर्टी बिना कारण के संरक्षित करवा देगा। इसका दुरुपयोग होने की पूरी सम्भावना है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में यह सरकार किस तरह का पुरातत्व संरक्षण कर रही है। आमेर के मामले में अहमदाबाद की जिस मीनाक्षी जैन के माध्यम से आपने उसकी रिपोर्ट बनवायी, आमेर के ऐतिहासिक तथ्यों को उसने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह से हाइड किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि औरंगजेब के निधन के बाद में जब उनके उत्तराधिकार का संघर्ष चला और मुअज्जम औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ तो 1708 में इस आमेर को खालसा डिक्लेयर कर दिया गया था और इसका नाम मोमिनाबाद किया गया था और वहां आकर उनका पूरा परिवार रहा, हरम बना और जो भी इस्लामिक परम्परा के मुताबिक व्यवस्थाएं होती हैं वे सारी आमेर के अंदर बनीं। 1708 में आठ महीने मुगलों के कब्जे में आमेर रहा। 1954 में जयपुर के राजपरिवार ने राजस्थान सरकार को सौंपा। 1954 में सौंपने के बाद राजस्थान की वर्तमान सरकार के आने से पूर्व 1954 की स्थिति में लगातार आमेर का किला रहा, लेकिन अब पुरातत्व संरक्षण की बहुत बड़ी वकालत करने वाली यह सरकार उसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर रही है और उसका पूरा नवीनीकरण करने का काम किया और इस्लामी कल्चर के आधार पर जो कुछ 1708 में हुआ था वह सारा इन्होंने नष्ट करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मानसिंह महल, जनानी ड्योढी और अंदर हरम में जो पर्दा व्यवस्थाएं थीं वे दीवारें तुड़वायी गईं, नये जाली-झरोके बनवाये गये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार ने क्राइम किया है। संरक्षित स्मारकों के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने का अपराध

(श्री संयम लोढ़ा)

किया है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, इस सरकार पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके अपने व्यावसायिक उद्देश्य हैं। आमेर क्षेत्र में छदम् नाम से सम्पत्ति खरीदी गई है और उन सबके व्यावसायिक उपयोग की व्यवस्था की जा रही है। जिन अधिकारियों ने फाइल पर तब गलत टिप्पणी लिख दी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जो डाइरेक्टर था वह लिखने के 10 दिन के अंदर सस्पेंड हो गया, टर्मिनेट हुआ। वह जो सेक्रेट्री होती थी, नीलिमा जौहरी, उसने फाइल पर एडवर्स लिख दिया, 5 दिन के बाद जब बर्फ में लगी तो आज तक बर्फ में है। सरकार की इच्छा के अनुरूप यदि पुरातत्व का आदमी काम नहीं करे तो इस सरकार में प्रताड़ित और आज बहुत अनफोर्च्युनेटली मैं कहना चाहता हूं एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को वहां पर बिठा रखा है और भारत सरकार के अंदर भी आईएएस को बिठा रखा है। बहुत योग्य लोग होंगे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है पुरातत्व की समझ पुरातत्व के व्यक्ति को होती है। आज जिस तरीके से आपने ऐतिहासिक विरासत के साथ, इतिहास के साथ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया है उसके लिए राजस्थान के लोग और यह मुल्क इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं मुझे यह भी सुनने में आया है राजस्थान के मुख्यमंत्री के आफिस में अलग-अलग स्थानों से इस तरह की चीजें लाकर प्रदर्शित करने का सिस्टम बनाया जा रहा है बहुत वेल्यूएबल चीजें। राज्यपाल के राजभवन के अंदर भी खन्ना नाम के, जिस समय उनके सेक्रेट्री हुआ करते थे, राजभवन में भी इस तरह की चीजें प्रदर्शित की गईं थीं और बाद में वे चीजें कहां गायब हुई, इसका कुछ मालूम नहीं पड़ा। इसलिए मुख्यमंत्री के अपने आफिस में भी ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, ये काल्पनिक बातें कहकर सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): काल्पनिक बातें नहीं, मैं मोन्युमेंट की बातें कर रहा हूं। क्या काल्पनिक बातें हो रही हैं? आप तो सरकार के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो अमेण्डमेंट लाये हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उन अमेण्डमेंट पर बोल नहीं रहे, अमेण्डमेंट पर बोलते-बोलते उसकी आड़ के अंदर कहां के कहां जा रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी के दफ्तर में क्या हो रहा है, राजभवन में क्या हो रहा है, इनको क्या पता। या तो कोई आधार हो। और भी बिल हैं, इसका तो बड़ा लिमिटेड स्कोप है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, ये बिल पर बोलें तब तो ठीक है। क्या रिलेवेंसी है इसकी कि चीजें गायब हो गईं।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब इतिहास के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मुझे मंत्रीजी बताएं, मैं आपके माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने आमेर के मामले में जिस अहमदाबाद की मीनाक्षी जैन को अंगेज किया है उसने अपनी रिपोर्ट में 1708 का जिक्र किया? बताइए आप। आप ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप सुनना नहीं चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, बेबुनियाद बात है। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सरकार का छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं है। आज वे नष्ट हो रही हैं ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो हमारे अवशेष हैं वे रहने चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो हमारा पुराना इतिहास नष्ट हो रहा है उसको बचाने का काम कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वहां इतनी गहराई के मार्बल लगे हुए थे उनको हटा दिया गया है उस साइज के मार्बल को ..(व्यवधान) भ्रष्टाचार किया है आमेर के अंदर। भ्रष्टाचार हो रहा है आमेर के अंदर। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): भ्रष्टाचार के बारे में कुछ तथ्यात्मक बातें करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह देश धर्मनिरपेक्ष है और कोई सरकार हो उसको ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कहां-कहां खिलवाड़ हुआ है, वह बता दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप मनमाने तरीके से, अपने पोलिटिकल एजेंडा के आधार पर रिनोवेशन का काम नहीं करा सकते कहीं पर भी। अपने पोलिटिकल एजेण्डा के आधार पर आरएएस के फलसफे के आधार पर यदि आप मोन्युमेंट्स के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं तो हम घोर विरोध करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, कुछ तो संयमित करें इनको। कहां जा रहे हैं ये?

श्री सभापति: यह बिल जनमत जानने के लिए क्यों प्रेषित किया जाए इसके संबंध में बोलें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या मतलब है यह? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अगर ये नहीं सुनना चाहते तो इनकी मर्जी, लेकिन मेरा काम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है, आप क्राइम करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे कर्म फूटे आपके। मेरा तो काम कहने का है जो मैं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इस तरह के शब्द काम में ले रहे हैं। सभापति महोदय, एक्सपंज कराओ इनको। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कर्म फूटे।

श्री सभापति: विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शास्तियां रखी हुई हैं 1961 के बाद यह पहली बार शास्तियों को रिव्यू करने का काम हो रहा है। आपने छह मास की सज़ा और पांच हजार रुपये का जो पहला प्रावधान था। यह प्रावधान किया है आपने 6 महीने की सज़ा और पांच हजार रुपये का, इतने बेशकीमती मोन्यूमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ करे, यह पांच हजार रुपये का क्या होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस सज़ा को बढ़ा कर 3 वर्ष कीजिए और जुर्माने की जो दण्ड की राशि है उसको आप एक लाख रुपये कीजिए तब जाकर इसका भय बनेगा और लोगों पर अंकुश लगेगा। इसी तरीके से खान खोदने के मामले में आपने किया, 200 रुपये क्या होता है, आप पांच हजार रुपये कीजिए इसको

(श्री संयम लोढ़ा)

और जहां-जहां भी आपने शास्ति पांच हजार रुपये की है, वहां सभी जगह एक लाख करिए आप और जहां 6 महीने की है, वहां सभी जगह आप 3 साल कीजिए तब जाकर यह मोन्यूमेंट्स के संरक्षण को लेकर एक भय का वातावरण बनाया जा सकेगा। जो लास्ट में अभी 38 में आपने प्रोविजन पांच हजार का किया है उसको भी एक लाख कीजिए इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि 47 साल के बाद इस सरकार को सूझा है कि इस शास्ति में बढ़ोतरी की जाए तो जब 47 साल के बाद कर रहे हो तो अगली बार फिर 50 साल के बाद होगा तो कम से कम ढंग से करें, जब कर ही रहे हो और चूंकि यह सब प्रावधान इसमें शामिल नहीं किये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सम्मिलित करें और चूंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण कारणों को लिखने के प्रावधानों को हटाने का फैसला किया है जो जन विरोधी हैं, राजस्थान की जनता के अधिकारों का हनन करता है इसलिए मैं आपके माध्यम ये निवेदन करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल – (अनुपस्थित)

माननीय श्री चन्द्रशेखर बैद ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, यह जो सरकार द्वारा बिल लाया गया है राजस्थान मोन्यूमेंट्स आर्कोलोजिकल साइट्स एण्ड एटिक्विटीज मोन्यूमेंट्स बिल, 2007 । अब इस बिल के पीछे सरकार की मंशा क्या है और वह क्या करना चाहती है इस बिल के माध्यम से वह मैं थोड़ा सा उजागर करना चाहता हूं क्योंकि जैसी वर्तमान सरकार का पिछले ...

श्री सभापति: आप बैठे-बैठे, बातें नहीं करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): जैसा पिछले चार साल से सरकार का कार्यकलाप रहा है, जमीनों के बारे में जो इनकी श्रद्धा रही है, जो आस्था रही है और जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हवेलियों और मोन्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने की प्रवृत्ति रही है, मंशा के अन्दर जो आपने अपने बिल के अन्दर स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टिव एण्ड रीजंस लिखा है, उसकी चार लाइनें मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा और उसी का मैं कंट्राडिक्ट करके आपको यह बताना चाहूंगा कि जो केन्द्र सरकार ने आलरेडी बिल बना रखा है और जो टॉपिक कांक्रीट लिस्ट में आता है उसके साथ में आपने कंट्राडिक्शन पैदा करके छेड़छाड़ करने की जो नीयत

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

अपनाई है उसका क्या हश्र होगा, इन चार लाइनों में आपने यह लिखा है पेज नम्बर 4 – "The government faced hindrances in the court ." आपने यह क्लियर एडमिट किया है – "The government faced hindrances in the court while acquiring the monuments to be declared protected because of the reasons mentioned in the notification. Therefore, it was necessary to remove the provision mentioning reasons in the notification." तो मोन्यूमेंट्स एक्वायर करने की जरूरत कहां पड़ गई, आप देखें पिछले 4 साल में आपने कितने मोन्यूमेंट्स के ऊपर कितने ऐतिहासिक स्थलों के ऊपर राजस्थान सरकार का बजट खर्च किया है, जितना भी खर्चा किया है, जो भी बजटीय प्रावधान है उसमें मैचिंग ग्रांट जरूर दी होगी लेकिन more than 75% has come from Central Government. आपकी अगर मंशा इन मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने में, इंटेक्ट रखने में कोई फायदा उठाने की होती तो आप राजस्थान के बजट में इसके ऊपर कुछ तो पैसा खर्च करते, आपने इसके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया।

दूसरा, देखिए, जब यह आपका जो एक्ट बना हुआ है, राजस्थान मोन्युमेंट्स एण्ड आर्कोलोजिकल साइट्स एण्ड एटिक्विटीज एक्ट, 1961 इसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । इसके अंदर सैक्शन दो जिसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं, इसकी चार लाइनें मैं पढ़ कर बताना चाहूंगा। डेफिनेशन में इन्होंने सब चीजों को डिफाइन किया है, एनशिएंट एण्ड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को डिफाइन किया है। इन्होंने एटिक्विटीज की मिनिंग बताते हुए, एटिक्विटीज के अंतर्गत क्या-क्या चीजें आती हैं, यह क्लियरली डिफाइन किया है, यह बना हुआ है आलरेडी कानून अपने राजस्थान का कानून बना हुआ है एक्ट 1961, इसके अंदर जो दो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वह क्लियरली इंडिकेट करती हैं। मैं पढ़ कर सुनाऊंगा। " ... but does not include .." जो आपका कानून, बना हुआ है प्रदेश का, it doesn't include an ancient monument as defined in the Central Act. सेंट्रल एक्ट में जो डिफाइन किया गया है उसके ऊपर यह राजस्थान का अभी तक का जो कानून बना हुआ था वह लागू नहीं होता है। " .. to which the provisions of that Act apply for the time being .." तो जब सेंटर का आलरेडी आपका कानून बना हुआ है और जिसके अन्दर क्लियर डिफाइन किया हुआ है और सारे सेंट्रल के कानून के अन्दर यदि माननीय मंत्री जी ने इसको देखा हो, आप पहला अपना बिल जो पायलेट कर रहे हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि सेंट्रल के कानून के अन्दर सारे प्रावधान हैं, कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसका एडवांटेज उठाया जाए, कैसे उसकी जो हिस्टोरिकल

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

वैल्यू है उसको इंटेक्ट रखें, लोगों को दिखाने के लिए उसको परिचालित किया जाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया क्योंकि यह सेंट्रल का जो एक्ट है इसमें एनशिएंट मोन्यूमेंट्स एण्ड आर्कोलोजिकल साइट में इसके सब सैक्शन 3 और 4 के अन्दर साफ-साफ लिखा हुआ है, सैक्शन 4 में "Power of Central Government to declare ancient monuments to be of national importance." अब जब नेशनल इम्पोर्टेंस वाली चीजों को छोड़ कर बाकी सब चीजों पर आपने अपना अधिकार जता दिया और आपने यह कह दिया कि साहब, यह जो 1959 का जो एक्ट बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसी चीजें जो नेशनल डिक्लेरेशन के अलावा हैं, नेशनल डिक्लेरेशन हर चीज का बताता है, जैसे जयपुर के अन्दर हवामहल को डिक्लेयर किया गया है लेकिन बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया है, उनको आपने अपनी परिधि के अन्दर शामिल कर लिया क्योंकि जैसे सरकार की नीति पिछले चार साल में रही है कि इनका दूसरे तरीके से कामर्शियल एडवांटेज उठाया जाए, यह मंशा सरकार की साफ झलकती है, जो कि मैं उजागर करना चाहता हूं।

आप एक चीज देखें कि जो कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया के अन्दर अलग अलग तीन चीजें जो दी गई हैं उसमें जो कांक्रीट लिस्ट दी गई है, लिस्ट थर्ड कांक्रीट लिस्ट इसके अन्दर नम्बर 40 के ऊपर यह क्लियरली मेंशन किया गया है – "Archaeological sites and remains other than those declared by or under law made by Parliament to be of national importance." तो इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मंशा साफ उजागर होती है कि आप यह चाहते हैं कि नेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं जो हिस्टोरिकल हैं और जो भारत सरकार द्वारा डिक्लेयर नहीं किये गये हैं जबकि आम तौर पर व्यावहारिक तौर पर यह माना जाता है कि जो इस एक्ट के अन्तर्गत कवर होते हैं उसके ऊपर राज्य सरकार के कानून लागू नहीं होते लेकिन आपने ऐसा करके उनके ऊपर अपना आधिकार जताया है और ऐसा करने से जो कानफिल्क्ट होगा क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा आ जाएगा जो सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट के ओवरलेपिंग एरिया के अन्दर आ जाएगा। There would always be a kind of conflict between the Central Government and the State Government. तो मेरी सोच यह है कि इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार के पिछले चार साल के क्रियाकलापों को देखते हुए इसको कम से कम तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए जिससे कि

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सब की ओपिनियन उभर कर आए, सब लोग यह बताएं अपने-अपने एरिया में कि पिछले चार साल में सरकार ने किस मंशा से, किस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का क्या किया और हम सही तरीके से अपने हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इंटेक्ट रख कर और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास कायम कर सकेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री हरि मोहन शर्मा- (अनुपस्थित) । माननीय डा. समरजीत सिंह- (अनुपस्थित) । माननीय श्री जुबेर खान ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, यह जो राजस्थान स्मारक पुरातत्व स्थल तथा पुरावशेष संशोधन विधेयक, 2007 आ रहा है, इसके बारे में इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय और यह सरकार जब यह बिल ला ही रहे थे तो यह स्टेच्यू के पास हवेली तोड़ने की क्या जरूरत थी ? तीन चार दिन रूक जाते और इसका अधिग्रहण ही कर लेते क्योंकि आपके बिल की मंशा यही है कि जो पसंद नहीं है उसको हम ले लेंगे और जो पसंद है और टूटा-फूटा है उसको अच्छी कीमत देकर ले लेंगे तो मंत्री महोदया, ऐसा नहीं हो कि आज तो यह सरकार आपसे राज़ी है और कल को आपसे ही नाराज हो जाए और ईसरदा हाउस की तरफ ही मुंह कर दे। यह भी आपको देख लेना चाहिए था क्योंकि इस सरकार की मंशा साफ है, जैसा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि व्यवसायीकरण के लिए इस बिल को लाया जा रहा है, इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज कोई ऐसा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट बचा नहीं है कि जो केन्द्र सरकार, सैंट्रल एक्ट है उसके तहत आते हैं। राजस्थान का भी अपना एक एक्ट बना हुआ है द राजस्थान मोन्यूमेंट्स, आर्केलॉजिकल साइट्स एण्ड एटीक्यूटीज एक्ट, 1961, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी। इसके पीछे मेरा साफ-साफ आरोप है कि यह सरकार जिससे नाराज होगी उसकी हवेली, किले, महल को लेने का प्रयास करेगी इस नये एक्ट के तहत और अगर कहीं खण्डहर पड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जहां कोई आना-जाना नहीं चाहता तो उसको लैण्ड एक्वीजिशन के तहत अच्छे पैसे देने का भी काम कर सकती है। तो इस बिल के पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से भी और सरकार से निवेदन है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ रही थी कि जो इसके लिए

(श्री जुबेर खान)

अध्यादेश ही जारी करा दिया। आप इस बिल को परिचालित कीजिये, तीन महीने के लिए जनता के सामने भेजिये, जिन लोगों को पुरातत्व का ज्ञान है, जिनको पुरा-हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का ज्ञान है, जो इस सम्बन्ध में जानते हैं और जो अपने सुझाव दे सकते हैं, सरकार को उनके सुझाव आमंत्रित करने चाहिए और सब के सुझाव आने के बाद में फिर सरकार को कोई न कोई इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय डाक्टर सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है, मैं उसी बात पर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, The Ancient Monuments, Archaeological Sites and Remains Act, 1958 के अन्तर्गत तीन एंट्री हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एण्ड कांकरेंट लिस्ट। Entry 67 pertains to Union List, Entry 12 pertains to State List and Entry 40 pertains to Concurrent List. एंट्री 12 स्टेट लिस्ट में लिख रखा है कि – "ancient and historical monuments and ... other than those declared by or under law made by Parliament to be of national importance." सभापति महोदय, जब राजस्थान में 1961 का एक्ट बनाया तो 1961 के एक्ट में यह सब चीजें, डेफिनेशन दे रखी हैं। जैसा माननीय सदस्य ने बताया और आपने जो आब्जैक्ट बताया मैं उसमें माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। आप आब्जैक्ट क्या लिख रहे हो और आप करना क्या चाहते हो उन दोनों के बीच में कितना गैप है. Statement of Objects & Reasons यह कहता है कि – "The Rajasthan Monuments, Archaeological Sites and Antiquities Act, 1961 defines ancient or historical monuments, antiquities so as to exclude ancient or historical monuments, and antiquities declared to be of national importance under Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (Central Act No. 24 of 1958) but the terminology used in the definitions create some ambiguities." I wish, I wish, मंत्रीजी यह बतायें कि इन दोनों एक्ट के अन्तर्गत कौनसी डेफिनेशन में एम्बिग्युटीज है। आपने इस एक्ट में डेफिनेशन को चैंज नहीं किया है। आपने इस एक्ट में, जो सैंट्रल एक्ट के प्रोविजन हैं उनमें आपने जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन यह किया कि राजस्थान मोन्यूमेंट आर्कॅलॉजी के सैक्शन 2 में आपने यह अन्तर किया है कि – "in clause (i), for the existing expression 'to which the provisions of that Act apply for the time being', the expression 'which has been declared protected under that Act and stands so declared' shall

(डा. सी. पी. जोशी)

be substituted." प्रोटेक्टेड करने का आपको अधिकार नहीं है। प्रोटेक्टेड करने का सैंट्रल में सिस्टम बना रखा है कि कलक्टर होगा, एंट्री होगी, यह होगी, आप यह अमेंडमेंट करके जो आपने अपनी मनमर्जी कर ली है उन मनमर्जी को जस्टिफाई करने के लिए एनक्रोचमेंट किया है सैंट्रल एक्ट का, जबकि सैंट्रल एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि एंट्री 67 लिखी हुई है यूनियन लिस्ट के अन्दर लिखे हुए हैं कि- "ancient and historical monuments and ... and archaeological sites and remains declared by or under law made by Parliament to be of national importance." एंट्री 67 में आपको डीबार किया है। स्टेट लिस्ट में एंट्री 12 के अन्तर्गत यह जो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं यह एंट्री 40 भी नहीं है, यह कांकरेंट लिस्ट का सवाल भी नहीं है, आप एंट्री 40 के अन्तर्गत जो आपने एक्ट बनाया है 1961, उस एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। किस डेफिनेशन में अन्तर है? यह मुझे बतायें। जो 1961 का एक्ट है, इस एक्ट में मुझे यह बतायें माननीय मंत्रीजी, I will be very happy, क्या इसमें डेफिनेशन लिख रखी है? सैक्शन 2 में एंशियंट और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, उसकी डेफिनेशन और सैंट्रल एक्ट की डेफिनेशन में कोई अन्तर है? क्या सैकण्ड में एंटिक्वीटी उसमें कोई डेफिनेशन में अन्तर है या आर्केलॉजिकल साइट में कोई अन्तर है? यह बतायें कि यह सैक्शन 1961 का जो राजस्थान में एक्ट बनाया था, जिस पार्लियामेंट एक्ट के बाद राजस्थान का 1961 का एक्ट बना उसकी किस परिभाषा में आपको तकलीफ है? इसलिए आप अमेंडमेंट लाये हैं। आपकी परिभाषा नहीं है, आप तो जो परिवर्तन करना चाहते हैं वह यह लिख रहे हैं – " .. but does not include an ancient monument as defined in the Central Act, to which the provisions of that Act apply for the being .." उस समय सैंट्रल एक्ट के जो रूल लागू हुए थे उसको आपको डी-बार किया गया है और आप उसी में अमेंडमेंट ला रहे हैं और अमेंडमेंट आप कर रहे हो उसकी जगह – "which has been declared protected under that Act and stands so declared .." उस समय का जो सैंट्रल एक्ट है उसमें आपने कौन से प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट डिक्लेयर किये हैं, आपके पास लिस्ट है। यदि लिस्ट है तो प्रोटेक्टेड के सम्बन्ध में 1958 का जो सैंट्रल एक्ट है उसमें प्रोविजन लिखा है कि प्रोटेक्टेड हम कैसे, किनको कहेंगे। इसमें लिखा है, section 5 of the Central Act. I am citing it. "The Director General may, with the sanction of the Central Government, purchase or take a lease ... of any protected monument." It is with the consent of the Director General of the Archaeology, Government

(डा. सी. पी. जोशी)

of India, not on the sweet will of the State Government. आप प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट किस आधार पर कर रहे हैं यह तो सैंट्रल एक्ट का पार्ट है। सैंट्रल एक्ट के पार्ट के अन्दर प्रोटेक्टेड का सैक्शन 5 के अन्तर्गत सैण्ट्रल एक्ट को पावर लिखा हुआ है, आपको पावर नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैं समझता हूं कि आप चेयर पर बैठे हुए हैं, आप एम्स एण्ड आब्जैक्ट्स में तो कह रहे हैं कि डेफिनेशन में परिवर्तन करेंगे। मुझे बतायें कि कौन से सैक्शन में आपने डेफिनेशन में परिवर्तन किया है। आपने केवल उसकी जगह लिख दिया 'which has been declared protected under that Act and stands so declared' तो आप लिस्ट बता दीजिये। जो भारत सरकार का 1958 का एक्ट है उसमें प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स कौन-कौन से थे उन प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स में कोई अर्थ नहीं था क्योंकि उसमें लिख रखा है फोर द टाइम बिइंग इन फोर्स। प्रोटेक्टेड के लिए सैक्शन 5 का प्रोविजन था कि प्रोटेक्टेड के लिए आपको यह काम करना है, कलक्टर को लिखा है, अपील करने का मौका मिलेगा, आब्जैक्शन करने का मौका मिलेगा। आब्जैक्शन करने का मौका मिलेगा then those things will be declared protected monument. So you don't have the list of protected monuments but आपने कर लिया यह काम इसलिए आपने खाली कोर्ट में अपनी फेस सेविंग करने के लिए यह अमेंडमेंट करके कोर्ट में जा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में फैसला करवाना, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के यह आपका कोई स्टैण्ड नहीं करेगा because it is not amendment in the definition of this. It is a major amendment कि आप प्रोटेक्टेड के नाम पर अपनी मनमर्जी से प्रोटेक्टेड जो है उसको डिक्लेयर कराकर के चीजों को लेना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सदन के सामने मंत्रीजी को बताना चाहिए, आई विश, फिर आप कहेंगे मंत्रीजी, मैं नहीं बोलना चाहता, आपकी कांपीटेंस पर मैं नहीं जाना, मैं चाहता कि मुख्य मंत्रीजी आयें, बतायें whether this is violation of the Central Act or not. Do you have the list of protected monument or not in the Act of Rajasthan? You don't have. So nobody permits you. 67 क्या कहती है। कांकरेंट लिस्ट की क्या कहती है, स्टेट लिस्ट की क्या कहती है, उसी के अन्तर्गत आपका 1961 का एक्ट बना था इसलिए यह प्रोविजन आया था।

सभापति महोदय, नम्बर टू बहुत सीरियस है। 37 और 38 के बीच में एक अमेंडमेंट किया है, 37ए एक नया अमेंडमेंट किया है उसको भी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सभापति महोदय यह जो 37-ए का अमेंडमेंट किया गया

(डा. सी. पी. जोशी)

है, "37-A. Rectification of error.- Any clerical mistake, patent error or error arising from accidental slip or omission in the description of any ancient or historical monument or archaeological site or antiquity declared protected under this Act may, at any time, be corrected by the State Government by notification in the Official Gazette." आप बतायें आपकी स्वीट विल पर है? कोई मोन्यूमेंट हैं या नहीं हैं? आप ऑफिशियल गजट में डिक्लेयर करके यह अधिकार लेना चाहते हैं। 37ए का यह अमेंडमेंट सबसे ज्यादा डेंजरस अमेंडमेंट है। सभापति महोदय, मुझे यह बतायें कि एक तरफ तो मोन्यूमेंट डिक्लेयर करने के लिए सैंट्रल एक्ट बना हुआ है, लिस्ट बनी हुई है और आप इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। अमेंडमेंट यह कर रहे हैं कि – " ... at any time, be corrected by the State Government by notification in the Official Gazette." यह अधिकार आपने किसको दिया? Is it not the violation of the Central Act? How have you declared it? जो नेशनल एक्ट के अन्तर्गत डिक्लेयर किये गये हैं उनको आप यह मानकर कर लेंगे कि हमारी स्टेट की इच्छा हो गई इसलिए गजट नोटिफिकेशन करके हम यह डिक्लेयर कर लेंगे, आई थिंक, माननीय सभापति महोदय, मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि are we making this Act for the future generation of the State or are we making it for the sweet will of someone?

क्या सरकार किसी की स्वीट विल के आधार पर चलेगी? क्या सरकारें इस बारे में नहीं सोचेंगी कि हिन्दुस्तान की जनता और राजस्थान की जनता यह पूछेगी कि हम जो कानून बना रहे हैं, वह किसी की व्हिम्स एण्ड फेंसीज पर बना रहे हैं या आने वाली जनरेशन के लिए बना रहे हैं या सेन्ट्रल एक्ट का वायोलेशन करने के लिए है कि हमारे मन में कभी यह इम्पेक्ट नहीं होता है। मैं सभापति महोदय, यह नहीं कहना चाहता कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार आर्कियोलोजी डिपार्टमेंट में काम कर रही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, करना चाहिए। हर मुख्य मंत्री की कोई प्रायोरिटी होती है। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए तो आपकी प्रायोरिटी पुराने किले राजनीति में भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि राजनीति में तो पुराने किले को हैड करते हैं और इधर पुराने किलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो. What is this dichotomy of your life? I don't understand it. मुझे समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो पुरानी हवेलियां हैं उनको तो प्रोटेक्ट करना चाहते हो और पोलिटिकल पुरानी हवेलियों को ध्वस्त करना चाहते हो। यह तो मुझे आज

(डा. सी. पी. जोशी)

दिन तक समझ में नहीं आया कि किस तरह की मानसिकता से हम एक्ट को बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, यह एक्ट यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि डेफिनेशन में परिवर्तन नहीं है। राजस्थान की जनता यह भी जानना चाहती है कि सेन्ट्रल एक्ट के वायोलेशन में आप जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, वह टेम्परेरी आपको रिलीफ दे सकता है, लेकिन परमानेंट आपको रिलीफ नहीं दे सकता है और राजस्थान की जनता यह भी जानना चाहती है कि between 37 & 38, यह 37-ए आपने जो इन्सर्ट किया है, इसको इन्सर्ट करने के पीछे आपकी मानसिकता क्या है। कौन से वह आधार होंगे जिसमें सरकार अपनी मनमर्जी से गजट नोटिफिकेशन के आधार पर उनको चैंज कर देंगी? यह कोई आधार बनाया है आपने? आप कोई प्रोविजन डालते कि हम यह-यह आधार बनायेंगे और उसमें करेंगे तो समझ में आता कि यह ओब्जेक्टिव क्राइटेरिया है but you said, no objective criterion. It will be sweet will of someone कि यह जो मोन्यूमेंट्स हैं, उनको एनी टाइम डिक्लेयर कर देंगे आप। स्लिप में लिख दिया, फलाना लिख दिया, सब कुछ लिख दिया और इस आधार पर यह चेंज कर देंगे। यह न तो 1958 के सेन्ट्रल एक्ट की मंशा थी और न यह 1961 के स्टेट एक्ट की मंशा थी। फिर मैं समझता हूं कि इनोवेटिव आइडिया है सभापति महोदय, the word I using is innovative idea. The Rajasthan Government is very competent to have some innovative ideas in all walks of life. Forget about liquor sell, you talk about 90B, we have very innovative ideas. Do it. If you have innovative ideas, do it but फ्यूचर जनरेशन पूछेगी आपको कि इनोवेटिव आइडिया करने के पीछे मंशा क्या थी? What were their motives? With even good intentions जो आप यह शोर्ट लाभ उठाने के लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह राजस्थान के हित में नहीं है और आने वाले समय में राजस्थान के लिए, मैं इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, यह बात सही है कि राजस्थान जैसी स्टेट में हमें रेवेन्यु जनरेट करना है, राजस्थान की हमें प्रोस्पेरिटी को पूरा करना है तो निश्चित रूप से दिल्ली की प्रोक्सीमेटी के बाद, राजस्थान की शांति के बाद हमें ट्यूरिज्म को हारनेस करना पड़ेगा। अच्छी चीज है, ट्यूरिज्म को हारनेस किया जाये, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाये। मैं इस बात को नहीं कहता लेकिन उसके पीछे मोटिव यदि हमारा इंडिविजुअल प्रोफिट को गेन करने का है तो यह सबसे डेंजरस है सभापति महोदय। यह अमेंडमेंट इंडिविजुअल मोटिव को डिराइव करने के लिए किया जा रहा है। यह अमेंडमेंट जनता के

(डा. सी. पी. जोशी)

हित में नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी पूरी क्षमता पर विश्वास करता हूं पर फिर भी क्योंकि मुख्य मंत्रीजी के अधिकार राजेन्द्रजी राठौड़ को हैं तो राजेन्द्रजी राठौड़ ज्यादा जानते होंगे as to what are the sidebacks, इसके भी साइडबेक्स और क्या हो सकती है? हो सकता है, मैं जो बात कह रहा हूं कि उसके साइडबैक की आपको जानकारी नहीं हो, उनको जानकारी हो तो सदन को जरूर अवगत करायें कि 37-ए का अमेंडमेंट करने के पीछे मंशा क्या है? आप सदन को यह जरूर बतायें कि यह जो आपने अमेंडमेंट किया है, उसके पीछे मंशा क्या है?

तीसरा, सबसे खतरनाक है, राजस्थान लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट, 1953 की जगह आपने लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट 1994 सैन्ट्रल एक्ट के आधार पर कम्पनशेसन देंगे। यह किसको फायदा देने के लिए कर रहे हैं? Why the difference? राजस्थान लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट, 1953 को रिप्लेस कर रहे हैं लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट 1994 सैन्ट्रल एक्ट से because the compensation will be on higher side. सो आपने इसमें भी अमेंडमेंट किया है. So ultimately what is our aim? आपका उद्देश्य एक अच्छे परपज के लिए उद्देश्य है। उस अच्छे परपज को करने के लिए सर्कमेंट करने के लिए जो आप कानून में व्यवस्था कर रहे हैं सभापति महोदय, इसके बनिस्बत मैं तो यह कहूंगा कि ऐसा कानून लाने की जरूरत ही नहीं है। रशिया में एक सिस्टम है डिक्रीज। राजा राज करने जाता है। जो राजा होता है, वह डिक्री पास करता है। कोई कानून की जरूरत नहीं है. Sweet will of the government. आप डिक्री पास करो। जो चाहो सो करो। काहे को कानून का रूप लेकर आप अन्याय करना चाहते हो। यह खोटा कानून है। यह कानून जनता के हित का कानून नहीं है। यह कानून आने वाले समय में लोग यह पूछेंगे कि सरकार ने ऐसा कौनसा कानून बनाया है जिसमें व्यक्ति को लाभ के लिए हम कानून बनाने का गारब लें। यह कानून सेन्ट्रल एक्ट के ओवरलेपिंग का कानून है। यह कानून आपकी जो कान्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट बनी हुई है, उसको ओवरलेप करके यह जो शोर्ट लाभ के लिए किया जा रहा है, इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। सलैक्ट कमेटी को दिया जाये, हमारा जो एप्रिहेंसन है, यदि यह सही नहीं हो तो we wish कि हम आपके सामने आकर कहेंगे सदन में कि ठीक है, अन्यथा अच्छा भाषण देकर, पोलिटिकली मैसेज देने के लिए आप सब बातें

(डा. सी. पी. जोशी)

कर सकते हैं पर यह कानून के सर्कमेंट करने के लिए आप जो इनोवेटिव आइडिया कर रहे हैं, उनकी हम भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय डाक्टर बी.डी. कल्लाजी। अब आप क्या बोलेंगे, पूरा आ गया है सब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने नाम पुकार लिया है तो मैं बोलूंगा उस पर।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है, वैसे तो सारे बिन्दु आ गये हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता पर यह वास्तव में सैन्ट्रल एक्ट के विपरीत है लेकिन इसमें खास तौर से इन्होंने मूल अधिनियम 1961... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह मेरी जानकारी में नहीं था। उन्होंने जो लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के सम्बन्ध में कहा था, I stand corrected because मैंने जो बात कही थी, जहां पर मैं गलत हूं, वह मैं करेक्ट करता हूं, I do. जहां मेरी जानकारी है वहां तो आपको धन्यवाद। आपको यह तो जानकारी है मैं रिपील हो गया। बाकी चीजों की जानकारी हो तो वह बता दो। आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं इसमें तो कह रहे हैं तो मान रहा हूं, I withdraw it. मेरी ड्यूटी है, बाकी चीजें मैंने बोली उस पर बता दो, मेरा ज्ञानवर्द्धन कर दो, मैं उनको भी विदड्रा कर लेता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, इसमें धारा 17 की उप-धारा (1) में और धारा 26 में भी ऐसा प्रावधान किया गया है कि पहले छह महीने की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना था, जिसकी जगह उन्होंने बढ़ाकर तीन साल की सज़ा और एक लाख का जुर्माना किया है। मैं समझता हूं कि यह कोई भी पुरातत्व स्मारक मान लीजिये, वह 10,000 रुपये की कीमत का हो तो उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठीक नहीं है और सज़ा भी ज्यादा है तो इनको इस रूप में परिभाषित करना चाहिए था, यदि कोई स्मारक या मूर्ति या पुरातत्व से सम्बन्धित वस्तु जिसकी कीमत एक लाख रुपये से, पांच लाख रुपये से या 10 लाख रुपये से अधिक है उस पर जुर्माना अधिक

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

होना चाहिए और जो कम कीमत की है, उस पर जुर्माना कम होना चाहिए, सज़ा कम होनी चाहिए।

फिर एक प्रावधान किया है धारा 18 में, इसमें संरक्षित स्मारकों के समीप खान आदि खोदने पर नियंत्रण करने के लिए पहले प्रावधान यह था कि 200 रुपये का जुर्माना हुआ करता था, उसकी जगह उन्होंने 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है। मैं तो समझता हूं कि इसमें कोई पुरातत्व का स्मारक है, उसके पड़ौस में यदि कोई खान और खनन का काम करता है तो वहां पर जुर्माना पांच लाख रुपये लगायें, उसमें कौन रोकता है और इसमें जुर्माना आपको बढ़ाना चाहिए।

उसके साथ-साथ धारा 37-क में अन्तर्स्थापित किया गया है, मैं समझता हूं, यह भी ठीक नहीं है। इसके बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि यह गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आप किसी चीज को डिक्लेयर कर दें, पुरातत्व से सम्बन्धित स्मारक घोषित कर दें। इसके बारे में निश्चित रूप से पुनर्विचार करना चाहिए।

धारा 38 में भी मूल अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (3) में 5,000 रुपये के जुर्माने के स्थान पर एक लाख रुपये का जुर्माना रखा है। यह भी अधिक है तो कुल मिलाकर यह जो एक्ट है, हमारा राजस्थान है वह विभिन्न गढ़-गढ़इयों के लिए, हवेलियों के लिए, पुरातत्व स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस एक्ट में सरकार ने जो जुर्माने का और सज़ाओं का प्रावधान बढ़ाये हैं, वह इतने अधिक हैं, उसमें इनको स्लेब बनाने चाहिए कि जितना अपराध करता है उसकी तुलना में ही फाइन और सज़ा होनी चाहिए और इसके साथ-साथ जो खनन का कार्य करते हैं या स्मारक को नष्ट करने की कोशिश करते हैं वहां ज्यादा सज़ा और ज्यादा जुर्माने का प्रावधान करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि उक्त विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): सभापति महोदय, सदन में राजस्थान स्मारक पुरातत्व स्थल तथा पुरावशेष संशोधन बिल 2003 विचारार्थ लिया जा रहा है। मैं आभारी हूं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य की, रामगढ़ से आने वाले

(श्रीमती उषा पूनिया)

माननीय सदस्य की, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य की, सभी सदस्य, जिन्होंने आज अपने विचार दिये हैं और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक्ट की धारा 3-4 ए के संशोधन के माध्यम से जो आमेर में मूल रूप को छेड़छाड़ की जो उन्होंने बात कही है, सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि वह बात बिलकुल गलत है। मीनाक्षी जैन जो आर्किटेक्ट हैं, she is an accomplished Architect in heritage and she is UNESCO award winner. और इनकी जो रिपोर्ट इन्होंने हमें दी थी, विभाग ने उसका परीक्षण किया है और उसके उपरांत ही उनको यह कार्य दिया गया था। जो आमेर का मूल स्वरूप है, जो आपने उसके बारे में हिस्ट्री बताई उसके बारे में मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं क्योंकि कुछ चीजें थीं शायद वह मुझे भी नहीं पता थीं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। पर मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जो मूल स्वरूप है वह यथावत है। संरक्षण का और पुनरूद्धार का जो कार्य किया जा रहा है वह मैं समझती हूं कि उसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। It is in the interest of the public क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि राज्य में हमारी सरकार आई है जब से पर्यटकों की, आप खुद भी इसको स्वीकार करेंगे कि आवक बढ़ी है और इतना आकर्षण राज्य की तरफ हुआ है कि अभी पिछले महीने इनफेक्ट हम लोगों को दो अवाड्र्स मिले हैं, एक तो है टूडे ट्रेवलर का अवार्ड, which is for the best heritage destination और एक अवार्ड मिला है हमें सफारी इण्डिया अवार्ड which is for the best heritage product. तो मैं समझती हूं आज जो इतने कार्य हमने किये हैं और जो हेरिटेज को हम सम्भाल रहे हैं और जितना हम माट्र्स में पार्ट लेते हैं वहां पर जो दूसरे स्टेट के लोग आते हैं वह इस चीज को एप्रिशिएट करते हैं कि आपके राज्य में इतने कार्य किये जा रहे हैं पुरातत्व विभाग में, क्योंकि और सभी में कुछ न कुछ होता जाता है पर क्योंकि हमारे यहां पर पुरातत्व को बहुत महत्व दिया जाता है, there is so much history in Rajasthan, तो मैं समझती हूं कि इस चीज के लिए आपको भी प्राइड महसूस करनी चाहिए, न कि उसके लिए क्रिटिकल होना चाहिए। क्योंकि जो आज हम...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: आप बिराजें, आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बिराजो आप। उत्तर आने दें। उत्तर तो आने दो। आप बिराजो, आप बिराजें तो सही।

डा. चन्द्रशेखर बैद: अजी, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं।

श्रीमती उषा पूनिया: आप बैठें प्लीज। आप जब बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रही थी, आप पूरी बात सुन लीजिये। If you have any problem, you can get up later.

डा. चन्द्रशेखर बैद: आपकी जो उपलब्धियां गिनाईं उसके अंदर इस अध्यादेश का कितना सहयोग है, यह भी बता दें आप। आपने जो भी उपलब्धियां गिनाईं, बहुत बधाई है आपको उन उपलब्धियों के लिए लेकिन यह जो अध्यादेश लेकर आये हैं और उसका जो यह एक्ट बना रहे हैं उसके अंदर कितना सहयोग है, यह भी बता दें।

श्रीमती उषा पूनिया: इसी पर पहुंचूंगी। अभी मैं आपको भूमिका बता रही हूं कि हम क्यों फिर इसके लिए आगे बढ़े हैं। इसी तरह आपने बताया था मुख्य मंत्री महोदय के कार्यालय में कुछ प्रतिमाएं जो प्रदर्शित की गई हैं, यह मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीएमओ में अपने लोकल लोग भी आते हैं, अपने डोमेस्टिक लोग भी आते हैं, इंटरनेशनल लोग भी आते हैं, मुख्य मंत्रीजी से मिलने देश-विदेश से सभी प्रांतों के लोग होते हैं और जो लोग आते हैं वह अपनी पूरी जो, I say, this property, heritage property, or whatever you meant, उसको देखकर पुरा सम्पदा से और संस्कृति से वह वहां पर परिचित होते हैं, they admire that. उससे वह एक अच्छा मैसेज लेकर जाते हैं of the rich heritage and culture of our State. साथ में कह रहे थे कि यह जो भारत सरकार का सौ वर्ष से अधिक जो प्राचीन स्मारक थे उनको भारत सरकार ने संरक्षित घोषित किया था पर हमारे प्रदेश में इतनी बिखरी हुई सम्पदा है और इतने मोन्युमेंट्स हैं and even the historical जो किले हैं, महल हैं, हवेलियां हैं, बावड़िया हैं, छतरियां हैं जिसका कि कोई रिकार्ड नहीं मिल पाता है और जो चीज अगर हमें मिलती है तो राजस्थान सरकार के हम लोगों ने यह अधिकार लेना चाहा है कि जो बाई हण्ड्रेड ईयर्स, अगर 99 ईयर्स भी हैं, 75 ईयर्स भी हैं तो हम उन स्मारकों को केन्द्रीय सूची में जो नहीं हैं घोषित, उनको हम संरक्षित घोषित कर सकें। वर्तमान में भारत सरकार ने 160 राज्य के स्मारकों को घोषित किया हुआ है जबकि राजस्थान के संरक्षित घोषित 225 स्मारक है।

(श्रीमती उषा पूनिया)

आपने यह कहा था कि इस प्रस्ताव पर, आई थिंक, हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था शायद कि अध्यादेश जो हमने यह किया था प्रसारित, उसमें छह माह के समय का कोई सुझाव नहीं आया, जुर्माना राशि का जो प्रावधान हमने बढ़ाया है इन स्मारकों के लिए, वह इसीलिए बढ़ाया गया है कि इनको क्षति से बचाया जाय। बिकाज जितने भी स्मारक हैं आप भी देखते हैं कि उनका मिसयूज होता है, किसी भी तरह से कि अतिक्रमण हो रहा है और इन सब चीजों को रोकने के लिए अगर हम एक सोलिड लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन कायम नहीं करेंगे तो इन स्मारकों का प्रोटेक्शन नहीं हो पायेगा, इसी को देखते हुए ही हम लोगों ने यह जो बढ़ाया है उनको इसीलिए बढ़ाया गया है। जो 1958 का एक्ट है, that is the Central Act and 1961 का जो एक्ट है, that is the Government of Rajasthan Act, कोई विरोधाभास इसमें नहीं है, सेंट्रल एक्ट में जिन्हें प्रोटेक्टेड घोषित किया गया है उन्हें राज्य सरकार है वह संरक्षित घोषित नहीं करेगी। जो हमको माननीय हमारे सदस्य नाथद्वारा से आये हैं उन्होंने कहा था कि जो हमने सभी जो कानूनों में गलती सुधार बाबत धारा होती है, सम्माननीय, संशोधन नहीं, that is the thing that you had pointed out, that is not कि हमने उसको संशोधित किया है बट उसमें हमने उसका एक इन्सर्ट किया है। It is rectification of the error. सो मैं समझती हूं कि आपने जो मूल बातें कही है, उनका तो मैंने जवाब दे दिया है, कुछ रह गया है तो आप मुझे बताइये। हमारा यह लाने का मकसद मैं फिर एक बार आपसे कहूंगी कि यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी पुरातत्व हैं, अपने जो स्मारक हैं, इन सब का हम लोग अच्छे से इनका संरक्षण कर सकें ताकि राज्य में जो आर्थिक आय मिल रही है वह अपने को पर्यटन से बहुत ज्यादा मिलती है और जो नौकरियां भी इसके जरिये बहुत ज्यादा लोगों को मिलती हैं तो अच्छा एम्पलायमेंट हो, अच्छा रेवेन्यू इन्क्रीज हो, तो उन सबमें यह एक फायदा है, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट कोई भी नहीं है। इसके बावजूद if there are any suggestion, we appreciate them, आप उनको हमें दीजिये, and we will call you for a dialogue और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊं, अगर इसके अलावा कुछ रह गया है, आप मुझे आकर बाद में मिल सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी और मैं अब आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान का यह जो विधेयक था इसको पारित किया जाय।

श्री सभापतिः धन्यवाद। प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2007 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 15 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 15 स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 15 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक 2007 को पारित किया जाए।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक 2007 को पारित किया जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक ही बात ...(व्यवधान) पुरातत्वीय जो मिनिमम मोन्युमेंट्स हैं उनको तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, ह्यूमन जो आपके पास वह है उनको प्रोडेट करके इसको इनक्लूड करना है आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप बड़े चिंतित हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं तो चिंतित इसलिए हूं अध्यक्ष महोदय चिंतित इसलिए हूं कि आदमी अपनी रायल्टी बदलता है पुराने किले छोड़कर नई हवेली में आ जाता है तो मुझे कुछ बोलना पड़ता है बाकी मैं नहीं बोलता हूं।

विधेयक का पारण

श्री सभापति: ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक 2007 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक 2007 को पारित किया गया।

श्रीमती ऊषा पूनिया प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान लोक न्यास (संशोधन) विधेयक 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान लोक न्यास (संशोधन) विधेयक 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोक न्यास (संशोधन) विधेयक 2007

श्री सभापति: माननीय डा. एन.एस. गुर्जर (अनुपस्थित)।

श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार राजस्थान लोक न्यास (संशोधन विधेयक) 2007 लेकर के आई है और statement of objects and reasons में इस सरकार ने लिखा है – "It is the policy of the State that there should be minimum interference in the religious matters and freedom of religious faith be maintained." माननीय सभापति महोदय, इससे ज्यादा असत्य बात कोई हो नहीं सकती। माननीय सभापति महोदय, यह अमेंडमेंट लाने के पीछे सरकार का मूल कारण, सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं और जो इनके रीजन्स दिए हुए हैं उससे समझ में आता है ऋषभदेव का मंदिर है। मेवाड़ स्टेट के टाइम में उस वक्त के गजट के अंदर उस मंदिर

(श्री संयम लोढ़ा)

का क्या जिक्र था? 73 से लेकर 2007 तक हाईकोर्ट और दैन सुप्रीम कोर्ट तक में मुकदमा चला। केसरीयाजी के उस मंदिर में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। चाहे जैन था, चाहे ब्राह्मण था, चाहे राजपूत था, चाहे आदिवासी था, मुकदमा चलने के बाद भी हर समुदाय के लोग उस मंदिर में जाते रहे हैं लेकिन सरकार की संवेदनहीनता से सरकार की अल्पज्ञता से जब माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने प्रबंध समिति के गठन का आदेश दिया, मुकदमा चलाने वाले दो पक्ष थे, गवर्नमेंट ने पब्लिक इश्यू किया, पब्लिक नोटिस ईश्यू किया और अपने एक छोटे अधिकारी से करवाया और एक रिएक्शन पूरी सोसायटी के अंदर पैदा किया। घृणा का वातावरण बनाने का अवसर पैदा किया। सालों साल से जो समुदाय आपस में प्रेम के साथ रहते हुए आ रहे थे, एक दूसरे की आजीविका पर निर्भर थे, एक की रोजी दूसरे के माध्यम से चलती थी उन समुदायों के मन में ऐसी घृणा फैलाने का काम इस सरकार ने किया और हमारे आदिवासी भाइयों को उसमें जान गंवानी पड़ी।

मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, यह सरकार एक कमजोर सरकार है, बुझदिल सरकार है और चार साल पहले जो जनादेश मिला था, उस जनादेश का विश्वास, उस जनादेश की आस्था, उस जनादेश की मजबूती यह सरकार खो चुकी है। इस सरकार के प्रतिनिधियों के अंदर इतना माद्दा नहीं है कि लोगों को बिठाकर बात कर सकें और किसी तीर्थ का प्रबंधन ढंग से करवा सकें। इस सरकार के अंदर यह माद्दा नहीं है। माननीय सभापति महोदय...

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): सभापति महोदय, यह विषय से विषयान्तर तो नहीं होते जा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का प्रभार खतम करने के लिए यह मई के अंदर सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आई है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) दो दिन पहले जो फैसला आया है उच्च न्यायालय का...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फैसला नहीं है रिट एडमिशन हुई है, रिव्यू पिटीशन एडमिट हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, रिट पिटीशन नहीं, फैसला आया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): रिव्यू पिटीशन एडमिट हुई है ऑनरेबल मिनिस्टर रिव्यू पिटीशन एडमिट हुई है, पर आपके यह तीन महीने पहले के कर्मकाण्ड आप लेकर के आये हो अब विधान सभा के अंदर। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को सम्भाग दृष्टि रखनी चाहिए। एक समुदाय के पास अगर वोट की ताकत नहीं है तो उसकी आस्था पर कुठाराघात करने का, उस पर हमला करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है और उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो धर्म के नाम पर समाज के अंदर काम करने का एक संकल्प दिखाने की कोशिश करती है जो अपने आपको धार्मिक पार्टी कहती है, किस मुंह से वह एक समुदाय की आस्था के ऊपर हमला करने का काम करती है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं सरकार के जो भी तौर-तरीके इस साल रहे हैं उसने जैन समुदाय की भावनाओं को बहुत आहत किया है, बहुत क्षति पहुंचाई है और मेवाड़ के पूरे अंचल के सामाजिक सदभाव को नष्ट करने का काम इस सरकार ने किया है। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय मैंने पहले ही अपनी बात शुरू करते हुए यह कहा था जब सरकार ने यह कहा, हंसों मत ऐसे कर्म करोगे तो बाद में रोना पड़ेगा, पहले आगाह कर रहा हूं तुम्हारे को मैं और सत्ता के घमण्ड में ज्यादा मद मस्त मत हो, यह 13 महीने रहे हैं कब जाएंगे पता ही नहीं चलेगा फिर 32 सीटों पर आकर के खड़े हो जाएंगे इस तरह के कर्म करते रहे तो। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि मिनिमम इन्टरफ्रेंस, मैं पूछना चाहता हूं कि तत्कालीन अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक में राजस्थान के अंदर घोषित किया था, नोटिफिकेशन उसका जारी किया था पर आप उसको विधान सभा में नहीं लेकर आये और उसको निरस्त होने दिया। यह पहला मौका था जब आपने जैन समुदाय के हितों पर कुठाराघात किया और यह दूसरा मौका है जब आपने जैन समुदाय के हितों पर कुठाराघात किया। सबसे ज्यादा वोट उनसे आप लोग लेते हैं और सबसे ज्यादा नोट आप लोग लेते हैं और जब उनका अवसर आता है तो आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर आप यह मत समझना अगर वोटों की ताकत नहीं है तो आप किसी की आस्था को, किसी के भी हितों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आने वाले समय में अगर आपकी सरकार ने समझदारी नहीं दिखाई तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि समझदारी नहीं दिखाई तो आपको उस राजनीति की कीमत हर हालत में चुकानी पड़ेगी।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने...

श्री सभापतिः आप विषय से भटक रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस सरकार ने इस कानून में संशोधन के माध्यम से यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि हमारी मर्जी होगी ... (व्यवधान) यह एक्ट पर बात हो रही है यह कोई डिबेट पर नहीं ...

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ...(व्यवधान) मण्डल के नाम से जैन समाज के ऊपर हमला खुद ने करवाया है और जैन समाज की वापस संवेदना लेना चाही, ऐसी दकियानुसी इन्होंने की है वहां पर धर्म को बांटते हैं, वहां पर आपस में लड़ाते हैं, आज दिन तक धंधा क्या किया है? हिन्दु-मुसलिम को लड़ाया और ...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य आप बिराजें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): अनूप मण्डल को सिरोही के जैन समाज पर हमला कराने वाले ये खुद हैं और ये जैन समाज की अगुवाई करते हैं।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आहोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि हमने किसी पर हमला करवाया, हम पर तो आपकी पार्टी के लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि हमने मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करवाया। आपकी सरकार है आपके हाथों में क्या चूडियां पहनी हुई हैं, क्या कर रही थी आपकी सरकार आपमें हिम्मत नहीं है? (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): इतनी ताकत जिस दिन हो जाएगी न उस दिन राजस्थान से खतम हो जाओगे।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप में हिम्मत हो तो ...(व्यवधान) दिखाते ।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मुख्यमंत्री पर हमला करने की ...(व्यवधान) हिम्मत हो जाएगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जनता अगर नाराज होगी तो आप लोगों पर हमले ही होंगे ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आपको चुनौती देता हूं आ जाओ मैदान में अगर हमला करवाने की हिम्मत हो तो ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बड़े-बड़े अखबारों में स्टेटमेंट दिये हैं कि संयम लोढ़ा ने हमला करवाया मुख्यमंत्री के ऊपर ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आपने सिरोही के अन्दर धर्म के नाम पर समाज को बहका कर आपने हिन्दू-मुसलिम को बहकाया है। हिन्दू-मुसलिम के दंगे करवाये हैं आपने।

श्री सभापति: आहोर से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें। माननीय सदस्य, आप विषय से भटक रहे हैं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात कह रहा हूं और जो अमेंडमेंट आया है उसके ऊपर कह रहा हूं कोई विषयान्तर मैं नहीं हो रहा हूं। अगर इनको मिर्ची लग रही हो तो मैं क्या कर सकता हूं ...(व्यवधान) आप जांच करवायें काली मिर्च लगी, हरी मिर्च लगी, लाल मिर्च लगी कौनसी लगी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब जिसको लगी वो दुखेगी तो पता लग जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने सैक्शन 2 का जो अमेंडमेंट किया है उसमें यह राइट भी अपने हाथ में ले लिया है कि सरकार की मर्जी होगी तो वो प्रबंध समिति गठित करेगी नहीं तो सस्पेंड रखेगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पहले दस हजार तक के आपके ट्रस्ट थे अब आपने एक लाख रुपये कर दिया इतने सालों के बाद में कोई बात नहीं । खाटू श्यामजी का मंदिर जिसमें इतने घोटाले हुए, सम्भागीय आयुक्त ने जांच की और सरकार को जांच रिपोर्ट भेज दी। अगर आपकी नीयत साफ है, आपने आज तक वहां प्रबंध समिति का गठन क्यों नहीं किया, आपने सम्भागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही क्यों नहीं की? जो राजस्थान सरकार का तत्कालीन सैकेटरी अशोक शेखर जिस पर सम्भागीय आयुक्त ने आरोप साबित किये हैं, अगर सरकार की नीयत साफ है तो क्यों दबा कर बैठे हुए हैं आप इसको और क्यों खाटू श्यामजी में आपने प्रबंध समिति गठित नहीं की? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार के तारणहार और मुख्य मंत्रीजी के संकटमोचक माननीय श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था एसएन गुप्ता एंड पार्टी के साथ में। एक बार गये खाटू श्यामजी के एक बार।

(श्री संयम लोढ़ा)

यह आपकी धर्म और धर्म स्थलों के प्रति और धार्मिक संस्थाओं के प्रति यह आस्था है आपकी सरकार की आज तक आपने वहां के बारे में रिपोर्ट बना कर नहीं दी और मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बतायें सदन को राजस्थान की जनता को जयपुर के सम्भागीय आयुक्त को जब राजस्थान सरकार ने जांच सौंपी थी, क्या कार्यवाही की सरकार ने? मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो अध्यादेश को कानून की शक्ल में सरकार लेकर के आयी है, सरकार की नीयत में खोट है और लोगों की आस्था को भारी चोट लगी इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको वापस लीजिये और अगर आप इसको लागू भी करना चाहते हैं, अगर आपकी मंशा भी है तो राजस्थान की जनता की भावना की जानकारी लीजिये इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित कीजिये। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, ये राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अमेंडमेंट आर्डिनेंस के बिल के रूप में पेश किया है उसमें जो इन्होंने ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं ओब्जेक्ट्स इनके हैं– "It is the policy of the State that there should be minimum interference in the religious matters and freedom of religious faith be maintained." ये तो सही है कि वर्तमान सरकार धार्मिक आधार पर किसी भी मामले में कोई किसी को भी माने कुछ धर्मों को छोड़ कर हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और यह भी सही है कि चाहे राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी को दुर्गा के रूप में स्वायत्त शासन मंत्री अपने घर पूजा के रूप में उनकी आरती उतार करके रखें तो भी राजस्थान सरकार की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता है। चाहे उससे किसी भी धार्मिक भावना वाले व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भी दुर्गा के रूप में पूजन करें तो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और वर्तमान सरकार को उसकी नीति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है । और इस

(समय : 17.06 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

प्रकार से चाहे जोधपुर में माननीय मुख्य मंत्रीजी को अन्नपूर्णा देवी के रूप में प्रचारित करें और उसके साथ ही आडवाणीजी, अटलजी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश

(श्री हरिमोहन शर्मा)

बना दे तो भी ये भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के सभी नेता आँख मूंद करके उस निष्ठा के प्रति इतने समर्पित हैं कि चाहे हिन्दुस्तान की भावनाओं को ठेस पहुंचे लेकिन रामसेतु के नाम पर बोलना तो इनका धर्म है लेकिन इस प्रकार धार्मिक किसी व्यक्ति को ईश्वर के रूप में प्रदर्शित करें तो आप लोगों की भावनाएं बहुत साफ हैं इसलिए हम कद्र करते हैं कि आपकी नीति बहुत ठीक है ये व्यक्ति के रूप में ईश्वर को बना दें तो आप पूजा करें चाहे वो व्यक्ति हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, ये अमेंडमेंट है राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट में और बोल कहां रहे हैं ये। कहां जा रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके एम्स एंड ओब्जेक्ट्स हैं मैं तो उन पर बोल रहा हूं इनके एम्स एंड ओब्जेक्ट्स हैं।

श्री सभापति: आदरणीय आप please limit yourself to the contents of the Bill.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर मैं इस पर बिल पर बोलूंगा तो ओब्जेक्ट्स पर जरूर बोलूंगा और ओब्जेक्ट्स पर बोलूंगा तो इन्होंने ओब्जेक्ट्स में लिखा है आप ओब्जेक्ट्स देख लीजिये कि किसी भी रिलीजियस फेथ के प्रति ये बहुत समर्पित हैं। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष को ईश्वर के रूप में प्रदर्शित करें तो भारतीय जनता पार्टी के राम के प्रति अत्यधिक निष्ठावान लोगों को भी कतई आपत्ति नहीं होती है क्योंकि उनके निजी स्वार्थ अटके हुए हैं इसलिए इस बात की आलोचना करने की हिम्मत किसी में नहीं है और आपकी हिम्मत अगर हो तो किसी भी व्यक्ति के रूप में अगर हम ईश्वर के रूप में प्रकट करते हैं तो आपकी और हमारी जो भावना है वो उद्वेलित होनी चाहिए लेकिन आप बड़े शांत हैं क्योंकि सत्ता का सुख भोगना आपका प्रथम कर्तव्य है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा: ...(व्यवधान) आपकी यदि मंशा सही है तो पत्थर भी बोलते हैं यदि भगवान में आपकी आस्था है तो पत्थर भी बोलते हैं और पूजे भी जाते हैं आप तो मानव की बात कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने उसी भावना के अनुरूप, जो आपके ओब्जेक्ट्स में उन भावनाओं के अनुरूप सैक्शन 52 और 53 में आपने

(श्री हरिमोहन शर्मा)

संशोधन लाकर के ये आर्डिनेंस निकाला है और आधार बनाया है आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ...

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: आपने भी तो सोनियाजी का कलेंडर निकाला है दुर्गा के रूप में ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन सोनियाजी ने उनको डांटा है, फटकारा है पार्टी से निकाला है और आपने उनकी पूजा की है यह अन्तर है। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: आपकी सोनियाजी, दुर्गा बनने लायक नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): ...(व्यवधान) फटकारने का मतलब नहीं है आस्था का प्रश्न है। उस आस्था की बात कर रहे हैं यहां पर।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किसी भी व्यक्ति को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास: ...(व्यवधान) देवी का रूप ही माना गया है आप क्या बात कर रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किसी भी व्यक्ति को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकांता व्यास: ...(व्यवधान) क्या आप महिला विरोधी हो क्या?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: हरिमोहनजी भाई साहब, हमारी भाभीजी भी दुर्गा का रूप ही हैं। भाभीजी भी दुर्गा का रूप ही हैं।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास: ...(व्यवधान) महिला को देवी का रूप माना है ...(व्यवधान) आपके क्यों पेट में दर्द हुआ है। (व्यवधान) हर महिला को कहेंगे हे देवी नमस्कार।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप यह भाई साहब नहीं कह सकती यहां सदन में कोई भाई साहब नहीं है यह माननीय सदस्य कहिये आप। भाई साहब क्या होता है। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा: माननीय सदस्यजी, सॉरी। माननीय सदस्य जी, विषय से मत भटकिये।

श्री सभापति: एक मिनट आप विराज जाएं. It will be better for all you to address the Chair.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): I am addressing the Chair.

तो इस प्रकार इस मूल भावना के अनुरूप सैक्शन 52 और 53 में जो अमेंडमेंट आये हैं और जिन्होंने जो आधार बनाया है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा है कि मेंडेटरी प्रोविजन है कि पब्लिक ट्रस्ट के तहत कमेटी सरकार बनायेगी और उन्होंने जो अपने जजमेंट में लिखा है और उस जजमेंट के चैप्टर 10 को फालो करने का सभी राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का चैप्टर 10 है उसको हम फालो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमैंट दिया है वो मैं आपके सामने बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया – "The State Government, in our opinion, does not have any discretionary jurisdiction to exercise in the matter of appointment of a Committee of Management. It is imperative in nature. The expression 'shall' used in sub-section (1) and (2) of section 53 of the Act indicates that a natural and ordinary meaning of the word used by the Legislatures requires that the Committee of Management must be constituted. The expression 'shall' ordinarily be implied the imperative character of the law.

पैरा नंबर 32 में लिखा है – "Even if the expression 'shall' is read as 'may', although there does not exist any reason therefore, the statue provides for a power complete with a duty. It is well known settled principle of the interpretation of the statute that where the discretion is conferred upon the public authority coupled with … the discretion should be construed to mean a command." पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत कमेटी बनाने के जो हैं उसमें आपको एतराज क्या है । आपने इसमें जो आधार बनाया है आपकी नीयत ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट से हटकर आप अपने ढंग से पावर अपने पास लेना चाहते हैं और आप इस दुर्भावना के तहत कि उस पावर के अंतर्गत जहां कहीं भी आप आधार मानेंगे कि यह तो पब्लिक इंटरेस्ट में है, ला एण्ड आर्डर की स्थिति में है वहां पर आप कह देंगे कमेटी नहीं बनायेंगे और जहां आप कहेंगे कि नहीं यह ठीक है वहां आप कमेटी बना देंगे । यह पावर आप अपने पास लेना चाहते हैं । मेरा इसमें विरोध यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल के आधार पर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में सैक्शन 52 में जो डिफाइन किया हुआ है कि कौन-कौन से पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में कमेटी बनाने का 52 और 53 में जब वह इसमें लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने आप सब को सुनने के बाद आपकी सरकार की सहमति के बाद इस चैप्टर को

(श्री हरिमोहन शर्मा)

माना है और उसके बाद डिसाइड किया है तो आप इस कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी मर्जी से आप चाहेंगे तो दीनदयाल ट्रस्ट में किसी भी कमेटी को बना देंगे, नहीं चाहेंगे तो दीनदयाल ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उसको अपने पास

(समय : 19.12 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

और उस कमेटी को ला एण्ड आर्डर के नाम से कि साहब कांग्रेस वालों ने हल्ला किया था इसलिए इसमें कमेटी हम नहीं बनायेंगे और हम ही इसके ट्रस्टी बने रहेंगे । इस प्रकार दुर्भावना पूर्वक आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप जो इसमें अमेंडमेंट लाये हैं वह कतई असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और आप उस पावर को अपने पास एंजाय करने के दृष्टिकोण से लाये हैं । मेरा कहना यह है कि यह जो अमेंडमेंट सैक्शन 52 और 53 में है इन अमेंडमेंट को जनमत जानने के लिये परिचालित करें । जनता बात सुने, सारी बातों को देखें। सैक्शन 52 आप देख लीजिए कि क्या-क्या उसमें प्रोविजन है । इन सब बातों को देख कर जो सरकार मनमाने ढंग से पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत उनके प्रोविजन को ओवर राइट करके अपनी मनमर्जी चलाकर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में कमेटी बनाने का जो पावर है वह अपने पास मनमाने ढंग से लेना चाहती है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

श्री सभापति: माननीय डाक्टर चन्द्रशेखर बैद ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट अमेंडमेंट बिल 2007 सबसे पहले इन्होंने इसमें स्टेट आफ ओब्जेक्ट एण्ड रीजन में पहली लाइन में जो लिखा है उस लाइन में इन्होंने लिखा है – "In pursuance of the order passed in the judgment dated 4.1.2007 of the Hon'ble Supreme Court .." यह तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को मद्देनजर रखते हुए यह सारी कानूनी प्रक्रिया अध्यादेश लाया गया है और अब एक्ट लाया गया । लेकिन इन्होंने इसमें यह कभी मेंशन नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में कई आर्डर निकलते हैं, कई डिसीजन होते हैं । उस दिन 13 डिसीजन हुए थे । इसलिए न तो केस का हवाला दिया, न जज का नाम लिखा न उसका डायस बताया, न डेट आफ जजमेंट उसमें क्लियरली मेंशन की गई । कौनसी डेट में कौन से पैरा में क्या लिखा हुआ है

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

जिसको ध्यान में रख कर इन्होंने यह सारी कानूनी कार्यवाही की। अब जब यह पहली लाइन इन्होंने लिख ही दी है कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को मद्देनजर रख कर यह सारी कार्यवाही की गई तो मैं यह उचित समझता हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था जिससे सरकार में यह खलबली मची कि इसमें कोई अमेंडमेंट किया जाये, नया कानून लाया जाये । यह लाइन पूरे सदन को जानना जरूरी है । यह पैरा जिसको सुन कर, जिसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार यह नया अध्यादेश और एक्ट लाने जा रही है। इसमें यह कहते हैं – "The stand of the State in earlier round of litigation .." सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि यह केस नंबर अपील सिविल 4092, 4095, 2002 and this judgement was given by the Bench of Justice S.B. Sinha and Mankandey Katju, Hon'ble. Date 4th January, 2007. इसमें यह मेंशन करते हैं – "The stand of the State in earlier round of litigation was that of temple in question was a Hindu temple. This court categorically opines that it was a Jain temple." यह सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह जो टैम्पल जिसके विवाद के कारण राज्य सरकार सुप्रिम कोर्ट तक लडने के लिये गई उस टैम्पल को इन्होंने जैन टैम्पल माना है । "The principle of res judicata, thus, would come into play. The State, therefore, cannot still contend that the temple in question is a Hindu temple. Before the respondent nos. 1 to 4 civil appeal no. .....raised a contention that it is a Hindu temple but we cannot permit ..", I would repeat it, " ... we cannot permit the State or the said respondents to raise such a contention before us. We are bound by the earlier judgment ..." जो कि स्टेट हाई कोर्ट में हुआ था, " ... the issue cannot be permitted to be reopened nor we have any jurisdiction in these matters to do so." एक ऐसा टैम्पल जिसको राजस्थान के हाई कोर्ट ने यह बता दिया कि यह जैन टैम्पल है राज्य सरकार ने उसको नहीं मान कर सुप्रीम कोर्ट में गई सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को अपहोल्ड करते हुए उसे जैन टैम्पल ही माना । तो ऐसे डिसीजन को वर्तमान सरकार क्यों नकारना चाहती है यह बात समझ से परे है । लेकिन इसके पीछे भी सरकार की जो छद्म भेष में मंशा छिपी हुई है वह यह है कि आप इस पर गौर फरमायें जो स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्टिव एण्ड रीजन दिया हुआ है उसमें कितना कंट्राडिक्शन है । एक तरफ तो सरकार ने यह लिखा है – "It is the policy of the State that there should be minimum interference in the religious matters and freedom of religious faith be maintained." एक तरफ तो वह कह रहे हैं कि धर्म की पूरी स्वतंत्रता राज्य सरकार राजस्थान में निवास कर रहे 6 करोड 40

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

लाख लोगों को देना चाहती है और दूसरी तरफ इस बिल के माध्यम से पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का जो ढांचा आलरेडी बना हुआ है उसको ध्वस्त करना चाहती है । दूसरी तरफ, "In view of the policy of the State Government, sections 52 and 53 were proposed to be amended so as to provide discretion to the State Government .." एक तरफ तो आप कह रहे हैं धर्म में स्वतंत्रता देना चाहते हैं दूसरी तरफ " ... to the State Government in the matters of constitution of Management Committee and also enable the State Government to constitute Management Committee ..." इसके आने के बाद में कोई भी धार्मिक स्थल, कोई भी ट्रस्ट में सरकार इतनी सक्षम हो जायेगी कि वह अपनी इच्छानुसार मैनेजमेंट कमेटी अपाइंट कर सके । यह जो धार्मिक ढांचा राजस्थान में जो फैबिरिक बना हुआ है उसको डिस्टोय करने का कुप्रयास हो रहा है । सरकार आज की तारीख में इतनी सक्षम है। इसमें मैं यह बताना चाहूंगा यह बिल आप यहां पर तो पास करा लोगे लेकिन चूंकि यह हिन्दुस्तान के कांस्टीट्युशन के अंगेस्ट है क्योंकि ऐसा करने के बाद जो दखलन्दाजी सरकार की धार्मिक स्थलों पर हो जायेगी उसके कारण यह बिल आगे जाकर पास नहीं होने वाला है यह मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूं । क्योंकि जो अपने फंडामेंटल राइट हैं राइट नंबर 253 जिसमें यह है कि आपको जो कांस्टीट्युशन अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट नंबर 25 – "Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion" ...

(समय : 19.20 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह हिन्दुस्तान के इतिहास में आपको फण्डामेंटल राइट दिया गया उस राइट के ऊपर वर्तमान कानून कुठाराघात करता है इसलिए कान्ट्राडिक्शन को मानने में कभी भी कोई भी सरकार चाहे वह केन्द्र सरकार हो चाहे राज्यपाल महोदय हो इसको स्वीकार कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें टेक्नीकल डिस्क्रिपेंसी है, उस डिस्क्रिपेंसी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यह फ्रीडम आप कैसे खतम कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक वर्ड जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है पब्लिक आर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर पब्लिक आर्डर को मेंटेन करने का बहाना करके आप उसकी मैनेजमेंट कमेटी को हथिया लो या उसकी मैंनेजमेंट कमेटी को अपने अधिकार में लेने का प्रयास करके उसको धमकाओ तो इसमें तो यह होगा कि धार्मिक स्थल जो कि जैन टैम्पल है उसके अंदर कोई मुसलिम लग गया, मुसलिम का

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

धार्मिक स्थल है उसके अंदर कोई जैन, कोई ब्राह्मण लग गया और जैसा कि आपने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में किसी को बना दिया वैसे ही वह दिन दूर नहीं, यदि यह कानून पास हो गया तो मोदी साहब कहीं गोविंद देवजी मंदिर के पुजारी नहीं बन जाये, वह पुजारी बन सकते हैं, सरकार उनको नियुक्त कर सकती है वर्तमान कमेटी को ध्वस्त करके उनको पुजारी बना सकती है। यह इस कानून के अन्तर्गत फिर आ जाता है क्योंकि आपने जो सैक्शन दस, सैक्शन दस के अंदर जो क्लियरली डिफाइन किया गया है यह आप देखें – "Inconsistency between laws.." इसमें सैक्शन दस में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि पुजारी के अंदर उसकी हैरीडिटी को मेंटेन किया जाएगा। आज कोई मंदिर में पुजारी है कल उसका लड़का पुजारी होगा उसके बाद उसका लड़का पुजारी होगा। इसमें डिस्प्यूट हो सकता है कि कौन किसका लड़का है, कहां कब आ गया लेकिन उसको आपने खतम कर दिया। अब हैरीडिटी का कोई मतलब ही नहीं है। आज जितने भी धार्मिक स्थल हैं राजस्थान के अंदर और जितने पुजारी है उनको उस मंदिर के ऊपर कभी भी आधिपत्य किसी भी तरीके से समाप्त करने की ताकत सरकार में निहित हो गई जो कि गलत है क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर आप हमला कर रहे हो। आप एक तरफ तो कहते हो कि हमारी बड़ी धार्मिक पार्टी है और सारे हिन्दुत्व का ठेका हमने ले रखा है और दूसरी तरफ अपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और इन हिन्दू धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने के लिए यह कानून लाया गया है जो कि सर्वथा अनुचित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन सब चीजों को मध्यनजर रखते हुए और जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए सरकार कानून ला रही है मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि इसे जनमत जानने के लिए परिचारित किया जाए, जिससे ज्यादा लोग, आप जनता को बताओ तो सही कि किस कारण से इस कानून को ला रहे हो इस कानून को लाने के बाद में उसके क्या कान्सीक्वेंसेज होंगे। यह अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जब समझेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। डाक्टर समरजीत सिंह। डाक्टर सी पी जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट अमेंडमेंट बिल 2007 मैं समझता हूं कि हम सबके लिए यह एक आंख खोलने का उदाहरण होना चाहिए कि 1959 में एक एक्ट बन गया जिस एक्ट में प्रोवीजन था कि किसी भी पब्लिक ट्रस्ट की ग्रोस एन्युअल इनकम दस हजार रूपये हो या ज्यादा हो उस पर एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे, यह प्रोवीजन 52 सैक्शन में कर रखा था और 53 में कर रखा था, मेंडेटरी कर रखा था। अब मैं समझता हूं कि दोषारोपण इस सरकार पर करो या किस सरकार पर करो उस समय की देन सरकार का सोच यह था कि पब्लिक ट्रस्ट पर मैनेजमेंट कमेटी बनाकर उनके कस्टम, उनकी जितनी व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए there shall be a Management Committee, जिस पर दस हजार रुपये की सालाना इनकम हो। मैं समझता हूं कि आज तक यह सरकार जो धर्म की बात करती है उसके पास यह रिकार्ड ही नहीं है कि दस हजार रुपये एन्युअल इनकम से ज्यादा वाले ट्रस्ट कौन-कौनसे हैं। यह ट्रस्ट होते और ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी बनाते तो शायद उन सब जगहों पर अच्छी व्यवस्था होती। धार्मिक निष्ठा की हम बात करते हैं वह धार्मिक निष्ठा ठीक ढंग से वहां पर संचालित होती। कुछ लोग धर्म के पुजारी बने हुए हैं वह धार्मिक पुजारी उस धार्मिक भावना के आधार पर जो लोग चढ़ावा कर रहे हैं उनसे अपने खुद व्यक्तिगत आमदनी का जरिया नहीं बनाते। गवर्नमेंट को मानना चाहिए, we have failed to perform this duty and this House owes an apology to the lakhs of people जो करोड़ आदमी धार्मिक आस्था वाले हैं उनसे उन्हें मांफी मागने की जरूरत है कि हम अपने इस काम को करने में असफल रहे इसलिए धार्मिक भावनाओं के आधार पर कुछ लोगों ने अपनी हैसियत बढ़ाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इस दृष्टि से देखें तब मैं समझता हूं कि यह एक्ट का जो अमेंडमेंट है उसमें अमेंडमेंट करने के पीछे हम एक ऐसा लेटीटयूड ले रहे हैं। 1959 में हमने इन्वीसेज किया कि there shall be a Management Committee और आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं डिस्क्रिशन हमारी च्वाइस होगी तो बनायेंगे नहीं तो नहीं बनाएंगे। मुझे बताएं कि यह धार्मिक आस्था को मजबूत करने वाला कदम है ? यह धार्मिक आस्था में रखने वाले आदमियों की भावना को ठेस पहुंचाने वाला कदम है या उन आदमियों की भावना को वंचित करने का कदम है? मैंने पहले ही कहा ब्लेसिंग इन डिसगाइस इनोवेटिव तरीके से हमें व्यवस्था करनी है तो किन-किन जगह

(डा. सी.पी. जोशी)

पर हमें मैनेजमेंट कमेटी बनानी है उसके लिए जनअभाव अभियोग समिति के पास जाना पड़ेगा वह निर्णय करेगी इस ट्रस्ट का पब्लिक मैंनेजमेंट बनाए कि नहीं बनाए। यह डिस्क्रिशन सरकार क्यों लेना चाहती है। यदि आप कोई ओब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाते समझ में आता मुझे कि आपका इमिजिएट रिक्वायरमेंट था ऋषभदेव के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चल रहा है एक कैस चल रहा है, जिस केस से धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। धार्मिक आस्था जैसे रामसेतू की बात कर रहे हैं धार्मिक आस्था का प्रश्न है वह ऋषभदेव का मंदिर भी धार्मिक आस्था का प्रश्न है। आज सरकार खड़ी होकर बोले, कनकमलजी कटारा बैठे हुए हैं, भवानी जोशीजी बैठे हैं, मदन दिलावरजी बैठे हुए हैं हिन्दू मंदिर मानें उसको, जैन मंदिर मानें उसको, आदिवासी मंदिर मानें। आस्था का सवाल है आस्था तो सबजेक्टिव है ओब्जेक्टिव नहीं हो सकती। मेरी आस्था है, आदिवासियों की आस्था अलग है, ब्राह्मण की आस्था अलग है, वैष्णव सम्प्रदाय की आस्था अलग है उस आस्था को कान्टीबाई कर सकते हैं क्या आप, उस आस्था को कान्टीबाई नहीं कर सकते। इसलिए रामसेतू की बात करते हैं कि उस आस्था को हम डिसक्रिशन करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यह कहता है कि आपका एक्ट जो आपने बनाया है 59 में, उसमें 52-53 के अन्तर्गत दस हजार से ऊपर एन्युल इनकम वाले पब्लिक ट्रस्ट में मैनेजमेंट कमेटी बनाना, मेंडेटरी है। It was mandatory. It's a decision of the Supreme Court and we want to circumvent it. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम एडाप्ट नहीं करना चाहते, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू नहीं करना चाहते। हम सुप्रीम कोर्ट को एक सिग्नल देना चाहते हैं कि लेजीसलेटर, जिसने खुद ने कानून बनाया, we don't have options. This 1959 Act was passed by the then hon'ble members. यह हाउस ने पास किया, राजस्थान की असेम्बली ने, कौनसा डिसीजन लिया 59 में कि हम इस एक्ट को लागू करके यह धारा लागू करेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा आपने बनाया तो लागू करिये अब कहते हैं कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट की इस बात को नहीं मानेगे हम इसको यह करेगे, इसका मतलब हमारे मन में पोलिटकली एक्सप्रिंसी है वह पहली प्रायोरिटी हो गई। हमारे मन में, धर्म के आधार पर उनकी व्यवस्था करने में कल्पना नहीं है। मैं समझताहूं कि आप 2007 के एक ऋषभदेव के मामले में इस निर्णय की आड़ लेकर जो डिस्क्रिशन के पावर आप लेना चाहते हैं वह पावर आपको

(डा. सी.पी. जोशी)

मोटिव्स एट्रीब्यूट करने का मौका देंगे फिर उसको आप करप्शन कहे. Corruption is a word when I attribute motives. मोटिव एट्रीब्यूट तब होते हैं जब आपका निर्णय करने का कोई ओब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। आपने इसमें यह नहीं लिखा कि हम रूल बनाएंगे कि डिस्कशन पावर बनाने के लिए क्या-क्या चीजें होगी, यह चीजें हमने की ही नहीं चाहे श्याम खाटूजी का मंदिर हो, चाहे मेंहदीपुर बालाजी का मंदिर हो, चाहे इतने कितने ही मंदिर हो वहां पर इतनी अव्यवस्थाएं चल रही हैं उस अव्यवस्था का लाभ उठाकर लोग पैसा लगा रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है जब कि एक्ट में आपका प्रोवीजन है. Don't we feel that it is a failure of the Government? संस्कारित पार्टी के मंत्री यह नहीं बता पायेंगे कि क्या यह उनकी आवश्यकता नहीं थी कि संस्कारवान लोग धर्म की व्यवस्था को ठीक करने में थोड़ा आगे बढ़कर काम करते वह काम करने के वनिस्पत हमने अपने काम में कानून की आड़ लेकर डिसक्रिशन के नाम पर उसको छूट देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि हमने यह काम नहीं किया, 59 का एक्ट है। धार्मिक निष्ठाओं के बारे में आपकी प्राथमिकता पहली है हमारी प्राथमिकता बाद में। आप प्राथमिकता वाले जवाब दीजिए कि चार साल तक, चार साल लगभग होने को आये हैं आपने कौन से चार ट्रस्ट को इसमें इनक्लूड किया यह तो इंटेन्ट बताइये आप। आप ऋषभदेव की बात छोड़ दीजिए, ऋषभदेव के मामले में डिसक्रिएशन 2007 में आया, आप तो सत्ता में आ गए थे नवम्बर 2003 के आस पास, चार में। मुझे बताइये कि आपने, एक भी मंदिर, आपकी व्यवस्था ठीक चल रही है, इसका मतलब पिछले 25 साल से जो व्यवस्था धार्मिक चल रही है उसमें केवल वोट लेने के लिए काम कर सकते हैं लेकिन आपने एक भी ऐसे मंदिर की ट्रस्ट की व्यवस्था सुधारने का काम नहीं किया। आज हमसे बिल पास कराना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए आप यह पास कर दीजिए डिसक्रिशन हो जाएगा, एक लाख का अमाउण्ट हो जाएगा।

मैं चाहूंगा माननीय मंत्रीजी कि जिस तरह से मोन्यूमेंट के बारे में आपने फिगर्स दिये कि 160 गवर्नमेंट आफ इण्डिया के मोन्यूमेंट डिक्लेयर हैं, 225 आपके स्टेट के डिक्लेयर हैं। Are you in a position to say that 10 हजार का जो हम एक लाख रुपये कर रहे हैं तो 10 हजार में कितने आते थे पहले पब्लिक ट्रस्ट और एक लाख में कितने पब्लिक ट्रस्ट आ रहे हैं। क्या आपके

(डा. सी.पी. जोशी)

पास फिगर हैं। हम खाली एक फैसला करके एक लाख रुपये का अमेंडमेंट करके छूट लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार आज यह कमिटमेंट दे कि राजस्थान में जितने भी एक लाख से ऊपर जो पब्लिक ट्रस्ट हैं उनमें से प्राथमिकता के आधार पर, मैं यूं नहीं चाहता हूं, प्राथमिकता के आधार पर ऐसे ट्रस्ट जहां पर आमदनी आज भी करोड़ों रुपये है, उनका ट्रस्ट बनाने में सरकार प्राथमिकता देगी। मैं लाखों की बात ही नहीं करता। मैं आपसे यह कमिटमेंट चाहता हूं कि आप यह कमिटमेंट करिये कि एक करोड़ जिनकी आमदनी है, उन आमदनी वाले पब्लिक ट्रस्ट में मेनेजमेंट बनायेंगे। आप डिस्क्रिशन की पावर लेना चाहते हैं तो show your intentions. But you won't be able to do it. जैसा माननीय सदस्य ने कहा, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने, खाटू श्यामजी की समस्या हुई तो राजेन्द्रसिंहजी राठौड़, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, पहले संकट-मोचक नम्बर-एक, एस.एन. गुप्ता, नम्बर-दो, कमेटी बन गई, गये नहीं हम। तो संकट मोचन में हम काम कर सकते हैं बाकी हमारा कमिटमेंट नहीं है कि आगे हम व्यवस्था कैसे करें। वह एक मौका था जिस मौके के आधार पर 1959 की एक्ट की स्पिरिट को आप लागू करते। तो कुछ और मंदिरों के बारे में आपको जानकारी मिलती और आपकी इन्टेंशन सामने आती।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो ही बातें कहना चाहता हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर आप अपने द्वारा पारित एक्ट में जो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, यह अमेंडमेंट इनोवेटिव इकोनोमिक एक्टिविटी जनरेट करने का आधार नहीं बने। इसमें रुल का प्रोविजन दीजिए आप और 3 महीने में रुल बनाकर आयेगी सरकार जनता के बीच में कि हम इन-इन आधार पर जो पब्लिक ट्रस्ट हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर, कुछ ट्रस्ट बिना मेनेजमेंट के भी अच्छे चल रहे होंगे, I don't deny it परन्तु जो ट्रस्ट बने मेनेजमेंट के जहां पर अव्यवस्थाएं चल रही हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम मैनेजमेंट बनायेंगे, जिससे इन्टेंशन जाए, मैसेज जाए कि यह सरकार उनके मैनेजमेंट को सुधारने का काम करना चाहती है। उन आस्थाओं से वोट लेने से ज्यादा मैनेजमेंट सुधारने में पार्टी बनना चाहती है। यह काम कठिन काम है क्योंकि हिन्दू के नाम पर, रामसेतू के नाम पर बात करना सरल है। परन्तु हनुमानजी का मन्दिर, शिवजी का मन्दिर, दूसरे का मन्दिर, इसमें फैसला करते समय बहुत कठिन काम है। फिर यह काम करने वाले जो हैं वह

(डा. सी.पी. जोशी)

फिर वही बात आयेगी, integration of Hinduism, which is very difficult. Hinduism is a way of life. वह कहना बहुत सरल है, हिन्दुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ के आधार पर आगे बढ़ना सरल है but the moment we go for this कि हिन्दुओं के जो अलग-अलग मन्दिर हैं, फिर वह बाबा रामदेव मन्दिर वाले भी आयेंगे। कर सकते हैं अपन क्या, फिर दूसरे मन्दिर वाले आयेंगे। वह भी कह सकते हैं अपन क्या। बाबा रामदेव के मन्दिर में लाखों आदमी आते हैं। व्यवस्था कर रहे हैं वहां पर क्या। वहां पर ट्रस्ट मैनेजमेंट बना दिया क्या। वहां पर इतने आदमी जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर रहे हैं, क्या हमने व्यवस्था की कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। हम विरोध करते हैं, आपकी सब्सिडी का हम विरोध करते हैं कि जो कश्मीर में जाते हैं वहां यात्रा के सम्बन्ध में जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्या यह सरकार का इन्टेंशन नहीं है कि रामदेवजी के मन्दिर में इतने आदमी जाते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के लिये हम सौ रुपये सब्सिडी देंगे, दो रुपये पेसेंजर की सब्सिडी देंगे। Can you do it? यदि आपकी इन्टेंशन है तो शो इट कि पब्लिक आज लाखों रुपये की रामेदवरा की इन्कम का एक पार्ट जो जातरु जा रहे हैं, वह यदि दर्शन करने आ रहे हैं और यदि उनका 5 रुपये का टिकट है तो एक रुपया सब्सिडी दी जाएगी। क्या हम यह सोच नहीं सकते हैं।

मैं समझता हूं कि इन चीजों के सम्बन्ध में भी सरकार को चिन्तन करना चाहिए और करने के बाद इस एक्ट के जो 1959 में हमने एन्विसेज किया, आज 2007 हो गया। 2007 में रिट्रोग्रेड स्टेप ले रहे हैं। उस समय तो मेंडेटरी था। जब हिन्दुस्तान में धार्मिक भावनाओं के आधार पर, साम्प्रदायिकता के आधार पर बोलने की कल्पना नहीं की थी, तब तो हमने मेंडेटरी कहा था कि कमेटी बनेगी। आज धर्म के आधार पर, धार्मिक भावनाओं के आधार पर सता में आने के बाद हम डिस्क्रिशन पावर ले रहे हैं। यह रिट्रोग्रेड स्टेप है। यह प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है। I accuse this government. I accuse this government, उपाध्यक्ष महोदय, if their intentions are fair, if they believe in the religion, true religion, then they should use this 1959 Act, provisions 52 and 53 and have Management Committees in all the places where you have more than one lakh rupees as gross income. यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो आपकी पोलिटिकली एक्सिजेंसी थी यह ऋषभदेव का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का यह मामला हो गया तो आपको लाभ मिल गया, मेनेजमेंट कमेटी से बच गये आप। लेकिन इश्यू डिजोल्व नहीं हुआ, कटारिया साहब। यह

(डा. सी.पी. जोशी)

तो सौभाग्य है कि राज आप कर रहे थे, इसलिये डिजोल्व हो गया। राज हम करते तो डिजोल्व नहीं हाता। यह भगवान राम की तरह चलता। यानि न अयोध्या का मन्दिर बनता, न ऋषभदेव का मामला होता। यह तो धन्यवाद दीजिए कि कांग्रेस के एम.एल.ए. की इन्टेंशन ठीक थी कि मुख्य मंत्री के कहने के बाद, उस समय में भी कनकमलजी कटारा, आप याद करिये कि कांग्रेस का एम.एल.ए. आपके साथ खड़ा था। हमारे मन में यदि राजनीति करने की इच्छा होती तो हम राजनीति करते वहां पर और आपको जाने नहीं देते। इसलिये हमारी इन्टेंशन जो है, उपाध्यक्ष महोदय, आस्थाओं में है। हमारी इन्टेंशन आस्था से पोलिटिकल एडवांटेज उठाने में नहीं है। जिन लोगों की इंटेंशन आस्था से पोलिटिकल एडवांटेज उठाने की है उनको अपनी इंटेंशन बतानी है कि यह अमेंडमेंट करने के बाद यह डिस्क्रिशन पावर ले रहे हैं तो आप किसी एक समस्या का निदान करने का काम कर रहे हैं तो उसकी खातिर आप मेनेजमेंट में जो दूसरी व्यवस्था है उसमें भी आगे आकर जनता के सामने कहें कि हम इस तरह का डिस्क्रिशन पावर लेकर इन 10 ट्रस्टों का हमने मेनेजमेंट बनाया, उनकी स्थिति सुधरी है, तब तो आपके इस अमेंडमेंट का फायदा है। अन्यथा आप अमेंडमेंट पास करवा लीजिये, सुप्रीम कोर्ट का फिर फैसला आयेगा, लिटिगेशन चलता रहेगा। ऋषभदेव की व्यवस्था को हमें कुछ करना नहीं है। जहां पर आप लेना चाहते थे, उपाध्यक्ष महोदय, एक नेरो माइण्ड से, छोटी समस्या का समाधान करने के लिये एक मेजर एक्ट, जो उस समय के लोगों ने बनाया उसमें अमेंडमेंट करके हम एक डिस्क्रिशन पावर ले रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। घनश्यामजी तिवाड़ी जैसे संस्कारित, कटारियाजी जैसे संस्कारित, मदनजी दिलावर जैसे संस्कारित, जो क्लेम करते हैं उसे केबिनेट में पास करने के बाद, उनके मन में कैसे नहीं आया कि हम डिस्क्रिशन पावर जो ले रहे हैं वह डिस्क्रिशन पावर करने के लिये आपको सूट नहीं करता है। घनश्यामजी, एक साल बाद हमें सूट करता है डिस्क्रिशन पावर करने का। तब आप विरोध करना झण्डा लेकर। डिस्क्रिशन पावर यूज करने की क्षमता हम में है। तब आप पोलिटिकल माइलेज लेने के लिये झण्डा लेकर खड़े होना कि इस मन्दिर में मेनेजमेंट बनाना चाहिए, यह डिस्क्रिशन आपके लिये काउण्टर-प्रोडक्टिव होगा। साहस है, इंटीग्रेशन करना है, हिन्दुस्तान में हिन्दुज्म को आगे बढ़ाना है तो come out with some innovative ideas and demonstrate in front of the people that look, this is the government which is committed for

(डा. सी.पी. जोशी)

religion, इसने यह काम किया है, तभी मैं समझता हूं कि आपका जो अमेंडमेंट है, उसका लाभ है। अन्यथा यह आप खाली जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने के कारण, केवल बचने के खातिर आप यह अमेंडमेंट ला रहे हैं, यह हमारी राजस्थान की जनता के लिये ठीक नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस पर सलैक्ट कमेटी में बैठिये। वहां इसका फैसला करिये और यदि आपको करना है कि because it is a political government, political compulsion, I don't deny it but गुड डिस्कशन करने के लिए, आप बायलॉज बनायें, ओब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनायें। जिससे किसी को कहने का मौका भी नहीं मिले कि इस ट्रस्ट को छोड़ दिया उस ट्रस्ट को छोड़ दिया। एक आधार बनाकर आप डिस्क्रिशन का यूज करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका लाभ मिलता है। आपका तो अनुभव है, पंचायती राज मंत्रीजी तो एक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उनके अनुभव का लाभ ले लीजिये। पंचायती राज मंत्री भी हैं और एक ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। वह ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट से अचछा काम कर रहा है, बताना चाहिए। वह ट्रस्ट भी दूसरे ट्रस्ट की तरह काम कर रहा है तो फिर हमारा कमिटमेंट समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे आशा है कि यहां पर जो धार्मिक निष्ठा वाले लोग हैं, जिनको काम करने का मौका मिल रहा है, वह अपने अनुभव का लाभ लेकर इस एक्ट के तहत यदि डिस्क्रिएशन पावर लेना है, डिस्क्रिएशन पावर लेकर उन लोगों की, हजारों लोगों की जो आस्था है वह आस्थाएं ठीक ढंग से लम्बे समय तक बनी रहें, मेनेजमेंट कमेटी बनाकर ऐसी व्यवस्था करेंगे। ऐसी आशा करता हूं। जब तक नहीं करें, तब तक जनमत जानने के लिये प्रचारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जुबेर खान, श्री बी.डी. कल्ला। प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगी।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक न्यास संशोधन विधेयक, 2007 में जिन सभी माननीय सदस्यों ने आज अपने विचार प्रकट किये, मैं उन सबकी बहुत आभारी हूं। साथ में मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आप जो पार्टी को कह रहे हैं कि धार्मिक पार्टी है, धार्मिक पार्टी है, मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप में बिलकुल भी धर्म नहीं रहा क्या, आप बार-बार इसको पाइण्ट आउट कर रहे हैं। आज मैं

(श्रीमती उषा पूनिया)

आपको यह बोलना चाहूंगी कि जो भी देवस्थान विभाग कर रहा है, वह सभी लोगों की भगवान में आस्था को देखकर के, और जितने भी ट्रस्ट हैं, मैं समझती हूं कि जब से हमारी पार्टी, पिछले 4 सालों में, जितना हम लोगों ने ट्रस्ट के द्वारा काम करवाया है, और जितना हमने उनको काम करने के लिये प्रोत्साहित किया है, ताकि जितने भी वहां पर धार्मिक जो लोग आते हैं, आस्था जिनकी है, उनके लिये हर तरह की सुविधाएं बनें और इन सबकी तरफ बहुत ज्यादा हमारी सरकार का और हमारे विभाग का ध्यान गया है। और आज आप जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ही, मैं सोचती हूं, ट्रस्टफुली कहना चाहिए कि आपने पहले से जरुर वहां पर सभी मन्दिरों में इम्प्रूवमैंट देखा होगा।

और जो धारा 5, (2)(1) (ड.), जो इस प्रकार है। 52, अध्याय का लागू होना। एक, इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंध, ऐसे प्रत्येक लोक न्यास पर लागू है जिसकी संख्या, आय दस हजार रुपये से अधिक है। यह प्रावधान जो है वह 1959 से है। इसकी जो दस हजार रुपये या इससे अधिक जो वार्षिक आय वाले लोक न्यास की जो संख्या है वह बहुत अधिक है। यह लगभग 5500 है। जिसमें सभी में प्रबंध समिति बनाना अव्यावहारिक एवं असम्भव है। अत: इस वार्षिक आय को बढ़ाकर हमने एक लाख रुपये या अधिक का संशोधन प्रस्तावित किया है और इससे करीब 800 लोक न्यास ही रह जाएंगे और उन पर अध्याय दस की धारा 52 व 53 के प्रावधान लागू रहेंगे। कुल मिलाकर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप इससे कम हो जाएगा और जहां तक ऋषभदेवजी का मामला है, उच्चतम न्यायालय में सब-जुडिश है। न्यायालय के आदेशानुसार सरकार कार्यवाही कर रही है और जो हम यह संशोधन बना रहे हैं इससे जितने भी धार्मिक मामले हैं इससे मैं समझती हूं कि हस्तक्षेप कम होगा और संशोधन जो है वह लोक व्यवस्था के लिए ही हम कर रहे हैं और यह बिलकुल लोक हित के लिए ही किया जा रहा है और कमेटी बनाने के मेंडेटरी प्रोविजन को हमने रिलेक्स कर दिया है, वह संशोधन के बाद लोक हित में अगर आवश्यक होगा और आवश्यक होने पर राज्य सरकार कमेटी बनाने पर विचार करेगी। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर कुठाराघात नहीं है बल्कि अधिक स्वतंत्रता दी गयी है। हम मेनेजमैंट कमेटी तब ही बनाना चाहते हैं जब ऐसा लोक हित में हो और हमारी जो आप कह रहे हैं कि कोई दुर्भावना है, ऐसी हमारी कोई दुर्भावना नहीं है बल्कि मैं कहूंगी कि हमारी सद्भावना है कि

(श्रीमती उषा पूनिया)

कम से कम कमेटी बनायी जाए। इससे जितने भी मंदिर हैं, जो ट्रस्ट हैं उन पर हमारा निरीक्षण रहेगा और यह जो आर्डिनेंस था इसका नोटिफिकेशन जो था, this was in the past, I think, was out on 10.05.2007. So three months have passed and इसके नोटिफिकेशन का सफीशिएंट पीरियड था. I think, 3 months was a sufficient period. इसके ऊपर कोई रिएक्शन या कोई सजेशन हमें किसी का भी नहीं मिला था during this 3 months' period. So I think, जो भी यह निर्णय लिये गये हैं यह बिलकुल मंदिर के हित में लिये गये हैं और जनहित में है। इनसे सभी को फायदा मिलेगा और मैं यही सोचती हूं कि मैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ... (व्यवधान)

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): मैं यही आशा करती हूं कि इससे आप सैटीस्फाइड होंगे अगर कोई सजेशन फिर भी आप कोई देना चाहें तो you are most welcome. मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बिल को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2007 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार

खंड 2 से 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खंड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्रीमती उषा पूनिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान लोक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान लोक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई भी माननीय सदस्य, तत्पश्चात् ... (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान लोक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री कालूलाल गुर्जर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: डा. एन.एस. गुर्जर। (अनुपस्थित) श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जाना भी है। वोटिंग करवाओ। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): श्रीमान्, इसकी तनख्वाह मिलती है। बोलने की तनख्वाह मिलती है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): खाने की व्यवस्था है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकार पंचायती राज संस्थाओं और पंचायती राज के जन-प्रतिनिधियों का गला घोटने के लिए यह विधेयक लेकर आयी है।

मानवीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब केन्द्र में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री हुआ करते थे और श्री वैंकेया नायडू जो ग्रामीण विकास के मंत्री थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश के पंचायती राज प्रतिनिधियों का दिल्ली में उन्होंने सम्मेलन बुलाया। वाजपेयीजी ने यह कहा कि पंचायती राज सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने का सपना स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा था और उसकी पहल भी राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रीत्व काल में की थी और हमें उसको आगे बढ़ाना है और तब वाजपेयीजी के दिशा-निर्देश और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की उपस्थिति में उस राष्ट्रीय सम्मेलन में यह संकल्प किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया जाएगा लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में पौने चार साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह कार्यकाल, सिवाय पंचायती राज संस्थाओं पर कुठाराघात करने के कुछ नहीं किया है। 2003 में राजस्थान विधान सभा के इस पवित्र सदन में जब दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था और फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरी, यह तीनों ही पंचायती राज संस्थाओं को देने का फैसला किया गया था। 18 विभागों के हस्तांतरण का फैसला हुआ था। इस सरकार के आते ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2004 की जनवरी में 2003 में चीफ सैक्रेटरी ने जो आदेश निकाला था उस आदेश को इस सरकार ने विद्-ड्रा कर लिया। मुझे एक जिला- परिषद् की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलीं, जो कि सीनियर आर.ए.एस. आफिसर है। उन्होंने मुझे बताया कि वह अपने जिले के एक पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर गयी और वहां उन्होंने पाया कि 11 शिक्षिकाएं स्कूल में नहीं थीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी। उस ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा मैं नहीं लेता आपकी रिपोर्ट। आप कौन हैं? फिर आकर उसने जिला परिषद् में जिला प्रमुख को दी, कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस सरकार ने जिला परिषद् और पंचायती राज संस्थाओं से वह अधिकार जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार में प्राप्त था, वह अधिकार छीन लिया। उस वक्त पंचायत समिति के टीचर्स का पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी ट्रांसफर करती थी। इन्टर पंचायत समिति जिला परिषद् कर

(श्री संयम लोढ़ा)

सकती थी। अगर वह व्यवस्था लागू रही होती तो जिला परिषद् की सी. ओ. को मुझे यह नहीं बताना पड़ता कि उनके इंस्पेक्शन देने के बाद भी, उनकी रिपोर्ट देने के बाद भी उनकी रिपोर्ट का हश्र क्या हुआ? आज एक ग्राम सभा के प्राइमरी स्कूल से दूसरे प्राइमरी स्कूल में ट्रांसफर करना है तो राजस्थान सरकार के महामहिम शिक्षा मंत्री करते हैं। इससे ज्यादा मैं ट्रांसफर के अधिकार देने की वकालत नहीं कर रहा हूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतीराज संस्थाओं को किस तरह कमजोर और जर्जर कर दिया है।

आज स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। रोजगार गारण्टी योजना चल रही है। पंचायती राज संस्थाओं के पास में क्या अधिकार है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चैक पर दस्तखत उनके नहीं होते, एक काम की पत्रावली उनके पास नहीं जाती। किसी मजदूर को, मैं नाम, काम सहित गिना सकता हूं, एक दिन की सुबह 9.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक के टाइम की मजदूरी दो रुपये, 15-15 दिन तक दो रुपये, तीन रुपये, पांच रुपये, नौ रुपये आ रही है, वह जन प्रतिनिधि वहां पर कुछ करने की हैसियत में नहीं है और यह अवधारणा चली देश के अंदर, दुनिया में चली, दुनिया के कई मुल्कों में इस तरह की बात इन्ट्रोड्यूज हुई 'राइट टू रिकॉल' वापस बुलाने का अधिकार। सी. पी. जोशी साहब यहां पर बैठे हुए हैं । हमारे वरिष्ठ नेता, पंचायती राज के मंत्री थे, उस वक्त ग्राम सभा को यह अधिकार दिया कि अगर वार्ड पंचायत में कोई शिकायत है तो ग्राम सभा उस पर आरोप पत्र बनाकर भेजेगी और उसकी जांच होगी और अगर यह प्रमाणित हो गया तो उसको रिकॉल किया जा सकेगा। एक तरफ तो ग्राम सभा को यह अधिकार देने की बात है, आप यह कौनसा प्रस्ताव लेकर आये कि तीन-चौथाई होगा, मैजोरिटी होगी तो ही जन प्रतिनिधि पंचायत राज का हट सकता है। भारतीय जनता पार्टी के यह किले खण्डहर होते हुए दिख रहे थे। 15 में से 10 जिला परिषद् हटने के कगार पर खड़े हुए थे, अविश्वास आने की पूरी आशंका, पूरी सम्भावना थी तो यह तीन चौथाई का ऑर्डिनैन्स लाकर जनता का विश्वास खो चुके उन जिला प्रमुखों का पद बचाने का षड्यन्त्र इस सरकार ने इसके माध्यम से किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको हटाने में तीन चौथाई करना है तो हर जगह पर फैसला आप क्यों नहीं करते? क्या वहां पर तीन

(श्री संयम लोढ़ा)

चौथाई नहीं किया? वहां पर क्यों आप मैजोरिटी से फैसला करते हो? वहां भी आपको फैसला करना चाहिये था कि नहीं तीन-चौथाई होगा तो ही प्रस्ताव पारित होगा। और अगर सरकार की यह मंशा है कि एक बार निर्वाचित होने के बाद कोई हटना नहीं चाहिये तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान ही समाप्त कर दीजिये।

श्री श्रवण कुमार: 1995 में बोलते हैं हमारे अधिकार हैं, फिर फाइल कर देते हैं। इनकी नीयत तो नीयत ही है। अभी हमारे सरपंच को 22 हजार के आरोप में सस्पैण्ड किया।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके राज में दस-दस हटे हैं और लगाये हैं।

श्री श्रवण कुमार: हमारे राज की नहीं, मैं तो आपकी बात कह रहा हूं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके राज की मैं ही बता दूंगा। कर सकते हैं, अगर उसका दोष नहीं है तो।

श्री श्रवण कुमार: 25 हजार रुपये के गबन में एक सरपंच को हटाया और एक महीने के बाद में फिर उसको बहाल कर दिया। मैं कह रहा हूं महावीरजी, एक महीने तक उसको टर्मिनेट रखा और उसके बाद उसको बहाल कर दिया। इससे बड़ी और गिरावट क्या आयेगी, मुझे बता दें। तीन बार इंक्वायरी कराई। मुझे शर्म आई इसको टर्मिनेट कराने के लिये तीन बार इंक्वायरी क्यों कराई? सी. ओ. ने की, क्यों कराई? पहले ही कह देते, नहीं हटायेंगे। क्या फायदा हुआ इंक्वायरी कराने का, दो साल तक इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी कराने के बाद रिजल्ट क्या निकला? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टर्मिनेट किया और एक महीने बाद उसको बहाल कर दिया। उसको कन्फर्म चोर और बना दिया, यह कोई तरीका थोड़ी है। इससे गिरावट आयेगी, बढ़ावा और मिलेगा। पक्की चोरी और करा रहे हो, तीन-चौथाई और कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय संयमजी, स्थिति वास्तव में बड़ी चिन्ताजनक है। ग्राम सभाओं की स्थिति आज अच्छी नहीं है । अगर आप हम ईमानदारी से सोचें तो ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया हुआ है कि गांवों में बी पी एल परिवारों का चयन ठीक प्रकार से होगा। हम आज कह सकते हैं बड़े अफसोस के साथ कि बी पी एल परिवारों का चुनाव कराने के

(श्री उपाध्यक्ष)

अंदर ग्राम सभाएं सक्षम नहीं हैं और जिन आदमियों के फार्म हाउसेज हैं, ट्रेक्टर्स हैं, जो अच्छे लखपति आदमी हैं वह बी पी एल परिवार की सूची के अंदर हैं। और एक भी गरीब आदमी के लिये कोई खड़ा होकर ग्राम पंचायत में आज यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारे यहां पर सब बी पी एल परिवारों का चयन बिलकुल ठीक हुआ है। हम यह चाहते हैं और अब अपना उदाहरण ले लीजिये। विधायकों में वन थर्ड से एंटीडिफेक्शन बिल पास हो रहा था और सरकारें गिर रही थीं धड़ाधड़ तो वन थर्ड आदमी छोड़कर भाग जाते थे तो टू थर्ड करना पड़ा है। उन परिस्थितियों को देखते हुए आज थोड़े से चार आदमी नाराज हुए सरपंच के खिलाफ, फेंक देते हैं कि मिलकर फेंक दो तो यह स्थायित्व लाने के लिये किया जा रहा है और इसमें कोई दूसरी मंशा नहीं है। स्थिति बड़ी खराब है और हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिये।

श्री श्रवण कुमार : इससे चोरी नहीं बढ़ेगी क्या? सरपंच अपने आप कन्फर्म हो गया, वह चोरी करेगा ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बिलकुल सही फैसला है।

श्री श्रवण कुमार : जोशीजी ने पंचायत राज को मजबूत किया था, आप फिर कमजोर करना चाहते हो।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं का हम आदर करते हैं। आपकी भावनाओं में खुद को सम्मिलित करते हुए आपके माध्यम से ही सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आसन जब यह समझ रहा है कि यह परिस्थितियां पंचायत राज में बन रही हैं तो आप सरकार को निर्देश दीजिये कि There will be no confidence motion रखिये ही मत। आप हटा दीजिये कि जो एक बार पांच साल के लिये इलेक्ट हो गया, वह हो गया। जिस तरह आप एम एल ए को पांच साल के लिये इलेक्ट करते हैं, कर दीजिये। आप यह व्यवस्था अगर वहां रखना चाहते हैं तो फिर बजाय तीन चौथाई के आप क्लियर मैजोरिटी पाइये। उल्टा आप पीछे जा रहे हैं। मंत्रीजी, आप राजस्थान को पीछे धकेल रहे हैं। अगर आप राजस्थान में स्थिति को सुधारना चाहते हैं, आज राजस्थान में क्या स्थिति हो गयी है हर पंचायत समिति में? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस तरह की अनेकानेक बातें सुनने को मिलती हैं। जिस रूप में आपने अधिकारियों को ताकतवर किया है और पंचायत राज के जन प्रतिनिधियों को कमजोर किया है। एक नया

(श्री संयम लोढ़ा)

जे.ईएन. का, ए.ईएन. का, जूनियर अकाउंटेंट का, ई.सी.ओ. का, सी.ओ. का इनका तो प्रतिशत चलता ही था, अब यह एम एल ए का प्रतिशत और आ गया वहां पर। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जो मूल मकसद है पंचायती राज का लोगों को लाभान्वित करने का, वह मकसद नष्ट हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इसलिए मेहरबानी करके आप यह जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, इसको वापस लीजिये और नया विधेयक लेकर आइये जिसमें स्पष्ट बहुमत के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों को हटाने का मौका मिले। जिससे अगर कोई भी जन प्रतिनिधि जनता की आशाओं पर खरा नहीं उतरता है, भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके और लोगों को एक हक मिल सके। नहीं तो आपने यह पानी तो भर दिया बांध का और फाटकें सारी बंद कर दीं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री मदन राठौड़ (अनुपस्थित) श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2007 में जो संशोधन प्रस्तावित किया है, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि सरकार की सोच क्या है? सरकार की सोच माननीय पंचायती राज मंत्रीजी पहले थी, माननीय नाथूसिंहजी जैसे विद्वान आदमी के समय में यह कानून बना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हैं नहीं वह अभी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मत रहो, उनकी विद्वता थोड़ी हट जायेगी यहां न रहने से। माननीय नाथूसिंहजी, भूतपूर्व उप राष्ट्रपति और तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी के सानिध्य में।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उस समय आप विधायक नहीं थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, नहीं था, लेकिन आप मंत्री नहीं थे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लेकिन मैं विधायक तो था।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां तो विधायक हो भले, उससे क्या हो। तो उस समय भैरोंसिंहजी जैसे स्टेलवर्ट मुख्य मंत्री की जानकारी में और

(श्री हरिमोहन शर्मा)

उपस्थिति में नाथू सिंहजी जैसे विद्वान आदमी ने इस पंचायती राज विधेयक को बनाया और उस समय सरपंच के खिलाफ 2/3 बहुमत से उसको हटाने का फैसला किया। 2/3 से हटाने का फैसला जो किया उसके बाद माननीय वर्तमान पंचायती राज मंत्रीजी ने रात को सोचा तो तत्काल 2/3 से हटाने के उसमें परिवर्तन करने के साथ-साथ इन्होंने कह दिया कि अविश्वास प्रस्ताव तो आना ही नहीं चाहिए। बिना केबिनेट की मन्जूरी के, बिना सोचे-समझे, बिना विचार किये इस सरकार ने गत विधान सभा सत्र में बिना जानकारी के, बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ...

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, वकील हैं, आपको मालूम नहीं क्या कि बिना केबिनेट की स्वीकृति के बिल आ जाता है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुझे यह ही याद था।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वाह वाह, आपको बहुत अच्छा याद था। आप जा कर कम से कम सदन शाखा में ही पता कर लेते कि, भाई, बिना केबिनेट के कोई आता है क्या यहां?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं तो यह समझ रहा था कि केवल आपकी ही गलती है लेकिन आपने मुझे रैक्टिफाई कर दिया कि पूरा मंत्रिमण्डल ही मूर्ख निकला।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वो तो कुछ भी हो लेकिन आपकी बुद्धि पर मुझे बड़ा तरस आ रहा है कि बिना केबिनेट के ही लिये और बिल आ जायेगा विधान सभा में।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैंने आपकी बात मान ली न, मैं तो यही मान रहा था कि पंचायती राज मंत्री से ही गलती हुई है लेकिन पूरे मंत्रिमण्डल ने बिना सोचे-समझे रख करके उसको वापस लेना पडा। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है आपके लिए कि केबिनेट ने कहा कि इस रिजोल्युशन को हटाओ और जब सब तरफ से जनमत ने आवाज उठायी कि नहीं, अविश्वास प्रस्ताव का प्रोविजन हटाया जाना गलत है, इससे निरंकुश हो जायेंगे, इससे मनमानी करेंगे, हटाने के डर से तो फिर भी वो रुके रहेंगे लेकिन आज की तारीख में लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि पर भी अंकुश

(श्री हरिमोहन शर्मा)

रहना बहुत जरूरी है। (व्यवधान) आप बिराज जाओ न, साहब। आप बोल लो पहले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनसे बुलवा लो पहले। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): यह एक्सपंज कराएं 'पूरा मंत्रिमण्डल मूर्ख है', यह कहने की बात थोड़ी है कोई। (व्यवधान) इनको मानसिक तनाव है, शिव गौतम के यहां शायद दिखाना पड़ जाए इनको। माननीय सदस्य को शिव गौतम को दिखाना पड़ सकता है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): थोड़ी गलती हुई है इनसे, दातारामजी, थोड़ी गलती हुई इनसे, मां और लगाना चाहिए था।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो पूर्व में यह सरकार कितनी कन्फ्यूज्ड थी इस अविश्वास प्रस्ताव के मामले में, पहले तो इन्हीं की सरकार ने इन्हीं के समय में 2/3 का रखा और फिर इन्हीं की वर्तमान केबिनेट ने प्रस्ताव पास करके नो-कांफिडेंस मोशन के सैक्शन को हटाने का सर्वसम्मति से माननीय पंचायती राज मंत्रीजी की सलाह के आधार पर पूरे के पूरे मंत्रिमण्डल ने यह फैसला कर लिया और इसके बाद जब दबाव पड़ा और जनता में आलोचनाएं हुईं, टी वी चैनल्स बोले और इस प्रोविजन की जो खिलाफत हुई, आपके सदस्यों ने ही इसकी खिलाफत की तो पूरे के पूरे मंत्रिमण्डल ने इसको वापस लेने का फैसला किया। यह तो गलत नहीं है? अब आप उसके बाद 3/4 उसमें ज़ोड़ना चाहते हैं। आज की तारीख में हम चाहे विधायक हैं, चाहे आप विधायक हों, पावर टू रीकाल की आवाज उठ रही है जनता में। अगर आप और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, अपन भ्रष्ट हो रहे हैं, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं और एक बार चुनने के बाद जैसे ही यह वर्तमान सरकार निरंकुश होकर के जनता को पीट रही है, पीस रही है, गोलियां चला रही है, आदमियों को मार रही है अगर वैसी स्थिति जनप्रतिनिधियों की हो गयी तो मैं इस मत का हूं कि अगर मेरे भी आचरण ठीक नहीं है, रास्ते से भटकता हूं, जिस उद्देश्य से जनता ने चुना है, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति ईमानदारी से नहीं करता हूं तो जनता को विधायक को भी बुलाने का, रीकाल करने का अधिकार होना चाहिए। आज की तारीख में आप इनको और निरंकुश बनाना चाहते हो? जनता क्या चाहती है, आप जाकर के देखिये की जनता क्या चाहती है? वहां की स्थिति क्या है? कितने सरपंच तो इतने काम्पिटेंट हैं कि बेस्ट और कितने ही सरपंच कैसे हैं, इससे आप और

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हम सब परिचित हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि यह जो आपने संशोधन किया, मेहरबानी करके इसको पूर्ववर्ती 2/3 जो था उसको यथावत रखें।

आपके विभाग की क्या हालत है, आपके विभाग की हालत है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का यह प्रगति पत्र मिला है। क्या आप आपका विभाग, आपके विभाग का देखिये कि यह जो पुस्तक हमको दी है उसमें केन्द्र सरकार से जो पैसा आपको मिला है 4132 लाख रुपया, उसमें 2005-06 में केवल 53 परसेंट पैसा खर्च कर पाये, 2227 लाख रुपये ही आप खर्च कर पाये। आपके काम करने का तरीका देख लें, आप सुपरविजन देखिये, आपने किस प्रकार से व्यवस्था करके दी है, आप उसको देख लीजिये। आपने 2005-06 में 3477 काम चालू किये और पूरे कितने हुए, 3477 में से, महावीरजी, दो काम। यह आपके कार्य की प्रगति है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह तो लगातार चलने वाले काम हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आपकी प्रगति रिपोर्ट है, यह सरकार ने हमारे पास में दी ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको यह पता नहीं उस कार्य का कोई समय निर्धारण है क्या? राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना सतत चलती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा काम या तो तीन साल चलेगा, दो साल चलेगा अब आप तो यह कह रहे हो कि एक साल में खतम हो जाए, क्यों खतम कर देंगे इसको जब तक पूरा नहीं होगा? किसी बात को बोलने के पहले उसका अध्ययन तो कर लो। मेरे ख्याल से पुस्तक को पूरी पढ़ी ही नहीं, इतनी जल्दी मत करो।

दूसरा, आपका डिबेट का विषय भी यह नहीं है। राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना से इस अमेण्डमेंट का क्या लेना देना?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पंचायती राज का सुपरविजन है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर यह डिबेट करना चाहें तो अलग से आएं और मैं भी तैयारी करके आऊं फिर इनके सारे जवाब दूं। यह तो कोई बात नहीं हुई कि अमेण्डमेंट तो केवल

श्री कालूलाल गुर्जर)

अविश्वास पर और आप राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना पर बोल रहे हैं, काम पूरा नहीं हुआ जिस पर बोल रहे हो, खर्चा पूरा नहीं हुआ जिस पर बोल रहे हो। आपको अगर इस पर बोलना है तो आप अलग लाओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके डिपार्टमेण्ट के और आपके जो कृत्य हैं वो तो बताना पड़ेगा न। वो नहीं बताना पड़ेगा क्या? आपके डिपार्टमेण्ट का कृत्य, आपका कितना सुपरविजन, कितनी होशियारी है, यह पुस्तक आज आपने दी है, पंचायतों के मार्फत काम हो रहा है। आप इस डिपार्टमेण्ट के हैड हैं, भारत सरकार से इतना पैसा आपके पास आया और इतने में से दो काम पूर्ण किये, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है आपके लिए?

आपने पंचायती राज के जो अध्यापक हैं, जो पंचायत समितियां और जिला परिषद ट्रांसफर किया करती थीं, एक पंचायत समिति में से दूसरी पंचायत समिति में जिला परिषद, पंचायत समिति के अन्दर पंचायत समिति के स्टैंडिंग कमेटी लेकिन आपने थर्ड ग्रेड टीचर्स के अधिकारों को भी अपने पास लेकर पंचायती राज को जो मजबूत करने की बात की है, आप स्वयं सोच लें कि आपके इस कार्यकाल में क्या स्थिति बनकर के आयी है। इसी प्रकार से आपने जो जिला परिषद और पंचायत समिति के अधिकारों के साथ-साथ वर्तमान परिस्थिति आपके पंचायती राज की है, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं सुन रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पंचायत समिति की स्थिति यह है कि 50-50 पंचायतें, आपकी पंसद हो तो आप एक जे.ईएन. रखो 50 पर अगर अपनी पसंद का हो तो और आपकी पसंद नहीं हो तो तीन रखो तो हमारे भले से तीनों ही जे.ईएन. पंचायत समितियों में आपकी पसंद के लगा दो लेकिन सारे के सारे काम स्टैंडस्टिल हैं, न आप लगाना चाहते हैं और ना जो एक आदमी है उसके अलावा दूसरे को कोई लगाना चाहते हैं। पंचायती राज में जिस किस्म की जो स्थितियां बन रही हैं वो सब आपके सामने हैं। आज की तारीख में ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो आप सीधे ही कह

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

देते कि पंचायत में इन्जीनियर लगाना है, जे.ईएन. लगाना है, इसको इतना घुमा कर सारा किया ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप यह मानते हो क्या? मैंने तो यह जो व्यथा थी, यह व्यथा इनके हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट से लेकर इन तक पहुंचा दी थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अच्छा?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, कि आप एक अपनी पसंद का है तो दो दूसरे आपके जंचे जो लगा दो बिना नाम दिये, जिसकी आपकी इच्छा हो। सारी पंचायत समिति का पूरा का पूरा ढेर, कोई काम करने वाला नहीं, एम.एल.ए. लैड का जो पैसा होता है, आपने कितनी गाइड लाइन निकाल रखी हो लेकिन तीन-तीन महीने तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निकलती है, वित्तीय स्वीकृतियां तो निकलने का सवाल ही छह महीने बाद आयेगा और जो 20 प्रतिशत पैसा काम होने के बाद, सारी उनकी रिपोर्ट देने के बाद भी 20 परसेंट पैसा तो पंचायतों को रिटर्न करने का कोई काम ही नहीं है। इस प्रकार की जो आपकी व्यवस्था है ...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह कहां की व्यवस्था है? हमारे तो नहीं है ऐसी व्यवस्था। हमारे तो सात दिन में निकलती है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): परम्परा चल रही है तो उस परम्परा को बनाये रखोगे तो अब समय आ रहा है आप इधर और हम उधर।

तो इन सब बातों को देखते हुए मेरा तो विनम्र अनुरोध है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह ख्याल है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह ख्याल आप ही हमारा बना रहे हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सही बात कहने के आदी हो चाहे मुख्य मंत्री हो और चाहे कोई।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): हरिमोहनजी, माफी चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट बिल को लाने के बजाए सारे अधिकार मंत्रीजी को दे दो क्योंकि सारे सरपंच जो निलम्बित पड़े हुए हैं उनको पैसा ले लेकर यह रोके बैठे हैं।

(श्री अशोक बैरवा)

कम से कम पचास सरपंचों को उन्होंने अपने अधिकारों के तहत ...(व्यवधान) उन फाइलों को दबा रखा है। इस पंचायत राज में भारी भ्रष्टाचार मचा हुआ है ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, एंटी करप्शन के केस 2002 के ...(व्यवधान) इनकी चालान की प्रति 2003 में मांगी है इनसे और कई दिनों में मुझे जवाब दिया इन्होंने कि अति शीघ्र ही इसकी ...(व्यवधान) जारी की जाएगी ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): इस पंचायत राज में भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है मेरे खण्डार क्षेत्र में सरपंच ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उसको रोक कर बैठे हैं फाइल को।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): भ्रष्टाचारी सरपंचों को इन्होंने बैठा रखा है अपने पास में दोनों तरफ बगल में और ये ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मेरे खण्डार क्षेत्र में सरपंच ...(व्यवधान) यह पूरा डिफाल्टर है। इस बिल की जरुरत ही नहीं है। यह सारा आरोप मैं सत्य बोल रहा हूं आप चाहो तो ...(व्यवधान) पूरा ला सकता हूं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): कोई सबूत हैं क्या आपके पास ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाइये माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी):×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोल सकते। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है, आपको परमिशन नहीं दी है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाइये माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप बैठ जाइये। आपको मौका देंगे आप बैठ जाइये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी):×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: हरिमोहनजी ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित ही नहीं हुआ, कोई अंकित नहीं हो रहा है यहां।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री भरत सिंह।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हरिमोहनजी आपको मौका दिया जाएगा फिर बोल लेना। श्री भरत सिंह। आप बाद में बोल लेना ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दो मिनट में, दो मिनट का भी डेढ़ मिनट में। आखिर में मेरा माननीय मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि डिपार्टमैंट को चुस्त दुरूस्त करने के लिए बहुत कुछ करना है और आखिर में आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिस आधार पर आपने शपथ ग्रहण की है, मेहरबानी करके पूर्व में आपने जिस प्रकार उस शपथ का उल्लंघन करके राजस्थान के वातावरण को बिगाड़ने में सहयोग किया, भविष्य में आप इस प्रकार का उस शपथ का उल्लंघन न करें और जिस प्रकार मुख्य मंत्रीजी के दबाने के बाद आपने अपने आचरण में सुधार किया उसको यथावत बनाये रखें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुझाव के लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भरत सिंह।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बाद में बोल लेना।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2007 इसको पारित करने के लिए जो उद्देश्य बताया गया है वह यह है कि बहुत जल्दी-जल्दी और बड़ी संख्या के अन्दर पंचायती राज के चुने हुए जन प्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं और उसको रोकने में तेज गति से जो अविश्वास हो रहा है उसको कम करने के लिए तीन चौथाई की इन्होंने व्यवस्था की है। विचारणीय बात यह है कि अगर शरीर के अन्दर कोई बीमारी है और खांसी आती है बार-बार इसलिए अगर होठ सी दिए जाएं तो बीमारी का इलाज नहीं होगा। खांसना बंद कर दिया जाए तो व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जिस कारण से बीमारी है उसका इलाज करना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज मंत्री को तीन चौथाई का बिल लाने की, इसको पारित कराने के बजाय इस बात पर चिन्तन करना पड़ेगा कि किन कारणों से पंचायती राज के चुने हुए जन प्रतिनिधियों के

(श्री भरत सिंह)

खिलाफ असन्तोष है और भ्रष्टाचार के और इस तरह के आरोप लगे हुए हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं पंचायती राज से निकला हुआ हूं। तीन बार सरपंच और दो बार पंचायत समिति का प्रधान रहने का मुझे मौका मिला है और दुर्भाग्य से इस पंचायती राज को जो मजबूत करने की बात कही गयी और सब उसके गीत गा रहे हैं मगर उस पंचायती राज व्यवस्था को ताकत देने की जो यह नई व्यवस्था लागू की गई है इसमें मूल पंचायत राज की भावना को, जो जनता को अधिकार था अपनी पसंद का आदमी चुनने का, उसका गला घोंट दिया गया है।

यह दुर्भाग्य है कि हम सत्य को स्वीकार करने के लिए आज इस बात को खड़े होकर बोल नहीं पा रहे हैं और मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि यह बिल यहां लाए उसके माध्यम से यह बात कहने का अवसर इस सदन के अन्दर मुझे मिला। चारों तरफ से भ्रष्टाचार की बात हो रही है। पंचायत राज के मंत्रीजी को, आपको इस बात की समीक्षा करनी पड़ेगी कि किन कारणों से इन लोगों के खिलाफ अविश्वास पैदा हो रहा है और दो तिहाई के अन्दर इसका बहुमत आप तीन चौथाई को करना चाहते हैं। क्या आपने जिला परिषदों के ऊपर विश्वास किया है? क्या आपने इसको लाने के पहले अपनी जिला परिषद की जो 32 जिला परिषदें हैं उनके अन्दर उन लोगों की राय जानी ? क्या आपने पंचायत समिति के जो मौजूदा जिला पंचायत समिति के प्रधान हैं उनसे भी इसके बारे में राय जानी। या जानने का आपने प्रयास किया। आपको इसको पारित करने से पहले पंचायत समितियों के अन्दर, जिला परिषद् के अन्दर भेजकर जो पुराने जन प्रतिनिधि हैं उनसे जनमत राय आप प्राप्त करें और वही पर्याप्त नहीं है। बल्कि आपने जो दो साल का यह ले रखा है प्रोविजन कि दो साल तक आप अविश्वास नहीं ला सकते हैं उसको भी आप खतम करिये। अगर आदमी छह महीने के अन्दर अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर सकता पंचायती राज के अन्दर तो लोगों को अधिकार होना चाहिये कि उस जन प्रतिनिधि को बुलाया जाए और इस तरह की व्यवस्था होगी। इसमें बहुत बड़ी बहस की आवश्यकता है। 15 साल इस पंचायती राज को हो चुके हैं। सदन की एक विशेष बैठक बुलायी जाए और इसके अन्दर आप चर्चा करें कि इस पंचायती राज की वजह से जिसको हम सशक्त करना चाहते हैं आप उस पंचायत राज के माध्यम से गांव के आम आदमी को मजबूत करना चाहते हैं। आप जिस मटके में पानी भरना चाहते हैं वह मटका तो पका हुआ

(श्री भरत सिंह)

ही नहीं है। उसमें पानी भरने के साथ तो वह बिखर रहा है। भ्रष्टाचार की चारों तरफ बातें हो रही हैं इसलिये इस बिल को केवल पारित करने, उसको समय बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आपको पूरी बात पर चिन्तन करना पड़ेगा और इस पंचायत राज की मूलभूत जो बात है उसके ऊपर विचार करके लोगों का जनमत जानने की कोशिश करनी पड़ेगी उसके अनुरूप पार्लियामेंट के अन्दर भी इसके ऊपर विचार करना है तो इनकी भावनाओं को लेकर वहां तक पहुंचाएं तब जाकर यह पंचायत राज चलेगा नहीं तो यह भ्रष्टाचार जिसकी बात कर रहे हैं चारों तरफ से बढ़ेगा और लोगों का विश्वास पंचायत राज के अन्दर टूट गया। आपके जितने भी जल अभियान हैं, जितनी भी ग्राम सभाएं या जितनी रथ यात्राएं हैं वह केवल कागजों पर रही होंगी। पूरा आपका प्रोग्राम करोड़ों रुपया आप बांट रहे हैं उसका सही प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि बुनियादी पंचायत राज की हम गर्दन मरोड़ चुके हैं। दम घुट रहा है उस पंचायती राज का। अगर पंचायती राज बचा है या पंचायत की कहीं व्यवस्था बची है तो वह सांठियों में जरूर बची है कि अपना फैसला करा लेते हैं और उसकी मान्यता भी करा लेते हैं। इस पंचायती राज के जिसके हम गीत गा रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं बची है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को यह जानकारी है पंचायतों में सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के जो इलेक्टेड मैम्बर हैं वह करते हैं। जिला परिषद् का चुनाव जिला परिषद् के जो इलेक्टेड मैम्बर हैं वह करते हैं। मैं नहीं समझता कि जो आपने परिवर्तन किया, सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है उस सरपंच के चुनाव में टू थर्ड वार्ड पंच मिलकर सरपंच को हटा सकते थे। आपने इस पंचायत समिति में जो अलग-अलग पंचायत समिति के डेलीगेट जीतकर आयेंगे उनके लिए भी वह प्रोविजन कर दिया। जिला परिषद् में कोई जीतकर आयेगा उनके लिये भी यह प्रोविजन कर दिया।

मैं समझता हूं कि पंचायत राज में इस सरकार का यदि मेरी याददाश्त ठीक है तो सरकार बनते ही एक कैबिनेट की सब कमेटी बनायी थी। कैबिनेट कमेटी बनायी थी जिसमें कटारियाजी को चेयर पर्सन बनाया था। आज

(डा. सी.पी. जोशी)

चार साल होने को आए, चार साल, उस सब कमेटी की रिपोर्ट आपके पास नहीं है और पता नहीं मंत्रीजी को कैसे यह इल्म हुआ कि यह तीन चौथाई करने से यह अविश्वास के प्रस्ताव रुक जायेंगे। पंचायत एक्ट में माननीय मंत्री महोदय, मेरी यदि याददाश्त ठीक है तो हमने पंचायत राज में सरपंच, प्रधान और प्रमुख को पावर नहीं दी है। हमने अमेंडमेंट करके पावर दी है कमेटीज को। अब मुझे बताएं कि यह एस्टेब्लिशमेंट कमेटी का चेयर पर्सन होगा प्रधान, एस्टेब्लिशमेंट कमेटी का चेयर पर्सन होगा प्रमुख। वह आदमी तो तीन चौथाई से हटने के बाद प्रमुख भी रहेगा, प्रधान भी रहेगा और एस्टेब्लिशमेंट कमेटी को उसका बहुमत नहीं होगा तो प्रधान और प्रमुख क्या काम कर पायेगा। मैं समझता हूं कि अभी तक हमारा माइंड सैट, 1994 का एक्ट तत्कालीन आपकी सरकार ने बनाया है। 1994 के एक्ट के अन्तर्गत जो डिप्टी चेयर पर्सन थे उसके खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव इसलिये आ रहे थे कि जिस कैटेगरी का एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. का हमें बनाना था सरपंच हमने डिप्टी चेयरमैन के लिये उसका प्रोविजन नहीं किया था इसलिये ज्यादा प्रस्ताव आ रहे थे। हमने अमेंडमेंट किया और हमने अमेंडमेंट करके यह कंडीशन की कि यदि पंचायत समिति का सरपंच इस कैटेगरी का है, एस.टी. का है, ओ.बी.सी. का है तो वाइस चेयरमैन भी उसी कैटेगरी का होगा। उसके कारण से उसके अविश्वास के प्रस्ताव रुक गये। आप मुझे बताएं कि यह तीन चौथाई का बहुमत करने के बाद पंचायत समिति का वह प्रधान अपनी उन पंचायत समिति के डेलीगेट जो अलग-अलग दो-दो पंचायत से जीतकर आए हैं वह उन

(समय : 20.24 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

पंचायत समितियों के सदस्यों के साथ न्याय कर पायेगा। जिला परिषद् का सदस्य जो करीब चार-पांच पंचायत से मिलकर बनता है वह जिला परिषद् के सदस्यों के वह जिला प्रमुख जो तीन चौथाई के बहुमत के बाद बना रहेगा वह आदमी के जो उसके साथ न्याय कर पायेगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी, पूरे पंचायत राज के बेसिक कंसेप्ट को भी हमने अपनी पालिटिकल नीडस के साथ पूरा कर लिया है। 1973 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट डी-सेण्ट्रलाइजेशन आफ पावर के लिए किया गया। डी-सेण्ट्रलाइजेशन आफ पावर करने के पीछे मंशा क्या थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें। सत्ता के

(डा. सी.पी. जोशी)

विकेन्द्रीकरण की आपको याद रखने की आवश्यकता है। जय प्रकाश मूवमेंट के समय में छात्र संघर्ष वाहिनी के नाम पर 1977 में आप सत्ता में आए थे। सत्ता में आने के समय राइट टू री-काल का कंसेप्ट जय प्रकाश नारायण ने दिया था। आप उस जय प्रकाश नारायण को भी भूल गये। भगवान राम को भी भूल गये। वैंकय्या नायडूजी जो हैं रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर थे। अटल बिहारीजी वाजपेयी ने एक इनीशियेटिव लिया। डिकेड जो हुआ। दस साल का जब अमेंडमेंट हो गया तो उन्होंने इनीशियेटिव लिया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी को वहां बुलाया। उस समय वहां राजस्थान के सांसद सुभाष महरियाजी मंत्री थे। एक इनीशियेटिव लिया गया पंचायती राज को ताकत देने का। उसी सरकार का मंत्री सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जगह सत्ता का केन्द्रीकरण करे मैं समझता हूं कि हमारी बेसिक फिलासफी डेमोक्रेसी में है ही नहीं। यदि आपकी फिलासफी डेमोक्रेसी मैं है तो आपको समझाएं कि वह सरपंच जो सबसे चुनता है उसके अविश्वास प्रस्ताव पर भी वही मापदंड, पंचायत समिति के आदमी जो डेलीगेट से जीतकर आते हैं उनका भी वही मापदंड, जिला परिषद् का है तो उसका भी वही मापदंड, मैं समझता हूं कि आपकी बेसिक फिलासफी को आपने समझा ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके जो ऑथर है उन्होंने, one of the author was Mr. Mani Shanker Aiyer, जो पंचायत राज के आज भारत सरकार के मंत्री हैं। हमने भी डिसकस किया जब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे और आपके जमाने में मंत्री थे उनसे हमने डिसकस किया। उनके मन में एक कल्पना थी कि पंचायत राज का जो यह सिस्टम है उस सिस्टम से न्याय नहीं हो पा रहा है। पर पंचायत राज में जो सबसे बड़ा कंसेप्ट दिया गया मणिशंकरजी अय्यर की जो बार-बार करते हैं वह यह करते हैं कि पंचायत की एग्जीक्यूटिव एजेन्सी सरपंच है और उसकी प्लानिंग बनाने का काम है पंचायत को करना है और जिला परिषद् को करना है। एग्जीक्यूटिव काम सरपंच का है इसलिये पंचायत के सरपंच को एग्जीक्यूशन की पावर है। उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर है। प्रधान को इम्प्लीमेंट करने का पावर नहीं है, प्रमुख को इम्प्लीमेंट करने का पावर नहीं है। उनको मानीटरिंग की पावर है और हमने पंचायती राज में प्रधान को पावर नहीं दी, प्रमुख को पावर नहीं दी जितनी यह कमेटीज बनी हुई हैं उन कमेटीज को हमने पावर दी है। आपने कैसे बना दिया कि इस अमेंडमेंट

(डा. सी.पी. जोशी)

को करने से उन कमेटीज का काम हो जायेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि आपने सारी कमेटीज को डिफंक्ट कर दिया। आपने सारी पावर को विदड्रा कर लिया। यह बात सही है फिर लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कहेंगे मुझे मालूम है कि हमारी सरकार के जाते समय हमारे जो तत्कालीन पंचायती राज मंत्री थे वही शिक्षा मंत्री थे मिस्टर धारीवाल साहब। उस समय एक कर दिया गया कि पंचायती राज और शिक्षा मंत्री एक थे। एक आर्डर निकल गया। उस आर्डर का नाम लेकर एक कमजोर मंत्री को एक ताकतवर मंत्री ने चार साल तक घुमाया बराबर।

1994 का अमेंडमेंट तत्कालीन भैरोंसिंहजी की सरकार में नाथूसिंहजी किया। उस पंचायत एक्ट में पंचायत की पावर भी डिफाइन कर रखी हैं। पंचायत समिति की पावर डिफाइन कर रखी है। जिला परिषद् की पावर डिफाइन कर रखी है। एलीमेंटरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा पंचायत के पास होगी। एलीमेंटरी शिक्षा जिला परिषद् के पास होगी और एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होगा। पर कांग्रेस सरकार ने एक आर्डर निकाल दिया। उस आर्डर का लाभ लेकर आज दिन तक उसका फैसला नहीं कर पाये। कटारियाजी खुद बैठे हुए हैं। आज भी हमें फैसला करना पड़ेगा। हमने एक लाख से ज्यादा वार्ड पंच क्यों बनाये ? हमने एक लाख से ज्यादा वार्ड पंच बनाये उनका कोई काम नहीं है। हमने 237 पंचायत समिति के प्रधान क्यों बनाये ? हमने इतने प्रमुख क्यों बनाये ? यदि हमें डिफंक्ट करके सारी पावर यह करने हैं तो मेहरबानी करके 73 वाले अमेंडमेंट की यह स्थिति नहीं है।

मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी कहा, आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने आप उठाकर देखिये लैंड का पूरा राइट पंचायत को है। लैंड को एलीनेट नहीं कर सकते। ट्राइबल सब प्लान में एक नया 1986 का अमेंडमेंट आया। उसमें जमीन का राइट देने का, सरफेस राइट देने का अधिकार ट्राइबल की पंचायत को है। इस सरकार ने वह भी सब चीजें उठा ली। पंचायत के मंत्री ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। आज राजस्थान की जितनी पंचायत की जमीन है, गोचर की जमीन है उस जमीन को आपने दे दिया। शहर के आस-पास जमीन है उनको बिल्डर को दे दिया आपने। मुझे बताएं कि 73 अमेंडमेंट के बाद जैसे स्टेट का वजूद है, जैसे सेण्टर का वजूद है वैसे ही आज की डेट में panchayats are a constitutional body, not on mercy

(डा. सी.पी. जोशी)

of the State Government. पर हमारी मंशा ही नहीं है। हमारी मंशा है कि सेण्ट्रलाइज पावर लेकर हम यह काम करें। मंशा आपकी क्यों हो ? यह तो पावर डिराइव करता है लीडर से। जो लीडर होता है जैसी ताकत होती है, जैसा हमारा लीडर वैसे उसके मंत्री। डी-सेण्ट्रलाइजेशन में विश्वास मुख्यमंत्री का होता तो पावर में फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज, माननीय कालूलालजी मंत्रीजी, आपने मणिशंकरजी अय्यर के नेतृत्व में एक मीटिंग की थी। क्या हो गया उस मीटिंग के बाद में ? आपने फैसला करवाया था कि पंचायत को हम उससे जोड़ेंगे। पंचायत के अकाउंट करने के लिए आई.टी. से जोड़ेंगे। सब पंचायतें जुड़ गयीं ?

मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का सबसे बड़ा यदि कोई मापदंड किया जाए, आज पालिटिकल मापदंड। इस सरकार ने सबसे बड़ा जो काम किया है पंचायत राज के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का। आज पंचायत के इंटर, पंचायत समिति के ट्रांसफर पंचायत समिति का प्रधान नहीं कर सके, एस्टब्लिशमेंट कमेटी नहीं कर सके, एजुकेशन कमेटी नहीं कर सके, हमने क्या व्यवस्था कर रखी है। डी ई ओ को अलग कर दिया हमने। वह बी ई ओ जो है पंचायत समिति के सामने बात नहीं करना चाहता। डी ई ओ जिला परिषद् के सामने बात नहीं करना चाहता और आप खाली एक अमेंडमेंट लेकर आ गये वह भी अमेंडमेंट कब लेकर आए हैं मुझे बताएं। आज आपके पंचायत के चुनाव किये साढ़े तीन साल हो गये। साढ़े तीन साल के बाद वह तीन चौथाई बहुमत करके आप उसको आथोरिटी वीवर करने का अधिकार देना चाहते हैं। मनमानी करे।

आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय पंचायत राज मंत्रीजी कि पंचायत समिति का प्रधान, प्रमुख और सरपंच इंपोंटेंट नहीं है। आप एक्ट को उठाकर के देख लीजिये, मेरी मेमोरी ठीक है और अगर आपने कोई अमेंडमेंट किया है तो हाउस में तो कभी आया नहीं है. Everywhere the statutory committees are powerful. We have given full powers to the committees. And the person is only the Chairperson. वह आदमी तो अब तीन चौथाई के बिना हटेगा नहीं और बहुमत से फैसला होगा कमेटी का, कैसे फैसला होगा, यह डेमोक्रेटिक राइट है, प्रधान हट नहीं सकता है और नीचे जो उसके खिलाफ वाला आदमी है वह फैसला करेगा, उसकी अध्यक्षता मैं करूंगा, मैं समझता हूं

(डा. सी.पी. जोशी)

कि इसकी नेचुरल कोरोलरी की जो चीजें हैं उनको सोचा ही नहीं है और यह प्रस्ताव लेकर के आ गये। मुझे पता नहीं, आई विश, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि हम बिलकुल आइसोलेशन में फैसला ले रहे हैं कि पंचायत राज मंत्रीजी ने कहा कि मुख्य मंत्रीजी इतने अविश्वास के प्रस्ताव आ जायेंगे वह रुक जायेंगे और वह फैसला कर लिया और वह फैसला करवा लिया आपने। आपने इस सिंगल अमेंडमेंट से लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीब आदमी का जो विश्वास पंचायत में था वह तोड़ने का काम किया है। क्यों आदमी पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ेगा, क्यों आदमी प्रधान का चुनाव लड़ेगा, इसलिए कि तीन चौथाई बहुत से हटूंगा नहीं, हट नहीं सकेगा तो बेईमान आदमी सरपंच भी बनेगा, बेईमान आदमी प्रधान, प्रमुख भी बनेगा और तीन चौथाई बहुमत हो नहीं सकता कभी, इसलिए वह हट भी नहीं सकेगा और मनमानी करता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने बीस प्रतिशत पैसा जिला परिषद को दिया है, बीस प्रतिशत पैसा पंचायत समिति को दिया है। आपने कभी सोचा है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो एक्ट में प्रोविजन है, सारे प्रोविजन हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाने का काम जिला परिषद का है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की हमने कितनी मीटिंग की, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को हमने कितनी गाइडेंस दी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में केवल मात्र जो प्राइम मिनिस्टर सड़के हैं उनको रिकमंडेशन करने के लिए मीटिंग होती है और उस सारी को रिकमंड करने का काम हम कर देते हैं उस मामले में। माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, राजस्थान की अलग-अलग ज्योग्राफी है उसमें अनटाइड फंड देकर हमने कोशिश की थी कि पंचायत राज को हम ताकत दें। किसी जगह पीने के पानी की व्यवस्था है, किसी सड़क की व्यवस्था करनी है, कहां स्कूल की व्यवस्था करनी है, एम्पावर्ड करने का मतलब है कि आप पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायत को अनटाइड फंड देकर के ताकत दें, पर हमारा विश्वास पंचायत राज को ताकत देने का है ही नहीं, हम तो सैन्ट्रलाइज पावर चाहते हैं। राजस्थान की कैबिनेट डिफंक्ट, माननीय मंत्रीजी पंचायत को डिफंक्ट कर दें, ऊपर से नीचे आया है मामला, पंचायत राज मंत्रीजी ने 237 पंचायत समितियों के प्रधानों को डिफंक्ट कर दिया, 2184 सरपंचों को डिफंक्ट कर दिया। एक लाख से ज्यादा वार्ड पंच बेकार बनाकर के बैठ गये।

मुझे आप बार-बार कहते हैं बीपीएल फैमिली का, याद करिये बीपीएल फैमिली का चयन किसके समय में हुआ था। बीपीएल फैमिली का चयन

(डा. सी.पी. जोशी)

भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ था। सुन लीजिये मेरी बात को, आप तथ्य रख दीजिये। केवल मात्र हमारे समय में यह अधिकार था कि बीपीएल में फैमिली का गलत नाम है तो ग्राम सभा उनको डिलीट कर सकती है। यह डिसीजन करने के बाद दुबारा जब सैंक्संस हुआ उसका आज भी डिस्प्युट चल रहा है। हम कहते हैं कि 24 लाख बनने चाहिए, भारत सरकार कह रही है कि 17 लाख बनने चाहिंए। आज दिन तक वह डिस्प्युट चल रहा है, जो बीच में बीपीएल की फैमिली के आदमी हैं, ना उनको आज दवाइयों की व्यवस्था हो रही है, ना गेहूं की व्यवस्था हो रही है, ना ही कोई व्यवस्था हो रही है। हाउस में आपका सोलोमन प्लीज में था, माननीय तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था तब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि बीपीएल फैमिली में भारत सरकार यदि 17 लाख आदमी बताती है और आदमी 24 लाख हैं तो 7 लाख आदमियों के लिए गेहूं की व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी, दवाइयों की व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा में व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी। आपने उन सात लाख आदमियों की व्यवस्था कर दी। आपने एक काम किया है कि शहरों के अंदर आपने कार्ड बढ़ा दिये। शहरों के अंदर कार्ड बढ़ाने के बाद गांव के गरीब आदमी को भी आपने बाहर निकाल दिया। पंचायत राज के प्रत्येक काम को माननीय मंत्रीजी मैंने मंत्री के रूप में डी-सेन्ट्रलाइजेशन किया है कि पंचायत का सरपंच सेक्रेटेरिएट में नहीं आना चाहिए। हमने पावर दी कि नीचे बैठकर के फैसले होने चाहिंए। आपने सारी पावर को सेन्ट्रलाइज कर दिया। एक गरीब महिला एस.सी. की जो सरपंच बनकर के आये, एक आदमी एस.टी. का सरपंच बनकर के आये वह सेक्रेटेरिएट में घूमेगा न्याय लेने के लिए। हमने फैसला कर दिया था कि इस तरह के फैसले नीचे के लेवल पर होंगे। सारी पावर हमने विद्ड्रा कर ली।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि तीन चौथाई बहुमत, यह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के केन्द्रीकरण करने की मनोवृति का प्रतीक है। यदि डी-सेन्ट्रलाइज करने का प्रतीक होता तो यह कोई साल्युशन नहीं है कि सरपंच के अविश्वास का प्रस्ताव आता है, आज लोक सभा में यह प्रस्ताव आता है, इस तरह डेमोक्रेसी में हम डर जायेंगे। लाइव डेमोक्रेसी का मतलब ही यह है कि let them have this facility, let them have this provision, let the Sarpanch be accountable to Gram Sabha. ग्राम सभा खतम कर दी, मुझे

(डा. सी.पी. जोशी)

याद है, मुझे कहते हुए घमंड है कि हमने ग्राम सभाएं शुरू की थी, हमने खुद ने मानीटरिंग की है, हमने वार्ड सभाएं शुरू की थी राजस्थान में, एक लाख से ज्यादा वार्ड सभाएं थी, 20 हजार वार्ड सभाएं नहीं हो रही होंगी, 60 हजार वार्ड सभाएं ही हो रही थी, 10 आदमी भी आ रहा था तो 6 लाख आदमी पंचायत के प्रोसेस में भाग ले रहा था। आपने एक भी मीटिंग वार्ड सभा की नहीं करायी। एक भी मीटिंग ग्राम सभा की नहीं करायी। आप जो करवा रहे हैं, मुझे भी मालूम है, आप कभी गये मानीटरिंग करने के लिए, कहां-कहां ग्राम सभा हुई, मुख्य मंत्रीजी को ले गये आप कभी। हमने ताकत दी थी, एम्पावरमैंट का काम किया था और मैं आज कहता हूं माननीय घनश्यामजी याद करिये 1998 में हम सरकार में आये थे, उसके पहले पंचायत के चुनाव हो गये थे। हमने नहीं पूछा था कि बीजेपी का सरपंच है कि बीजेपी का प्रधान है कि प्रमुख है, हमने यह अधिकार दिया था कि यदि उस पंचायत में बीस बच्चे पढ़ने वाले हैं और वह वार्ड भी एस.सी. का है तो वहां स्कूल खुलेगा और एस.सी. का मास्टर लगेगा। आज राजीव गांधी पाठशालाओं को कंडेम्प्ट करना सरल है, 13 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं पहले बनी, उसमें टैन्थ फाइनेंस कमीशन का पैसा आया, अकाल राहत में हमने काम करवाये, जगह-जगह राजीव गांधी पाठशालायें लाये और 13 हजार में से 10 हजार आदमी गरीब आदमी एस.सी., एस.टी., ओबीसी का मास्टर बना है, उसको तो आपने कंडेम्प्ट कर दिया। एक अप्रैल, 2005 से आपने मास्टर लगा दिये। पैसा लगा लिया, सर्व शिक्षा अभियान से चार हजार रुपये कंसोलिडेट दे रहे हैं, यह इम्प्रूव है, वर्सन है राजीव गांधी पाठशालाओं का कि घनश्यामजी का वर्सन है। वह भी चीजें ठीक हैं लेकिन हमने यह एम्पावर कर दिया कि आठवीं क्लास के मास्टर को लगा दिया।

मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, पंचायत राज मंत्रीजी तो कोंपिटेंट नहीं हैं जवाब देने के लिए, आज भी बता दें कि राजस्थान में जितने भी राजीव गांधी पाठशालाओं में 26 हजार टीचर्स भर्ती किये हैं उनमें तीन हजार आदमी भी आठवीं पास नहीं हैं, तीन हजार में से डेढ़ हजार आदमी या तो बाड़मेर, जैसलमेर का है या साउथ राजस्थान का है और प्रचार कर दिया कि आठवीं क्लास के लोगों को लगा दिया। अब आप 13 हजार आदमी से पढ़ा रहे हैं, जो आदमी विद्यार्थी मित्र के रूप में काम करेगा वह प्राइमरी शिक्षा में पढ़ायेगा, उच्च शिक्षा का कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा, मेहरबानी करके यदि

(डा. सी.पी. जोशी)

हम सबको मिलाकर क्योंकि हम दो सौ आदमी मिलकर के राजस्थान के इतने बड़े भू-भाग में जो जनता का विश्वास है उसको डवलप करने का काम नहीं कर सकते हैं। उसको डवलप करने के लिए पंचायत राज के सरपंच को एम्पावर करना पड़ेगा। यह जो हमारा मोह है, एम.एल.ए. साहब का, एम.पी. साहब का उसको छोड़ना पड़ेगा। मैंने तो खुद ने कहा और आज फिर कहना चाहूंगा कि एम.एल.ए. फंड का पैसा भी डोवटेल होना चाहिए थ्रू पंचायत, जिससे पंचायत में यह व्यवस्था नहीं हो सकी, एक तरफ तो कहें कि सरपंच तो दिया दूसरी तरफ सरपंच को नेग्लेक्ट करने के लिए एम.एल.ए. फंड का पैसा दूसरी पंचायत को दे रहे हैं तो फिर सरपंच का काम करेगी पंचायत, उसका काम करने की एजेंसी चाहे अच्छी है या बुरी है, इम्प्रूव करना है सिस्टम है आप राइट टू री-कॉल मत करिये पर आपको यह अधिकार है कि यदि ग्राम सभा में कोई शिकायत होती है तो उसमें भी प्रोविजन कर रखा है, वह प्रोविजन आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। यदि गांव वालों को शिकायत है तो वह शिकायत कर सकते हैं, उसकी जांच करो और जांच करके कार्यवाही करें। जिस तरह से क्राइम के लिए ट्रिब्युनल बना रहे हैं वैसे ही नीचे फैसला करने में क्या तकलीफ है। आज की डेट में करोड़ों रुपयों का काम एक ठेकेदार करेगा उसमें कोई तकलीफ नहीं है, 1500 करोड़ रुपये के चार मेगा हाइवे बन रहे हैं उसकी हमें चिंता नहीं है हमें, ग्राम का सरपंच एक-दो लाख रुपये खा जायेगा इसलिए तीन चौथाई की चिंता है, यह किसकी चौकीदारी करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमें यह नई सदी में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था करनी चाहिए और मैं फिर आपको हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके यह सत्ता के केन्द्रीकरण करने का प्रस्ताव करने वाले शिक्षा मंत्रीजी घनश्यामजी तिवाड़ी, होम मिनिस्टर गुलाबजी कटारिया किस मुंह से सत्ता का केन्द्रीकरण करने वाली मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। यदि वह नीचे भी ठीक है तो ऊपर भी ठीक है। दो चीजें नहीं हो सकती हैं। यदि हमारे मंत्री सत्ता को विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो हमें ऐसे प्रस्ताव लाने चाहिंए जिससे अपना एम्पावरमेंट हो।

अध्यक्ष महोदय, आज सबसे खुशी की बात है, 66 प्रतिशत रिजर्वेशन है एस.सी., एस.टी., ओबीसी और महिला का, 66 प्रतिशत पंचायत के सरपंच एस.सी., एस.टी., ओबीसी और महिला चुने हुए हैं। 66 प्रतिशत प्रधान बने हुए हैं, 66 प्रतिशत प्रमुख बने हुए हैं। हमारे मन में उनको एम्पावरमेंट करने में तकलीफ है। वह सीख जायेंगे तो क्या तकलीफ है। तीसरा चुनाव हो गया

(डा. सी.पी. जोशी)

राजस्थान में पंचायत राज का, आप तो मेहरबानी करके इसको एनालाइसिस करके देखें कि पंचायत में एस.सी., एस.टी., ओबीसी और महिला में कांपिटेंट सरपंच आ रहे हैं, कांपिटेंट प्रधान आ रहे हैं, कांपिटेंट प्रमुख आ रहे हैं। उनकी सारी पावर को हमने विद्ड्रा कर लिया। मैं समझता हूं कि आज तो आपको अच्छा लग रहा है। पंचायत राज को कमजोर करना है तो घनश्यामजी चुनाव में बूथ पर कितने कार्यकर्ता खड़े कर दें, वह वार्ड पंच जो एक लाख समथिंग हैं, उनके मन में यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को कमजोर किया है, उसके पॉलिटिकल फॉल आउट चुनाव के बाद निर्णय करके आपके सामने आयेंगे। आपको आज समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या एम्पावरमेंट करना, पंचायत राज में अच्छी गवर्नेंस करना, यदि नीचे के लेवल पर डिलीवर अच्छा होता है, निर्णय करने में डिलीवरी अच्छी होती है, उसमें मोनिटरिंग ठीक होती है तो गवर्नमेंट की गवर्नेंस अच्छी होती है। आज की डेट में अच्छी गवर्नेंस को जनता दुबारा जिताती है, बैड गवर्नेंस से नहीं जीतती है। आउट-ले आप कितना ही बढ़ा दें, आप स्टीम कितना ही बढ़ा दें लेकिन नीचे जो डिलीवरी हो रही है, आप बताइये आज की डेट में, हमारे समय में घनश्यामजी हमने फैसला किया था कि यदि गांव में सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहा है, कैबीनेट की सब कमेटी बना दी, उसका ट्रांसफर हो जायेगा तो कोई कैंसिल नहीं कर सकता है, मंत्री भी कैंसिल नहीं कर सकता है। यह प्रोविजन हमने किया जिससे गांव के कर्मचारी के डर बैठा रहे, मास्टर स्कूल में जाये, पटवारी काम करने जाये, यह व्यवस्था की और कलक्टर्स को बुलाकर के हमने मीटिंग की। गांव का सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए जाये, अच्छा लगता है कि कर्मचारियों की नाराजगी के कारण से सत्ता में आ गये। लेकिन आज भी गांवों में जाकर के देखिये 30 प्रतिशत गांवों में पटवारी किस समय जा रहे हैं, वहां की ए.एन.एम. किस समय जा रही है। जहां मास्टर के जाने की व्यवस्था नहीं है, वहां दो घंटे के पहले मास्टर नहीं जा रहा है। हम यह व्यवस्था भी नहीं करना चाहते हैं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण में उन लोगों पर पंचायत के चुने हुए आदमियों का कोई अंकुश रहे। मैं समझता हूं कि यह तीन चौथाई बहुमत का जो यह प्रस्ताव रख रहे हैं, इस प्रस्ताव से पंचायत राज के पहले जो यह कह रहे हैं, जो यह लिखा है – "During past few months …" Few months, I am shocked. "… many no confidence motions have been .." Have you ever analysed? 9184 में से कितने

(डा. सी.पी. जोशी)

सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, 237 प्रधानों में कितनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया।

यह भी ऐनेलाइज किया? खाली मेरा एक बी जे पी का प्रधान न हट जाए, मेरा बी जे पी का प्रमुख न हट जाए, मैं जिस क्षेत्र का एम एल ए हूं वहां का सरपंच नहीं हटना चाहिए, मेरे इलाके का प्रधान नहीं हटना चाहिए, यह जो छोटी मनोवृत्ति से पंचायती राज को चलाने का मानस बना रहे हैं, उससे हम पंचायती राज को एम्पावर नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि यह आप जो तीन चौथाई बहुमत का कर रहे हैं, इससे पंचायती राज की समस्याओं का निदान नहीं होगा, उससे निरंकुशता बढ़ेगी। सरपंच आपके ज्यादा बेइमानी करेगा, प्रधान आपके ज्यादा बेइमानी करेगा, प्रमुख आपके ज्यादा बेइमानी करेगा। उसे मालूम है कि तीन चौथाई बहुमत न हो तो मेरे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ ही नहीं सकता तो बाइ हैविंग दिस अमेंडमेंट यू आर गिविंग ए लेटीट्यूड टू द करप्ट पर्सन्स कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेइमानी करो ठाठ से, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेइमानी करने का यह लाइसेंस आप उसको दे रहे हैं।

माननीय कालूलालजी गुर्जर, पंचायती राज मंत्रीजी, आप तो गांव के बैकग्राउण्ड के हैं, वकील साहब आप मुझे बताओ यदि मुझे मालूम है कि मुझे कोई हटा नहीं सकता है तो आप मेरी ईमानदारी पर फैसला कर सकते हैं क्या? अभी डर था उसका, फिर काहे का डर रहेगा, मालूम है बारह में से कितने आदमी रखने हैं, तीन चौथाई किया, तीन तिए नौ हो नहीं सकते तो मुझे खाली ध्यान रखना है तीन आदमियों का, चार आदमियों की व्यवस्था करनी है बाकी 20 लाख रुपए खाओ न क्या तकलीफ है?

सम योजना में कितना पैसा आ रहा है, एम आर ई जी पी में कितना पैसा आ रहा है और रूरल इलाके में माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक पंचायत में ट्राइबल इलाके में एक-एक करोड़ रुपए पंचायत का सरपंच खर्च कर रहा है, आपने कभी जाकर देखा है कि उस सरपंच की सुधरी की नहीं सुधरी पर आपके ग्राम सेवक, सबकी हालत सुधर गई है, साइकिल से मोटर साइकिल पर आ गया है, पक्के मकान पर आ गया है, गाड़ी पर आ गया है और गांव का गरीब आदमी सड़क पर बैठा हुआ है क्योंकि करोड़ों रुपए डवलपमेंट के कार्यों की मानिटरिंग करने का अधिकार आप दे रहे हैं, यह सरपंच को चिंता

(डा. सी.पी. जोशी)

करने की जरूरत क्या है, चार आदमियों का ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान रखना नहीं है, चोरी करना है। सरपंच के चुनाव डाइरेक्ट होते हैं उसको पंचायत समिति से लिंक कर दिया, जिला परिषद से लिंक कर दिया। मुझे आश्‍चर्य होता है कि यह एक अमेंडमेंट तीनों चीजों को कैसे पूरा करेगा? जबकि तीनों का चुनाव करने का तरीका अलग है, एक तो डाइरेक्ट चुनाव होगा, दूसरे दोनों का इनडाइरेक्ट चुनाव होगा। आप कहें तो ठीक है, क्या फैसला करना है बिलकुल ठीक है, आपको तो नाथूसिंहजी से कम्पीटिशन करना है कि नाथूसिंहजी थे तो वह काम हुआ, अब कालूलालजी हैं तो यह काम हुआ। अब हमारा दुर्भाग्य है कि जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो कभी नाथूसिंहजी से काम पड़ जाए तो कभी कालूलालजी से काम पड़ जाए, बहुत अच्छा, दोनों राज ठीक हैं तो राज भले पलटता रहेगा, आपने यह काम किया उसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद। इसके परिणाम आपको जो पिछली बार मिले, वैसे के वैसे जब परिणाम मिलेंगें तब आपको राज में आकर बताएंगे कि पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने का नुकसान, आपकी गवर्नेंस का भी नुकसान है, आपके नीचे जो डिलीवरी है वह भी आपके गुड्स इण्डिविज्युअल आदमी को बेनिफिट कर रही है, वह भी लाभ नहीं कर सकती क्योंकि उसको मोनिटरिंग करने की व्यवस्था नहीं है। मेहरबानी करके कॉस्मेटिक चेंज के आधार पर पंचायती राज को एम्पावरमेंट जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है।

यह सरकार चार साल पूरे होने के बाद भी गुलाबचन्दजी कटारिया की कमेटी की रिपोर्ट को एक्जीक्यूट नहीं कर सके, यह कालूलालजी, कौन से दिमाग की उपज से अमेंडमेंट करके लाए हैं। मैं समझता हूं कि इसको भी आप विथड्रा करिए जनमत जानने के लिए करिए, प्रवर समिति को दीजिए और कॉम्प्रिहेंसिव चेंज लेकर आइए। मैं नहीं कहता कि हमने जो सोचा है वह सही है। आप उसमें चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन मेहरबानी करके कॉम्प्रिहेंसिव पंचायती राज में कैसे गरीब आदमी को एम्पावर कर सके, सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर सकें, यह बात आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक रहेगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। इसके किए बगैर कॉस्मेटिक चेंज के नाम पर फ्यू मंथ में फ्यू मंथ के आधार पर आप यह अमेंडमेंट ला रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान (अनुपस्थित)। डाक्टर बी.डी. कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार नहीं बोला था, इससे पहले वाले बिल पर नहीं बोला था।

श्री अध्यक्ष: आप इनकी बातों पर ध्यान नहीं दें, आप बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में हमारे दल की तरफ से काफी लोगों ने अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं खास तौर से आपके माध्यम से सत्ता पक्ष को यह कहना चाहता हूं कि जिस पंचायती राज को कांग्रेस के राज में सशक्त किया गया था, उनको अधिकार दिए गए थे, 18 विभाग उनको बजट के साथ, संस्थापन के साथ और उन सारे कार्य कलापों, फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ दिए गए थे उनको धीरे-धीरे करके आपने एक-एक करके वापस छीन लिया शिक्षा विभाग के अधिकार छीन लिए, वन विभाग के अधिकार छीन लिए, आयुर्वेद और पी डब्ल्यू डी, सभी विभागों के अधिकार आपने एक-एक करके छीन लिए और पंचायती राज को लूंला लंगड़ा बना दिया, पंगु बना दिया। पंचायती राज के लोगों को कोई अधिकार नहीं है, आपने आज जो अमेंडमेंट पेश किया है उसमें अविश्वास प्रस्ताव प्रधान और जिला प्रमुख के लिए दो तिहाई की जगह आपने तीन चौथाई का प्रावधान कर दिया कि तीन चौथाई सदस्य होने चाहिए। क्या वह प्रस्ताव भी पारित करेंगे उसमें दो तिहाई की जगह तीन चौथाई बहुमत लाने के बाद उनके प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। यह भी अमेंडमेंट साथ में ले आते लेकिन ऐसा आपने नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पंचायती राज की स्थिति ऐसी हो गई है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का वहां पर असम्मान हो रहा है, उनकी कोई बात कहीं पर भी नहीं रखी जा रही है। वे किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को स्थानांतरित नहीं कर सकते, किसी को भी सस्पैण्ड नहीं कर सकते, वह केवल मात्र वहां प्रमुख और प्रधान के रूप में बैठे रहते हैं, एक खिलौने की तरह, वास्तव में उनको कोई अधिकार नहीं है जिस अधिकार के माध्यम से वह अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर सकें, गुड्स डिलीवर कर सकें, सारे अधिकार इन्होंने अधिकारियों को दे दिए। आज पंचायती राज की स्थिति यह है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को चुन-चुन कर हमारे पंचायती राज मंत्रीजी हटा रहे हैं अलोकतांत्रिक तरीके से, जो चुने हुए सरपंच हैं, मैं जानना

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चाहूंगा कि आप रिप्लाई दें तो यह भी बताएं कि पिछले लगभग तीन साल और दस महीने में आपने कितने सरपंचों को निलम्बित किया, कितने प्रधानों को निलम्बित किया और किन-किन के खिलाफ आपने कार्यवाही की? मैं समझता हूं कि राजस्थान में जितने गैर लोकतांत्रिक कार्य आपकी सरकार ने किए हैं राजस्थान की किसी सरकार ने नहीं किए।

अध्यक्ष महोदय, सात नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के चुने हुए बी जे पी के अध्यक्ष और नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा दिया।

श्री अध्यक्ष: नगरपालिका कहां से आ गई यहां पर?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बता रहा हूं भूमिका यह है कि नगर परिषद और नगर पालिका में इनके चुने हुए अध्यक्ष हटने लगे और यहां पर भी गाज गिरने वाली थी इसलिए इन्होंने प्रधानों को और प्रमुखों को जो भ्रष्ट थे और जिनके खिलाफ अविश्वास पस्ताव आने वाले थे उनको बचाने के लिए आपने इसमें यह तीन चौथाई का प्रावधान करके उनको बचाने की कोशिश की। मैं खास तौर से यह कहना चाहता हं कि यदि आप कोई अमेंडमेंट लेकर आएं तो उसमें पूरे के पूरे पंचायती राज में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का उपाय करेंगे। आप केवल मात्र मामूली सा संशोधन करने के लिए बिल ले आए। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को लाते वक्त सोचते कि हमारे सरपंचों को आप कितना अधिकार सम्पन्न कर सकते हैं, इस बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, प्रधानों को अधिकार सम्पन्न करने के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, पंचायत समिति के सदस्यों, जिला परिषद के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास आज क्या काम है मीटिंग करने के अलावा? लेकिन आपने उनको कोई अधिकार नहीं दिए, उनके लिए आपने कोई काम नहीं किया लेकिन केवल मात्र अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आए इसके लिए आप यह अमेंडमेंट लेकर आए हैं। मैं खास तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। वह चाहते थे कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में सबको, चुने हुए सरपंचों को, चुने हुए प्रधानों को, जिला परिषद के सदस्यों को अधिकार दिए जाने चाहिए। आपने इस सम्बन्ध में कोई काम नहीं किया। न तो आपने न्याय के क्षेत्र में उनको अधिकार दिए हैं न उनको कोई प्रशासनिक

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अधिकार दिए हैं। आज प्रधान एक थर्ड ग्रेड टीचर का ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके लिए भी सारे अधिकार आपने राज्य मंत्री देवनानीजी को दे दिए तो यह जो सारा काम आपने किया है, यह राजस्थान में पंचायती राज को पलीता लगाने का काम किया है और अब नवम्बर का इन्तजार कर रही है राजस्थान की जनता, उस समय आपका सूपड़ा साफ कर देगी और पंचायती राज को जितना आपने पंगु बनाया है और कमजोर किया है उसका वह बदला लेगी।

एक तरफ हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी ने पंचायती राज को सशक्त किया और संविधान में 73वां संशोधन लाए और पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए उनको अधिकार सम्पन्न बनाने की कोशिश की और वहां पर सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को लागू किया। आज ओ बी सी, एस सी और एस टी के लोगों को रिजर्वेशन, महिलाओं को रिजर्वेशन राजीव गांधीजी ने किया लेकिन आपने क्या किया? आपने केवल मात्र सर्व शिक्षा अभियान के कामों में जो, सरपंच कांग्रेस पार्टी के हैं उनसे उन कामों को छीन कर वहां कमेटी बना दी और मास्टरों को उस काम में लगा दिया, अब मास्टर वहां पढ़ाने का काम करें या वहां पर ठेकदारी करें। आपने चुने हुए सरपंचों से यह काम भी छीन लिया। यह बात बिलकुल सही है कि चुने हुए सरपंचों को हमें सारा काम देना चाहिए, जवाहर रोजगार योजना अध्यक्ष महोदय, शुरू हुई, उसमें चुने हुए सरपंचों को केन्द्र सरकार ने सीधे सहायता राशि प्रदान की और वहां पर इस योजना के अंतर्गत एक-एक गांव में पचास-पचास लाख रुपयों से अधिक का काम हो गया है लेकिन राजस्थान के पंचायती राज और न स्वायत्तशासी संस्थाओं से सम्बन्धित जो वित्त आयोग बैठाया है उसकी सिफारिश को आपने कभी माना नहीं।

पंचायतों को मिलने वाली एड है, स्वायत्तशासी संस्थाओं को मिलने वाली एड है उसकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। केवल मात्र आप अपने सरपंचों को, अपने प्रधानों को और अपने जिला प्रमुखों को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए जो राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 लेकर आये हैं इसको एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और जब भी आप बिल लेकर, काम्प्रहेंसिव बिल लेकर आएं ताकि पंचायती राज में या जिस बिल में आप जो संशोधन करना चाहते हैं पंचायती राज या उस बिल

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

से संबंधित समस्याओं का पूरा समाधान करने के लिए बिल लेकर आएं, न कि अपने स्वार्थ के लिए लेकर आएं। बहुत-बहुत धन्यवाद ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल (अनुपस्थित)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसीलिए हम पांच साल में चुनाव कराने का बिल लेकर आए आवश्यक रूप से।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 को मैंने जनमत जानने का संशोधन दिया था इसको तो मैं विथड्रा करता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कुछ सुझाव माननीय मंत्रीजी को देना चाहूंगा। अविश्वास प्रस्ताव में दो तिहाई में पंचायत, पंचायत के साथ प्रधान, प्रधान के साथ जिला प्रमुख, ये जो व्यवस्था की है इसका कोई लाभ पंचायत राज में नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमको यह होगा कि सरपंच भी रावण हो जाएगा, प्रधान भी रावण होगा और जिला प्रमुख भी रावण हो जाएगा और ये उन सदस्यों की परवाह नहीं करेंगे। इसलिए इसमें कोई ऐसा कालम डाला जाना चाहिए ताकि वित्तीय अनियमितताओं से हम बचें, कोई न कोई इसमें ऐसा चेंजेज डालें ताकि उसका लाभ आम जनता को मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे पंचायत समिति बनने के बाद पंचायत सदस्यों के द्वारा प्रधान बनता है, लेकिन पंचायत समिति सदस्यों को कोई अधिकार नहीं है, उनके बारे में भी इसमें विचार किया जाए ताकि उनको कोई न कोई अधिकार दिये जाएं। इतने लोगों से जीतकर आते हैं, इतना पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे इसी तरह से जिला परिषद के सदस्य होते हैं, इतना लम्बा-चौड़ा वार्ड है, 10 पंचायतों को जीतकर आते हैं, लेकिन 10 पंचायतों में जीतकर आने के बाद सारे अधिकार जिला प्रमुख में ही सीमित हैं। केवल मीटिंग में जाना और वहां से वापस आ जाना इससे ज्यादा उनकी सोच नहीं रहती है, न उनके बारे में सरकार ने कोई कॉलम डाला। तो मैं कहना चाहूंगा इसके बारे में भी विचार करें ताकि यह प्रभावी बने। पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के बारे में कोई न कोई मजबूत फैसला लें, कोई ऐसा अमेंटमेंट लाएं जिससे उनको अधिकार मिले।

(श्री हेमराज मीणा)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दो वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव आएगा उसके पहले अविश्वास नहीं आएगा तो ऐसा संशोधन लाया जाए कि दो वर्ष का इंतजार न हो ताकि कम से कम वे वित्तीय अनियमितता नहीं कर सके, वे कानून से बंधे रहें। इसलिए उन पर कोई न कोई नियमों में संशोधन करके लाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चिंता की, हमारे लोग नहीं हटने चाहिए, बने रहने चाहिए, लेकिन आज पंचायत समिति, जिला परिषदों की हालत क्या है। आज एल डी सी की पोस्ट खाली है, एक्जीक्यूटिव आफिसर की जगह खाली है, ग्राम सेवकों की जगह खाली है। तो इसको भी सुदृढ़ करना पड़ेगा तब जाकर हमारा पंचायत राज मजबूत होगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नीचे लेवल पर इतनी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार की समस्या खड़ी हो रही है, उस पर भी हम गहराई से विचार करें। मैंने तो कई बार यह भी देखा है प्रधान कोई काम की मंजूरी निकालता है तो 10 परसेंट पैसा पहले लेगा। जिला प्रमुख कोई मंजूरी निकालता है तो 10 परसेंट पैसा लेगा। जब 10-10 परसेंट पैसा सब जगह बंट जाएगा तो एक लाख में से नीचे जाकर 40 हजार मुश्किल से बचेगा तो अध्यक्ष महोदय, फिर सरपंच क्या करेगा। तो इस व्यवस्था को भी कठोरता से लागू करें जिससे जितना पैसा हम जिला परिषद से पंचायत को मंजूर करते हैं वह काम हो। इसलिए यह भी कोई न कोई उपाय हमको करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, दो तिहाई वाला लाए हैं मैं समझता हूं दो तिहाई वाला ठीक था, अब आप ला रहे हो, इसलिए संशोधन वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड 2 एवं 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किया गया। आपके खण्ड स्वीकार हो रहे हैं और आप बात कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पंचायत राज मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे थे, आपने उनका जवाब नहीं दिलवाया।

श्री अध्यक्ष: दीजिए, जवाब देना हो तो दीजिए, मुझे क्या दिक्कत है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): थोड़ा बोल लूं।

श्री अध्यक्ष: आप पारित पर दीजिएगा। संशोधन पर देना चाह रहे हैं आप? दो तो दो।

खण्ड 2 एवं तीन - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री कालूलाल गुर्जर अब पारित करने का प्रस्ताव करें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई बोलना चाहते हैं?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, ये बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब तो जवाब ही सुन लें आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपसे गाइड नहीं होऊंगा, आप इन पर व्हिप चलाओ।

श्री अध्यक्ष: वे पहले जनमत पर बोले थे, अब वे पारित पर बोलेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थर्ड रीडिंग पर बोलने का मेरा अधिकार है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि सब मंजूर हो गये, जिनको बोलना था वे बोल गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनको पता नहीं है थर्ड रीडिंग पर भी बोल सकते हैं, इनको बताओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वो तो पता है बोल सकते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो फिर आप विराज जाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): थर्ड रीडिंग पर बोल सकते हैं, लेकिन जब वे कुछ बोलते तो ये बोलते। पहले उनका जवाब सुनो उसके बाद बोलो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले रिप्लाई नहीं दी क्या उन्होंने। पहले मैं बोलूंगा तब रिप्लाई देंगे।

श्री अध्यक्ष: पहले वे कैसे बोलेंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पहले मैं बोलूंगा, तब बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): टेक्नीकली तो यह ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मुझे अफसोस है कि चीफ व्हिप को पता ही नहीं है बिल कैसे पास होता है। कैसे बना दिया बीजेपी ने चीफ व्हिप?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप पहले तो भागकर चले गये। बोलना वही है जो अब तक बोला था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): पहले ही बहुत सोच-सोच कर बोलना पडा, अब कोई नई बात नहीं आई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको जरूर सुनना चाहते थे, लेकिन आप कोई ऐसी बात कहेंगे नहीं, वही रिपीट करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप तो एक बात कह दो कि सर्व शिक्षा अभियान आप जैसा छोड़कर गये थे पंचायत राज के लिए उसमें मैंने कोई संशोधन किया हो तो आपकी बात स्वीकार करके इसको जनमत के लिए भेज देंगे। यदि एज इट इज है तो फिर गुरुजी, मुझे क्यों दोष दे रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने एक अमेंडमेंट कर दिया कि आपने मास्टरों को काम सौंप दिया, पंचायतों को यह काम सौंप दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपका ही सौंपा हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, हमने नहीं सौंपा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपका आर्डर है और मेरा कोई आर्डर नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप रख दीजिए सदन के पटल पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं क्या रख दूं आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, मैं क्या जानूं, आप सदन के पटल पर रख देना, पढ़ लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, रख दूंगा, कल ही रख दूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): रख देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातों के बारे में माननीय पंचायत राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो आपने पंचायतों को एम्पावरमेंट देने के लिए पिछले तीन साल 10 महीने में क्या किया? इसके साथ-साथ यह भी बताएं कि आपने कितने चुने हुए सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही की और उसमें कितने माननीय सरपंचों ने हाईकोर्ट से आदेश लिया? और आपके आर्डर्स की धज्जियां उड़ीं, उसके बारे में आपने जानकारी नहीं दी और न ही प्रधानों के बारे में आपने कोई जानकारी दी और तीसरी बात आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि पंचायती राज के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के माध्यम से आप

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

काम नहीं करवा कर अकाल राहत के कार्य कमेटियों के माध्यम से क्यों करवा रहे हैं ? क्या आप भविष्य में चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ही काम करवाएंगे अथवा कमेटियों के माध्यम से करवाएंगे। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सरपंच बेचारा चुना हुआ है और उसके गांव में अकाल राहत के कार्य राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के काम यह सारे काम कमेटियां बना कर कराये जा रहे हैं। यह पंचायती राज की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके लिए मंत्रीजी जवाब दें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं जिन माननीय सदस्यों ने डिबेट में भाग लिया उनको धन्यवाद देता हूं और उनके कुछ सुझाव आये, यह बिल क्यों लाना पड़ा इसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जन प्रतिनिधि चुने जाने के दो साल बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे ही दो साल पूरे हुए तो धड़ाधड़ लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने लगे और अध्यक्ष महोदय, कई जन प्रतिनिधि हट गये। ऐसे समय में हमारे पंचायती राज के जो कई संघ हैं जिसमें सरपंच संघ है और हैं उन्होंने भी मांग की कि अविश्वास प्रस्ताव में थोड़ा और अमेंडमेंट किया जाए। जो नगरपालिकाओं में भी इस तरह का अमेंडमेंट हो गया था, इस कारण भी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों में यह भावना थी। सबसे पहले मोटी बात यह थी कि जब अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा आने लगते हैं तो पंचायत राज जन प्रतिनिधि जो काम करते हैं, अध्यक्ष महोदय, उनके मन में यह शंका रहती है, हम काम करें, कितना करें, इधर पता नहीं कब अविश्वास प्रस्ताव से हट जाएं तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत रोक लग जाए, इस कारण से हम यह अमेंडमेंट लाये और यह आर्डिनेंस जारी किया।

अध्यक्ष महोदय, पंचायतों का काम अब काफी बढ़ गया है, जब माननीय सदस्य सता में थे उससे भी कई गुना पंचायतों का काम हमने इस राज में और दे दिया है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का काम भी आया तो वाटरशेड का काम भी सारा पंचायती राज को दे दिया है और भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं, फिर राज्य सरकार की कई योजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से स्वयं चलाई जिसमें मगरा क्षेत्र विकास योजना है, डांग क्षेत्र विकास

(श्री कालूलाल गुर्जर)

योजना है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना है, इस तरह की अनेकों योजनाएं सरकार ने चलाई और उनके माध्यम से काफी काम पंचायतों का बढ़ गया। अध्यक्ष महोदय, जब पंचायतों में इतना काम होता है और जन प्रतिनिधि के मन में बहुत ज्यादा टेंशन इस बात का रहता है कि कब अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो काम करने में भी शिथिलता आती है और निश्चित रूप से काम के ऊपर प्रभाव पड़ता है इसलिए कुछ हद तक यह कहा कि शिथिलता कम हो। इसके लिए हम थ्री फोर्थ का यह अमेंडमेंट लाए हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने अभी भाग लिया और विशेष तौर पर बी.डी. कल्ला साहब जो कि प्रतिपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।

श्री अध्यक्ष: नाम नहीं लिया करते हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से पधारने वाले माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष: हां, ठीक है, बीकानेर से।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बीकानेर से और जो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं उन्होंने सबसे पहला ही वाक्य यह कहा कि चुन-चुन कर जन प्रतिनिधियों को हटाया जा रहा है। अब एक तरफ तो कहते हैं कि अमेंडमेंट क्यों लाए, एक तरफ कहते हैं कि चुन-चुन कर हटाया जा रहा है तो अब हटाया जा रहा है तो कैसे ? उनके खिलाफ इन्क्वायरी करके हटा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दोनों चीजें अलग-अलग हैं, अमेंडमेंट की चीज अलग है और अविश्वास प्रस्ताव अलग है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनको थोड़ा रोकिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यदि जन प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही करके हटाया जाना आप कहते हैं तो आपके तीन माननीय सदस्यों ने, एक तो खण्डार से पधारने वाले हैं, एक रायपुर से आने वाले हमारे भीलवाड़ा से एक पिलानी से पधारने वाले, तीनों अभी जोर-जोर से कह रहे थे, सरपंचों को नहीं हटा रहे हैं, सरपंचों को नहीं हटा रहे हैं, सरपंचों को बचा रहे हैं और ये खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यह भी कहा कि ये मंत्रीजी पैसे ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चेलेंज करता हूं, न तो मैंने जिंदगी में एक रुपया लिया और न आगे लूंगा

(श्री कालूलाल गुर्जर)

लेकिन वह एक भी रुपया साबित कर दें तो मैं सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। वास्तविकता यह है अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि वहां सिवाड़ के अन्दर जो सरपंच हैं जो इनके क्षेत्र में आता है उसी मामले को लेकर वह जोर-जोर से बोल रहे थे, सिवाड़ के सरपंच को हटाने के लिए उन्होंने यहां जांच करके इन्क्वायरी रिपोर्ट भेजी, उसमें उसको सज़ा मिल गई थी इसलिए। जैसे ही वह रिपोर्ट मेरे पास आई तो वह कोर्ट में आगे अपील करके स्टे ला चुका था। मैंने कहा कि स्टे आ जाने के कारण मैं इसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता, नहीं हटा सकता लेकिन उनके मन में यह था कि यह हटे, वह बी.जे.पी. का था। अब, अध्यक्ष महोदय, मैं न तो बी.जे.पी. देखता हूं और न कांग्रेस देखता हूं, मेरे सामने तो न्याय की बात होती है, फाइल आती है, न्याय करता हूं, कांग्रेस वालों को हटना पड़ता है तो बी.जे.पी. के भी हटते हैं, कांग्रेस के भी हटते हैं, मैंने तो न्याय किया क्योंकि न्यायालय से स्टे ला चुका था, जब स्टे आ गया और मैंने नहीं हटाया तो उसकी नाराजगी अभी प्रकट कर रहे थे और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अगर असली उनके पास में कोई प्रमाण हों तो पेश कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं चेलेंज करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सिवाड़ की यह स्थिति है कि वह एमएलए साहब वहां घुस नहीं सकते।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह सरपंच से अनुचित लाभ लेना चाहते थे और नहीं मिला इसलिए हटाने के लिए आए, यह भी उस सरपंच ने मुझे कहा। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): क्या था उस सरपंच के पास? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब क्या था यह तो उनको पूछ लेना आप जाकर। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): सरपंच के पास क्या था ?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): मैं तो आपके बारे में बोला ही नहीं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके सरपंच के खिलाफ प्रक्रियाधीन है, उसको सुनवाई का मौका दे रखा है और जो भी निर्णय होगा, कर देंगे। (व्यवधान) उसमें किसी को सुनवाई का मौका दे

(श्री कालूलाल गुर्जर)

रखा है तो सुनवाई तो पूरी करनी ही पड़ेगी। यह तो कानून की बात है, नियमों के अन्दर फांसी देने वाले की भी सुनवाई करनी पड़ती है। तो किसी सरपंच के खिलाफ एक जन प्रतिनिधि के खिलाफ सुनवाई नहीं करेंगे? बिना सुनवाई के किसी को मैं फांसी पर लगा नहीं सकता। (व्यवधान) अब आप बिराजें। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस बिल से पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों पर कुठाराघात होगा, कुठाराघात होगा। अध्यक्ष महोदय, न तो मैं सोचता हूं कि इस बिल के कारण पंचायत के जन प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं उनका थोड़ा बहुत प्रोटक्शन होगा, टू थर्ड के बजाय थ्री फोर्थ नहीं होगा तो उनका बचाव होगा या कुठाराघात होगा। अब क्या पता यह बोलने से पहले क्या शब्द बोलते हैं, सोचते भी नहीं। यही कह रहे हैं कि साहब, इस बिल से पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों पर कुठाराघात हो जाएगा। अब कौन सा कुठाराघात होगा ? यह तो वही बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां इन्होंने यह कहा कि 18 विषय दिये जिनको विथड्रा कर लिया गया, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो 18 विषय इन्होंने पंचायती राज को दिये, वह आज एज इट इज हैं, न तो कोई ऐसे विषय हैं जिसमें न फंड दिये, न फंक्शनरी दी। आज अभी आदरणीय हमारे सी पी जोशी साहब जो नाथद्वारा से पधारते हैं, कह रहे थे, हमने फंड दिया, फंक्शनरी सब कुछ दिया। अगर सब कुछ दिया होता तो पंचायतों को यह कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि उनको और अधिकार दें। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि कांग्रेस के टाइम में सब्जेक्ट देकर फंड, फंक्शन, फंक्शनरी का प्रावधान नहीं किया इसलिए हम करना चाहते हैं। इस कारण से कटारियाजी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उस कमेटी ने पूरे हिन्दुस्तान के कई राज्यों का दौरा किया और उसमें टाइम लगा। अब वह रिपोर्ट तैयार होकर मंत्रिमण्डल के सामने गई है, विचार किया जाएगा उस पर। शिक्षा विभाग की बात कही है कि टीचर पंचायत समिति को हम देंगे, इन्होंने वापस ले लिया। अब खुद सी पी जोशी साहब ने इसको स्पष्ट कर दिया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। सी पी जोशी साहब ने कह दिया कि हमारे राज में ही जाते-जाते हम ही लिख गये कि यह टीचर्स का महकमा पंचायतों में नहीं रह कर शिक्षा विभाग में ही रहेगा। अब वह खुद कह गये तो हमको दोष नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपका अनुभव ज्यादा है, पंचायती राज सम्भालने का।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी गलतियां बहुत हैं, इनको ठीक करें, जी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): फिर आपको गलतफहमी है क्योंकि एक प्राविजन है जिसमें हमारी सरकार ने गलती की तो उसे आप ठीक नहीं कर सकते हो क्या ? एक्ट तो आज एग्जिस्ट कर रहा है। (व्यवधान) उस ऑर्डर को ठीक करने की आपकी नहीं है क्या? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक यह कहा गया कि इसमें ग्राम सभाओं में पहले जन प्रतिनिधि को री-काल करने का प्रावधान था, हमने हटा दिया, अब हमने कब हटाया, मैं तो अमेंडमेंट ही यह पहला लाया हूं। बाकी जो प्रोविजन पहले था, आपके राज में था, वही प्रावधान है, वही ग्राम सभाएं हैं, वही वार्ड सभाएं हैं, आज भी वही हो रहा है, सब का चयन हो रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका का सारा चयन आंगनबाड़ी में हो रहा है, ग्राम सभा में हो रहा है, ग्राम सभा में एक्शन प्लान बन रहा है और अभी डीपीसी बन चुकी है। मैं कहता हूं कि इस पूरे भारत में राजस्थान दूसरे नम्बर का राज्य है। केरल के बाद जहां पर पूरी डी पी सी बन चुकी है और सारा प्लान डी पी सी के माध्यम से बनाया गया है। हमारी वार्षिक योजना भी उस डी पी सी की सिफारिश के आधार पर बनी है और पंचवर्षीय योजना भी इस साल की डी पी सी के द्वारा भेजी गई अनुशंसाओं के आधार पर बनाई गई है। इस कारण से भारत सरकार के मंत्री जी ने भी पंचायती राज के इस कार्य की सराहना की है और हमको 73 करोड़ रुपया अलग इंसेंटिव और दिया है।

अध्यक्ष महोदय, बी पी एल के बारे में यहां कहा गया कि बी पी एल में चयन हुआ और उसमें गड़बड़ियां हो गई, यह हो गया, वह हो गया। बी पी एल के बारे में मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बी पी एल का चयन 2002 में कांग्रेस के टाइम में सर्वे होकर के हुआ था। उसके बाद में हमारे टाइम में अभी सूचियां मिलीं, झगड़ा पड़ गया, ...(व्यवधान) पहले सुन लो अच्छी तरह से। सुन लो, मैं सब बता रहा हूं। बीच में झगड़ा पड़ गया, कोर्ट से स्टे हो गया, बाद में कोर्ट से स्टे हट गया और ये बी पी एल की सूचियां हमें प्राप्त हुईं। हमने ग्राम सभाओं में भेजा, ग्राम सभाओं ने उनको

(श्री कालूलाल गुर्जर)

वैरिफाई किया और हमने जारी की। उसके बाद भारत सरकार का निर्देश जितना प्रतिशत उसके अनुसार 17 लाख 36 हजार परिवारों का उसमें चयन हुआ। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपके टाइम में तो यह प्रावधान था ही। एक बार ये चयन कर देते थे, अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वह पात्रता रखता हो या नहीं रखता हो, उसके बाद पूरी नई सूची बनने तक अमेंडमेंट करने का कोई प्रावधान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, बी पी एल की सूचियों में जब हमें शिकायत मिली तो हमने उसमें प्रावधान किया और बिना लिमिटेशन के जब व्यक्ति चाहे जब अपील एस डी ओ के यहां करके अपना नाम जुड़ाने का पूरा हक रखता है, यह प्रावधान है और लिमिटेशन नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): जो पेश हुईं उनका निस्तारण हुआ क्या? जो अपीलें पेश हुईं उनमें एक पर भी सुनवाई होकर के निर्णय नहीं हुआ, अपीलें आपकी तहसीलों में पड़ी हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप तो विराजो। आप तो पहले विराजो, सुन लो। बैठो-बैठो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 15 लाख अपीलों में से 12 लाख तो आप खारिज कर चुके हो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपकी एक भी अपील की सुनवाई नहीं हुई है। बाड़मेर जिले में...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 15 लाख अपीलों में से 12 लाख अपीलों को खरिज कर चुके हैं, तीन लाख पैण्डिंग हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ...आप फैसला तो करो, ऐसे अपीलों का मतलब क्या निकला। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब हमने बी पी एल की सूची जारी करके यह प्रावधान रखा उसके बाद हमारे पास में बहुत बड़ी मात्रा में अपीलें हुईं। उनका निस्तारण हुआ, 5 लाख लोगों के नाम नये जोड़ने का हमारे पास में आ चुका है और डेढ़ लाख लोगों का नाम काटने का भी आ गया है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 2001 के सेसंस में नहीं है। 2001 के सेसंस में नहीं है। आप बोले जा रहे हो। 2001 के बाद नई बनानी है। कौनसी गाथा गाये जा रहे हो? आप बोले जा रहे हो कुछ भी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ... बाड़मेर जिले में एक भी अपील का निस्तारण नहीं हुआ। बाड़मेर जिले में एक भी अपील का निस्तारण नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सोते रहोगे तो क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ... निस्तारण एक का भी नहीं किया। लोगों ने अपीलें पेश कर दीं उनकी आप सुनवाई करो नहीं, उनका निस्तारण करो नहीं, निर्णय करो नहीं और कह रहे हो कि हम सोते रहे, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप जैसा जन-प्रतिनिधि सोता रहेगा तो एक भी नाम नहीं जुड़ेगा। अगर आप चाहो तो जुड़ जाएगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और आप जैसा मिनिस्टर रहेगा तो एक साल में 70 हजार बी पी एल परिवारों के आदमी इलाज के अभाव में मरेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ... सारी अपीलें तहसीलों के अन्दर पड़ी हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो। आप सुनवाई करके जो कुछ भी निर्णय करना है करिये। खारिज कर दीजिये पर उसका कोई निर्णय तो होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 70 हजार आदमी इलाज के अभाव में मरेंगे। बी पी एल परिवारों के सदस्यों की संख्या एक करोड़ के लगभग है और आपने एक का भी मेडिकल रिलीफ कार्ड नहीं बनाया और आपके हिसाब से 70 हजार आदमी मौत के घाट उतर रहे हैं। एक का भी कार्ड नहीं बनाया है आपने। बी पी एल कार्ड नहीं बनाया।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विराजो आप।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मंत्रीजी, आप बता दीजिये कि बाड़मेर जिले में कितनी अपीलों का निस्तारण किया?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ... और उसके लिए आप कहते हो कि केन्द्र ने पैसा नहीं दिया तो बी पी एल कार्ड नहीं बनाया। यह क्या तर्क है?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप तो बैठ जाओ। मैं सब बता रहा हूं। आप सुन तो लो। बैठो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गरीब लोगों के साथ जो अन्याय आप कर रहे हो, न बी पी एल कार्ड, न मेडिकल रिलीफ कार्ड और आज की तारीख में एवरेज एक करोड़ में से 70 हजार बी पी एल परिवारों के आदमी की मौत हुई है और मेडिकल रिलीफ... (व्यवधान) एक का भी इलाज नहीं हुआ। (व्यवधान) उनको एक किलो गेहूं भी आज तक नहीं मिला। आज तक एक किलो भी गेहूं नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ... बाड़मेर में बी पी एल की जितनी अपीलें पेश हुई उनमें एक का भी निर्णय नहीं हुआ, कोई किसी का फैसला नहीं हुआ। जिनकी अपीलें हैं वो तहसीलों में पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है, कोई फैसला नहीं हो रहा है। (व्यवधान) तो सरकार आखिर इसका फैसला कब तक करेगी? क्या आपकी सरकार जाने के बाद में फैसला होगा, सुनवाई होगी? क्या होगा? आप खारिज कर दीजिये पर उनका कुछ फैसला तो कीजिये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बैठो, आप जवाब तो सुन लो पहले। एक मिनट। आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप बाड़मेर जिले की बता दीजिये। वहां एक की भी अपील का फैसला नहीं हुआ। बाड़मेर जिले की बता दीजिये। आप अभी मंगाकर के बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बैठो, सुनोगे तो बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बी पी एल परिवारों के मामले में यह सरकार जान-बूझकर उन गरीब लोगों को अनाज नहीं दे रही है, कार्ड नहीं बना रही है। आपने बी पी एल परिवारों की घोषणा कर दी, 17 लाख 36 हजार की घोषणा कर दी और कार्ड एक का भी नहीं। एक साल हो गया, आपने घोषणा के बाद एक भी कार्ड नहीं बनाया। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बैठो न। आप बैठ जाओ। आप वैसे ही बोले जा रहे हैं। बैठो न। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं पर माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

मैं बहुत सादगी से, विनम्रता से आपको संतुष्ट भी कर रहा हूं पर आप जवाब सुनने के पहले ही प्रश्न करते जा रहे हो। अगर आप मेरी बात सुनते तो शायद आपको इतनी एनर्जी खतम नहीं करनी पड़ती बोलने की। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यहां पर 5 लाख के करीब लोगों का नाम जोड़ने का आया, डेढ़ लाख नाम काटने का आया। इस प्रकार साढ़े तीन लाख और साढ़े 17 लाख के लगभग पहले के, कुल मिलाकर 21 लाख पहले थे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो यह बताओ कि कुल कितनी अपीलें हुईं? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कुल मिलाकर के 2 लाख 97 हजार परिवार पहले चयनित थे उतने ही हम फिर चयनित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उनमें 17 लाख 36 हजार को वो जो सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, बाकी बी पी एल को राज्य सरकार अपने खर्चे से उन्हें मेडिकल की सुविधा और गेहूं देने की सुविधा बराबर देती रहेगी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ... बाड़मेर जिले में एक भी नाम नहीं जोड़ा गया और न किसी का नाम हटाया गया है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक का भी नहीं किया। (व्यवधान) कार्ड नहीं बनाया।

डा. **चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): आपने मेडिकल रिलीफ कार्ड आज तक नहीं बनाया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक का भी कार्ड नहीं बनाया बी पी एल परिवार का। एक का भी नया कार्ड आपने नहीं बनाया। एक का भी मेडिकल रिलीफ कार्ड नहीं बनाया। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ... सुन लो। नई सूचियां अमेंडमेंट हो रही थी, अपीलों का निस्तारण करना था इसलिए हमने बी पी एल कार्ड नहीं बनाया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिनकी घोषणा कर दी थी उनका तो बनाओ। एक का भी नहीं बनाया। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लेकिन

(श्री कालूलाल गुर्जर)

अब बनाने का आदेश कर दिया और बी पी एल कार्ड बनने शुरू हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्य नहीं सुनना चाहते तो इसको पारित किया जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ... कहते थे कि बी पी एल कार्ड बनाने के पैसे केन्द्र ने नहीं दिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में एक भी अपील का निस्तारण नहीं हुआ है। एक भी बी पी एल का नया नाम जोड़ा नहीं गया है, गलत चयन हुआ उसमें से एक भी बी पी एल का नाम हटाया नहीं गया है। यह 5 लाख की, साढ़े 3 लाख की बात कर रहे हैं, बाड़मेर जिले में तो एक भी नहीं किया। आप बता दीजिये अगर एक भी चयन हुआ हो, बाद में निस्तारण हुआ हो अपील का। आप इस तरह से सदन में गलत बयान देकर के जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप यह बताइये कि बाड़मेर जिले में जो भी अपीलें पेश की गई हैं उनका निस्तारण कब तक कर देंगे? आप उनका फैसला कब तक कर देंगे?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने कहा कि स्टार्ट कर दिये तो करो आप घोषणा। घोषणा करो कि 22 लाख परिवार कर दिये, 22 लाख परिवार कर दिये, आपने 17 लाख 36 हजार...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में जो भी अपीलें हुई हैं उनका फैसला कब तक कर देंगे इसका जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया। जवाब तो दे दिया।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, 2-2 साल हो गये लोगों को अपील किये हुए पर उनमें कोई जांच नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं हो, कोई निर्णय नहीं हो, कोई फैसला नहीं हो और वो लोग तहसीलों के चक्कर काट-काट कर परेशान हो गये। अपीलें पेश कर दीं पर अपीलें पेश करने से मिला क्या? उसका फैसला तो आपने नहीं किया। 2-2 साल तक कोई फैसला नहीं हो उसका और कह रहे हैं कि 5 लाख अपीलों का फैसला कर दिया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ... जो घोषित कर दिये उनके ही कार्ड नहीं बनाये अपील वालों को तो छोड़ो आप। इलाज के लिए आदमी रो रहे हैं, तरस रहे हैं। (व्यवधान) एक आदमी का इलाज नहीं करवाया। नये बी पी एल कार्ड वालों में से एक का भी इलाज नहीं करवाया। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मैं कह रहा हूं कि बाड़मेर जिले में एक भी अपील का फैसला नहीं हुआ। वहां पर एक भी अपील का फैसला हुआ तो ये खड़े होकर के जवाब दे दें, बता दें। इनको कुछ पता ही नहीं है कि कहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और सदन में खड़े होकर के ऐसे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, वो एक भी फैसला नहीं हुआ बताते हैं तो आप उनका फैसला तो करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अगर फैसला कर दिया तो वह फैसला बता दीजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य के यहां फैसला नहीं हुआ होगा तो मैं और जल्दी करवा दूंगा। बाकी राजस्थान में फैसले होकर के 5 लाख लोगों के नाम जोड़ने की सूची आ गई है और माननीय सदस्य का बाकी रह गया हो तो मैं और निर्देश दे दूंगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): और जगह हो गया, भाई के दो लुगाई है तो मुझे क्या मिला? मेरे जिले में फैसला करो न।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके जिले का करा दूंगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): किसी कुंआरे को कहा कि तेरी शादी हो गई तो बोला कि मेरे भाई के दो औरत हैं, अब भाई के दो औरत हैं तो उससे उसको क्या फायदा हुआ। सब जिलों में आपने फैसला कर दिया पर हमारे जिले का बी पी एल का एक भी चयन नहीं किया। आप बता दीजिये। एक महीने के अन्दर, 15 दिन के अन्दर, दो महीने के अन्दर, कब तक फैसला करवा देंगे? यह बता दें आप। (व्यवधान) बाड़मेर में जो भी अपीलें पेश हो चुकी हैं उनका फैसला आप कब तक करवा देंगे? जो भी फैसला करवायें, आपकी मर्जी हो वो करायें, सारी अपीलें खारिज कर दें, मुझे मालूम है कि आप खारिज करेंगे पर खारिज तो कर दीजिये, कुछ तो हो जाए, लोगों को यह तो हो जाए कि यह फैसला हो गया है, अब हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। लोग बेचारे तहसीलों में चक्कर काट रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है, जांच नहीं हो रही है और कोई फैसला नहीं हो रहा है। कुछ तो ये बाड़मेर जिले के बारे में बतायें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ... एक आदमी का इलाज नहीं कराया। एक को भी कार्ड नहीं दिया और साल भर हो गया घोषणा किये हुए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि साढ़े 3 लाख, 5 लाख का फैसला हो गया तो बाड़मेर जिले में एक का भी फैसला क्यों नहीं हुआ? सीमावर्ती बाड़मेर जिले के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हेमारामजी ने कहा है कि भाई के दो औरत है तो मुझे क्या फायदा हुआ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): क्या फायदा है उसका? फायदा है क्या उससे?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सही बात कहलाना चाहते हो? वो सही बात कह रहे हैं, आप क्यों पूछना चाहते हैं? (व्यवधान)

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2007 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2007 पारित किया गया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, अब आप निर्णय कर लें कि हाउस कौन नहीं चलने दे रहा है। बैठे हुए हैं प्रतिपक्ष वाले।

श्री अध्यक्ष: कौन नहीं चलने दे रहा है? कौन नहीं चलने दे रहा है? चलने कौन नहीं दे रहा है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम तो फुल टाइम बैठे हुए हैं। हाउस में जो जवाब आया है आज की तारीख में 15 लाख आदमियों ने पैसा खर्च किया है, मतलब एक आदमी ने सौ रुपया खर्च किया है अपील पर, आपको पता है कितने लोगों ने अपील की है? 15 लाख आदमियों ने बी.पी.एल. के लिए एप्लीकेशन दी है, उसमें एक आदमी का 100 रुपया खर्च हुआ। 12 लाख को इन्होंने रिजेक्ट किया है, मतलब पंचायती राज के सम्बन्ध में आज भी कटारिया साहब बैठे हुए हैं, चार साल होने को आये, आपकी रिपोर्ट के बाद अगली सरकार बनेगी, तब काम होगा। मुझे याद है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां हाउस में पहली घोषणा में कहा कि आपकी कमेटी तीन महीने में रिपोर्ट देगी। तीन महीनों का करते-करते आज चार साल के करीब हो गये, माननीय

(डा. सी.पी. जोशी)

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन आपने पास करवाया है, उस संशोधन से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जो आदमी है जिसके पास बहुमत नहीं है, वह आदमी सब चीजें करेगा। आप इस सरकार को निर्देश दें क्योंकि इस बिल को पास तो करना ही है, ऐसे ही पास कर दो, पर कम से कम आप इस भावना को तो अभिव्यक्त करें।

श्री अध्यक्ष: पास तो हो गया, अब क्या है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज तो यह वैसे ही पास है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब इसमें पास होने के बाद क्या बचता है? अब क्या तर्क बचता है?

श्री अध्यक्ष: अब तो पास हो गया है, अब क्या बचा है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा तर्क यह है कि इस पवित्र सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी...

श्री अध्यक्ष: जो ध्वनि मत से एक बार कोई भी बिल पास हो जाता है, विधेयक पास हो जाता है तो उसमें दुबारा फिर कोई सरकार ही वापस लेकर ही बहस हो सकती है, बाकी इसमें क्या हो सकता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, हम वह नहीं कह रहे हैं, हम तो आपसे अपील कर रहे हैं। बिल पास हो गया, इसमें नहीं कह रहे हैं। हम चेयर से यह अपील कर रहे हैं, इस पवित्र सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि कटारिया साहब की कमेटी तीन महीने में रिपोर्ट देगी, आज चार साल होने को आये हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में यह दुबारा नहीं कहा कि कब रिपोर्ट देंगे। आप कम से कम मेहरबानी करके, आपने यह जो विधेयक पास करवाया, उसके लिए धन्यवाद लेकिन सरकार को निर्देश दें... (व्यवधान) उन्होंने जो तीन महीने का एश्योरेंस इस सदन में दिया है, कम से कम इस रिपोर्ट को लेकर लागू तो करें, यह तो आप बात कर सकते हैं। इसका कोई सम्बन्ध नहीं है विधेयक से लेकिन इसकी जो भावना है, उससे सम्बन्ध तो है। यह भी चेयर निर्देश नहीं दे सकती, मैं समझता हूं, निर्देश देने का अधिकार तो हरदम चेयर को रहा है। चेयर ने कब पता नहीं, अपने निर्देश देने के अधिकार को खो दिया, यह मुझे मालूम नहीं है। आपको अधिकार तो हरदम है, आप जब भी चाहें निर्देश दे सकती हैं। आप कम से कम यह निर्देश दें कि पंचायती राज सत्ता का विकेन्द्रीकरण में राजस्थान जो सबसे पहला स्टेट था,

(डा. सी.पी. जोशी)

उस स्टेट को मजबूत होने के लिए इस सरकार के केबिनेट के सीनियर मंत्री की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाई है तो कम से कम उसकी रिपोर्ट तो जल्दी आये, यह तो आप कम से कम निर्देश दे सकते हैं।

श्री अध्यक्षः राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक, 2007, श्री प्रभुलाल जी सैनी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्षः डाक्टर एन.एस. गुर्जर (अनुपस्थित), श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित), श्री मदन राठौड़ (अनुपस्थित), डाक्टर सी.एस. बैद going to be absent (अनुपस्थित), श्री हरिमोहन शर्मा (अनुपस्थित), श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (अनुपस्थित), डाक्टर समरजीत सिंह (अनुपस्थित), श्री जुबेर खान (अनुपस्थित), श्री सी. पी. जोशी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो भी कानून चुने हुए प्रतिनिधित्व को कम करने का कानून होगा, उसका हम विरोध करेंगे। यह जो कानून है, उसमें आपने आलरेडी जो नोमिनेशन एब्सट्रेक्ट राजस्थान को-आपरेटिव सोसायटी एक्ट, 2001, इसके क्लाज 29 में आलरेडी आपने यह लिख रखा है ''...the Government or any authority specified by the Government in this behalf shall have the right to nominate not more than three members on the committee of a co-operative society: ...'' यह प्रोविजन आपने तीन आदमियों को नोमिनेट करने का पहले से ही ले रखा था, अब आप अपेक्स बाडी में दो आदमियों को और जोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब पांच आदमियों को नोमिनेट करने का अपेक्स बाडी में काम करना चाहते हैं तो माननीय सहकारिता मंत्रीजी, पता नहीं आपको यह सोचकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एडिशनल चार्ज दिया, मुझे पता नहीं, परमानेंट किया या नहीं किया, एडिशनल चार्ज इसलिए दिया कि दूसरे मंत्री को हल्का करके आपको भारी करें शरीर के हिसाब से, अब आपको भारी करने के बाद आपने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर दिया। ये पांच आदमी जब इसमें नोमिनेट हो जायेंगे तो फिर

(डा. सी.पी. जोशी)

आप काहे को अपेक्स बाडी का चुनाव करा रहे हैं? यह जो आप जिस गार्ब में प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोकतंत्र में जितने बिल लाये, वह पहला बिल था, उसमें भी यह काम किया गया है, उसमें भी यह किया जा रहा है। आलरेडी तीन आदमियों को नोमिनेट करने का प्रोविजन है, अब अपेक्स बाडी में दो और करना चाहते हैं। पांच करके सरकार अपनी मनमानी को-आपरेटिव के नाम से करना चाहते हैं। फिर यह को-आपरेटिव को बन्द कर दें। मैंने पहले कहा, कटारिया साहब यह पता नहीं आपके मन में क्यों नहीं आ रहा है कि इस सरकार की जितनी सेंट्रलाइज करने की आप ताकत देंगे, उतनी ही आपकी पार्टी कमजोर होगी। यह आज नहीं समझ में आएगा तो कल समझ में आएगा। यह को-आपरेटिव मूवमेंट से हजारों किसानों का इंट्रेस्ट जुड़ा हुआ है। हजारों आदमी इस को-आपरेटिव इलेक्शन में भाग लेते हैं और इलेक्शन में भाग लेकर, को-आपरेटिव का जो बेसिक मूवमेंट है अध्यक्ष महोदय, वह सब आदमी अपना मिलकर काम करें। उनके चुनाव करने का उन्हें अधिकार है। इस को-आपरेटिव सोसायटी में by this amendment हम को-आपरेटिव के मूवमेंट को क्या खतम करना चाहते हैं? मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा काला कानून कोई हो नहीं सकता। आज माननीय मंत्रीजी बतायें, तीन आदमियों का प्रोविजन आपके पास आलरेडी है, उन तीनों को आप अपेक्स में काउंट कर लीजिये, फिर दो एडिशनल की जरूरत क्यों पड़ रही है। आपको दो की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अपेक्स बाडी में, अपेक्स सोसायटी के अन्दर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके बहुमत को खतम करके अपनी मनमानी, पसन्द के आदमी को कैसे चेयरमैन बनायें, उसको लागू करने के लिए यह काम किया जा रहा है।

मैं समझता हूं, यह को-आपरेटिव मूवमेंट को, जिसमें आप भी जुड़े हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो को-आपरेटिव का लॉ बना, उसमें राजस्थान के को-आपरेटिव मूवमेंट के सब आदमी जिसमें रामनिवासजी मिर्धा चेयर पर्सन थे, उसमें जितने भाजपा के को-आपरेटिव के आदमी थे, सबने मिलकर एक आइडल को-आपरेटिव का एक्ट बनाया है। उस एक्ट को सरकार ने अपनी केन्द्रीय प्रवृत्ति के आधार पर, सेन्ट्रलाइज करने के नाम पर यह जो दुस्साहस कर रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा काला धब्बा है और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ है कि आप जैसी विदुषी महिला जो पार्लियामेंटेरियन हैं, कॉमनवैल्थ में आप दबंग हैं, उसकी चेयर पर्सन में ऐसा काला कानून पास हो,

(डा. सी.पी. जोशी)

इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई नहीं हो सकती। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने फिर कहा, इनोवेटिव आइडिया के लिए यह सरकार हरदम याद रखी जायेगी। इनावेटिव आइडिया में आर्थिक कंसीडरेशन को कैसे करना है, इनोवेटिव आइडिया से अपने आदमी को कैसे आब्लाइज करना है, इनोवेटिव आइडिया से लोकतंत्र का कैसे गला घोंटना? इसका यदि कोई उदाहरण हो सकता है तो यह सरकार होगी। इस सरकार का इससे ज्यादा काला कानून लाने का कोई मतलब नहीं हो सकता है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो सरकार को-आपरेटिव डिपार्टमेंट को वाइंड-अप कर दे, कोई तकलीफ नहीं है। वाइंड-अप कर दें, ज्यादा बढ़िया है। लोगों में यह को-आपरेटिव की भावना ही खतम हो जायेगी और यदि यह सरकार यह को-आपरेटिव की भावना को रखना चाहती है तो को -आपरेटिव की भावना का मूल मंत्र है कि उन लोगों को अपना चुनाव करने का, अपना काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। आलरेडी इसमें तीन का है, दो और करके, पांच कर रहे हैं। अब आप मंत्री महोदय बतायें कि इसमें आपने संशोधन कर दिया है। एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और सब क्लास का, यह सब संशोधन है। पहली बार संशोधन हुआ उसमें? तो को-आपरेटिव मूवमेंट को बिलकुल खतम करना चाहते हैं। अपन चाहते नहीं है कि को-आपरेटिव मूवमेंट सस्टेन करें। यानी यह जो पापुलिस्टिक मेजर्स ले रहे हैं, किस बात के ले रहे हैं? मैं समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज नहीं समझ रहे हैं, पर अच्छा है, एक साल बाद समझ जायेंगे। यह कोई 50 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मिली है, एक साल बाद इसी कानून के अन्तर्गत जब आपके आदमी चुनाव जीतकर आयेंगे और वह उस समय की सरकार यदि फैसला करेगी तब मालूम पड़ेगा कि इस नियम से क्या नुकसान हुआ है? इसलिए मेहरबानी करके ऐसा नियम नहीं बनायें, जिस नियम में आगे आप ही तकलीफ में आओ। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सैक्शन (29) के अन्दर जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन में तीन आदमियों में से एक आदमी जो आप एक्सपर्ट चाहते हैं, उसको इनक्लूड कर दें लेकिन अपेक्स सोसायटी के नाम पर पाँच आदमी करके लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों को आप रोकना चाहते हैं, उस काम को आप नहीं करें और यह आपने तीन आदमी को गवर्नमेंट सर्वेन्ट के नाम पर कर रखे हैं, दो आदमी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रख

(डा. सी.पी. जोशी)

देना, पांच आदमी हो गये तो उन आदमियों को नोमिनेट करेंगे उसमें। एक और खतरा है माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन पर तो राइडर डाल रखा है अध्यक्ष महोदय, तीन में लिख रखा है – "...the Government or any authority specified by the Government in this behalf shall have the right to nominate not more than three members on the committee of a co-operative society : Provided that such nominees shall only be Government servants." यह तीन आदमी तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट होंगे, दो आदमी पर यह राइडर नहीं है तो दो आदमी को छद्म रूप में लाकर उनको इलेक्ट बनाने की व्यवस्था की जा रही है, मैं समझता हूं, इससे बड़ा अमेंडमेंट में और क्या चीज हो सकती है? मैं समझता हूं, केबिनेट के इतने मंत्री बैठे हुए हैं, उसके बाद यदि यह कह दो कि लोकतंत्र का गला ही घोंटना है, तो हमारा गला तो घोंट लेना अभी, आपका गला घुट रहा है, वह महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत अपने संस्कार लेकर, पार्टी को मजबूत करके सत्ता में आये थे, अब तो गला घुट रहा है, यह मालूम है कि नहीं है? यह गला जो आपका घुट रहा है, फिर आने वाले समय में ऐसे कार्यकर्त्ताओं का गला घुटेगा जो को-आपरेटिव का काम कर रहे थे इसलिए मेहरबानी करके ऐसा काला कानून नहीं बनायें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जब तक यह कानून में आप अमेंडमेंट नहीं करना चाहते हैं, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये और सलेक्ट कमेटी को दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल. Are you interested in speaking?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के प्रस्ताव को मैं वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा (अनुपस्थित) डाक्टर बी.डी. कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में मैंने प्रवर समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव दिया है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यस, यस। करिये तो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला: इस एक्ट की धारा 29(1) में पहले से आलरेडी प्रावधान किया हुआ है कि तीन लोक सेवकों को सरकार नोमिनेट करेगी। सहकारिता का सिद्धांत आप हमसे ज्यादा जानते हैं, एक सब के लिए और सब एक के लिए। लेकिन यह सहकारी संस्थाओं का सरकारीकरण किया जा रहा है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पांच-पांच आदमी आप नोमिनेट कर देंगे, 29(1) के बाद में 29(2) का अंत:स्थापन करके यह सहकारी संस्थाओं का गला घोंट रहे हैं और मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, आप एक्ट बना दें, बहुमत के बल पर पास कर दें लेकिन नवम्बर में जनता तैयार खड़ी है, ऐसे संशोधनों को करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे वह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: नवम्बर से पहले यह जो चुनाव हैं फरवरी में, उसमें सूपड़ा आपका साफ होगा, वह देखना आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला: उसमें सूपड़ा साफ आपका होगा, हमारा नहीं होगा। हम तो चार से कम से कम पच्चीस पर आयेंगे, हमारी चार से संख्या पच्चीस होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली की सरकार यों फुस्स, यों जायेगी। जाने वाली है वह।

डा. बुलाकीदास कल्ला: सवाल ही नहीं है। दिल्ली की सरकार इससे और मजबूत होगी।

श्री हरिमोहन शर्मा: राजस्थान की जानी तो आप स्वयं मान रहे हैं न कि राजस्थान की तो अपनी जायेगी ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: उसके पहले तो वह सुलट जायेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा: दिल्ली से थोड़े ही लेना-देना है, राजस्थान की सरकार जाने की तो आप मान चुके हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला: नहीं-नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: वह नवम्बर देखेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला: अब स्पष्ट बहुमत से आयेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा: आप राजनाथ सिंहजी के सामने स्पष्ट कह चुके हैं कि नेतृत्व यही रहेगा तो यह सरकार जायेगी ही जायेगी, जायेगी, जायेगी। अभी राजस्थान की बात तो करो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: पहले तो दिल्ली में आप नेतृत्व परिवर्तन कर लो, दोनों में से दोनों का, वरना वहां काम सलट गया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: नहीं-नहीं, कोई...

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अब वहां सरकार नाममात्र की है, सरकार है नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा: नेतृत्व परिवर्तन तो करने की मांग आपकी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला: हमारी सरकार है, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है और आने वाले वक्त पर जब भी चुनाव होंगे, स्पष्ट बहुमत के साथ आयेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा: वहां तो सोनिया गांधी जिंदाबाद है। नेतृत्व परिवर्तन की बात आप करो और परदे के पीछे नहीं, खुले करो, अब कहते हो तो उसको मनवाओ। आपने की है राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात। आप उससे क्यों पीछे हट रहे हो और हम यह मानते हैं कि आपकी मांग बिलकुल सही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक): थोड़े से दिनों में नाम लेना भूल जाओगे। थोड़े से दिनों बाद नाम लेना भूल जाओगे, सोनिया गांधी का नाम लेना भूल जाओगे जैसे वह भैंस पर छिछड़े आ जाते हैं न, वैसे होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा: अगर नेतृत्व यही रहा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, इस बात से इन्कार नहीं कर सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: एक हुआ ऐसा है, आपके साथ हुआ ऐसा है कि आपका जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसके ब्रेक तो वामपंथियों के पास है, शट-ब्रेक लगा देते हैं और उसका जो स्टियरिंग है न, वह सोनिया गांधी के पास है। गाड़ी डगमग, डगमग हो रही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला: कोई डगमग नहीं हो रही है। आपके राजस्थान की तो हवा ही निकल गई है।

श्री हरिमोहन शर्मा: और आपका जो ड्राइवर, जो आपकी गाड़ी चला रहा है, हमारा तो उस ड्राइवर में विश्वास है...

डा. बुलाकीदास कल्ला: केन्द्र में सरकार का कुछ भी नहीं होगा और जो आपने बात कही है, निराधार है।

श्री हरिमोहन शर्मा: आपका तो जो ड्राइवर चला रहा है उससे ही एक्सीडेंट का खतरा महसूस कर रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: हमारे ड्राइवर के पास एक्सीलरेटर और स्टियरिंग दोनों मजबूत हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा: जो पुराने किलों की दुर्गति हुई और आप लोगों की हो रही है, जो पुराने किलों की और आपकी दुर्गति हो रही है, आप खुद ही बदल दोगे सरकार तो।

एक माननीय सदस्य: यह जिस गाड़ी में बैठे हैं उस गाड़ी का ब्रेक ही नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: पुराने किलों को संरक्षित किया जा रहा है और उनको देखने के लिए सारे राज्य में पर्यटक आ रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा: आप कितनी ही परीक्षा दो और कितना ही यहां बोलो लेकिन नेतृत्व की नजर में आप लोग अविश्वसनीय हो और इस सरकार को और इस नेतृत्व को बदलने वाले लोगों में प्रमुख लोग आप हो। अब आप वफादारी का नाटक यहां करो तो जनता नहीं मानेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन: नाटक किस बात का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: चलो, बैठो अब।

श्री हरिमोहन शर्मा: वफादारी का।

श्री महावीर प्रसाद जैन: हम जो हैं अपनी वफादारी, हमारी वफादारी के प्रति कोई डाउट नहीं है सारे हिंदुस्तान में, न राज्य में है, न हिंदुस्तान में है।

श्री हरिमोहन शर्मा: यही, हम भी यही कह रहे हैं कि आपकी वफादारी का नेतृत्व नहीं चल रहा है और इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, वही।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: हमारी वफादारी सुदृढ़ है, हम सब नेतृत्व सहित पंथ निष्ठाओं में विश्वास करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अब मतदान कराओ साहब। बस, मतदान करवाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन: वह हमारी प्रतिज्ञा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: कल्ला साहब, बिराजें अब।

श्री अध्यक्ष: 9.34 हो गये, अब करो इसको।

डा. बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी...

श्री अध्यक्ष: अब क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला: केन्द्र सरकार के बारे में वह बातें कह रहे थे, बिलकुल निराधार है और मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने खुद ने

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कहा था कि आपकी सरकार की सेज की पालिसी ट्रांसपरेंट नहीं है, उसका समर्थन गृह मंत्रीजी ने किया, उद्योग मंत्रीजी ने भी किया था और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आप चुप होकर के बैठ गये। मैं तो चाहता हूं कि उन बातों को आपको खुलासा करना चाहिए था कि सेज की नीति ट्रांसपरेंट क्यों नहीं थी, उसके बारे में आपको प्रकाश डालना चाहिए था।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह सेंट्रल की पालिसी है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने बातें कही हैं उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी था।

श्री अध्यक्ष: तो बोलिये आप, सब्जेक्ट पर आइये।

डा. बुलाकीदास कल्ला: सहकारिता के चुनाव पूरे राजस्थान में हम लोगों ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की और वहां चुनाव करवाये। उसके बाद सरकार पर दवाब डाल कर सहकारी समितियों के चुनाव कराये, उसके रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आ गये, कांग्रेस पार्टी के लोग ज्यादा जीते तब सरकार ने इस चुनाव को बीच में रोक दिया। अब उस चुनाव में इनके लोग कैसे आयें अपेक्स बाडीज में, उसके लिए अमेंडमेंट लाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह कानून बिलकुल अलोकतांत्रिक है। पांच-पांच आदमियों का नोमिनेशन किया जाय, आप इसके साथ एक यह अमेंडमेंट क्यों नहीं लाते कि जो नोमिनेटेड लोग हैं वह चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष: वह ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला: लेकिन पांच आदमियों का नोमिनेशन करके आप किसी संस्था में भेज दो, फिर वह इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है, यह तो इलेक्शन का नाटक हो गया। कृषि उपज मण्डियों में भी आपने यही किया। जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वह तो बेचारे बैठे रह गये और आपने नोमिनेशन करके अपना एक कृत्रिम तरीके से बहुमत बना लिया...

श्री महावीर प्रसाद जैन: और आप समझ ही नहीं पाये, बोले ही नहीं उस पर, उस पर बोले ही नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला: और बना करके कृषि उपज मण्डियों में जो ग्रामीण इलाके से जीतकर लोग आये थे, आप विराज जायें...

श्री हरिमोहन शर्मा: एक जिले के होते हुए भी आप प्रभुलालजी को समझ पाये क्या। न वह समझ पाये, न आप समझ पाये।

श्री महावीर प्रसाद जैन: ऐसा है प्रभुलालजी को मैंने पूरा समझा हुआ है, इनसे पूछ लो।

श्री हरिमोहन शर्मा: आपके दुःख में हम भी भागीदार हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन: और यह मुझे अच्छी तरह जानते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा: आपको इनसे जो पीड़ा है उसमें आपके साथ भागीदार हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन: मुझे किसी से पीड़ा नहीं है, न आपसे है, न इनसे है।

श्री हरिमोहन शर्मा: नहीं, मुझसे तो क्यों होगी, मुझसे तो क्यों होगी, मिनिस्टर नहीं बनने की इनकी वजह से आपको ही होगी, मुझे होगी क्या।

श्री महावीर प्रसाद जैन: मिनिस्टर बनाने वाले यह हैं क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा: और नहीं तो?

श्री महावीर प्रसाद जैन: मिनिस्टर बनाने वाले यह हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा: हां-हां। नहीं तो?

डा. **बुलाकीदास कल्ला**: जो नहीं बना रहे हैं उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं यह।

श्री हरिमोहन शर्मा: एक जिले में एक...

डा. **बुलाकीदास कल्ला**: जो नहीं बना रहे हैं उनके खिलाफ यह संघर्ष कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत बीच-बीच में बोल रहे हैं।

डा. **बुलाकीदास कल्ला**: यह भी तो बोल रहे हैं, आप चीफ व्हिप को भी कहिये कि वह बीच में क्यों बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पैंतीस मिनट हो गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन: उनका जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष: वह इतना नहीं बोल रहे हैं जितना वह बार-बार उठ रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला: वह भी बोल रहे हैं, जो भी बोले वह।

श्री हरिमोहन शर्मा: हमारी आवाज तेज है उनकी कमजोर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह आवाज टेस्ट करवा लो।

श्री अध्यक्ष: आप भी बीच में नहीं बोलें अब।

डा. बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, धारा 29(1) के बाद 29(2) का अंत:स्थापन जो किया गया है वह गैर लोकतांत्रिक है और इस गैर लोकतांत्रिक कदम का हम विरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला: इस नोमिनेशन को जो यह कर रहे हैं इनको चुनाव में कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के अलोकतांत्रिक कानून को हम कभी भी समर्थन नहीं दे सकते, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाय ताकि प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट देकर इस कानून को सही ढंग से बना सके।

श्री अध्यक्ष: ठीक बात है। चलिये, मंत्रीजी। मंत्रीजी। (व्यवधान) नहीं-नहीं, हां, पहले जनमत का लेंगे। प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी..

डा. बुलाकीदास कल्ला: जवाब नहीं देंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, आप उत्तर तो दें। आप उत्तर दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़: पहले जनमत वाला खारिज तो कराओ।

श्री अध्यक्ष: जनमत का ऐसे कैसे होगा। पहले यह जवाब देंगे, तब करवायेंगे न।

श्री प्रभुलाल सैनी (सहकारिता मंत्री): दोनों एक साथ कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़: पहले जनमत जानने वाले का प्रस्ताव है।

डा. बुलाकीदास कल्ला: नहीं, पहले यह जवाब दें उसके बाद। डिबेट के बाद।

श्री अध्यक्ष: पहले प्रभारी मंत्री जवाब देंगे, जनमत का भी देंगे और प्रवर समिति का भी देंगे, उसके बाद फिर आगे पारित किया जायेगा, दोनों का।

श्री प्रभुलाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार-विमर्श हो रहा है। नाथद्वारा से

(श्री प्रभुलाल सैनी)

आने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने इसको जनमत जानने के लिए अपना प्रस्ताव रखा है और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है, इस संदर्भ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स और जो रीजन्स हैं, यदि हम उनको अध्ययन करें, हम उनको पढ़ें तो यह स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जनमत जानने की और प्रवर समिति को सौंपने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। इसके पीछे यह है कि आज के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, आज के इस उदारीकरण के युग में जब हमारी अपेक्स बॉडीज है उनमें उत्पादन के क्षेत्र में विपणन के क्षेत्र में और अच्छे प्रबंधन के क्षेत्र में कई प्रकार के काम अभी राजस्थान में किए जा रहे हैं और इस विधेयक का मात्र एक ही उद्देश्य यह है कि हमारी जो अपेक्स बॉडीज है जिनमें ऐसे विषय विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए जिनकी वजह से उन संस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जाकर सहकारी संस्था जो मोमेंट है उसको और अधिक मजबूत किया जाए। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार के प्रस्ताव इन्होंने चाहे हैं वह स्वीकार योग्य नहीं हैं और मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत जो प्रावधान दिए हुए हैं उसमें तीन व्यक्तियों के, सरकारी व्यक्तियों के नोमिनेशन का अभी प्रावधान किया हुआ है उनके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा जैसा माननीय सदस्य अभी इस प्रकार की निर्मूल शंका कर रहे थे कि तीन सदस्य सरकारी हो जाएंगे और दो एक्सपर्टीज और नियुक्त कर दिए जाएंगे तो लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाएगा, माननीय अध्यक्ष महोदय यह शंका बिलकुल निर्मूल है। इस विधेयक का यह उद्देश्य नहीं है, इस विधेयक का मात्र यही एक उद्देश्य है कि हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है...

श्री अध्यक्ष: उद्देश्य क्या है यह तो बताओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो यह बता दो इनको वोटिंग का राइट है कि नहीं है, वोटिंग राइट है कि नहीं है यह बता दो, वोटिंग राइट नहीं है जब तो कोई बात नहीं है, वोटिंग राइट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? सीधी बात करो आप।

श्री अध्यक्ष: आपके कहने का उद्देश्य क्या है?

श्री रामलाल (बनेड़ा): पहले ही ...(व्यवधान) पर एक मंत्री खा ही रहा है, एक दूसरे का बेटा खा ही रहा है फिर और दूसरे शुरू हो जाएंगे यह अरबी घोड़े दो तीन अरबी घोड़ों के कहने से चल रहे हैं आप ...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यही बात मैं प्रतिपक्ष से पूछो ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): पूरे कागज हैं मेरे पास...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह पासिंग रिमार्क कर रहे हैं आज सुबह भी इन्होंने किया या तो सीधा इंगित करके नोटिस देकर बात करें तो मैं इनकी बात का जवाब दूं, अगर इनको कुछ शंकाएं हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपके लिए थोड़े ही कहा है कुछ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने कहा ना अभी ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): पूरे अख़बार बोल रहे हैं, पूरे राजस्थान के अख़बार बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मतलब कब तक हम इनकी बेबुनियाद बात को सुनते रहेंगे? अगर आप अनुमति दे तो मैं जवाब दे देता इस बात का ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): यह कह रहे हैं पराक्रम सरकार, माल बरखुरदार का, आर मिंस राठौड़, सी मिंस कमाई, डी मिंस डेयरी, एफ मिंस फेडरेशन, पूरा राजस्थान का अख़बार बोल रहा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष: आपको दूंगी समय आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कोई बात हुई अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): 50 पैसे पर लीटर पर हिन्दुस्तान में पैकिंग नहीं हो रही है, एक राजस्थान डेयरी फेडरेशन के मंत्री के ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह किस तरह की बातें करते हैं अध्यक्ष महोदय यह नई परिपाटी बनेगी, मैं जवाब दूंगा इस बात का ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): मंत्री जेल में जाएगा, कोई सबूत नहीं है, सारा कागज उस समय के चैयरमेन गणेशाराम तत्कालीन ...(व्यवधान) उसकी जांच कराइए।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना किसी आधार के अखबरों के आधार पर अनर्गल रूप से सदन में बोलना, बिना नियम व प्रक्रियाओं के बोलना उचित नहीं है।

श्री रामलाल (बनेड़ा): ...(व्यवधान) मैं कहता हूं जांच कराइए ...(व्यवधान) पूरी रिपोर्ट हैं...

श्री अध्यक्ष: सराड़ा से आते हैं क्या ये माननीय सदस्य कहां से आते हैं ये ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): पूरी रिपोर्ट है टेंडर कब हुए? किस तरह टेंडर को बढ़ाया जा रहा है? किस तरह से घटाया जा रहा है मंत्रीजी जवाब दें। अभी जो नया प्लांट का टेंडर किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य आप किस विषय पर बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं आप? न आपका जनमत का था और न आपका कोई प्रवर समिति को सुपुर्द करने का था, ऐसे ही खड़े होकर आप बोलने लग जाते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप?

स्पष्टीकरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ सार्वजनिक निर्माण मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब मेरा नाम अंकित किया तो मैं उचित समझता हूं कि मैं सदन के अंदर सारी बात स्पष्ट करूं और उसके बाद अगर इनको कोई बात पूछनी हो तो निश्चित तौर पर पूछें। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में दूसरा ऐसा मामला आया है, आज मुझसे पहले एक माननीय मंत्रीजी को आरोपित करने की कोशिश की कि सजायाफ्ता है आज माननीय सदस्य ने चलते-चलते ही रिमार्क किया है, राजस्थान की डेयरी मेरा पुत्र खा रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं खुलासा करना चाहता हूं कि आज मैं मंत्री हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पुत्र को कोई व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, 22 जुलाई, 2000 को जयपुर डेयरी में खुली

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निविदायें हुई। 22 जुलाई, 2000 को जब कांग्रेस का शासन था उस समय खुली निविदाओं में न्यूनतम जो पैकिंग की यूनिट आई थी उसको कार्यादेश दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 6.8.2003 को उस समय भी कांग्रेस का राज था उसमें अनुबंध की शर्त एक के अनुसार उसका कार्यकाल बढ़ाया गया और अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 11 जुलाई, 2005 उस समय चूंकि इसके अंदर एक क्लॉज था दोनों की सहमति के आधार पर अगर कार्य ठीक हुआ तो उस अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है 2005 में भी अनुबंध बढ़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद वापस 8 अप्रैल, 2005 को एक बार दुबारा निविदायें आई, निविदाओं में जो न्यूनतम आया उसने अपनी जो डिपोजिट था उसको फोरफिट कराया और आया नहीं बार-बार कहने के बाद और उसके बाद दुबारा खुली निविदा हुई जून, 2007 में, जून, 2007 में जो खुली निविदायें हुई। उन खुली निविदाओं के अंदर दस निविदा फार्म बिके छह निविदा लोगों ने भाग लिया और उसमें जो न्यूनतम आया उसको अगर कार्यादेश मिल गया। क्या गुनाह कर दिया अध्यक्ष महोदय, अगर कोई अनियमितता हुई, कांग्रेस के शासन में सबसे पहले निविदा हुई, पहला एक्सटेंशन कांग्रेस के शासन में हुआ, यह आज जिस तरह की छीछालेदर हो रही है अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं शर्म की बात है। बिना बेबुनियाद कोई भी आरोप जड़ दे और सदन का उपयोग इस तरह से करें अगर इनको किसी तरह की राजनीतिक द्वेषता इनके मन में है आरसीडीएफ के चैयरमैन बनना चाह रहे थे वह चैयरमैन का पद इनके हाथ से निकल गया। इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा दे, मैं समझता हूं शर्म की बात है। इस तरह की बात करते हैं।

श्री रामलाल (बनेड़ा): यह उस समय तत्कालीन अध्यक्ष हैं जिसकी रिपोर्ट मुख्य मंत्रीजी को दी, उस समय के तत्काल मुख्य मंत्री ने जांच करवाई, उसने साफ लिख रखा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या लिखा है उसमें ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): उस समय से एक-एक क्वालिटी के आदमी को एक-एक क्वालिटी के अधिकारी को लगा रखा है आज तक उसका ट्रांसफर नहीं होने दिया ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आप अध्यक्ष महोदय, विषयान्तर हो रहे हैं, मैं मेरे मामले में ...(व्यवधान) क्या मतलब है इस बात का ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): आज जांच कराइए, आप में हिम्मत है इस बात की, आप जांच कराइए, आप पेनहेल्ट कराइए कि जांच कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: आप कैसे बोल रहे हैं यहां? या तो 273 के ...(व्यवधान) न आपने जनमत जानने के लिए अपना संशोधन दिया, न आपने प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए अपना संशोधन दिया, ऐसे ही खड़े होकर बोलने लगे आप, आप बोल कैसे रहे हो?

श्री रामलाल (बनेड़ा): उसको बढ़ाया ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान में कहीं पैकिंग नहीं हो रही है पचास पैसे प्रति लीटर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसका क्या मतलब हुआ ...(व्यवधान) घर का राज बना रखा है क्या? अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अच्छा रहेगा ...(व्यवधान)....

श्री रामलाल (बनेड़ा): मेवाड़ फूड्स पैकिंग स्टेशनर्स जिनको 45-50 पैसा प्रति लीटर पैकिंग हो रही है, कहीं हिन्दुस्तान में पैकिंग ...(व्यवधान).... पूरे पशुपालन को खा गया। जांच कराइए आप, जांच कराइए न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, कराइए ना जांच, जांच कराइए बात करते हो बिना मतलब की ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): जांच कराओ ना आप, आप मंत्रीजी को सौपों जांच, कमेटी बनाकर के जांच सौपों आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अंदर ...(व्यवधान) दुबारा निविदा हुई ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): आपको ईष्टदेव की कसम है जांच कराइए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) बिना मतलब की बात कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और धमका ज्यादा रहे हैं, आप धमका ज्यादा रहे हैं और बात कम बता रहे हो?

श्री रामलाल (बनेड़ा): आप कटारियाजी को जांच सौंप दो हम सहमत हैं, जांच सौंपों, एक करोड़ रुपए पर मंथ के राजस्थान के किसानों का खा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जांच की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप अपने वैश्म में इनको बुलाओ, मुझे बुलाओ, सारे कागज पत्रादि देखो और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, अगर कोई अनियमितता हुई है, कहीं पद का दुरूपयोग हुआ है तो मैं सदन छोड़कर के चला जाऊंगा।

श्री रामलाल (बनेड़ा): आप तो आपके सिनियर मंत्रीजी की अध्यक्षता में कमेटी बना दें, आपके सीनियर मंत्रीजी की अध्यक्षता में कमेटी बना दें हमें मंजूर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं सदन छोड़कर जाने को तैयार हूं यह बेबुनियाद बात अगर कोई ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): आप तो जांच करवा दीजिए, आपके सीनियर मंत्री, होम मिनिस्टर चाहे प्रभुलाल सैनीजी की अध्यक्षता में कमेटी बना दें ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आपके वैश्म में आप अपने कागज दे दें, मंत्रीजी अपने कागज दिखा देंगे उसमें कोई गलती होगी तो स्पीकर साहब पर विश्वास नहीं है क्या आपको?

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आ जाना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पर इन्होंने जो आरोप लगाया है वह एक्सपंज कराओ अध्यक्ष महोदय, यह अधिकार इनका नहीं है, बिना किसी आधार के आरोप लगाने का अधिकार इनको नहीं है ...(व्यवधान) अगर आप यह प्रमाणित कर दें आज गुजरात की डेयरी, मदर डेयरी और अभी आपने जोधपुर में जो निविदायें की हैं ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): आपको जो टेंडर देने वाला है एमडी, रिलायंस डेयरी का एमडी राजस्थान का बना हुआ है। उसी की रेट का कंपीटीशन कर रहे हैं, आपको जो टेंडर देने वाला एमडी रिलायंस डेयरी का एमडी बना हुआ है जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो, कोपरेटिव मूवमेंट की ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके पेट में जो दर्द है मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) यह बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।

श्री रामलाल (बनेड़ा): करोड़ों रुपए खा रहे हैं मेरे क्या दर्द है ...(व्यवधान) यह किसानों का दर्द हो रहा है ...(व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं आप जांच कराइए, आपकी सरकार में जांच कराइए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कांग्रेस के राज के अंदर, कांग्रेस के राज में निविदाएं हुई, कांग्रेस के राज में एक्सटेंशन हुआ, राज लिए बैठे रहे ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): एक साल, दो साल कांग्रेस का राज तो गये बरसों हो गये, टेंडर कब होता, कितनी निविदाएं आती उसके अंदर ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी वैसे ही आक्रोश में आ रहे हैं कोई बीपी बढ़ जाएगा मुख्य मंत्रीजी से मिलने जाना है इनको, महावीर प्रसादजी ने जो प्रस्ताव रखा है, चीफ व्हिप पार्टी ने रखा उससे सहमत है। यह भी कागज रख देंगे, आप भी कागज रखें, दोनों आप पर छोड़ते हैं, आप ही फैसला कर देना।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह विषय से कहां ले गये? इस पूरी चीज को, कहां लेना-देना है इसका? इस चीज का क्या मतलब है? इस तरह के इज्लाम क्यों लगाए? कैसे आरोप लगा रहे हैं?

श्री रामलाल (बनेड़ा): आप तो किसान हो मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने ही ठेका ले रखा है क्या किसानों का?

श्री रामलाल (बनेड़ा): ...(व्यवधान) यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बात करते हो ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इन चीजों की जरूरत नहीं है...

श्री रामलाल (बनेड़ा): इसकी पैरवी कर रहे हो ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं। जो बात कह दी कि उनके तथ्य वो रख देंगे और उनके वो रख देंगे और जैसा महावीरजी जैन ने कहा सामने आ जाएगी बात। बात खतम। कोई आरोप नहीं। बात खतम हुई। काहे की बात कर रहे हो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीज एक्सपंज करवायें क्योंकि इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये तो स्वयं राठौड़जी ने ही कहा है उसमें मैं भी बीच में नहीं हूं और ये अप्रासंगिक मामला है ...

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके चीफ व्हिप की बात हम मान रहे हैं इससे बड़ी हमसे क्या आशा कर रहे हैं हम तो आपकी बात को मान रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां बिलकुल मानो।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कोई आरोप नहीं है आपके इस प्रस्ताव को माने बाकी सब डिलीट कर दो। आपके प्रस्ताव को मानते हैं कि ये भी कागज रख देंगे और ये भी कागज रख देंगे और अध्यक्षजी फैसला कर लेंगे। काहे को आरोप लगाते हैं किसी पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर कागज रख देंगे और ये आरोप को प्रमाणित नहीं कर पाये तो ?

श्री रामलाल (बनेड़ा): हां, तैयार हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दे देंगे इस्तीफा?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ये लोकतंत्र में तो नहीं होता है। लोकतंत्र में सर्टिफिकेट मिल जाएगा ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): हम देंगे इस्तीफा ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बैठो रामलालजी। लोकतंत्र में माननीय मंत्रीजी तो नहीं होता है। आपकी धवल छवि बनकर सामने आ जाएगी और पता पड़ जाएगा कि ये जिम्मेदारी से आरोप नहीं लगाते उससे आपको फायदा मिलेगा। इससे बढ़िया और फायदा क्या होगा। बात खतम।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं, यह तय हो जाए आप इस्तीफा दे देंगे न? उसमें क्या है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, दे देंगे। आप तो यहां लिखवाओ चलो। आप लिखवाओ। हां, मैं लिखवाता हूं, आप लिखवा रहे हो क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जब वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: कहां आप इस्तीफे की बात कर रहे हो फालतू में ।

डा. **सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): लिखवा दो आप इनसे। आप लिखवा रहे हो क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जब वो कह रहे हैं कि हमको मंजूर है ...(व्यवधान) इस्तीफा दे देंगे।

डा. **सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): आप अपने मित्र को, अपने साथी को क्यों कह रहे हो? बात हो गयी न।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): स्वीकार उन्होंने कहा है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई ऐसी बात नहीं है सीपी साहब, कोई ऐसी बात नहीं है जिस बात को आप कहो कि मैं कोई डर के पीछे हट रहा हूं । मैंने जो तथ्य रखे हैं ..

डा. **सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): राजेन्द्रजी, मैं आपका सम्मान करता हूं मैं सम्मान करता हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं सारे कागज आपको सौंप देता हूं मैं सारे कागज आपको सौंप देता हूं ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा): ...(व्यवधान) चुनकर भेजते हैं ...(व्यवधान)

डा. **सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): रामलालजी, बैठो न एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं सीपी साहब कागज आपको सौंप देता हूं आप तय कर देना न । आप तय कर देना।

डा. **सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): मैं क्या कह रहा हूं आपको, मेरी बात से गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? ये किसान प्रतिनिधि हैं, इनको महसूस हो रहा है कि जो पैकिंग चार्जेज ज्यादा है वो कम हो सकते हैं यही तो बात है आप उसमें दुःखी क्यों हो रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं? ये चीज हो सकती है कि यदि पैकिंग के चार्जेज कम हो सकते है ज्यादा हो रहे हैं तो पता पड़ जाएगा बात खतम हुई। इसमें वक्तव्य चेंज क्यों कर रहे हैं आप? आप भी सार्वजनिक जीवन में है गुस्सा करने की जरूरत नहीं है कोई बात इनके मन में है उन्होंने कह दी, आप गुस्सा किस बात पर कर रहे हैं? आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं इस बात पर?

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये चलिये। अब आप शोर क्यों मचा रहे हैं?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीच में जिस प्रकार का प्रकरण आ गया इस प्रकरण की समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी

(श्री प्रभुलाल सैनी)

जानकारी मिली थी और इस सारे प्रकरण की मैंने भी फाइलें देखी हैं जानकारी की है जिस के बारे में ...(व्यवधान) जब विषय आया है तो मुझे बोलने दें न।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप इस पर शुरू कर रहे हैं तो शुरू करें फिर ...(व्यवधान) बिल पर आ जाएं ...(व्यवधान) जब मंत्रीजी बोल चुके हैं बात कर चुके हैं फिर आप कह रहे हैं आप अपनी बात शुरू करें बिल पर ...(व्यवधान) आप तो दो बातों का जवाब दे दें नंबर-1 ये दो आदमी चुनाव लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे, पांच क्यों कर रहे हैं? बात खतम करो। बात खतम हुई।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): आप सुनना ही नहीं चाहते इसलिए ये जो आरोप-प्रत्यारोप ये फिजूल की बातें हैं । कांग्रेस के राज में ही इनको टेण्डर दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष: वो तो छोड़िये बात। उन्होंने स्पष्ट कर दिया। कर दिया स्पष्ट उन्होंने अब आप काहे को। आप तो पांच आदमियों का नोमिनेशन क्यों आवश्यक है यह बता दो बस।

श्री रघुवीरसिंह मीणा (सराड़ा): ...(व्यवधान) वोट करेंगे कि नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: क्या मंशा है उसके पीछे?

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपका निर्देश है जिन पांच आदमियों के चुनाव में भाग लेने की आप बात कर रहे हैं, 2001 में तीन व्यक्तियों का नोमिनेशन तो जब ये सत्ता में थे इन्होंने किया था।

श्री अध्यक्ष: दो का आपने कर दिया। कुछ कमजोर इन्होंने किया था आपने और ज्यादा कर दिया।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब ये नहीं है या फिर अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा कहें कि मैं एक लाइन

(श्री प्रभुलाल सैनी)

में कह कर समाप्त करूं कि इसको पारित किया जाए या तो आप मेरी बात को मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझें। अभी जो दो व्यक्तियों का एक्सपर्टीज का जो मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट होंगे जो प्रोडक्शन में स्पेशलिस्ट होंगे या मेनेजमेंट के जो एक्सपर्टस हैं हम लोग उनके मनोनयन की बात इस विधेयक के माध्यम से कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वोटिंग राइट है कि नहीं है आप तो बतायें कि वोटिंग राइट है कि नहीं?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): नहीं तो आगे आ रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर वोटिंग राइट नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप वोटिंग राइट की बात करें। अगर वोटिंग राइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप चार नोमीनेट कर दें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ये तीन सरकारी आदमी हैं दो में रख लो न एक्सपर्ट तीन सरकारी कर्मचारी क्यों रख रखे हैं? आप जब एक्सपर्ट आपके पास हैं तो तीन सरकारी कर्मचारी क्यों रखे हैं आपने? (व्यवधान) तीन आदमी रख दिये, दो रख दिये बंदरबांट है क्या ...(व्यवधान) आपका तीन का एक्ट का प्रोविजन है उन तीन में से दो आदमी रख दीजिये न आप।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): आप माननीय सदस्य, सुनें तो सही मेरी बात। जो दो एक्सपर्ट सदस्यों को हम चुनने जा रहे हैं, उन तीन व्यक्तियों को भी वोटिंग अधिकार नहीं है जो पहले नामिनेट थे ।

श्री अध्यक्षः चुनने नहीं जा रहे हैं आप नोमिनेट करने जा रहे हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): और इन दो व्यक्तियों को भी इसमें चेयरमेन के लिए वोट देने का कोई अधिकार नहीं है और न ही खड़े होने का इनको अधिकार है।

श्री अध्यक्षः ठीक है खतम हुई बात।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): ये मात्र हमारे अपेक्स बॉडीज हैं उनको हम सशक्त करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्षः ठीक है जब वोटिंग देने का अधिकार ही नहीं है तो ठीक है न क्या दिक्कत है आपको?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): और इन कोपरेटिव संस्थाओं को मजबूत करने के लिए ये विधेयक लेकर आये हैं इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: नहीं लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उनको, they will not have the right of vote.

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): नहीं-नहीं, आप संतुष्ट कैसे हों पहले यह बता दें क्या चाहते हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब वोटिंग राइट दिया गया तो प्रिविलेज ले आएंगे हम। अब वोटिंग राइट दे दिया तो प्रिविलेज आ जाएगा इनके खिलाफ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी, ...(व्यवधान) दो सदस्य जो हैं न वो चुनाव लड़ेंगे न उनको वोट देने का अधिकार है इस आश्वासन पर बिल पास किया जा रहा है और यदि नहीं होता है तो इनके खिलाफ प्रिविलेज लाएंगे। पास कराओ आप ।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि विधान सभा को मजाक बना रखा है बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को फिर उठा रहे हैं जब मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि न ये खड़े हो सकते हैं न अध्यक्ष बन सकते हैं न ये वोट दे सकते हैं ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी, आपके कहने से कानून नहीं बनता है कानून में जो प्रोविजन है उसका इंटरप्रिटेशन जज करता है । आपको कानून बनाने का अधिकार है कानून का इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार जूडिशियरी को है। यदि आपने इसमें नहीं लिखा है तो वो खड़ा हो सकता है, आपको कौन पूछने आएगा आपने क्या कहा जो प्रोविजन लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट में उसी को जूडिशियरी इंटरप्रियेट करती है । आप यदि कह रहे हैं कि नहीं है तो अमेंडमेंट कर दीजिये मूव कर दीजिये अमेंडमेंट वो दो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकते। आप यह कर दीजिये अमेंडमेंट। आपके कहने से जूडिशियरी इंटरप्रियेट नहीं करेगी। ब्लैक एंड व्हाइट में जो लिखा हुआ है उसको जूडिशियरी इंटरप्रियेट करेगी।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में एक प्रभारी मंत्री इस बात को कह रहा है कि वो चुनाव में भाग नहीं लेगा मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सामने वाले विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री ऐसे ही कह रहा होगा ...(व्यवधान) प्रावधान नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्री ने यहां पर घोषणा की थी कि जितनी भी लड़कियों की स्कूलें हैं वो सब क्रमोन्नत हो जाएंगी, क्या हो गई? आश्वासन दिया था यहां पर। हो गई?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपको यही इस सदन में विश्वास नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैसे मान लेंगे ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): हमने मान लिया आप पास करें न। अध्यक्ष महोदय, हमने मान लिया पास कराओ आप तो। हो गया, पास करा दीजिये आप।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात ...(व्यवधान) नहीं, मैं इस बात को क्लियर करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 2001 की धारा 29 की उप धारा 1 में जिन तीन व्यक्तियों का सरकारी कर्मचारियों का जिनका नोमिनेशन किया जाता है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है और हमने सैकिंड क्लॉज-2 नहीं किया उसी के आगे लिखा है परंतुक और आगे जोड़कर इसको उसी में जोड़ा है हम लोगों ने इसलिए उनको भी अधिकार नहीं है इनको भी कोई अधिकार नहीं होगा। इसको अलग से क्लॉज-2 देकर हम लोगों ने नहीं किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हो गया। मान लिया। आपका जवाब खतम हो गया?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): हां, मेरा तो हो गया आपको कोई पूछना हो तो आप पूछिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं जवाब खतम हो गया न?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): हां मेरा तो हो गया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2007 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 एवं 3 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं?

(अस्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री प्रभुलाल सैनी, प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष: इस पर कोई बोलना चाहते हैं ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया गया ।

सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 21 सितम्बर, 2007 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.01 बजे शुक्रवार, 21 सितम्बर, 2007 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

रतलाव पुलिया (रपट) कुशलगढ़ की मरम्मत/नवीनीकरण

19. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में रियासतकालीन पुलिया (रपट) कुशलगढ़ के समीप रतलाव रोड पर बनी हुई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुलिया (रपट) पुरानी होकर टूट चुकी है व बरसात के दिनों में कई दिनों तक आवागमन रूक जाता है ? क्या सरकार उक्त पुलिया का पुन: निर्माण करा कर आवागमन व जनता की परेशानी दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । कुशलगढ़ बाजना रतलाम ग्रामीण सड़क पर बनी हुई उक्त पुलिया (रपट) पुरानी है, लेकिन टूटी हुई नहीं है । जब अधिक बरसात होती है तब चार घण्टे से लेकर दो-तीन दिनों तक आवागमन अवरूद्ध रहता है प्रतिवर्ष वर्षाकाल के दौरान यह स्थिति चार-पांच बार आती है । नई पुलिया निर्माण राज्य सरकार के वितीय संसाधनों एवं प्राथमिक पर निर्भर है ।

एस्सीलरेटेड रूरल प्रोग्राम के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

20. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 व 2007-08 एस्सीलरेटेड रूरल प्रोग्राम (ए.आर.पी.) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि राज्य सरकार को आबंटित की गई और राज्य सरकार द्वारा आबंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस जिले की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई तथा उसमें से अब तक किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि व्यय की

(श्री हरिमोहन शर्मा)

गई ? इस योजनान्तर्गत कितने प्रतिशत राशि केन्द्र द्वारा और कितने प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आबंटित की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजनान्तर्गत प्राप्त राशि को विभिन्न जिलों में व्यय करने हेतु कोई निश्चित बजट प्रावधान किया गया है एवं क्या पेयजल योजना के लिये व्यय की जाने वाली राशि में कोई सीलिंग निश्चित की गई है ? यदि हां, तो किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि का वर्ष 2007-08 के लिये बजट प्रावधान किया गया ?

(3) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1500 तथा 4000 से अधिक की आबादी वाले कौन-कौन से गांव हैं और इनमें से कितने गांवों की योजना स्वीकृत की गई और कितने गांवों की योजना स्वीकृत किया जाना शेष है तथा किन-किन गांवों की योजनाऐं नहीं बनाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अन्तर्गत ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (नोर्मल), (डी.डी.पी.), (क्वालिटी) एवं अन्य मदों में राज्य सरकार को आबंटित राशि एवं विभिन्न जिलों की योजनाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिलों को आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट- 'अ' व 'ब' पर उपलब्ध है ।

केन्द्र सरकार द्वारा ए.आर.पी. (नोर्मल) में 50 प्रतिशत, ए.आर.पी. (डी.डी.पी.) में 100 प्रतिशत एवं क्वालिटी में 75 प्रतिशत राशि आबंटित की जाती है । शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है ।

(2) जी हां । वर्ष 2007-08 में ए.आर.पी. (नोर्मल), (डी.डी.पी.), (क्वालिटी) व ए.आर.पी. के अन्य मदों में रुपये 98500.29 लाख का प्रावधान रखा गया है । विवरण संलग्न परिशिष्ट -'स' पर उपलब्ध है ।

(3) विधान सभा क्षेत्र हिडौली में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 1500 से 4000 तक तथा 4000 से अधिक की आबादी वाले पेयजल योजनाओं से लाभान्वित क्रमश: 35 एवं 3, कुल 38 गांव हैं। ये सभी गांव पेयजल योजना से लाभान्वित हैं । वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट -'द' पर उपलब्ध है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में आवासीय/कोचिंग कोम्प्लेक्स

21. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा में इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कब विकसित किया गया व कुल कितने लोगों को भूखण्ड किस शर्त पर किस उद्योग को लगाने हेतु आबंटित किए गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में कितने उद्योग इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं तथा कितने भूखण्ड खाली हैं तथा कितने भूखण्डों का उपयोग गैर औद्योगिक कामर्शियल कार्य हेतु किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में जहां केमीकल उद्योग भी स्थापित है उसी क्षेत्र में आवासीय बहुमंजिले इमारतें व कोचिंग काम्पलेक्स भी संचालित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में कामर्शियल काम्पलेक्स बनाने की अनुमति व छूट प्रदान की गई है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति संलग्न कर यह भी अवगत करावें कि क्या इस औद्योगिक क्षेत्र को कॉमर्शियल क्षेत्र के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा व्यक्ति विशेष को छूट देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) कोटा में इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 1970-71 में स्थापित किया गया एवं इस औद्योगिक क्षेत्र को विभिन्न चरणों में विकसित किया गया है । इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 1423 भूखण्ड उद्योगों की स्थापना हेतु आबंटित किये गये हैं । भूखण्ड आबंटन की शर्तो का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है । आबंटित भूखण्डों की सूची मय विवरण के परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है ।

(2) वतर्मान में इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटित 952 भूखण्डों पर 946 औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं तथा 151 भूखण्ड रिक्त हैं । संचालित औद्योगिक इकाईयों एवं रिक्त भूखण्डों की सूचना परिशिष्ट ''ब'' में दर्शाई गई है।

(उद्योग मंत्री)

इस क्षेत्र में कुल 188 भूखण्डों पर कामर्शियल गतिविधियां संचालित की जा रही है । सूचना परिशिष्ट ''स'' में दर्शाई गई है ।

(3) जी हां। इस संबंध में व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति न देने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । इस औद्योगिक क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के कुल 15 प्रकरण हैं । रीको द्वारा उक्त सभी 15 प्रकरणों में नियमानुसार भूखण्ड निरस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा 6 भूखण्डों का निरस्तीकरण किया जा चुका है । शेष 9 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(4) जी हां । आदेशों की प्रतिया परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है ।

इस औद्योगिक क्षेत्र को कॉमर्शियल क्षेत्र के रूप में विकिसित करने की कोई योजना नहीं है। निगम ने नियमानुसार एक भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ एवं 248 भूखण्ड व्यवसायिक प्रयोजनार्थ आबंटित किए हैं तथा 12 औद्योगिक भूखण्डों का नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया गया है । किसी व्यक्ति विशेष को कामर्शियल कॉम्पलेक्स बनाने की छूट प्रदान नहीं की गई है ।

(सूचना/प्रति/ विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नकली दवा विक्रेता/निर्माताओं के विरूद्ध कार्यवाही

22. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2004 से अब तक नकली दवाइयों की जांच हेतु कितने जांच दल गठित किए गए व उनके द्वारा प्रतिमाह कितने लक्ष्यों के विरूद्ध कितने नमूने लिए गये ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रदेश में वर्ष 2004 से कौन-कौनसी दवाइयों के नमूमे जांच हेतु लिये गये व उनमें से कौनसी दवाइयां नकली पाई गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त प्रकरण में कौनसी कम्पनी/व्यक्ति दोषी पाये गये व उनके विरूद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नकली दवाइयों की जांच हेतु राज्य में प्रत्येक औषधि नियंत्रण

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अधिकारी को जिम्मेदारी सौपी गई है व नमूने लेने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

विशेष सूचना मिलने पर अथवा विशेष अभियान चलाये जाने पर आवश्यकतानुसार दलों का गठन किया जाता है ।

राज्य सरकार द्वारा नियमित चैकिंग के अतिरिक्त माह जुलाई 2007 में 15 दलों का गठन कर विशेष अभियान चलाया गया । 225 नमूनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद 233 नमूने जांच हेतु लेकर शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया ।

(2) जिन दवाइयो के नमूने लिए गए हैं उनकी सूचना परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है ।

जो दवाइयॉ नकली पाई गई हैं उनकी सूचना परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त प्रकरणों में दोषी पाए गए व्यक्यिों/कम्पनियों का विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है ।

(सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम सेवा सहकारी समिति चौरा (जालौर) के दोषी व्यवस्थापक के विरूद्ध कार्यवाही

23. **श्री जीवाराम चौधरी** (सांचौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति चौरा तहसील सांचौर जिला जालौर की दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से 5 जुलाई, 2002 की आडिट में उक्त समिति के व्यवस्थापक के विरूद्ध रुपये 24 लाख का गबन पाया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त व्यवस्थापक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रकरण में कार्यवाही न करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समिति चौरा के सम्बन्धित

(सहकारिता मंत्री)

व्यवस्थापक को अन्वेशणात्मक आडिट वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 एवं निरीक्षण में गबन का दोषी पाये जाने पर सेवा से आदेश क्रमांक केडर 2003-04/ 13643/49 दिनांक 4.11.03 के द्वारा बर्खास्त किया जा चुका है। वसूली हेतु सहकारी संस्था अधिनियम 2001 की धारा 100 के अन्तर्गत कुर्की वारन्ट जारी किया जाकर वसूली कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। प्रकरण में अधिनियमान्तर्गत समुचित कार्यवाही किये जाने के कारण किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

नवीन भारत इण्डस्ट्रीज, मालपुरा को आबंटित भूमि का उपयोग

24. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मालपुरा, जिला टोंक के नगर पालिका क्षेत्र में नवीन भारत इंडस्ट्री को वर्ष 1946 में 32 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आबंटन किया गया था? यदि हां, तो किस उद्देश्य से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का गत 25-30 वर्षों से जिस कार्य के लिए आबंटन किया गया उस कार्य के उपयोग में नहीं लिए जाने के उपरान्त भी वर्ष 1981 में आगामी 30 वर्षों के लिए आबंटन का नवीनीकरण कर दिया गया है?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि का आबंटन निरस्त कर भूमि का हस्तान्तरण नगरपालिका मालपुरा को करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कपास जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री/दाल एवं तेल मिल हेतु लीज पर आबंटन की स्वीकृति दी गई थी।

(2) जी नहीं। नवीनीकरण के समय दाल मिल एवं गलीचा उद्योग का कार्य चालू था।

(3) नगरपालिका मालपुरा को प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचारधीन नहीं है।

आबंटन निरस्त करने हेतु प्रक्रियानुसार लीज होल्डर को नोटिस दिया

(राजस्व मंत्री)

जा रहा है। जिसके निर्णय उपरान्त ही प्रश्नगत भूमि नगर पालिका मालपुरा को हस्तान्तरण करने या अन्य उपयोग में लेने पर विचार किया जा सकेगा।

आमेर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

25. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार की स्कूलों को क्रमोन्नत करने की कोई नीति है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्ष 2007 में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पालावाला जाटान (पंचायत समिति बस्सी) एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बूड़थल (पंचायत समिति आमेर), को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए सरकार द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं, मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट ''क'' संलग्न हैं।

(2) वर्ष 2007 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोनयन प्रक्रियाधीन है। गत तीन वर्षों में आमेर विधान सभा क्षेत्र में 3 विद्यालय माध्यमिक एवं 5 विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किए गये हैं। उपलब्ध वितीय प्रावधानान्तर्गत क्रमोन्नति के मानदण्ड पूर्ण करने वाले विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति बस्सी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पालावाला जाटान, प्राथमिक स्तर का न होकर उच्च प्राथमिक स्तर का है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पालावाला जाटान एवं बूड़थल को वितीय उपलब्धता एवं मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर ही क्रमोन्नत किया जा सकेगा।

परिशिष्ट ''क''

<u>विद्यालय खोलने/ क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड</u>

(1) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र/जनजाति क्षेत्र/मेवात क्षेत्र
1. ग्रामों की जनसंख्या	100	500
2. कक्षा 5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3. कक्षा 1-5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4. फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2

5. 2 कि.मी. परिधि में अन्य उच्च प्रा. वि. की सुविधा का नहीं होना।

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु

जनसंख्या (1991)	छात्र विद्यालय	2000	1500
	छात्रा विद्यालय	4000	3000
छात्र संख्या(कक्षा-8)	छात्र विद्यालय	30	20
	छात्रा विद्यालय	20	10
	फीडर विद्यालय	2	2
दूरी (कि.मी.)		राज्यों सरकार के प्रस्तावों के अनुरूप	

(3) माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु

1. जनसंख्या (1991)	5000	4000
2. छात्र/छात्रा सं. कक्षा-10		
छात्र विद्यालय	50	40
छात्रा विद्यालय	40	30
3. फीडर विद्यालयों की संख्या	2	2
4. दूरी (कि.मी.)	8	8

अन्य आधार बिन्दु

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान

2. प्रशासनिक आधार

3. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं

4. भौगोलिक परिस्थितियां

5. माध्यमिक एवं सी.उ.मा. विद्यालयों का अनुपात

उपरोक्त मानदण्डों एवं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अवाप्त भूमि का मुआवजा

26. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के लिए भूमि अवाप्ति का प्रावधान नहीं होने से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस संबंध में कृषक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण की राशि एवं राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति की मुआवजा राशि वहन करने की भावना के तहत ही कार्यवाही की जाती है ?यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा भूमि मुआवजा राशि अदा नहीं किये जाने के क्या-क्या कारण हैं? विगत पांच वर्षो में भूमि अवाप्ति के लिए अदा की गई राशि का जिलेवार विवरण सहित पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के काम ली गई भूमि की क्षतिपूर्ति के मुआवजा राशि किसानों को कब तक वितरित कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क में आ रही भूमि हेतु किसानों द्वारा आपसी सहमति प्राप्त करके ही सड़क निर्माण किया जाता हैं।

(2) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य अधिकतर, मौजूद राजस्व रास्तों पर ही किया जा रहा हैं एवं सड़क में आ रही भूमि हेतु किसानों द्वारा आपसी सहमति प्राप्त करके ही सड़क निर्माण किया जाता है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) चूंकि इस योजना में सड़कों के निर्माण हेतु भूमि किसानों की सहमति से ली जाती है इसलिये मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं है।

तहसील लूणकरणसर क्षेत्र में सिंचाई हेतु "सुई सब ब्रांच" की माइनरों का निर्माण

27. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सुई सब ब्रांच का कार्य पूर्ण करते हुए जिला बीकानेर की तहसील लूणकरणसर के जैतपुर, शेखसर, खोडाला, सुई एवं अन्य नजदीकी गांवों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने हेतु माइनरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो प्रस्तावित प्लान के नक्शा सहित विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि किस-किस माइनर का कितनी-कितनी लागत से?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में सुई सब ब्रांच का कार्य पूर्ण करते हुए उक्त गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक।

(नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-अ

जिला बीकानेर की तहसील लूणकरणसर की माइनरों की अनुमानित लागत का विवरण

क्र.सं.	नाम	अनुमानित लागत (रुपये लाखों में)
1	जैतपुरा वितरिका	672.20
2	शेखसर माइनर	269.45
3	खोडाला माइनर	190.61
4	सूई सब माइनर	481.51

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मारवाड़-जंक्शन (पाली) में विशेषज्ञ-चिकित्सकों का पदस्थापन

28. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सहीं हैं कि मारवाड़ जंक्शन (पाली) तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है? यदि हां, तो यहां पर चिकित्साधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मारवाड़ जंक्शन (पाली) में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार हैं :-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	2
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
चिकित्सा अधिकारी	3	0

जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नती समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा ।

वक्फ सम्पत्तियों के रिकार्ड के रख-रखाव/दुरुस्ती हेतु सर्वे आयुक्त की स्थाई नियुक्ति

29. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार वक्फ सम्पत्तियों के रिकार्ड की दुरुस्ती हेतु सर्वे आयुक्त की स्थाई नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार प्रदेश में वक्फ सम्पत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने/हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक ?

(मोहम्म्द माहिर आजाद)

(3) क्या सरकार वक्फ सम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु वक्फ बोर्ड को अन्य राज्यों की भांति अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना ?

(4) क्या सरकार वक्फ सम्पत्तियों की स्वयं में बकाया किराये की अदायगी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सरकार वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता एवं पेंशन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कितना व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। वक्फ सम्पत्ति पर अवैध अतिक्रमण को रोकने/हटाने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 एवं धारा 55 के अन्तर्गत पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। संबंधित विभागों को बोर्ड को किराया भुगतान करने हेतु लिखा जा चुका है। विभागों द्वारा वक्फ बोर्ड की सूची में अंकित सम्पत्ति एवं किराया की राशि का मिलान करवाया जा रहा है, तदुपरान्त नियमानुसार देय राशि के भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) जी नहीं। क्योंकि बोर्ड कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते आदि का भुगतान बोर्ड स्वयं के साधनों से नियमों के अन्तर्गत करता है।

प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री का मुद्रण एवं वितरण

30. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बांरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्राइमरी स्तर की पाठ्य सामग्री मुद्रण एवं प्रकाशन के अधिकार निजी क्षेत्र में किस फर्म को दिए गए या देने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निजी क्षेत्र से ओसतन कितनी राशि में प्रति पुस्तक दर का प्रस्ताव प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सत्र 2007-08 में विक्रय व वितरण हेतु पाठयपुस्तक मण्डल द्वारा

(श्री प्रमोद जैन)

प्राथमिक शिक्षा की मुद्रित पुस्तकों पर औसतन प्रति पुस्तक कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों के मुद्रण एवं प्रकाशन का अधिकार किसी भी निजी फर्म को नहीं दिया गया है, और ना ही ऐसी योजना मण्डल स्तर पर विचाराधीन है।

(2) मण्डल के द्वारा निजी क्षेत्र से पुस्तक प्रकाशन एवं वितरण हेतु दर का प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है।

(3) सत्र 2007-08 में माह जुलाई, 2007 तक कक्षा 1 से 8 तक मण्डल द्वारा कुल 4,55,32,262 पुस्तकों का विक्रय एवं वितरण किया गया है, जिनका कुल मूल्य राशि रुपये 54,48,34,566 है, एवं प्रति पुस्तक औसत मूल्य रुपये 11.96 होता है।

दलपुरा-उजीरना मिसिंग लिंक सड़क (करौली) का डामरीकरण

31. **श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा करौली जिले की तहसील नादौती की ग्राम पंचायत दलपुरा से उजीरना को जोड़ने वाली मिसिंग लिंक सड़क स्वीकृत कर दी गई है? यदि हां, तो उक्त सड़क को मिसिंग लिंक डामरीकृत सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। इस मिसिंग लिंक सड़क के प्रस्ताव मिसिंग लिंक योजना फेज द्वितीय (आर.आई.डी.एफ. XIII) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। प्रोजेक्ट की स्वीकृति के बाद इस मिसिंग लिंक सड़क का कार्य शुरू किया जायेगा।

मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट अनुसार उप खण्ड क्षेत्र रायसिंहनगर में सिंचाई सुविधा

32. **श्री लालचन्द मेघवाल** (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री लालचन्द मेघवाल)

(1) उपखण्ड क्षेत्र रायसिंहनगर के अधीनस्थ इन्दिरा गांधी नहर परियोजना व गंग केनाल व भाखड़ा से कितना-कितना रकबा सिंचित होता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपखण्ड रायसिंहनगर के अधीनस्थ कुल कितना रकबा असिंचित है?

(3) उपखण्ड रायसिंहनगर के अधीनस्थ किस-किस चकों में कुल कितना रकबा असिंचित होते हुए भी वर्तमान में किसान पानी लगा रहे हैं? क्या सरकार उक्त भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार गंग केनाल क्षेत्र में मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट कब तक लागू करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट में असिंचित रकबा जिनमें फ्लो से पानी लग सकता है, सिंचित करने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रकबे को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, गंग केनाल एवं भाखड़ा नहर से उपखण्ड क्षेत्र रायसिंहनगर का निम्नानुसार रकबा सिंचित होता है :-

इंदिरा गांधी नहर परियोजना	99041 एकड़
गंग केनाल	214076 एकड़
भाखड़ा नहर	2505 एकड़
कुल रकबा	**315622 एकड़**

(2) रायसिंहनगर उपखण्ड का कुल कृषि योग्य क्षेत्र 481623 एकड़ है जिसमें से 315622 एकड़ उपरोक्तानुसार सिंचित एवं शेष 166001 एकड़ क्षेत्र असिंचित है।

(3) उपखण्ड रायसिंहनगर के अधीनस्थ ऐसा कोई रकबा नहीं है जो असिंचित होते हुए भी वर्तमान में नहर का पानी लगा रहा हो।

(4) गंग केनाल के संबंध में मोतीराम कमीशन की मुख्य-मुख्य सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं।

(5) जी हां।

सीकर जिले में नवीन खण्ड कार्यालय का सृजन/स्वीकृति

33. **श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़-सीकर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में जल संसाधन विभाग का खण्ड कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ? नियमों/परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला सीकर में नया खण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) जिला सीकर में वर्ष 2006 एवं 2007 में जलदाय योजना के कितने कार्य किस-किस योजनान्तर्गत किस-किस गांव के लिये स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन स्वीकृत कार्यो में से कितने कार्य पूर्ण हो गये व कितने अभी तक अपूर्ण हैं? इनको कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल संसाधन विभाग में खण्ड कार्यालय खोलने के मानदण्ड की प्रति संलग्न प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जिला सीकर में जल संसाधन विभाग का खण्ड कार्यालय है। अतिरिक्त खण्ड कार्यालय की आवश्यकता नहीं है।

(3) जिला सीकर के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2006 एवं 2007 में पेयजल योजना सम्बन्धी स्वीकृत कार्यो का वांछित विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट-'क' व 'ख' पर उपलब्ध है।

(4) वांछित विवरण परिशिष्ट-'क' व 'ख' में समाहित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित-प्रश्नोत्तर

राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड टोंक के शेयर हस्तान्तरण में अनियमितताएं

25. **श्री कालीचरण सर्राफ** (जौहरी बाजार) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड, टोंक जो वर्ष 1988 तक लगातार घाटे में चल रही थी को पुन: प्रारम्भ करने के उद्देश्य से इसका संचालन निजी कम्पनी/प्रमोटरों को हस्तान्तरित करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई ? यदि हां, तो किस-किस कम्पनी की निविदाएं प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हाई पावर कमेटी द्वारा जिस कम्पनी/फर्म से अनुबंध करने की अनुशंसा की गई, उसके स्थान पर अन्य कम्पनी से अनुबन्ध किया गया? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियम व अनुबंध की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिस निजी कम्पनी के साथ अनुबंध किया गया उसके द्वारा शर्तों की पूर्ण पालना नहीं की गई, जिसके कारण सरकार को अनेक मदों में अत्यधिक आर्थिक क्षति हुई? यदि हां, तो दोषी कम्पनी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि निजी कम्पनी द्वारा अनुबंध (दिनांक 12 नवम्बर, 1992) की शर्तो की पालना नहीं करने एवं अनियमितताएं करने की शिकायतों के बावजूद वर्ष 1994 दिनांक 27 सितम्बर, 1994 को मंत्रिमण्डल द्वारा राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. (आर.एस.टी.एल.) के शेयर निजी कम्पनी को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी? यदि हां, तो क्यों व किन तथ्यों के आधार पर? क्या यह भी सही है कि मंत्रिमण्डल के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या उपरोक्त शेयर निजी कम्पनी को स्थानान्तरित कर दिये गये? यदि हां, तो क्या शेयर निजी कम्पनी के नाम पंजीकृत हो गये हैं? यदि नहीं, तो वर्तमान में उपरोक्त शेयरों की क्या स्थिति है एवं वे किसके अधिकार में हैं? क्या यह भी सही है कि उक्त शेयर कम्पनी के स्थान पर व्यक्तिगत

(श्री कालीचरण सर्राफ)

नाम से स्थानान्तरित किये गये एवं दस्तावेजों में बाद में परिवर्तन भी किया गया? यदि हां, तो इस प्रकार की अनियमितता के दोषियों के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव द्वारा कम्पनी के विरूद्ध कठोर कदम उठाने की सिफारिशें की गई थी एवं उनका अनुमोदन तत्कालीन राज्य मंत्री एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी कर दिया गया था? यदि हां , तो सिफारिशों पर कार्यवाही क्यों नही की गई? कारणों के विवरण सहित सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड **(RSTL)** टोंक का संचालन निजी कम्पनी/प्रमोटरों को हस्तान्तरित करने हेतु आंमत्रित की गई निविदाओं के विरूद्ध केवल दो निविदाएं मैसर्स ट्राइमेक्स कॉर्पोरेशन नई दिल्ली तथा मैसर्स बीके निर्यात प्रा. लिमिटेड, कलकत्ता की प्राप्त हुई थी।

(2) राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड (RSTL) टोंक का संचालन निजी कम्पनी/ प्रमोटरों को हस्तान्तरित करने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की जांच एवं विमर्श (negoiation)करने हेतु गठित अधिकारियों की समिति ने मैसर्स ट्राइमेक्स कोर्पोरेशन नई दिल्ली के साथ अनुबन्ध करने की सिफारिश की थी। मैसर्स ट्राइमेक्स कोर्पोरेशन नई दिल्ली ने उक्त RSTL के हस्तान्तरण हेतु जो प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया था उसमें यह अंकित किया गया था कि उनके द्वारा मैसर्स टोंक टेनरीज प्रा. लि (TTPL) के नाम से एक नई कम्पनी गठित होगी जिसका पंजीकृत कार्यालय जयपुर में स्थित होगा वह RSTL टेक-ओवर करेगी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8.9.1992 को RSTL के हस्तान्तरण हेतु मैसर्स ट्राइमेक्स कोर्पोरेशन नई दिल्ली को जो आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) जारी हुआ था उसमें यह स्पष्ट अंकित था कि राज्य सरकार इस प्रयोजन हेतु मैसर्स ट्राइमेक्स कोर्पोरेशन नई दिल्ली द्वारा गठित नई कम्पनी मैसर्स टोंक टेनरीज प्रा.लि. के पक्ष में RSTL हस्तान्तरण करने हेतु सहमत है तथा हस्तान्तरण हेतु अनुबन्ध मैसर्स टोंक टेनरीज प्रा. लि. (TTPL) के साथ सम्पन्न किया जावेगा। अत: राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड (RSTL) के हस्तान्तरण हेतु जो अनुबन्ध किया गया था वह मैसर्स टोंक टेनरीज प्रा. लिमिटेड के साथ सम्पन्न हुआ था। अनुबन्ध की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(3) राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. का हस्तान्तरण टोंक टेनरीज प्रा.लि. को करने के संबंध में विभाग द्वारा माह सितम्बर, 1994 में मंत्रिमण्डल ज्ञापन तैयार करने तथा विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 6.10.1994 को करने तक टोंक टैनरीज प्रा.लि. द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन किया जाना विदित नहीं होता है।

(4) जी नहीं। मंत्रिमण्डल ज्ञापन दिनांक 27.9.1994 में अनुबन्ध के अन्तर्गत वांछित प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में पूर्ण स्थिति अंकित की गई थी।

(5) जी हां। राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड (RSTL) के समस्त शेयर्स मैसर्स टोंक टेनरीज प्रा. लि. के प्रामोटर्स श्री बाबूलाल जैन (CMD, TTPL) तथा श्रीमती आशा भटनागर (Director TTPL) को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। विभाग में उपलब्ध रिकार्ड से यह विदित नहीं होता है कि वर्तमान में उक्त शेयर्स किसके स्वामित्व में हैं। प्रश्नगत शेयर्स उक्त प्रोमोटर्स श्री बाबूलाल जैन (CMD,TTPL) तथा श्रीमती आशा भटनागर (Director TTPL) को हस्तान्तरित किये गये थे जिसके संबंध में दस्तावेजों में बाद में परिवर्तन किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

(6) यह सही है कि वर्ष 1998 में विभाग द्वारा उक्त मैसर्स टोंक टेनरीज प्रा. लि. के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया गया था जिसका अनुमोदन मुख्य सचिव एवं राज्य मंत्रीजी द्वारा किया गया था। मैसर्स टोंक टेनरीज प्रा. लि. (TTPL) के सीएमडी श्री बाबूलाल जैन को 5.12.1998 को नोटिस जारी किया गया था कि या तो वे एक माह में अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप कम्पनी को पुन: संचालित करें अन्यथा विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। श्री बाबूलाल जैन ने उक्त नोटिस के जवाब में कम्पनी को अनुबन्ध की शर्तो के साथ चलाने हेतु मंशा जाहिर करते हुए 4 से 12 सप्ताह का समय चाहा गया था । विभाग द्वारा पुन: दिनांक 27.10.1999 को श्री जैन को नोटिस दिया गया लेकिन वे अपने आश्वासन को पूरा नहीं कर सके। विधिक राय के अनुसार शेयर्स हस्तान्तरित होने के फलस्वरूप राज्य सरकार की अधिकारिता इस कम्पनी पर नहीं रहने के कारण कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

(अनुबंध की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

पानी कनेक्शन का घरेलू/व्यवसायिक श्रेणीकरण हेतु मानदण्ड

26. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पानी के कनेक्शन को घरेलू या व्यावसायिक बनाने हेतु कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो उक्त नियम कब तक बना दिए जावेंगे?

उत्तर

जी हां। वांछित नियमों की प्रतियां संलग्न परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट-'ब' पर पेयजल कनेक्शन हेतु नियमों का विवरण निम्नानुसार अंकित है:-

क्रमांक	परिशिष्ट–'ब'	बिन्दु संख्या
	पृष्ठ संख्या	
1	2	3 {नोट (i) से (iv)}
2	3	5 {नोट (i) एवं (ii)}
3	4	7 नोट
4	8	18 {C(स्पेशल प्रोजेक्ट)}

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पेयजल योजनाएं

27. श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कौन-कौन सी योजनाएं विचाराधीन हैं? सरकार इन्हें कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अन्तर्गत वर्ष 2003 के बाद शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल हेतु कौन-कौन सी कितने लागत की योजनाएं स्वीकृत की गई और इनसे कितने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार 2 पेयजल योजनाएं सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में विचाराधीन हैं।

क्र. सं.	तहसील	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित गांव	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1	रायसिंह नगर	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना 42 एन.पी.	3	54.16
2	रायसिंह नगर	संवर्द्धन जल योजना 9 एल. पी.एम.	4	26.13

सक्षम स्तर पर उक्त योजनाओं के तकनीकी जांच में सही पाये जाने के उपरान्त प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धिनुसार इनकी स्वीकृति बाबत निर्णय किया जाना सम्भव होगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर हेतु वर्ष 2003 के बाद से माह अगस्त, 2008 तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत की गई योजनाऐं एवं अन्य वांछित विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मांछली सिंचाई परियोजना (बूंदी) के डूब क्षेत्र में आई भूमि

28. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मांछली सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आई भूमि के लिए अवार्ड जारी करने के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी) है ? यदि हां, तो धारा 4 व 6 की कार्यवाही पूर्ण की जाकर समाचार प्रकाशन के पश्चात अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, बूंदी द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2005 से अब तक उक्त अधिकारी को अवार्ड जारी किये जाने बाबत कितने प्रकरण प्रेषित किये गये तथा उनमें से किस-किस

(श्री रामनारायण मीणा)

प्रकरण में अवार्ड जारी करने में कितने दिन का समय लगाया गया? समय लगाये जाने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधिशासी अभियंता, जन संसाधन खण्ड, बूंदी द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/मांछली/2006-07 दिनांक 17 मई, 2007 लिखकर भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नैनवां से अवार्ड जारी करने का अनुरोध किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र के आधार पर अवार्ड जारी किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस तारीख को तथा नहीं, तो अब किस तारीख तक अवार्ड जारी कर दिया जायेगा? विवरण सहित प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के पत्र प्राप्त होने के पश्चात अवार्ड जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी तथा नहीं, तो क्या इस बाबत सरकार समय सीमा तय करने का विचार रखती है?

(4) उक्त बांध के डूब क्षेत्र की भूमि की सम्पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) जी हां। मांछली सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आई भूमि के अवार्ड जारी करने के लिए कुल 70 प्रकरण अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, बूंदी द्वारा भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी) को पत्रांक 2006-07 दिनांक 17.5.2007 से प्रेषित किये गये हैं। प्रकरण में अभी कोई अवार्ड जारी नहीं हुए हैं।

(2) जी हां। अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, बूंदी के पत्रांक राजस्व/मांछली/2006-07 दिनांक 17.5.2007 से भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी नैनवां से अवार्ड जारी करने का अनुरोध किया है। अवार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

(3) जी हां। भूमि अवाप्ति अधिनियम के अनुसार अधिनियम की धारा 6 की कार्यवाही होने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी करने का प्रावधान है।

(4) उक्त बांध के डूब क्षेत्र की भूमि की सम्पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान अवार्ड जारी होने के उपरान्त ही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या-29

(स्थगित)

तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु बैठक

30. **श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नायब तहसीलदार से तहसीलदार पद पर पदोन्नति हेतु बैकलाग सहित वर्ष 1994 से वर्षवार, वर्ग वार कुल कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार तहसीलदार पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति आहूत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नायब तहसीलदार से तहसीलदार पद पर पदोन्नति हेतु सन् 1994 से बैकलाग सहित वर्षवार, वर्गवार विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तहसीलदार पद पर पदोन्नति पर जारी स्थगन आदेश प्रभावी है। स्थगन हटने पर विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जा सकेगी।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	वर्ष	रिक्त पदों की संख्या	कार्या. अधी. संवर्ग				सदर मुंसरिम संवर्ग				नायब_तह. संवर्ग			
			एससी	एसटी	सामान्य	योग	एससी	एसटी	सामान्य	योग	एससी	एसटी	सामान्य	योग
1	1994-95	114	1	1	1	3	1	1	1	3	17	13	78	108
2	1995-96	31	-	1	3	4	-	1	-	1	-	3	23	26
3	1996-97	56	1	1	7	9	1	-	1	2	-	-	45	45
4	1997-98	83	-	1	6	7	-	-	2	2	-	6	68	74
5	1998-99	94	-	-	5	5	-	-	-	-	12	25	52	89
6	1999-2000	86	-	-	7	7	-	-	-	-	11	17	51	79
7	2000-2001	92	-	-	7	7	-	-	2	2	14	20	49	83
8	2001-2002	145	-	-	3	3	-	-	1	1	21	20	100	141
9	2002-2003	106	-	-	4	4	-	-	1	1	15	17	69	101
10	2003-2004	84	-	-	4	4	-	-	3	3	11	16	50	77
11	2004-2005	40	-	-	3	3	-	-	4	4	12	13	8	33
12	2005-2006	45	-	-	4	4	-	-	4	4	8	16	16	37

भू-अभिलेख निरीक्षकों की पदोन्नति

31. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान तहसीलदार सर्विस में भर्ती भू-अभिलेख निरीक्षक व सीधी भर्ती में पदोन्नति हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल द्वारा वर्ष, 2004 से अब तक निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पदोन्नति नहीं की गई ? यदि हां, तो किन कारणों से ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार निर्धारित मानदण्डों के विपरीत की गई पदोन्नति में आई विसंगति को दूर करने हेतु बैकलाग कोटे से डी.पी.सी. करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि भू-अभिलेख निरीक्षकों को यात्रा भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो किस आधार पर व कितना ? क्या सरकार उक्त भत्ते में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रश्न स्पष्ट नहीं है क्योंकि राजस्थान तहसीलदार सेवा में भू-अभिलेख निरीक्षक की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है तथा भू-अभिलेख निरीक्षक की कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है । प्रश्न स्पष्ट नहीं होने के कारण उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है ।

(2) खण्ड एक से संबंधित है ।

(3) खण्ड एक से संबंधित है ।

(4) जी हां। भू-अभिलेख निरीक्षक को, यात्रा भत्ता नियमों के नियम के 14 के परिशिष्ट 1 के बिन्दु संख्या 13 के अन्तर्गत स्थाई यात्रा भत्ता रुपये 75/-प्रतिमाह दिया जाता है ।

ग्राम बागौर (करौली) में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति

32. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नरेन्द्र नागर)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बागौर तहसील नादौती जिला करौली से स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी 20 किमी. से अधिक है, जिससे ग्राम के आसपास स्थित 20 गावों के लोगों को काफी परेशानी होती है?

(2) क्या सरकार ग्राम बागौर, तहसील नादौती, जिला करौली में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम बागौर में उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवमं जी.एन.एम. कार्यरत हैं।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में ग्राम रायसना पंचायत समिति नादौती में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है। ग्राम बागौर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसना 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति नादौती में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है ।

निजी एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सा परिचर्या व्यय का पुनर्भरण

33. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार कैंसर एवं अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित राज्य कर्मचारियों तथा उनके परिजनों को इलाज हेतु राजकीय अस्पतालों के साथ ही अन्य निजी अथवा ट्रस्टों द्वारा संचालित अस्पतालों में किये गये व्यय का पुनर्भरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार चिकित्सा परिचर्या एवं पुनर्भरण नियमों में कोई संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य कर्मियों/परिजनों के कैंसर रोग का इलाज भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय, जयपुर से करवाने पर पुनर्भरण किए जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो उक्त घोषणा पर कब तक अमल कर लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बिन्दु संख्या 1-

जी नहीं । राज्य के मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में कैंसर एवं अन्य असाध्य रोगों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है तथा इन रोगों से पीड़ित राज्य कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के इन अस्पतालों में उपचार पर व्यय होने वाली राशि का नियमानुसार पुनर्भरण देय है ।

(2) बिन्दू संख्या 2 एवं 3-

(3) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1970 में संशोधन का प्रस्ताव निर्णय हेतु विचाराधीन नहीं है ।

ग्राम बागौर (करौली) की मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण

34. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम बागौर को तहसील नादौती से जोडने वाली सड़क में 2 किलोमीटर का अभी डामरीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 2 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण मिसिंग लिंक या अन्य योजना से करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम बागौर वर्तमान में तहसील नादौती से दो तरफ से डामर सड़क से जुड़ा है, इसमें एक सड़क नादौती से शहर, स्टेट हाइवे-25 होकर बागौर तक लम्बाई 22 कि.मी. है । दूसरा रास्ता नादौती से गरखेडा होकर बागौर तक 21 कि.मी. है । ग्राम बागौर से नादौती तक एक सीधा रास्ता और है जो कि नादौती से बरदाला-बामोरी होते हुए बागौर तक जाता है इस मार्ग पर नादौती से बरदाला मोड़ तक स्टेट हाइवे-25 3 कि.मी., एस.एच.-25 से बरदाला तक पूर्व की सडक 3.50 कि.मी. तथा बरदाला से बमोरी तक 6.00 कि.मी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित है । ग्राम बामोरी से बागौर के मध्य 2.00 कि.मी. का कच्चा रास्ता है जिसकी वर्तमान में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है और न ही किसी योजना में प्रस्तावित है। उक्त सड़क

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

का निर्माण करवाना राज्य सरकार के उपलबध वितीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है ।

(2) जी नहीं । ग्राम बागौर से बामोरी के मध्य 2.0 कि.मी. का कच्चा रास्ता है, जिसकी वर्तमान में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है। उक्त सड़क का निर्माण करवाना राज्य सरकार के उपलब्ध वितीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

कोटा जिले के सड़क विहीन ग्राम

35. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले के सडक विहीन गावों की संख्या क्या है ? वर्ष 2001 की जनसंख्या के साथ सडक विहीन गांवों के नामों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) कोटा जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या क्या है व कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या आज भी सडक सुविधा से वंचित है?

(3) कोटा जिले में सरकार द्वारा निर्मित सडकों की कुल लम्बाई कितनी है तथा शेष बचे गांवों को सडक से जोडने हेतु कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण होना अभी शेष है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के जनसंख्या गणना 2001 के अनुसार सड़क विहीन गांवों की संख्या 293 है । तहसीलवार गांवों के नामों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है ।

(2) कोटा जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या 7,28,904 है । कुल जनसंख्या का 13.93 प्रतिशत आज भी सड़क सुविधा से वंचित है ।

(3) कोटा जिले में सरकार द्वारा निर्मित डामर सड़कों की कुल लम्बाई 2488.80 कि.मी. है तथा शेष बचे गांवों को सडकों से जोडने हेतु 707.23 कि.मी. सडक का निर्माण होना अभी शेष है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले के सड़क विहीन ग्रामों हेतु कार्य योजना

36. **श्री प्रमोद जैन ''भाया''** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रमोद जैन ''भाया'')

(1) बारां जिले में कितने आबाद एवं गैर आबाद गांव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गावों में से किस-किस तहसील के कौन-कौन से गांव सड़क मार्ग से किस-किस दिनांक को जोड़े जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) दिनांक 1 सितम्बर, 2007 को किस-किस तहसील के किन-किन गांवों को सड़क मार्ग से जोडने हेतु सड़क निर्माण कार्य चल रहा है या निविदा प्रक्रिया में है या बजट स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त गांवों को किस-किस दिनांक तक सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बारां जिले में 1089 आबाद एवं 133 गैर आबाद गांव है । विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है ।

(2) उक्त गांवों में से सडक मार्ग से जिन गांवों को जोड़ा जा चुका है उनका तहसील अनुसार विवरण प्रपत्र ''ब'' में अंकित है ।

(3) दिनांक 1 सितम्बर, 2007 को जिन गांवों को सड़क मार्ग से जोडने हेतु सड़क निर्माण कार्य चल रहा है या निविदा प्रक्रिया में है या बजट स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उनका विवरण प्रपत्र ''स'' में अंकित है ।

(4) उक्त गांवों को सडक मार्ग से जोड़े जाने की सम्भावित तिथि भी प्रपत्र ''स'' अंकित है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

लक्ष्मणगढ़ (सीकर) की मरम्मत योग्य सड़कें

37. **श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) (सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) की कौन-कौनसी सड़कें कहां-कहां से, कब से व कितनी क्षतिग्रस्त हैं या उनके दोनों ओर के किनारे टूट चुके हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त सडकों की मरम्मत, पेचवर्क, कटे हुए किनारों को सही कराने व पुन: सडकों का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण अनुसूची ''क'' में संलग्न है ।

(2) उक्त सडकों की मरम्मत, पेच वर्क एवं कटे हुए किनारों को सही करने का कार्य वार्षिक पेच मरम्म्त कार्य के अन्तर्गत किया जा रहा है । उक्त सडकों का पुन: डामरीकरण करवाया जाना राज्य सरकार के वितीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है ।

अनुसूची ''क''

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	क्षति ग्रस्त भाग	क्षति ग्रस्तता की अवधि	क्षतिग्रस्तता की मात्रा (प्रतिशत)
1	खुडी बड़ी से खुडी छोटी	ग्रामीण सड़क	0/0 से 1/0	3 वर्ष	70
2	सेवद बड़ी से मीरण	अन्य जिला सड़क	3/0 से 12/0	3 वर्ष	25
3	बलारां से रहनावा	अन्य जिला सड़क	0/0 से 4/0	3 वर्ष	20
4	पक्की प्याउ से रेलवे क्रोसिंग लक्ष्मणगढ़	अन्य जिला सड़क	0/0 से 1/0	3 वर्ष	25
5	जाजोद से सोला	अन्य जिला सड़क	0/0 से 4/0	2 वर्ष	20
6	लक्ष्मणगढ़ से डूडवा	अन्य जिला सड़क	0/0 से 5/0	2 वर्ष	15
7	नवलगढ़ से बीदासर	अन्य जिला सड़क	0/0 से 8/0	2 वर्ष	20
8	सम्पर्क सड़क दिशनाउ	ग्रामीण सड़क	0/0 से 3/500	2 वर्ष	25
9	सम्पर्क सड़क रिणु	ग्रामीण सड़क	0/0 से 4/0	2 वर्ष	15
10	सेवद बड़ी शाहपुरा डीडवाना सड़क	अन्य जिला सड़क	26/0 से 28/0	2 वर्ष	15

1	2	3	4	5	6
11	काछवा से रूल्याणी	अन्य जिला सड़क	0/0 से 7/0	2 वर्ष	25
12	बगड़ी बादूसर रोरू बड़ी सड़क	अन्य जिला सड़क	0/0 से 4/0	2 वर्ष	15
13	जाजोद से राजास	अन्य जिला सड़क	0/0 से 4/0	2 वर्ष	20
14	सम्पर्क सड़क पुनणी	ग्रामीण सड़क	0/0 से 2/0	1 वर्ष	20
15	घाण से सिगरोला बड़ा	ग्रामीण सड़क	0/0 से 3/0	1 वर्ष	15

पंचायत समिति सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) के सड़क रहित ग्राम

38. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत ईटाला, पंचायत समिति सज्जनगढ़ के ग्राम सड़क से जुडे हुए नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नीति के अनुसार ग्राम पंचायत ईटाला को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क को शंकरबाड़ा मेन रोड से इटाला 7 किलोमीटर डामरीकरण कर जोडने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ईटाला (3580) ग्राम पंचायत सज्जनगढ़ से डामर सड़क जुड़ी हुई है ।

(2) उक्त सडक का निर्माण सरकार के उपलब्ध वितीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है ।

जयपुर जिले में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पद

39. **श्री रामनारयण मीणा** (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में कुल कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कहां-कहां स्थित हैं ? नाम एवं स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(2) दिनांक 15 सितम्बर, 2007 को जयपुर शहर एवं पंचायत समिति गोविन्दगढ़, आमेर, झोटवाड़ा एवं सांगानेर के किस-किस विघालय में कितने-कितने पद अध्यापकों के रिक्त हैं? विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला जयपुर में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का स्थानवार विवरण परिशिष्ट ''क'' एवं संस्कृत विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(2) उक्त संचालित विद्यालयों में से जयपुर शहर, पंचायत समिति गाविन्दगढ, आमेर, झोटवाडा एवं सांगानेर के विद्यालयों में दिनांक 15.9.2007 को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''ग'' एवं ''घ'' तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''च'' पर संलग्न हैं ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले के विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

40. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में कुल कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा माध्यकि/ सीनियर सैकण्डरी विद्यालय कहां-कहां स्थित हैं? नाम एवं स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 15 सितम्बर, 2007 तक किस-किस विद्यालय में अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विद्यालय एवं विषयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला जयपुर में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट ''क'' एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित माध्यकि एवं उच्च माध्यिमक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर तथ संस्कृत शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) दिनांक 15 सितम्बर, 2007 को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के उक्त विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों का विवरण परिशिष्ट ''घ'' एवं ''च'' माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''छ'' पर संलग्न हैं तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''ग'' में सम्मिलित हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बालिका माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

41. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के सभी राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो कब तथा शैक्षणिक सत्र 2007-08 में राज्य के कौन-कौन से बालिका माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाना हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय की क्रियान्विति में अभी तक राज्य में बालिका माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये ? यदि हां, तो कहां-कहां पर व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 2007-08 के बजट सत्र के दौरान विभाग की अनुदान मांगो के समय मा. शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई थी । जिन बालिका माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाना है, की सूची परिशिष्ट ''क'' संलग्न है ।

(2) जी हां । क्रमोन्नत किये गये बालिका माध्यमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है । शेष को क्रमोन्नत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में परिचारक/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के रिक्त पद

42. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में परिचारक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 के दशक में नियुक्त परिचारकों को अभी तक स्थाई नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो स्थाईकरण के आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त अस्थाई रूप से नियुक्त परिचारकों को स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज0 अजमेर में परिचारकों के कुल 117 पद स्वीकृत हैं। तथा इनमें से 31 पद रिक्त हैं।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1980 के बाद नियुक्त परिचारकों के स्थायीकरण आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। अस्थाई रूप से नियुक्त परिचारकों को अवधि पूर्ण होने पर उन्हें स्थाई किया जायेंगा ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित मदरसों में आधुनिक शिक्षा

43. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान मदरसा बोर्ड के तहत राज्य में कितने मदरसे संचालित किये जा रहे हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जिला मदरसा बोर्ड का अंकेक्षण कराने का प्रावधान है ? यदि हां, तो विगत चार वर्षों की जिलेवार अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां संदन की मेज पर रखें ।

(3) संचालित मदरसों में इमामों को क्या-क्या सुविधाएं मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) इन इमामों को आर्थिक मदद के रूप में कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? वर्ष 2004 से अब तक दी जाने वाली राशि का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(5) मदरसा बोर्ड के तहत विगत चार वर्षों में जिलेवार उपलब्ध कराई गई व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार मदरसों में आधुनिक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर कम्प्यूटर तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान मदरसा बोर्ड के तहत 2464 मदरसे संचालित किये जा रहे हैं। जिलेपार विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। मदरसा बोर्डो के जिला स्तरीय कार्यालय गठित नहीं हैं। अत: जिला स्तर पर अंकेक्षण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित मदरसों के इमामों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। राजस्थान मदरसा बोर्ड पंजीकृत मदरसों में केवल स्कूल शिक्षा में सहयोग करता हैं।

(4) इमामों को आर्थिक मदद के रूप में मदरसा बोर्ड द्वारा प्रतिमाह कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है।

(5) मदरसा बार्ड के तहत जिलेवार कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

(6) जी हां । मदरसों में आधुनिक शिक्षा प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य सुविधायें मदरसा बोर्ड के द्वारा प्रदान की जाती हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टोडाभाटा (जयपुर) के अध्यापकों के चिकित्सा पुनर्भरण का बकाया भुगतान

44. **श्री मदन मोहन सिंघल** (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, टोडाभाटा बस्सी जिला–जयपुर में दिनांक 20 मार्च, 1999 से अगस्त, 1999 की अवधि में कार्यरत भत्ता के बिलों का अध्यापकों के चिकित्सा पुनर्भरण एवं यात्रा भगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो भुगतान कब-कब किस-किस को किया गया? अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत बिलों अथक भुगतान किये गये बिलों की मय प्राप्ति रसीद के प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री मदन मोहन सिंघल)

(2) उक्त बिलों का लम्बी अवधि तक भुगतान न किये जाने हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

(3) क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर बकाया बिलों का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री ओमप्रकाश गुप्ता, अध्यापक का रुपये 2081/- का मेडिकल बिल कालातीत हो जाने के पश्चात प्री-चेक के अभाव में भुगतान नहीं किया जा सका । अध्यापक द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रतियां परिशिष्ट-क संलग्न है ।

(2) उक्त बिलों की लम्बी अवधि तक भुगतान नहीं किये जाने की जांच करवाई जा रही है । जांचोपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

(3) जांचोपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी । बिल प्री-चेक हेतु वांछित शपथ पत्र अध्यापक से मांगा गया है। प्राप्त होने पर बिल के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी ।

(बिलों की प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

लघु सिंचाई परियोजना, नयागांव (हिण्डौली) हेतु स्वीकृति

45. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अन्तर्गत दरा के नयागांव के पास लघु सिंचाई परियोजना का सर्वे पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो इस बांध और नहरों के निर्माण में कितनी राशि व्यय होगी और कितनी भूमि को सिंचित किया जा सकेगा ?

(2) क्या सरकार इस बांध की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इसी सत्र में जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सर्वे कार्य माह 10/2007 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

(सिंचाई मंत्री)

(2) सर्वे उपरान्त परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई जावेगी । यदि योजना निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाई गई तो प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष के अन्त तक जारी की जा सकेगी ।

सिंचित क्षेत्र के अंतिम छोर स्थित खालों का पक्का निर्माण कार्य

46. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सिंचित क्षेत्र में अनेकों चकों में निर्मित पक्के खालों के अंतिम छोर किन्हीं कारणों से कच्चे रह गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

(2) क्या सरकार उक्त अंतिम छोर के कच्चे खालों को पक्का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(2) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष में छोड़े गये कच्चे खालों को पक्का किया जाना प्रारम्भ किया जा रहा है ।

(सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

कुशलगढ़ के तालाबों से सिंचाई व्यवस्था

47. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सिंचाई की कितनी परियोजनायें हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई के तालाबों पर पानी छोड़ते समय मिस्त्रियों की कमी रहती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि तालाबों से सीजन में पानी छोड़ते समय कर्मचारियों के अभाव में काश्तकारों द्वारा पानी सही तरीके से उपयोग नहीं करने से पानी नालों में बह कर चला जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई परियोजनाओं (तालाबों) का पानी सही वितरण तथा सही उपयोग करने के लिए प्रति तालाब पर सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सिंचाई की 10 परियोजनाएं हैं जिनका विवरण प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(3) तालाबों पर पानी के सही उपयोग हेतु सिंचाई के लिए जल वितरण से पूर्व काश्तकारों की बैठक लेकर जल वितरण समिति का गठन किया जाता है एवं काश्तकारों को पानी के सदउपयोग हेतु समय-समय पर समझाया जाता है । इसके उपरान्त भी काश्तकारों द्वारा रात्री में पिलाई नहीं करने के कारण कुछ मात्रा में पानी नालों में बहकर चला जाता है । प्रत्येक तालाब पर सरकारी व्यक्ति नियुक्त है ।

प्रपत्र-अ

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ की परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**पंचायत समिति**
1.	कलिंजरा	कुशलगढ़
2.	सोनारिया	कुशलगढ़
3.	पाणदा	कुशलगढ़
4.	गोपालपुरा	कुशलगढ़
5.	बियापाडा	सज्जनगढ़
6.	गौयका प्रसाद	सज्जनगढ़
7.	हिम्मतगढ़ी	सज्जनगढ़
8.	छोटी टाण्डी	सज्जनगढ़
9.	भमरी टाण्डी	सज्जनगढ़
10.	देवकी का नाका	सज्जनगढ़

वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की वेतन विसंगतियों का निराकरण

48. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पशु चिकित्सा अधिकारी (वी.ओ.) एवं वशिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (एस.वी.ओ.) का वेतनमान समान (8000 -13500) है ? यदि हां, तो कब से एवं क्यों ?

(श्री मदन राठौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (एस.बी.ओ.), सहायक निदेशक (ए.डी.), उप निदेशक (डी.डी.) आदि पदों पर पाती वेतन श्रृंखला में अधिकारी पदोन्नत किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने अधिकारी ऐसी पदोन्नति पर कार्यरत हैं एवं कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 व 2 की व्यवस्था से पशु चिकित्सा अधिकारी (वी.ओ.), वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (एस.वी.ओ.), सहायक निदेशक (ए.डी.) एवं उप निदेशक (डी.डी.) तक के पद पर कार्यरत अधिकारी समान वेतनमान (8000-13500) में कार्यरत हैं एवं उन्हें पदोन्नति के पश्चात भी उच्च वेतन श्रृंखला का लाभ नहीं मिला हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि किसी दूसरे संवर्ग के अधिकारियों में भी वेतन श्रृंखला सम्बन्धी ऐसी विसंगति है? यदि हां, तो किस संवर्ग में ? यदि नहीं, तो केवल पशुपालन विभाग में ही ऐसा क्यों ?

(5) क्या सरकार पशु चिकित्सा अधिकारी (वी.ओ.) के ऊपर के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को अन्य सवंर्ग के अधिकारियों के समान उच्च वेतनमान देकर ऐसी विसंगति दूर करने का विचार रखती है ? यदि हा तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 01.04.1998 से। दोनों पदों के वेतनमान की समानता का कारण पशु चिकित्सा अधिकारी (बी.ओ.) का वेतनमान 6500-10500 से संशेधित कर 8000-13500 करना तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का वेतनमान संशोधित नहीं करना है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । पदोन्नति नहीं होने के कारण कोई लाभ देय नहीं है ।

(4) जी हां। ख़ाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग के निम्नलिखित अधिकारी की वेतन श्रखला संबंधी विसंगति है:-

क्र.सं.	पद जिसमें उच्च पद पर पदोन्नति होती है :-	पदोन्नति पद
1.	प्रर्वतन निरीक्षक प्रर्वतन अधिकारी 5000-8000 (10)	प्रर्वतन निरीक्षक प्रर्वतन अधिकारी 5000-8000 (10)

(5) छठे वेतन आयोग की सिफारियों शीघ्र ही अपेक्षित हैं अत: इन वेतनमान विसंगतियों के निराकरण के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना उपयुक्त नहीं होगा ।

ग्राम सेवा सहकारी समिति देवड़ा (जालौर) में व्याप्त अनियमितताएं

49. **श्री जीवाराम चौधरी** (सांचौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि देवड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति तहसील सांचौर, जिला जालौर के तत्कालीन व्यवस्थापक श्री फगलूराम विश्नोई के कार्यकाल में समिति के लेन-देन में गबन का प्रकरण पाया गया है? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ?

(3) उक्त प्रकरण में कार्यवाही नहीं करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री फगलू राम विश्नोई के कार्यकाल के देवड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., देवड़ा के लेन-देन में कुल 16,30,698.05 रुपये के गबन के प्रकरण निर्णित हुए हैं।

(2) जी नहीं। उक्त व्यवस्थापक के विरूद्ध इस पर प्रभावी सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर बर्खास्त किया जा चुका है तथा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 के अन्तर्गत आरोपित राशि की वसूली का वारन्ट जारी किया गया, जिस पर स्थगन आदेश होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा में प्रकरण विचाराधीन है।

(3) प्रकरण में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही सम्पादित होने से इसमें किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

बुनियादी गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की आवासीय योजनाओं में व्याप्त अनियमितताएं

50. **श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित बुनियादी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वर्ष 1995-96 में भूमि क्रय की

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

गई थी? यदि हां, तो कितनी भूमि किस-किस व्यक्ति/किसान से किस-किस तारीख को किस-किस स्थान पर खरीदी गई? क्या खरीद की गई भूमि का पूर्ण इन्द्राज समिति के रेकार्ड में दर्ज है? यदि हां, तो उक्त वर्ष में खरीद की गई भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा वर्ष 1995-96 में इंदिरा गांधी नगर योजना में प्लाट काटे गये थे? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा योजना में प्लाट लिये गये ? नामवार व साईजवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अभी भी भूमि क्रय करके पुरानी तिथि के पट्टे जारी किये जा रहे हैं? यदि हां, तो ऐसी कौनसी समितियां हैं तथा उनके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी समिति आज भी कमीशन लेकर तारीखों के पट्टे दे रही है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों व क्या सरकार पुरानी तिथि के पट्टे देने वाली समितियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त बुनियादी गृह निर्माण सहकारी समिति के लेखों का कभी ऑडिट किया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो इन लेखों की जांच कब तक करा ली जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। बुनियादी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा वर्ष 1995-96 में खरीदी गई भूमि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है एवं खरीदी गई भूमि का इन्द्राज समिति के रेकार्ड में दर्ज है।

(2) जी हां। इन्दिरा गांधी नगर योजना में प्लाट क्रय करने वाले व्यक्तियों का नामवार व साईजवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में कतिपय शिकायतें प्राप्त होने पर ऐसी समितियों के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाती है परन्तु पुरानी तिथि में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पटटे काटने सम्बन्धी किसी प्रकरण का वैधानिक रूप से अभी तक प्रकटीकरण नहीं हुआ है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) जी नहीं । समिति द्वारा पुरानी तारीख में पटटे जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार के प्रकरण आने पर दोषी समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

(5) जी हां। बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर का ऑडिट 31.01.1995 तक का हुआ है । दिनांक 31.01.1995 के पश्चात् की अवधि के वर्षवार लेखे तैयार कराकर संबंधित रिकार्ड सहित उपलब्ध कराने की स्थिति में बकाया अवधि का ऑडिट कराया जा सकेगा ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला मुख्यालयों पर होम्योपैथी चिकित्सालय की स्थापना

51. **श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) (सीकर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार होम्योपैथी चिकित्सा को बढावा देने के उद्देश्य से नये होम्योपैथी चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक-एक राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को राज्य में बढावा देने के उद्देश्य से राज्य में 2005-06 में 35 नवीन होम्योपैथिक औषधालय खोले गये हैं तथा इस वर्ष 2007-08 में 30 नवीन होम्योपैथिक औषधालय खोलना प्रस्तावित हैं।

(2) राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कम से कम एक होम्योपैथिक औषधालय संचालित है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कुशलगढ़ हेतु भवन निर्माण

52. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कुशलगढ में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा यह चिकित्सालय कितनी क्षमता (बैड) का है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय नगरपालिका, कुशलगढ़

(श्री फतेह सिंह)

की तंग कोठारी में संचालित किया जाता है? यदि हां, तो इसमें इन्डोर रोगियों की भर्ती कहां व किस प्रकार की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय का नया भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा में आयुर्वेद चिकित्सक का एक पद स्वीकृत है। इस औषधालय में शैय्याएं स्वीकृत नहीं हैं।

(2) उक्त औषधालय नगरपालिका कुशलगढ़ द्वारा उपलब्ध कराये गये एक कमरे में संचालित किया जा रहा है। यहां अंतरंग विभाग स्वीकृत नहीं होने से रोगियों को भर्ती नहीं किया जाता है।

(3) वर्तमान में इस औषधालय के लिये नवीन भवन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

बारां जिले में संचालित संस्कृत शिक्षण संस्थाएं

53. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में संस्कृत शिक्षा के किस-किस कक्षा स्तर के विद्यालय किस-किस गांव या शहर में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय किस-किस दिनांक से खोले गये एवं सत्र 2007-08 में किस-किस विद्यालय में कक्षावार कितना-कितना नामांकन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) माह दिसम्बर, 2007 से अगस्त, 2007 की अवधि में 'बारां' जिले में किस-किस ग्राम या शहर में किस-किस स्तर के नये संस्कृत विद्यालय किस-किस आदेश क्रमांक व दिनांक से खोले गये या क्रमोन्नत किये गये? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में संस्कृत शिक्षा के 23 उच्च प्राथमिक स्तर के एवं एक प्रवेशिका (माध्यमिक) स्तर का विद्यालय संचालित है विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त विद्यालय किस दिनांक से खोले गये एवं सत्र 2007-08 में

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

किस विद्यालय में कक्षावार कितना नामांकन है का विवरण प्रश्न के भाग 1 की सूची में अंकित है।

(3) माह दिसम्बर 2003 से अगस्त 2007 की अवधि में बारां जिले में निम्न आदेशों के अनुसार विद्यालय खोले एवं क्रमोन्नत किये गये :-

1. आदेश क्रमांक पं. 16(17) शिक्षा-6/04 दिनांक 20.2.04 के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया।
2. आदेश क्रमांक पं. 16(22) शिक्षा-6/04 दिनांक 18.11.06 के द्वारा 17 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया।
3. आदेश क्रमांक पं. 16(27) शिक्षा-6/04 दिनांक 26.2.04 के द्वारा 4 राजीव गांधी संस्कृत पाठशाला को राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में परिवर्तित किया गया।
4. आदेश क्रमांक पं. 16(27) शिक्षा-6/04 दिनांक 17.2.05 के द्वारा 5 राजीव गांधी संस्कृत पाठशाला को राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में परिवर्तित किया गया। आदेश की प्रतियां परिशिष्ट ''ब'' सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(विवरण/प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-18 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	अजमेर	35	27	8
2	भीलवाड़ा	28	25	3
3	नागौर	26	21	5
4	टोंक	14	12	2
5	बीकानेर	27	27	0
6	चूरू	17	13	4
7	गंगानगर	18	13	5
8	हनुमानगढ़	17	16	1
9	झुन्झुनूं	20	13	1
10	अलवर	45	44	7
11	भरतपुर	27	26	1
12	दौसा	18	18	0
13	धौलपुर	13	12	1
14	जयपुर	66	65	1
15	सीकर	28	27	1
16	जोधपुर	30	26	4
17	जैसलमेर	4	2	2
18	जालौर	8	5	3
19	बाडमेर	11	6	5
20	सिरोही	11	6	5
21	पाली	21	13	8
22	बारां	8	7	1
23	बूंदी	11	11	0
24	करौली	17	15	2
25	कोटा	22	22	0

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
26	झालावाड़	13	10	3
27	सवाईमाधोपुर	15	12	3
28	बांसवाड़ा	10	9	1
29	चित्तौड़गढ़	30	26	4
30	डूंगरपुर	10	10	0
31	राजसमन्द	16	9	7
32	उदयपुर	28	22	6
	योग	**664**	**570**	**94**